


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2001 की संख्या 2




विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
भाग क - पुनरीक्षण		
अध्याय I - वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय		
परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता योजना	1.1	1
विपणन विकास सहायता	1.2	21
अध्याय II - सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय		
दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय का प्रबन्धन	2	47
अध्याय III - शहरी मामले तथा रोजगार मन्त्रालय		
महानगरों में अवसंरचना विकास	3.1	95
के.लो.नि.वि. में विवाचन प्रणाली	3.2	133
भाग ख - लेनदेन लेखापरीक्षा पैराग्राफ		
अध्याय IV - कृषि मन्त्रालय		
उन्नयन सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय	4.1	155
व्यर्थ निवेश	4.2	156
निष्फल व्यय	4.3	157
अध्याय V - नागर विमानन मन्त्रालय		
वित्तीय अनियमितताएं	5	159
अध्याय VI - कोयला मन्त्रालय		
निधियों का अनुचित प्रतिधारण	6	161
अध्याय VII- वाणिज्य मन्त्रालय		
किराये पर व्यर्थ व्यय	7.1	163
स्टाफ लागत पर अप्राधिकृत व्यय	7.2	164
अधिक भुगतान वसूल करने में असफलता	7.3	166
अध्याय VIII - विदेश मन्त्रालय		
निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	8.1	168
खाली पड़ी बढ़िया भूमि	8.2	172
अनावश्यक प्रणाली का अविवेकपूर्ण अवधारण	8.3	173
त्रुटिपूर्ण नकद प्रबन्धन के कारण स्थानीय मुद्रा निधि का संचय	8.4	174
आकस्मिकताओं से प्रदत्त स्ट्राफ पर अप्राधिकृत व्यय	8.5	175

अपव्यय	8.6	176
अपूर्ण रोकड़ प्रबन्ध तथा ब्याज की हानि	8.7	177
50वीं वर्षगांठ समारोह निधियों का लेखांकन न करना	8.8	178
वेतन एवं भत्तों पर अप्राधिकृत व्यय	8.9	181
वि.म. के आदेशों के विपरीत कार रोकें रखने के कारण अप्राधिकृत व्यय	8.10	182
मकान किराये पर अपव्यय	8.11	184
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	8.12	185
अध्याय IX - वित्त मंत्रालय		
टकसाल की क्षमता का कम उपयोग	9.1	186
अनुमत मानदण्डों से अधिक समयोपरि भत्ते का भुगतान	9.2	195
अनुबन्ध में ब्याज की धारा न जोड़ने के कारण हानि	9.3	195
कोरे पारपत्रों को तैयार करने में भारी छीजन	9.4	196
पेंशन का अनियमित भुगतान	9.5	198
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	9.6	199
अध्याय X - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती न होना	10.1	201
प्रदूषण रोकती निर्दाहक सुविधा का अस्वीकरण	10.2	203
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	10.3	204
अध्याय XI - गृह मंत्रालय		
प्रशिक्षण युद्ध सामग्री की अधिप्राप्ति: आपूर्ति की प्राप्ति के बिना भुगतान	11.1	206
कल्याण निधियों का दुर्निवेश	11.2	207
अदेय वित्तीय लाभ तथा असम राइफल के लिए घटिया कपड़े की स्वीकृति	11.3	208
जुराबों के अधिप्रापण पर परिहार्य व्यय	11.4	210
चौकसी उपस्कर के अधिप्रापण का दुरुपयोग	11.5	211
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	11.6	213
अध्याय XII - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
निष्फल व्यय	12.1	214
विज्ञापन प्रभारों की वसूली न होना	12.2	216
घोर उपेक्षा के कारण हानि	12.3	217
अध्याय XIII - भूतल परिवहन मंत्रालय		
अग्राह्य ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का भुगतान	13.1	219
राजस्व की परिहार्य हानि	13.2	221
निविदा की स्वीकृति में विलम्ब के कारण अतिरिक्त लागत	13.3	222
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	13.4	223
अधिक व्यय तथा परिहार्य अतिरिक्त लागत	13.5	224

अध्याय XIV - शहरी मामले तथा रोजगार मन्त्रालय		
कार्य पूरा करने में विलम्ब	14.1	226
राजस्व की हानि	14.2	228
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	14.3	229
अध्याय XV - संघ राज्य क्षेत्र		
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन		
आवश्यकता से अधिक भण्डार उपाजित करना	15.1	231
कार्यसाधक पूंजीगत कर्जे का अविवेकपूर्ण भुगतान	15.2	232
अस्वीकार्य भुगतान	15.3	233
सरकारी भण्डार की हानि	15.4	234
चण्डीगढ़ प्रशासन		
वैयक्तिक खाता लेखा का अनुचित नियमन	15.5	235
दमन तथा दीव प्रशासन		
जल प्रभारों का कम उद्ग्रहण	15.6	237
अध्याय XVI - सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही: संक्षिप्त स्थिति	16.1	238
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति	16.2	239
बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां और अवसूली योग्य राशियां	16.3	241
मंत्रालयों/विभागों का ड्राफ्ट पुनरीक्षणों/पैराग्राफों के विषय में उत्तर	16.4	242
परिशिष्ट		
I.	मार्च 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिए दिसम्बर 2000 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतीक्षित शोधक कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	245
II.	मार्च 1996 तथा मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्षों के लिए दिसम्बर 2000 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित शोधक कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	246
III.	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	250
IV.	1999-2000 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण	254
V.	ड्राफ्ट पुनरीक्षणों/पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के उत्तर	255



प्राक्कथन

मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।


वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2001 के प्रतिवेदन संख्या 1 में शामिल की गई हैं। इस प्रतिवेदन में संघ मंत्रालयों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लेन-देनों तथा लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा के उद्भूत मामले तथा संघ मंत्रालयों द्वारा प्रशासित पांच योजनाओं के निम्नलिखित पुनरीक्षण शामिल हैं :

- (i) परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता योजना
- (ii) विपणन विकास सहायता
- (iii) दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय का प्रबन्धन
- (iv) महानगरों में अवसंरचना का विकास
- (v) के.लो.नि.वि. में विवाचन प्रणाली

मंत्रालयों तथा विभागों की कुछ केन्द्रीय प्रायोजित/निधिक योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले 2001 के प्रतिवेदन संख्या-3 में दिए गए हैं।

संघ सरकार-स्वायत्त निकाय (सं.4), वैज्ञानिक विभाग (सं.5), डाक एवं दूरसंचार (सं.6), रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने (सं.7), रक्षा सेवाएं-वायुसेना तथा नौसेना (सं.8), रेलवे (सं.9) संघ सरकार की प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष कर: सीमा शुल्क (सं.10), अप्रत्यक्ष कर: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (सं.11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12) के लिए भी पृथक प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो कि 1999-2000 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। पूर्णता की दृष्टि से वे मामले जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे, भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार कुछ मामलों में 1 अप्रैल 2000 के बाद के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष भी, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत है, उल्लिखित किये गए हैं।



विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस खण्ड में सिविल मंत्रालयों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ योजनाओं तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा से प्रकट हुई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। संघ सरकार (सिविल) 1999-2000 के लेखाओं की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2001 के प्रतिवेदन संख्या 1 में शामिल की गई हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों का विहंगावलोकन निम्न प्रकार है:

परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता योजना

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता योजना दूरस्थ, पहाड़ी तथा अगम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1971 में आरम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत कच्चे माल तथा परिष्कृत वस्तुओं के पारगमन पर वहन किए गए परिवहन व्यय पर 50 से 90 प्रतिशत के बीच आर्थिक सहायता मान्य है। योजना संवितरण/प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्य करती है।

योजना के पुनरीक्षण से निम्नलिखित का पता चला:

- दावों की कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 8.21 करोड़ रु. की राशि की परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता का अनियमित, अग्राह्य तथा अधिक भुगतान हुआ।
- विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में, बिना संवीक्षा के औद्योगिक इकाइयों को 85.13 करोड़ रु. का सीधा भुगतान किया।
- 31.05 करोड़ रु. की परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता का भुगतान निर्धारित पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् भी किया।
- 11.70 करोड़ रु. की परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता का भुगतान कुछ औद्योगिक इकाइयों को किया गया था जिन्होंने वन संरक्षण अधिनियम तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया था।
- विभाग द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों तथा एक औद्योगिक इकाई को 37.35 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता का अग्रिम भुगतान किया गया था। इन अग्रिम भुगतानों के प्रति दावे तथा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित थे।
- जिला/राज्य स्तर समिति की बैठकें एक से पांच वर्ष के बीच अनावश्यक लम्बे अन्तराल के बाद आयोजित की गई थी जिसके कारण असंख्य कानूनी मामले प्रकट हुए।

- मंत्रालय अथवा किसी सम्बद्ध राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के आधार पर औद्योगिक इकाइयों को दी गई आर्थिक सहायता के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया था ।

(पैराग्राफ 1.1)

विपणन विकास सहायता

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने निर्यात, व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा विविधता लाने, तथा विदेशों में भारतीय उत्पाद तथा पदार्थों के विपणन के लिए, विपणन विकास सहायता आरम्भ की। वि.वि.स. अनुदानों का उपयोग 19 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (नि.प्रो.प.) तथा अन्य अनुमोदित संगठनों के माध्यम से होता है । मंत्रालय द्वारा वित्तीय संवीक्षा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 64.66 करोड़ रु. की राशि के वि.वि.स. अनुदान का सन्देहास्पद भुगतान हुआ ।

वाणिज्य विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- मंत्रालय के पास परिषदों, संस्थाओं, संगठनों आदि को दी गई सहायता के प्रभाव तथा कार्यक्रम की उपलब्धि के बारे में कोई सूचना नहीं थी ।
- मंत्रालय ने 17 अपात्र नि.प्रो.प. को 36.89 करोड़ रु. के अनुदान जारी किए। निर्धारित मानदण्डों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 7.37 करोड़ रु. के अनुदानों का अधिक निर्गम हुआ ।
- चार नि.प्रो.प. को 1.17 करोड़ रु. के अमान्य अनुदान जारी किए गए ।
- निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता के अनावश्यक कर्मचारियों की स्थापना-लागत वहन करने के लिए 4.75 करोड़ रु. जारी किए गए ।

(पैराग्राफ 1.2)

दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय का प्रबन्धन

दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय के प्रबन्धन के पुनरीक्षण ने प्रसारण अधिकारों को अधिग्रहण करने, विपणन व्यवस्था, शुल्क-दरों को तय करने तथा राजस्व की हिस्सेदारी में गम्भीर त्रुटियां सामने लाई । लेखापरीक्षा में वाणिज्यिक समय के लेखाकरण तथा बिल तैयार करने में भी अशुद्धियां पाई गई थी । एक गलत काल्पनिक तदर्थ व्यवस्था में, दूरदर्शन ने, फरवरी 1998 में अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं को प्रसारित करने के अधिकारों तथा घटनाओं के विपणन हेतु एक सहायता संघ के साथ समझौता किया । सहायता संघ के प्रचालन की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यवस्था उतनी ही दोषपूर्ण थी जितनी कि यह दूरदर्शन के हितों की सुरक्षा करने में असमर्थ । व्यवस्था ने वाणिज्यिक समय की अल्प बिक्री, अवसर लागत की गैर-वसूली, अधिकारों के अधिग्रहण में हेराफेरी, बकायों की गैर-वसूली, अस्वीकार्य निधियों के भुगतान के कारण 140.88 करोड़ रु. की अपरिहाय हानि कराई । वाणिज्यिक समय के प्रबन्धन की प्रणाली तथा प्रक्रिया के पुनरीक्षण से निम्नलिखित पता चला:

- दूरदर्शन ने नियमों से परे हटते हुए 'आंखों देखी', 'दोपहर आंखों देखी' तथा 'इन्डिया दा अवेकनिंग' कार्यक्रम के प्रायोजकों को 12.08 करोड़ रु. का अनुचित लाभ दिया ।
- दूरदर्शन ने 'सुपर हिट मुकाबला' के प्रायोजक को अनुज्ञेय से उच्चतर वाणिज्यिक समय को अनुमत किया तथा इस प्रक्रिया में 4.51 करोड़ रु. की हानि उठाई ।
- दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता ने अप्राधिकृत रियायतें अनुमत कीं जैसे कि निःशुल्क वाणिज्यिक समय का अधिकतम उपयोग, प्रायोजकता शुल्क की कम वसूली एवं स्पॉट खरीद दर तथा इस प्रक्रिया में प्रायोजक को 3.02 करोड़ रु. का अनुचित लाभ दिया ।
- प्रसारण आवश्यकता तथा उपग्रह समय की उपलब्धता के बीच एक बेमेल मामले में दूरदर्शन ने उपग्रह को देर से बुक करने के कारण 9.44 करोड़ रु. की हानि उठाई ।
- दूरदर्शन ने वाणिज्यिक समय के अल्प लेखाकरण तथा अपर्लिकिंग के बिल न बनाने तथा स्पेस सैगमेंट प्रभारों के कारण एयर टाइम सैलिंग एजेंसियों से 8.93 करोड़ रु. की हानि उठाई ।
- दूरदर्शन ने अन्तर्राष्ट्रीय चैनल पर पुनःप्रसारित कार्यक्रमों के लिए बैंकिंग सुविधा के साथ अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय अनुमत किया इसके फलस्वरूप 1.94 करोड़ रु. की हानि हुई ।
- उचित बिलों की प्रक्रिया तथा वसूली प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप 16.98 करोड़ रु. के बकाया प्राप्य बने । विलम्बित भुगतानों पर शास्ति ब्याज नहीं लगाया गया था जिसके कारण 81.92 लाख रु. की हानि हुई ।

पैराग्राफ (2)

महानगरों में अवसंरचना विकास

वित्तीय संस्थाओं सहित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के योगदान के प्रयास के रूप में मुम्बई कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद के महानगरों में अवसंरचना विकास के लिए शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय ने एक योजना प्रायोजित की । यह परिकल्पना की गई थी कि समय के साथ योजना शीर्ष अभिकरणों के साथ परिक्रामी निधि की स्थापना के लिए आत्म निर्भर हो जायेगी । प्रत्यक्ष प्रगति धीमी थी । 442 संस्वीकृत परियोजनाओं में से 72 परियोजनाएं बन्द कर दी गई, 115 परियोजनाएं पूरी हुई थी तथा 62 परियोजनाएं अभी भी आरम्भ की जानी थी ।

- आठवीं तथा नौवीं योजना की अवधि में कुल 1200 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। निधियों का निर्गम समग्र योजना आबंटन के साथ बराबर नहीं चल सका।
- मुंबई को छोड़कर किसी भी शीर्ष अभिकरण ने परिक्रामी निधि की स्थापना नहीं की, जो कि निरन्तर तथा वहनीय आधार पर अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के सृजन तथा विकास के लिए क्रान्तिक आवश्यकता थी। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किए बिना कि शीर्ष अभिकरणों ने परिक्रामी निधि की यथोचित स्थापना कर ली थी, शीर्ष अभिकरणों को निधियां संस्वीकृत तथा जारी की।
- वर्ष 1999-2000 के अन्त में शीर्ष अभिकरणों के पास भारी राशियां अव्ययित पड़ी थी।
- कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई में महानगर विकास योजना की तैयारी, सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए जारी की गई केन्द्रीय निधियां अव्ययित पड़ी रह गई।
- सभी स्तरों पर योजना का परिवीक्षण घटिया था। मंत्रालय ने छःमाही पुनरीक्षण बैठकें आयोजित नहीं कीं। परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1999 में गठित संचालन समिति ने कभी बैठक नहीं की। शीर्ष अभिकरणों ने पृथक परियोजना-वार लेखाओं का अनुरक्षण नहीं किया।
- कार्यान्वयन में अकुशलताएं अर्थात् अपात्र परियोजनाओं को गलत संस्वीकृति, किसी परियोजना प्रतिवेदन के बिना संस्वीकृत परियोजनाएं वृहत् नगर योजना तथा प्राथमिकता कसौटी का निर्धारण, प्रशासनिक खर्चों को गलत प्रभारित करना, परियोजनाओं को विलम्ब से आरम्भ करना तथा परिवर्तन करना जिसके परिणामस्वरूप 31 परियोजनाओं में लागत वृद्धि देखने में आई।

(पैराग्राफ 3.1)

के.लो.नि.वि. में विवाचन प्रणाली

सरकारी भवनों तथा परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ इनके अनुरक्षण के लिए भारत सरकार का प्रधान अभिकरण होने के कारण के.लो.नि.वि. ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध करता है। ठेकों से अथवा उससे उत्पन्न अथवा निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित मामलों के अनुसुलझे प्रश्न तथा विवाद विवाचन के माध्यम से निपटाये जाते हैं। के.लो.नि.वि. विवाचकों की नियुक्ति करता है, जिसके अधिनिर्णय का प्रभाव न्यायालय के आदेश के समान होता है।

के.लो.नि.वि. में विवाचन प्रणाली के पुनरीक्षण से विवाचन मामलों की निगरानी और प्रबन्धन प्रणाली में कमियों का पता चला जिनके कारण अनुवर्ती कार्यवाही में विलम्ब और 94 प्रतिशत दावों का अस्वीकरण हुआ ।

- लोक लेखा समिति ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1992 के प्रतिवेदन सं. 2 में शामिल के.लो.नि.वि. में संविदाओं के प्रबंधन की जांच करते हुए इच्छा प्रकट की थी कि मंत्रालय को संविदाओं का कुशल प्रबन्धन सुनिश्चित करने तथा ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए इसके द्वारा प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन पर निकटस्थ तथा निरन्तर सतर्कता रखनी चाहिए । तथापि, मंत्रालय ने दिए गए आश्वासन के अनुसार वास्तव में उपाय आरंभ किए ही नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को निरन्तर परिहार्य भुगतान होता रहा ।
- 1994-95 और 1999-2000 के बीच हुए 402 अधिनिर्णयों में से 14 शून्य अधिनिर्णयों सहित केवल 22 अधिनिर्णय के.लो.नि.वि. के पक्ष में गए जिनमें इसको 50.09 लाख रु. का भुगतान अन्तर्निहित था ।
- 380 मामलों में अधिनिर्णय के.लो.नि.वि. के विरुद्ध गया । इसने 287 अधिनिर्णयों को स्वीकार किया और 64 को चुनौती दी । शेष 29 अधिनिर्णयों पर इसे अभी कार्यवाही करनी है । के.लो.नि.वि. ने स्वीकार किए गए मामलों के प्रति ठेकेदारों को 284.20 लाख रु. की ब्याज की राशि सहित 874.86 लाख रु. का भुगतान किया । विवाचकों ने के.लो.नि.वि. के 212.96 लाख रु. की राशि के प्रति दावों को भी अस्वीकार किया ।
- के.लो.नि.वि. ने अपने अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जब विवाचन का अधिनिर्णय उनकी भूल के कारण इसके विरुद्ध चला गया था ।
- अन्य महत्वपूर्ण कमियां ठेकेदारों को रेखाचित्र, अभिकल्प सामग्री की आपूर्ति, निर्णयों की सूचना में विलम्ब थी जिसके परिणामस्वरूप 2.63 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति का भुगतान, ठेकेदारों द्वारा समय पर भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली छूट का अपवर्तन तथा परिणामतः ब्याज की हानि सहित संविदात्मक आभारों का अपालन हुआ 2.86 करोड़ रु. वापस लौटाने पड़े ।

(पैराग्राफ 3.2)

खाली पड़ी बढ़िया भूमि

1965 में ब्राजील सरकार ने एक 25,000 वर्ग मीटर भू-खंड ब्राजीलिया में भारतीय दूतावास को दूतावास परिसर निर्माण हेतु उपहार में दिया था । वि.मं. ने उपहार में दिए गए भू-खण्ड पर दूतावास परिसर का निर्माण करने के लिए तीन दशक से अधिक समय तक कोई निर्णय नहीं लिया । दूतावास कार्यालय, राजदूत निवास तथा इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवास के लिए दूतावास ने 1983-84 से नवम्बर 1999 के बीच, किराए दूतावास के

अन्तर्विरामी स्थानान्तरण, भूसम्पदा दलों का ब्राजीलिया में आगमन, भूखण्ड की घेराबंदी तथा कर भुगतान इत्यादि के रूप में इसमें अन्तर्ग्रस्त लगभग 11.23 करोड़ रु. के निर्गम पर आवासीय स्थल किराये पर लेना जारी रखा है।

(पैराग्राफ 8.2)

प्रशिक्षण युद्धसामग्री की अधिप्राप्ति: आपूर्ति की प्राप्ति के बिना भुगतान

केन्द्रीय आयुध डिपो (के.आ.डि.) द्वारा सी.सु.ब. की प्रशिक्षण शस्त्रों (स्वभारित राइफलों) की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका जबकि सी.सु.ब. ने इस उद्देश्य के लिए 12.71 करोड़ रु. के.आ.डि. को अग्रिम के रूप में दे दिए थे और के.आ.डि. आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने को तैयार था। तथापि, के.आ.डि. द्वारा पेशकश की गई स्वभारित राइफिलें पुराना अचिन्हित, अप्रयुक्त तथा घटिया स्तर की थी, जो सी.सु.ब. को स्वीकार्य नहीं थी। अप्रैल 2001 तक के.आ.डि. को दी गई समस्त अग्रिम राशि आठ वर्ष समाप्त होने पर भी अप्रतिपूर्त रहती है।

(पैराग्राफ 11.1)

निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

सरकार द्वारा अधिप्राप्त भू-खण्ड पर राजदूत कार्यालय एवं आवासों तथा अन्य भवनों के निर्माण के लिए बीजिंग, दोहा, मस्कट तथा गांवरोन में मिशनों द्वारा प्रस्तुत निर्माण प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप वास किराये पर 26.27 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 8.1)

किराए पर अपव्यय

भारत व्यापार केन्द्र, ब्रसल्स में कर्मचारियों की छटनी के बावजूद, वि.मं. ने जून 1997 से दिसम्बर 2000 के दौरान पट्टा जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप किराए पर 88.22 लाख रु. का व्यर्थव्यय हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)

राजस्व की परिहार्य हानि

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, विशाखापत्तनम तथा भूतल परिवहन मंत्रालय में मार्गकर संग्रहण हेतु उचित व्यवस्था करने में परिहार्य प्रशासनिक विलम्ब के कारण 4.49 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 13.2)

कल्याण निधियों का दुर्निवेश

के.रि.पु.ब. ने एक घाटे पर चल रहे सा.क्षे.उ. में 1.05 करोड़ रु. की कल्याण निधियों का दुर्निवेश किया। सा.क्षे.उ. की रुग्णता को देखते हुए 56.82 लाख रु. के ब्याज सहित 1.62 करोड़ रु. के परिपक्वता मूल्य की वसूली सन्देहास्पद है।

(पैराग्राफ 11.2)

घोर उपेक्षा के कारण हानि

24.90 लाख रु. मूल्य के दो सोनी बीटाकॉम एस.पी. रिकार्डरों को बुक कराने के लिए असावधानी से एक खलासी को भेजने के कारण इंडियन एअर लाइन्स के बीजक में 50,000 रु. दिखाया गया तथा माल प्रेषक की देयता सीमित हो गई। मु.अ.(उ.अं.), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन ने मूल्यवान वस्तुओं के संचालन में असावधानी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया।

(पैराग्राफ 12.3)

अग्राह्य ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का भुगतान

सितम्बर 1995 में योजना की अवधि समाप्त होने के बाद, मै. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भेजी गई मांग पर भारतीय नौपरिवहन निगम को ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का लाभ पहुंचाने में मंत्रालय की कार्यवाही के परिणामस्वरूप भा.नौ.नि. को 6.18 करोड़ रु. का अनुचित लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 13.1)

सरकारी भण्डार की हानि

भण्डार एवं स्टॉक के समय पर वास्तविक सत्यापन के लिए कार्यवाही न करने की अधिशासी अभियंता की असावधानी के परिणामस्वरूप 13.12 लाख रु. की अप्राप्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 15.4)

अनुमत मापदण्डों के बाहर समयोपरि भत्ते का भुगतान

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक द्वारा 1995-2000 की अवधि के दौरान 50 घंटे प्रति तिमाही की मान्य सीमा के बाहर अपने कर्मचारियों को 99.43 करोड़ रु. के समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 9.2)

पेंशन का अनियमित भुगतान

पेंशन भुगतानों के नियमों तथा आदेशों को लागू करने तथा व्याख्या करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पेंशन भुगतान सम्बन्धी आदेशों के अपर्याप्त जांच के साथ अनुपालन एवं स्पष्टीकरण में विफलता के साथ अपर्याप्त जांच जुड़ने के कारण 27.65 लाख रुपये के पेंशन भुगतानों में अनियमितताएं हुईं।

(पैराग्राफ 9.5)

कार्यसाधक पूंजीगत कर्जे का अविवेकपूर्ण भुगतान

अंडमान तथा निकोबार द्वीप प्रशासन ने एक जहाजरानी खण्ड की स्थापना हेतु अवसंरचना के विकास के लिए, अप्राधिकृत रूप से अण्डमान निकोबार द्वीप समूह विकास निगम को तीन करोड़ रु. के कार्यसाधक पूंजीगत कर्जे की स्वीकृति प्रदान की। योजना आयोग तथा भूतल परिवहन मंत्रालय ने बाद में स्वीकृति का निराकरण किया। परिणामस्वरूप 6.06 करोड़ रु. के वित्त संसाधन, 3.06 करोड़ रु. के ब्याज को सम्मिलित करके, अ.नि.द्वि.स. वि.नि. के पास अवरुद्ध रहे।

(पैराग्राफ 15.2)

कार्य पूरा करने में विलम्ब

के.लो.नि.वि. के कार्यकारी अभियंता एक परियोजना के कार्यान्वयन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण का निष्पादन करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप इसके सम्पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब हुआ, और इसके साथ ही 78.35 लाख रु. की राजस्व हानि एवं परियोजना की अवधि बढ़ जाने से 2.61 करोड़ रु. लागत खर्च भी बढ़ा।

(पैराग्राफ 14.1)

प्रदूषण-रोधी निर्दाहक सुविधा का अस्वीकरण

निदेशक रा.सं.रो.सं. ने अगस्त, 1985 में 4.5 लाख रुपये के मूल्य के एक नये निर्दाहक को प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया और बिना, उन्हें विशिष्टताएँ उपलब्ध कराए म.नि.आ.नि. के माध्यम से अक्टूबर 1990 में मै. थर्मैक्स लि. को आपूर्ति आदेश भेजा। इस कारण से आदेश रद्द हो गया। उसके पश्चात दिसम्बर 1993 में रा.सं.रो.सं. ने के.लो.नि.वि. से एक निर्दाहक को अधिप्राप्त करके प्रतिष्ठापित करने की प्रार्थना की और उनके पास इसका अनुमानित मूल्य, 34.38 लाख रुपये पहले ही जमा करा दिया। के.लो.नि.वि. ने मार्च 1996 में निर्दाहक खरीद लिया परन्तु इसके प्रतिष्ठापन के लिए स्थल तैयार नहीं था। रा.सं.रो.सं. ने केवल निर्दाहक की खरीद के बाद ही भवन निर्माण की प्रक्रिया का आरम्भ किया। जबकि अगस्त 1998 तक विभिन्न एजेन्सियों से निर्वाधन प्राप्त कर लिए गये थे, रा.सं.रो.सं. निर्दाहक को चालू नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनुमोदन/निर्वाधन अभी तक प्रतिक्षित था।

(पैराग्राफ 10.2)

व्यर्थ निवेश

पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई के कार्यालय में छः संस्वीकृत पदों के विरुद्ध जनवरी 1995 में 58.41 लाख रु. की लागत पर 14 आवासीय मकानों का कब्जा लिया। आठ स्टाफ मकान सदैव खाली रहे। कृषि मंत्रालय तथा सम्पदा निदेशालय के बीच तालमेल की कमी के कारण मुम्बई में जहां आवास इतना महंगा है, सरकारी आवास खाली रहे जिससे दूसरे योग्य कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

(पैराग्राफ 4.2)

अनावश्यक प्रणाली का अविवेकपूर्ण अवधारण

वि.मं. ने क्रमशः अगस्त 1984 तथा जुलाई 1988 में भारतीय दूतावास टोकियो तथा बहरीन में क्षेत्रीय टैलैक्स केन्द्रों की स्थापना की थी। चूंकि क्षेत्रीय केन्द्रों का अनुरक्षण खर्चीला होता जा रहा था, विदेशी सेवा निरीक्षकों की टीम ने 1989 में सुझाव दिया कि, दूतावासों में उपलब्ध, फैक्स के विश्वसनीय एवं सस्ते पर्याय के संदर्भ में क्षेत्रीय केन्द्रों की उपयोगिता एवं संगठन की संविधा की जाये। प्रत्येक सम्बन्धित मिशन में, फैक्स, ई-मेल जैसी नवीनतम संचार प्रणालियों की उपलब्धता के बावजूद अभी तक पुरानी टैलैक्स प्रणाली ही काम में लायी जा रही है। इस प्रकार टोकियो एवं बहरीन में भारतीय मिशनों ने अनावश्यक प्रणाली पर 1996-97 से 1999-2000 तक 10.83 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.3)

स्टाफ लागत पर अप्राधिकृत व्यय

बर्न एवं बोन में दूतावास क्रमशः तीन तथा दो पदों को बिना संस्वीकृति के संचालित करते रहे जिससे स्टाफ लागत पर 48.76 लाख रु. का अनाधिकृत व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 7.2)

उन्नयन सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय

कृषि मंत्रालय ने 1992-96 के दौरान केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म धमरोद पर चारा एवं चारा बीज फार्म की सिंचाई हेतु एक उन्नत सिंचाई योजना के ऊपर 58.69 लाख रुपये का व्यय किया। दिसम्बर 1999 तक भी परियोजना चालू नहीं की जा सकी थी तथा वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।

(पैराग्राफ 4.1)

अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती न होना

निदेशक, बीसीजी टीका प्रयोगशाला चैन्नई के अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती सम्बन्धी मामले को म.नि.स्वा.से. के साथ उठाने में विफलता के फलस्वरूप वेतन पर 38.97 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 10.1)

अदेय वित्तीय लाभ तथा असम राइफल के लिए घटिया-कपड़े की स्वीकृति

असम राइफल द्वारा वर्दी के घटिया स्तर के कपड़े की स्वीकृति से आपूर्ति कर्ता को 50.55 लाख रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता का लाभ पहुंचाया गया।

(पैराग्राफ 11.3)

विज्ञापन प्रभारों की वसूली न होना

1994-95 तथा 1997-98 के लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों में उल्लेख के बावजूद कानपुर, चेन्नई तथा कोलकाता आकाशवाणी, वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के केन्द्र निदेशकों ने अधिकृत एजेन्सियों से विज्ञापन प्रभारों की शीघ्र वसूली के लिए न तो कोई प्रभावशाली कार्यवाही की और न ही समझौते के अनुसार चूककर्ता एजेन्सियों के प्रत्यायन को रद्द किया, जिसके परिणामस्वरूप 66.10 लाख रु. के विज्ञापन प्रभारों तथा 40.51 लाख रु. के ब्याज की वसूली नहीं हो सकी।

(पैराग्राफ 12.2)

टकसाल की क्षमता का कम उपयोग

भारत सरकार की नोएडा टकसाल जिसका प्रचालन 1988 से हुआ था ब्लैकिंग लाईन स्थापित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप बने बनाए तैयार कोरे सिक्कों के आयात करने के कारण 38.39 करोड़ रु. के बराबर विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी। टकसाल की क्षमता का समग्र रूप से कम उपयोग किया गया क्योंकि 1991-92 से 1999-2000 के दौरान क्षमता से वास्तविक निर्माण की प्रतिशतता 17 से 45 के बीच रही। सिक्कों के आयात के सात मामलों में से चार मामलों में से टकसाल 12.37 करोड़ रु. की राशि के निर्णीत हर्जानों का दावा करने में विफल रही तथा शेष तीन मामलों में टकसाल द्वारा निर्णीत हर्जाना (10.41 करोड़ रु.) या तो वसूल ही नहीं किया गया अथवा आंशिक रूप से ही वसूल किया गया। दो मामलों में निरीक्षण प्रभारों का दावा नहीं किया गया जबकि छः अन्य मामलों में दावों को काफी विलम्ब के साथ प्रक्रिया में लाया गया था।

(पैराग्राफ 9.1)

निष्फल व्यय

दूरदर्शन ने मार्च 1995 में 5 चैनल विडियो सादृश्य प्रणाली की खरीद की तथा प्रतिष्ठापन से पहले लागत के 90 प्रतिशत के रूप में 3.07 करोड़ रु. जारी किए। आपूर्ति आदेश के अनुसार, प्रणाली को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छः माह के भीतर उन्नत किया जाना था। प्रणाली का उन्नयन दूरदर्शन के अ. एवं वि. शाखा द्वारा किया गया था क्योंकि फर्म ने उसके संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं किया। इससे 16.52 लाख रु. राशि की परिसमापन क्षतिपूर्ति की उगाही आकर्षित हुई लेकिन दूरदर्शन अर्थदण्ड के प्रावधान को लागू करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के इस दावे के बावजूद कि उसने अपनी लागत पर प्रणाली उन्नत की, उन्नत प्रणाली के लाभ उपलब्ध नहीं थे।


(पैराग्राफ 12.1)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

सरकार द्वारा बार-बार जारी निर्देश के बावजूद, लो.ले.स. की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, मंत्रालयों/विभागों ने, सिविल मंत्रालयों, अन्य स्वायत्त निकायों तथा वैज्ञानिक विभागों से

संबंधित प्रतिवेदनों में सम्मिलित 145 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी कार्यवाही टिप्पणियां नहीं भेजी । इनमें से 42 अपेक्षाकृत पुराने पैराग्राफ थे जो 1990-1996 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए थे ।

(पैराग्राफ 16.1)



भाग क - पुनरीक्षण

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय

परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता योजना

अध्याय I : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

1.1 परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता योजना

दूरस्थ, पहाड़ी तथा अगम्य क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष 1971 में परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता योजना आरम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत कच्चा माल तथा परिष्कृत वस्तुओं के पारगमन पर वहन किये गए परिवहन व्यय पर 50 से 90 प्रतिशत के बीच आर्थिक सहायता मान्य है। गहन वित्तीय संवीक्षा करने/नियंत्रण रखने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप 177.68 करोड़ रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का सन्देहास्पद भुगतान हुआ। असम (110.60 करोड़ रु.) तथा अरुणांचल प्रदेश (17.93 करोड़ रु.) जैसे राज्यों में ये कुल व्यय का क्रमशः 83 प्रतिशत तथा 73 प्रतिशत थे। औद्योगिक इकाइयों के दावे सम्बद्ध अभिलेखों के सत्यापन के बिना स्वीकार किये गये थे। जिला/राज्य स्तरीय समिति की बैठकें एक से पांच वर्षों के बीच के असाधारण लम्बे अन्तराल पर आयोजित की गई थी जिसमें बहुत से कानूनी मामले थे। मंत्रालय अथवा किसी भी संबद्ध राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों का औद्योगिक विकास पर वितरित आर्थिक सहायता के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया।

विशिष्टताएं

योजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए लागू थी। तथापि, 31.05 करोड़ रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान निर्धारित पांच वर्ष की अवधि के पश्चात भी किया गया था।

11.70 करोड़ रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान कुछ औद्योगिक इकाइयों को किया गया था। जिन्होंने “वन संरक्षण अधिनियम” तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया था।

योजना की कार्यप्रणाली में औद्योगिक उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत दावों की अति गहनता से संवीक्षा करना अनिवार्य था। तथापि दावों की कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप 8.21 करोड़ रु. की राशि की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का अनियमित, अग्रह्य तथा अधिक भुगतान हुआ।

मंत्रालय द्वारा औद्योगिक इकाइयों तथा संवितरण प्राधिकारियों का निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में बिना संवीक्षा के 85.13 करोड़ रु. का सीधे भुगतान किया गया था।

वास्तविक भुगतान तथा उपयोग प्रमाण पत्रों के बारे में संवितरण प्राधिकारियों से अनुपालना सूचना प्रतीक्षित थीं।

असम, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों तथा एक औद्योगिक इकाई को 37.35 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता का अनियमित रूप से अग्रिम भुगतान किया गया था। इन अग्रिम भुगतानों के प्रति दावे तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे।

हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 2.03 करोड़ रु. की राशि की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति की गई थी।

2.21 करोड़ रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान कालातीत दावों के लिए किया गया था।

राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प.आ.स. के भुगतान में एक से 61 माह तथा दो से 17 माह का विलम्ब हुआ था।

योजना का औ.नी.सं.वि. द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के मूल उद्देश्य के आधार पर औ.नी.सं.वि. अथवा किसी सम्बद्ध सरकार ने उनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया था।

1.1.1 प्रस्तावना

पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परिवहन आर्थिक सहायता योजना (प.आ.यो.) का प्रवेश 1971 में हुआ था। वाणिज्य तथा औद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार का औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (औ.नी.सं.वि.) योजना का प्रबन्ध करता है। यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, उत्तरांचल के आठ जिले अर्थात्, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, तथा उत्तरकाशी एवं अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। सम्बद्ध राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इसे लागू करते हैं। प.आ.स. का वर्तमान समय विस्तार पहली अप्रैल 2000 से आरम्भ हुआ तथा 31 मार्च 2007 तक लागू रहेगा।

1.1.2 संचालनात्मक रूपरेखा

पौधारोपण, परिष्करण शालाएँ तथा विद्युत उत्पादन इकाइयों के आकार पर ध्यान न देते हुये, इन्हें छोड़कर योजना निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों प्रकार की सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू है।

योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कच्चा माल तथा परिष्कृत वस्तुओं के नामित निकटतम रेल-पड़ाव/

पत्तनों से औद्योगिक इकाई तक तथा विपरीत क्रम में इनके पारगमन पर वहन की गई परिवहन लागत पर 50 से 90 प्रतिशत के बीच की आर्थिक सहायता मान्य है।

योजना का संचालन करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को राज्य स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए जिसमें उद्योग निदेशक, प्रत्येक राज्य औद्योगिक विभाग तथा राज्य वित्त विभाग आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। औ.नी.सं.वि. का प्रतिनिधि भी नामित किया जाएगा। प.आ.स. के अन्तर्गत आवृत किये गए चुने हुये पिछड़े जिलों में प्रति इकाई प्रति तिमाही 20,000 रु. तक की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता (जुलाई 1987 में 50,000 रु. तक संशोधित की गई) संस्वीकृत करने के लिए औ.नी.सं.वि. ने अक्टूबर 1978 में जिला स्तरीय समिति (जि.स्त.स.) को अधिकार प्रत्यायोजित किए ।

1.1.3 वित्तीय प्रबन्धन

भारत सरकार ने 31 मार्च 2000 तक प.आ.यो पर 530.77 करोड़ रु. का व्यय किया । इसमें से मार्च 1994 तक 144.46 करोड़ रु. तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान 386.31 करोड़ रु. व्यय हुए ।

योजना संवितरण/प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्य करती है अर्थात्, आर्थिक सहायता दावों की पहले राज्य सरकार द्वारा संवीक्षा की जाती है तथा पात्र इकाइयों को वितरित की जाती है तथा इसके पश्चात दावों की केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति की जाती है । औ.नी.सं.वि. का पिछड़ा क्षेत्र विकास (पि.क्षे.वि.) मण्डल प.आ.स. के प्रबन्ध का समन्वयन करता है। औ.नी.सं.वि. में प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की पहले पि.क्षे.वि. मण्डल द्वारा संवीक्षा की जाती है जो कि बाद में एकीकृत वित्त की सहमति के साथ सक्षम वित्तीय प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करता है।

1.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा पुनरीक्षण 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में औ.नी.सं.वि. द्वारा प.आ.स. के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में इसके प्रबन्ध का मूल्यांकन करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा ने औ.नी.सं.वि. तथा राज्य सरकार में सम्बद्ध नोडल विभागों के अभिलेखों की जांच की। जांच में औ.नी.सं.वि. द्वारा इस अवधि के दौरान संस्वीकृत 386.31 करोड़ रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति के 5000 से अधिक संवीक्षा के मामले शामिल थे जैसा कि अनुबन्ध-I में दर्शाया गया है।

1.1.5 योजना का कार्यान्वयन

योजना में यह व्यवस्था है कि औद्योगिक इकाइयों के प.आ.स. दावों की औ.नी.सं.वि. के एक नामांकित व्यक्ति के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा संवीक्षा की

जायेगी। तथापि, यह देखा गया था कि औद्योगिक इकाइयों के दावों को अंतिम रूप देने के लिए रा.स्त.स.की बैठकों में औ.नी.सं.वि. के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। परिणामतः आर्थिक सहायता के दावों को अंतिम रूप देते समय राज्य सरकारों ने बहुत से अवसरों पर योजना के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया। इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्त सहित औ.नी.सं.वि. में दावों की विस्तृत संवीक्षा नहीं हुई थी। इस संबंध में इतनी बुरी स्थिति का कारण यह था कि कई विषयों में इन दावों की राज्य स्तर पर संवीक्षा प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण थी। उदाहरण के लिए औद्योगिक इकाइयों के दावे रा.स्त.स. द्वारा संबंधित दस्तावेज जैसे माल प्राप्ति एवं परेषण पत्र, कच्चा माल खरीदने के लिए दस्तावेज एवं तैयार माल की बिक्री, बैंक पोस्ट प्रवेश, वास्तविक उत्पादन की तुलना में बिजली की खपत, केन्द्रीय बिक्री कर/उत्पाद शुल्क प्रमाण पत्र आदि को सत्यापित किए बिना प्रस्तुत किए गए थे। लेखापरीक्षा जांच में कुल 177.68 करोड़ रु. अर्थात् कुल भुगतान के लगभग 46 प्रतिशत की सन्देहास्पद प्रतिपूर्ति का पता चला जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

करोड़ रु. में

राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	व्यय	सन्देहास्पद प्रतिपूर्ति
असम	131.35	110.60
मणिपुर	1.76	0.07
त्रिपुरा	3.20	0.06
अरुणाचल प्रदेश	24.42	17.93
मेघालय	19.75	3.24
नागालैंड	28.56	9.49
मिजोरम	11.28	4.03
सिक्किम	2.90	--
हिमाचल प्रदेश	131.09	32.25
जम्मू व कश्मीर	18.14	0.01
उत्तर प्रदेश	7.32	--
अण्डमान व निकोबार	5.74	--
लक्षद्वीप	--	--
पं.बंगाल (दार्जिलिंग)	0.80	--
जोड़	386.31	177.68

उत्तरवर्ती पैराग्राफों में ऐसे कुछ मामलों का विवरण दिया गया है:

1.1.6 पांच वर्षों की निर्धारित सीमा के परे आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति

पहली अप्रैल 1995 से प्रभावी, जुलाई 1993 की योजना में किये गये संशोधन के अनुसार, योजना वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ की तिथि से पांच वर्षों तक लागू थी अर्थात् वे सभी इकाइयां जिन्होंने 31 मार्च 1995 को उत्पादन के पांच वर्ष पूरे कर लिये थे, योजना के अन्तर्गत आगे के लाभों के पात्र नहीं थे। इकाइयों, जिन्होंने पहली अप्रैल 1995 से पूर्व अथवा पश्चात पांच वर्षों की अवधि के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ

पांच वर्षों की निर्धारित सीमा के परे 31.05 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति।

किया था, पांच वर्ष की अवधि पूरी होने अथवा योजना की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, की पात्रता समाप्त हो जायेगी। औ.नी.सं.वि. ने आगे अगस्त 1996 में स्पष्ट किया कि मूल क्षमता तथा प्रभावित विस्तारण पर परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता की पात्रता मूल इकाई के उत्पादन की तिथि से गणना करके कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मिजोरम तथा मेघालय की राज्य सरकारों को पांच औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में 31.05 करोड़ रु. की राशि की आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति की गई थी जबकि पहली अप्रैल 1995 से इन इकाइयों की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता की पात्रता समाप्त हो गई थी:

करोड़ रु. में

राज्य का नाम	औद्योगिक इकाई का नाम	प्रतिपूर्त राशि	प्रतिपूर्ति की तिथि
हिमाचल प्रदेश	मै. एशोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि., गगल	30.22	8/98 से 9/99
मिजोरम	मै. जे.आर. बर्दर आफसेट प्रिंटर एण्ड पेपर वर्क्स	0.09	5/98 और 6/99
मेघालय	मै. जैन्तिया सीमेंट	0.62	3/99
मेघालय	मै. मुल्लुम सॉ मिल्स	0.01	3/99
मेघालय	मै. मर्सीयमलिमु वर्क्स	0.11	3/99
	जोड़	31.05	

उक्त इकाइयों के लिये किये गये 31.05 करोड़ रु. का उपर्युक्त भुगतान गलत था तथा तत्काल वसूली की आवश्यकता है।

औ.नि.सं.वि. ने बताया (नवम्बर 2000) कि मै. एशोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि.(ए.सी.सी.) ने गगल, हिमाचल प्रदेश में दो पृथक इकाइयां अर्थात् गगल-I इकाई तथा गगल-II इकाई स्थापित की थी। औ.नी.सं.वि. ने आगे बताया कि गगल-II इकाई 1993 में चालू हुई थी तथा इसने वाणिज्यिक उत्पादन 15 सितम्बर 1994 को आरम्भ किया था। गगल-I इकाई से गगल II इकाई का पृथक अस्तित्व था इसलिए यह 15 सितम्बर 1994 से 14 सितम्बर 1999 की अवधि तक परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता की पात्र थी। तथापि, यह देखा गया कि यद्यपि गगल-II इकाई ने 15 सितम्बर 1994 को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया इसने परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के लिए अपने आप को राज्य सरकार के साथ केवल 25 अप्रैल 1997 को पंजीकृत करवाया। परन्तु यहां तक कि इससे पूर्व भी मै. ए.सी.सी. ने 31 मार्च 1995 तक इकाई-I तथा इकाई-II के लिए समेकित रूप में परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का दावा करना जारी रखा, तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 1995 के पश्चात (जिस तिथि से गगल-I इकाई की आर्थिक सहायता के लिए पात्रता समाप्त हो

गई थी) भी दावों की प्रतिपूर्ति करनी जारी रखी। औ.नी.सं.वि. का यह तर्क कि गगल-I इकाई से गगल-II इकाई का पृथक कानूनी अस्तित्व था, भी सही नहीं पाया गया। दूसरी ओर, निम्नलिखित के कारण गगल-II इकाई गगल-I इकाई के व्यापक विस्तार का मामला था:-

- गगल इकाई-I तथा-II एक ही स्थान पर स्थित हैं तथा एक ही आधारभूत अवसंरचना तथा कार्यालय सुविधाओं का उपयोग करती है। लाया जा रहा कच्चा माल तथा निर्यात की गई परिष्कृत वस्तुओं की पहचान अथवा उन्हें पृथक करना सम्भव नहीं है।
- गगल-II इकाई उसी कम्पनी से सम्बन्ध रखती है तथा इकाई-I जैसा ही व्यापार कर रही थी तथा उसी परिसर से कार्य कर रही थी।
- दोनों इकाइयों का स्वामित्व एक जैसा है तथा गगल-I तथा-II इकाइयों को एकसाथ करते हुये एक समेकित तुलनपत्र तैयार किया जाता है।
- बिक्रीकर पंजीकरण तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दो इकाइयों के बीच अन्तर नहीं बताते हैं।
- यह भी पता चला कि जनवरी 1993 में मै.ए.सी.सी. ने गगल में यूनिट के 7.60 लाख ट.प्र.व. से 10 लाख ट.प्र.व. तक का व्यापक विस्तार करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (औ.उ.ज्ञा.) दिया था। वाणिज्यिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 1993 से आरम्भ होना बताया गया था। मै.ए.सी.सी. ने बाद में यह औ.उ.ज्ञा. वापस ले लिया तथा 10 लाख ट.प्र.व. क्षमता के साथ गगल-II इकाई स्थापित करने के लिए मार्च 1993 में नया औ.उ.ज्ञा. प्रस्तुत किया गया था। यह बताया गया कि गगल-II एक नई इकाई थी। तथापि, तिथि जिस से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया जाना था वही अर्थात् 31 अक्टूबर 1993 ही रही। यह प्रतीत हुआ कि मै.ए.सी.सी. बढ़ी हुई अवधि के लिए परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का लाभ उठाना चाहती थी क्योंकि अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए आर्थिक सहायता सीमित करने का प्रस्ताव उस समय मंत्रालय के विचाराधीन था।
- एक नए सीमेंट संयंत्र के लिए निर्माण आरम्भ करने की न्यूनतम विकास अवधि साधारणतः दो से तीन वर्ष से कम नहीं होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि गगल-II, जिसे नई इकाई बताया गया है। 18 माह के भीतर कैसे उत्पादन आरम्भ कर सकी। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब यह व्यापक विस्तार का मामला हो।

लेखापरीक्षा को यह भी पता चला कि गगल-II इकाई को पृथक इकाई अथवा व्यापक विस्तार का मामला मानने के लिए औ.नी.सं.वि. द्वारा 26 जून 2000 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा मै.ए.सी.सी. के प्रतिनिधियों द्वारा भी भाग लिया गया था। प.आ.स. के भुगतान से सम्बन्धित मामले का समाधान औ.नी.सं.वि. तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के बीच किया जाना था। ऐसी परिस्थितियों में मै.ए.सी.सी. की बैठक में भागीदारी का औचित्य सन्देहास्पद था।

प.आ.स. दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों की प्रोन्नति तथा विकास की अपेक्षा करती है। योजना का उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिसके पश्चात् इकाई अपनी परिवहन लागत को पूरी तरह वहन करने के लिए आत्म निर्भर हो जाती है। परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इकाइयां व्यापक विस्तार तथा नई इकाई होने का दावा नहीं कर सकती।

मै.ए.सी.सी. को किया गया 30.22 करोड़ रु. का भुगतान गलत था तथा तत्काल वसूली की जाने की आवश्यकता है।

1.1.7 इकाइयों, जिन्होंने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया, को आर्थिक सहायता की गलत प्रतिपूर्ति

‘वन संरक्षण अधिनियम’ के उल्लंघन में 11.70 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति

औ.नी.सं.वि. ने जनवरी 1997 से मार्च 1999 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड की सरकारों को 60 इकाइयों के सम्बन्ध में कुल 9.84 करोड़ रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता संस्वीकृत की जैसा कि अनुबन्ध-II में विवरण दिया गया है, जब कि ये इकाइयां वन भूमि के भीतर अवैध लकड़ी आधारित उद्योगों में लगी हुई थी जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो रहा था। औ.नी.सं.वि. ने यह तब किया जब कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर कार्यवाही करते हुये दिसम्बर 1996 में उपर्युक्त अधिनियम की अभिपुष्टि में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदित के बिना किसी भी राज्य में वनों के भीतर सभी वन विरोधी (औद्योगिक) गतिविधियां रोकने के निर्देश दिये थे तथा विभागीय आदेशों के बावजूद कि उद्योगों, जिन्होंने कानून तथा उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन किया हो, को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान/प्रतिपूर्ति न की जाए। उपर्युक्त इकाइयों में से अरुणाचल प्रदेश में दो इकाइयां, जिनके सम्बन्ध में औ.नी.सं.वि. ने कुल 1.86 करोड़ रु. की जून 1999 में दावे की प्रतिपूर्ति की थी, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा कानून के उल्लंघन के लिए दण्डित की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरुणाचल प्रदेश ने भी इन इकाइयों को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान न करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था।

औ.नी.सं.वि. ने बताया (नवम्बर 2000) कि प्रतिपूर्ति दावे माननीय उच्च न्यायालय के दिसम्बर 1996 के आदेशों की पूर्व अवधि से सम्बन्धित थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने वन अनुसूचना अधिनियम 1980 के प्रावधानों को दोहराया था।

1.1.8. परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता की अनियमित, अग्राह्य तथा अधिक प्रतिपूर्ति

योजना के अन्तर्गत अनावृत उत्पादन पर 6.38 लाख रु. का भुगतान ।

1.1.8.1 पौधारोपण प.आ.स. के अन्तर्गत आवृत नहीं होते हैं। तथापि औ.नी.सं.वि. ने त्रिपुरा सरकार द्वारा चाय बागानों के सम्बन्ध में उनके द्वारा उत्पादित काली चाय के निर्यात के लिए प्रस्तुत 6.38 लाख रु. के दावों की प्रतिपूर्ति की। औ.नी.सं.वि. ने बताया (नवम्बर 2000) कि उन्होंने प्रतिपूर्ति वाणिज्य विभाग के यह स्पष्टीकरण के आधार पर की कि चाय संसाधन/उत्पादन पौधारोपण गतिविधि नहीं है। औ.नी.सं.वि. का यह दावा सही नहीं है क्योंकि वास्तव में बाद में उन्होंने वाणिज्य विभाग द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया था तथा चाय बागानों के सम्बन्ध में दावों की प्रतिपूर्ति न करने का निर्णय लिया था। चूंकि पौधारोपण योजना के अन्तर्गत आवृत नहीं होता है त्रिपुरा सरकार को 6.38 लाख रु. की राशि का भुगतान अनियमित था तथा वसूली की आवश्यकता है।

अग्राह्य कच्ची सामग्री के लिए 1.85 करोड़ रु. का गलत भुगतान ।

1.1.8.2 औ.नी.सं.वि. ने मार्च 1987 में स्पष्ट किया कि यदि कोयले का उपयोग अनन्य रूप से ईंधन के लिए किया गया हो तो कोयले के पारगमन पर परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का दावा अमान्य है। औ.नी.सं.वि. ने एक सीमेंट कम्पनी, मै. विनय सीमेंट उमरांगशु के दावे के लिए असम सरकार को 1.26 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति यह भलिभांति जानते हुए की कि इकाई ने कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया था। औ.नी.सं.वि. का उत्तर कि राज्य सरकार की टिप्पणियां ली गई थी सुसंगत नहीं है क्योंकि औ.नी.सं.वि. ने भुगतान करने का निर्णय ले लिया था। भुगतान अमान्य है एवं मै. विनय सीमेंट से वसूल किया जाना चाहिए।

1.1.8.3 मेघालय राज्य में 1994-95 से 1998-99 के दौरान औद्योगिक चूने के निर्माण में लगी छः औद्योगिक इकाइयों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बाहर से कोयला आयात किया तथा इसे कागज इकाइयों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए इसका उपयोग चूना पत्थर जलाने के लिए ईंधन के रूप में किया गया। इन इकाइयों ने 58.79 लाख रु. की आर्थिक सहायता का दावा किया जिसका राज्य सरकार ने रा.स्त.स. की सिफारिश पर भुगतान कर दिया। औ.नी.सं. वि. ने आर्थिक सहायता दावों की प्रतिपूर्ति कर दी जबकि योजना के अन्तर्गत यह मान्य नहीं था। यह अनियमित था तथा तत्काल इसकी वसूली की आवश्यकता है।

1.1.8.4 योजना के अनुसार केवल राज्य में कच्ची सामग्री के परिवहन की लागत तथा सड़क/रेल द्वारा राज्य के बाहर परिष्कृत वस्तुओं के परिवहन की लागत पर ही आर्थिक

सहायता दी जानी चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने 1994-96 तथा 1998-99 के दौरान छः औद्योगिक इकाइयों को उत्तरपूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) के बाहर रेलवे के माध्यम से उनके परिष्कृत उत्पादों के परिवहन के लिए परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के रूप में क्रमशः 38.39 लाख रु. तथा 71.70 लाख रु. का वितरण किया। तथापि, अभिलेखों, जैसे इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा उनके दावों के समर्थन में प्रस्तुत की गई रेलवे रसीदों (र.र.) की जांच से पता चला कि उ.पू.क्षे. के बाहर रेलवे द्वारा परिष्कृत उत्पादों के परिवहन की लागत इन इकाइयों द्वारा वहन नहीं की गई थी क्योंकि परिष्कृत उत्पाद रेलवे के माध्यम से 'भाड़े का भुगतान किया जाए' आधार पर भेजा गया था अर्थात् परिवहन लागत परेषितियों द्वारा स्वयं वहन की जानी थी। इस प्रकार, 1.10 करोड़ रु. की राशि की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान गलत था तथा वसूली होनी चाहिए। औ.नी.सं.वि. ने बताया (नवम्बर 2000) कि राज्य सरकारों को इस मामले में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। औ.नी.सं.वि. का उत्तर दावों की संवीक्षा में गहनता की कमी का द्योतक है।

अग्राह्य
परिवहन लागत
के लिए 1.10
करोड़ रु. की
प्रतिपूर्ति

1.1.8.5 मै.महावीर कोक इण्डस्ट्रीज, गुवाहाटी को 12,96,151.35 मी.ट. कच्चा माल अर्थात् कोयले के परिवहन के लिए 8 जनवरी 1999 तथा 29 अप्रैल 1999 को 4.34 करोड़ रु. की प.आ.सं. का भुगतान किया गया था। इसमें से इकाई ने परिष्कृत उत्पाद के रूप में 7,96,650.53 मी.ट. के एल.ए.एम. कोक का निर्माण किया जो 70 प्रतिशत के निर्धारित रूपान्तरण मानदण्ड की तुलना में कच्चे माल का 61 प्रतिशत बनता है। इसके परिणामस्वरूप 39.06 लाख रु. की राशि (4.34 करोड़ रु. का नौ प्रतिशत) के प.आ.सं. का अधिक भुगतान हुआ क्योंकि कच्ची सामग्री पर आर्थिक सहायता परिष्कृत उत्पाद तैयार करने पर इसके वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही अनुमत है।

कच्ची सामग्री
के उपयोग पर
निर्धारित
मानदण्डों से
39.06 लाख
रु. का अधिक
भुगतान

1.1.8.6 औ.नी.सं.वि. ने योजना के अन्तर्गत मिजोरम सरकार को 181 औद्योगिक इकाइयों द्वारा कच्ची सामग्री के आयात पर 1996 से सम्बन्धित आर्थिक सहायता दावों के लिए जून तथा अक्टूबर 1999 में 3.47 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की। यह गलत था क्योंकि जैसा कि योजना में निर्धारित था, राज्य सरकार ने उ.पू.क्षे. में कच्ची सामग्री के 'आयात' के प्रमाण के रूप में इकाइयों द्वारा पंजीकृत शासपत्रित लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना दावेदारों को भुगतान किया। यहां तक कि इन में से किसी इकाई के लेखे किसी शासपत्रित लेखाकारों अथवा किसी अन्य प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये थे।

योजना के
प्रावधानों को
पूरा किये बिना
3.47 करोड़
रु. का
अनियमित
भुगतान

1.1.8.7 प.आ.सं. के प्रावधानों के अनुसार विद्यमान तथा नई दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयां उनके द्वारा आयात/निर्यात की गई कच्ची सामग्री/परिष्कृत उत्पादों पर परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इकाइयों को भुगतान योग्य

अनुमोदित
निर्माण क्षमता
से 1.34 करोड़
रु. का अधिक
अग्राह्य
भुगतान

आर्थिक सहायता की मात्रा ऐसी इकाइयों के पंजीकरण के समय निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित/निर्माण क्षमता के अनुसार उनके निवेश/उत्पादन पर आधारित होती है। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मेघालय तथा मिजोरम की राज्य सरकारों ने सात औद्योगिक इकाइयों को उनकी अनुमोदित उत्पादन क्षमता से अधिक आयात/निर्यात की गई कच्ची सामग्री तथा परिष्कृत उत्पादों के परिवहन पर क्रमशः 90.70 लाख रु. तथा 43.05 लाख रु. की आर्थिक सहायता का अग्राह्य भुगतान किया। औ.नी.सं.वि. ने उसकी प्रतिपूर्ति कर दी। औ.नी.सं.वि. द्वारा प्रतिपूर्त 1.34 करोड़ रु. के अग्राह्य भुगतान की तत्काल वसूली की आवश्यकता है।

योजना के उल्लंघन में एक औद्योगिक इकाई को 76.16 लाख रु. का प्रत्यक्ष भुगतान

1.1.9. योजना के उल्लंघन में औद्योगिक इकाइयों/वितरण प्राधिकारियों को आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष भुगतान

1.1.9.1 योजना के अन्तर्गत सितम्बर 1995 तक केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी औ.नी.सं.वि. ने मार्च 1994 में मै. नागालैंड पम्प एवं पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोहिमा को 76.16 लाख रु. की परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष भुगतान किया।

योजना के प्रावधान के उल्लंघन में नौ औद्योगिक इकाइयों को 35.09 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष भुगतान

औ.नी.सं.वि. ने (सितंबर 1995 में) इकाइयों को 1 अप्रैल 1995 से केन्द्र सरकार द्वारा पुरोलक्षी रूप में प्रत्यक्ष भुगतान अनुमत करने की एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में यह व्यवस्था थी कि इकाइयों को प्रत्यक्ष भुगतान केन्द्र सरकार के विशेषकर व्यय विभाग के प्रतिनिधियों के सहयोग से एकल चरण संवीक्षा से ही किया जाएगा। फिर भी औ.नी.सं.वि. ने जनवरी 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच असम में नौ इकाइयों को केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों के सहयोग, जैसा कि निर्धारित था, के बिना रा.स्व.स. की अनुशंसाओं के आधार पर 35.09 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष भुगतान किया।

योजना के प्रावधान के प्रति संवितरण प्राधिकरणों को 49.28 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष भुगतान

1.1.9.2 औ.नी.सं.वि. ने अरुणाचल प्रदेश, असम तथा नागालैंड की राज्य सरकारों के संवितरण प्राधिकरणों को मार्च 1996 तथा फरवरी 1999 के बीच 26 मामलों में 49.28 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष भुगतान किया। तथापि, योजना संवितरण प्राधिकरणों को प्रत्यक्ष भुगतान की अनुमति नहीं देती है। संवितरण प्राधिकरणों को भुगतान जारी करते समय औ.नी.सं.वि. ने यह अनुबंधित किया कि राज्य औद्योगिक निदेशक औद्योगिक इकाइयों को भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा केन्द्र सरकार को अनुपालना रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तथापि, 45.65 करोड़ रु. (92.5 प्रतिशत) के सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक निदेशक से प्राप्त ऐसी कोई अनुपालना रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाये गये। वांछित प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार से मामला उठाने में भी औ.नी.सं.वि. विफल रहा। औ.नी.सं.वि. ने बताया (नवम्बर 2000) कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के,

अभिसाक्षी
औद्योगिक
इकाइयों को
93.55 लाख
रु. की
परिवहन संबंधी
आर्थिक
सहायता का
असंवितरण।

यहां तक कि उपलब्ध करवाये गए अग्रिम में से संवितरण करने में असाधारण दीर्घ समय लिये जाने के कारण, संवितरण का उत्तरदायित्व उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (उ.पू.वि.वि.नि.) को सौंप दिया गया है। उ.पू.वि.वि.नि. मई 2000 में संचालन में आया।

1.1.9.3 गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों पर असम राज्य के औद्योगिक विकास निगम (संवितरण प्राधिकरण) ने केन्द्र सरकार से 1996-97 से 1998-99 के दौरान अभिसाक्षी औद्योगिक इकाइयों को आगे संवितरण करने के लिए 35.40 करोड़ रु. प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किये। इसमें से 93.55 लाख रु. अभी तक (सितम्बर 2000) संवितरण के लिए लम्बित थे परन्तु औ.नी.सं.वि.ने असंवितरित राशि की वापसी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

1.1.10. आर्थिक सहायता का अग्रिम भुगतान

1.1.10.1 परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता योजना, प्रतिपूर्ति आधार पर कार्य करती है तथा किसी राज्य सरकार/औद्योगिक इकाई को लम्बित परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता दावों को निपटाने के लिए अग्रिम आर्थिक सहायता अथवा किसी वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, औ.नी.सं.वि. ने असम सरकार को निम्नलिखित अग्रिम भुगतान/वित्तीय सहायता दी:

करोड़ रु. में

संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृत राशि
25.6.1997	4.00
15.1.1998	1.71
16.1.1998	2.91
9.2.1998	4.06
25.8.1998	3.63
25.8.1998	4.04
25.8.1998	0.65
जोड़	21.00

सक्षम प्राधिकारी
के अनुमोदन के
बिना असम
सरकार को 17
करोड़ रु. का
अग्रिम भुगतान।

उद्योग मंत्री तथा व्यय विभाग की सहमति से जून 1997 में इस शर्त के साथ 4 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था कि राज्य सरकार इसमें से भुगतान किये गये दावे का उपयोग प्रमाण पत्र तथा इसमें से भुगतान किए गए दावे प्रस्तुत करेंगे। 4 करोड़ रु. के अग्रिम भुगतान के प्रस्ताव पर विचार करते समय यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों को विशेष परिस्थिति में, जब वे संसाधन चरमराहत के कारण आर्थिक सहायता दावों पर विचार करने में अक्षम हो, आगे अग्रिम की स्वीकृति देते समय प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर क्रमशः उद्योग मंत्री तथा व्यय विभाग के अनुमोदन तथा सहमति के साथ उनके अनुरोध पर विचार किया जाय। इस निर्णय के उल्लंघन में औ.नी.सं.वि.

ने उद्योग मंत्री के अनुमोदन तथा व्यय विभाग की सहमति के बिना जनवरी 1998 से अगस्त 1998 की अवधि में 17 करोड़ रु. की अग्रिम राशियां जारी की। इन निर्गमों के सम्बन्ध में 0.29 करोड़ रु. को छोड़कर कोई दावा तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2000)। जून 1997 में जारी 4 करोड़ रु. के अग्रिम के प्रति असम सरकार ने कच्ची सामग्री तथा परिष्कृत उत्पाद, जिसके लिए आर्थिक सहायता का दावा प्रस्तुत किया था, का विवरण दिये बिना तथा बिना उपयोग प्रमाण पत्र के 3.63 करोड़ रु. के समायोजन बिल प्रस्तुत किये। औ.नी.सं.वि. ने बिना उचित संवीक्षा के इन दावों को स्वीकार कर लिया।

औ.नी.सं.वि. का असम सरकार को अग्रिम भुगतान/वित्तीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान करने के लिए व्यय विभाग के निदेशों का लगातार उल्लंघन का निर्णय अनुचित था तथा इन निर्णयों के लिए जो उत्तरदायी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करना आवश्यक है। औ.नी.सं.वि. के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं है कि असम सरकार को जारी किये गए अग्रिम भुगतानों में से पात्र दावेदारों को समय पर प्रतिपूर्ति कर रही थी।

व्यय विभाग की सहमति के बिना एक करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान

1.1.10.2 लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि व्यय विभाग की सहमति के बिना लम्बित दावों के निपटारे के लिए अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को दिसम्बर 1998 में एक करोड़ रु. का अग्रिम संस्वीकृत तथा भुगतान किया गया था।

मै.हि.पे.का.लि. को योजना के प्रावधानों के विपरीत 15.35 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता का भुगतान

1.1.10.3 मंत्रालय द्वारा मार्च 1995 में मै. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड को 12.35 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष अग्रिम भुगतान किया गया था परन्तु इस अग्रिम के लिए संस्वीकृति जारी करने से सम्बन्धित फाइल औ.नी.सं.वि. के पास उपलब्ध नहीं थी। औ.नी.सं.वि. ने इस अग्रिम के प्रति प्राप्त दावों की संवीक्षा नहीं की। दावे के दस्तावेज उनकी परिशुद्धता सत्यापित किए बिना प्रस्तुत किये गये थे। यह भी पता चला कि मंत्रालय ने पहले भी दो अवसरों अर्थात् मार्च 1992 तथा अक्टूबर 1994 में मै. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड को 3 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष अग्रिम भुगतान किया था। औ.नी.सं.वि. इन अग्रिमों के प्रति दावों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आर्थिक सहायता दावा की प्रतिपूर्ति

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 2.03 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति

1.1.11 औ.नी.सं.वि. ने अगस्त 1998 में सचिव का अनुमोदन प्राप्त किये बिना हिमाचल प्रदेश को 2.03 करोड़ रु. का भुगतान किया जैसा कि विभाग में संस्वीकृति के अधिकारों के आन्तरिक प्रत्यायोजन में निर्धारित किया गया था। औ.नी.सं.वि. ने स्वीकार किया (नवम्बर 2000) कि गलती से सचिव औ.नी.सं.वि. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका।

कालातीत दावों का भुगतान

कालातीत दावों
के लिए 2.21
करोड़ रु. की
प्रतिपूर्ति

1.1.12 औ.नी.सं.वि. ने मई 1993 में जारी किये गये परिपत्र में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यय करने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात प्रस्तुत किये गए परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता दावों को स्वीकार न करने के आदेश दिये। मई 1994 में इस आदेश को दोहराये जाने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की राज्य सरकारों ने जून 1997 से मार्च 1999 तथा मार्च 1999 में नौ औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने अपने दावे अनुबंधित एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किये थे, को क्रमशः 2.17 करोड़ रु. तथा 0.04 करोड़ रु. की राशि का संवितरण किया। औ.नी.सं.वि. द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति सम्बद्ध सरकारों को अगस्त 1998 तथा जुलाई 1999 के बीच की गई थी। अतः अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की राज्य सरकारों को 2.21 करोड़ रु. की राशि के कालातीत दावों की प्रतिपूर्ति अनियमित थी।

1.1.13. पशु/कुक्कुट चारा इकाइयों को आर्थिक सहायता का भुगतान

पशु/कुक्कुट चारा उत्पादन में लगी बहुत सी इकाइयां नामित निकटस्थ रेल पड़ाव से सम्बद्ध इकाई स्थल तक गेहूँ भूसी, चावल भूसी, खली, खली तथा मक्का इत्यादि के परिवहन के लिए आर्थिक सहायता का दावा कर रही थी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों को मार्च 1995 तथा सितम्बर 1999 के बीच इस सम्बन्ध में 8.23 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जैसा कि परिशिष्ट-III में विवरण दिया गया है। तथापि, ये इकाइयां परिष्कृत उत्पादों पर आर्थिक सहायता का दावा नहीं कर रही थी। रोचक बात यह है कि एक अन्य योजना अर्थात् केन्द्रीय निवेश संबंधी आर्थिक सहायता जिसका “परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता” जैसा ही उद्देश्य था, में औ.नी.सं.वि. ने सितम्बर 1988 में पशु/कुक्कुट चारा उत्पादन को अनुत्पादक गतिविधि माना था। तथापि, औ.नी.सं.वि. ने परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के लिए तत्सम संशोधन जारी नहीं किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर औ.नी.सं.वि. ने बताया (नवम्बर 2000) कि पशु/कुक्कुट चारा उद्योग को, समस्त आर्थिक गतिविधियों के 1987 के राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत निर्माण गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसलिये वे राज्य सरकारों को न्यायोचित ढंग से प्रतिपूर्ति अनुमत कर रहे थे। औ.नी.सं.वि. का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने सितम्बर 1988 में अर्थात् समस्त आर्थिक गतिविधियों के राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के प्रकाशन के पश्चात पशु/कुक्कुट चारा उत्पादन को, केन्द्रीय निवेश संबंधी आर्थिक सहायता, जिसके समान उद्देश्य थे, के मामले में अनुत्पादक गतिविधि माना था। इसलिए औ.नी.सं.वि. को केन्द्रीय निवेश संबंधी आर्थिक सहायता योजना के सन्दर्भ में इसके पूर्व निर्णय को ध्यान में रख कर पशु तथा कुक्कुट चारा

उत्पादन में लगी इकाइयों को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के भुगतान का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

1.1.14 परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के भुगतान में विलम्ब

अगम्य तथा पिछड़े क्षेत्रों के दूरस्थ स्थानों में औद्योगिकरण की प्रौन्नति के लिए प.आ.यो. एक महत्वपूर्ण साधन है। योजना के मुख्य लाभभोगी अधिकतर लघु उद्योग हैं। इसलिए विशेष रूप से आरम्भिक वर्षों में परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के समयबद्ध संवितरण की आवश्यकता थी ताकि इन लघु उद्योगों को ऐसे भुगतानों को अपने व्यापार में पुनर्विवेश करने में सहायता मिले।

तथापि यह पता चला कि राज्य/औ.नी.सं.वि. ने परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के भुगतान में बहुत अधिक विलम्ब किया। 600 से अधिक इकाइयों के दावों की नमूना जांच से पता चला कि 44.43 करोड़ रु. के दावों को आवृत करने वाली 370 इकाइयों में राज्य सरकारों की ओर से एक से 61 माह का तथा औ.नी.सं.वि. की ओर से दो से 17 माह का विलम्ब था जैसा कि अनुबन्ध-IV में विवरण दिया गया है। ऐसे विलम्बों से इन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने का उद्देश्य विफल हो गया जैसा कि योजना में अनुबन्धित था।

1.1.15 आर्थिक सहायता भुगतान संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

औ.नी.सं.वि., परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान सम्बद्ध सरकार के उद्योग निदेशक द्वारा जारी उस प्रमाणपत्र के आधार पर करता है जिसमें कहा गया है कि अब दावा की गई आर्थिक सहायता उस अवधि से सम्बन्ध रखती है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। तथापि, औ.नि.सं.वि. औद्योगिक इकाई-वार भुगतान की गई आर्थिक सहायता, अवधि जिससे आर्थिक सहायता सम्बन्धित है तथा अग्रिम भुगतान यदि कोई हो, के सम्बन्ध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं करता है। ऐसे अभिलेख के अभाव में यह सत्यापित करना सम्भव नहीं है कि भुगतान योग्य दावों का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, जिसके दोहरे भुगतान की सम्भावना का संकेत मिलता है।

1.1.16 निष्कर्ष

ऐसा प्रतीत होता है कि योजना उद्योग की वृद्धि पर बिना विशिष्ट प्रभाव डाले कुछ लोगों के हित में है। संवितरण पहले 21 वर्षों (6 करोड़ रु. प्रतिवर्ष) के लिए विशुद्ध थे एवं अंतिम छः वर्षों के दौरान दस गुना (64 करोड़ रु.) बढ़े जब औ.नी.सं.वि. द्वारा संवीक्षण/निरीक्षण के सभी दावे छोड़ दिए गए थे। यह पुनरीक्षण दर्शाता है कि इस समय के दौरान औ.नी.सं.वि. द्वारा संस्वीकृत बड़ी राशियां एवं असंख्य मामले बहुत अधिक संदेहास्पद हैं। यहां योजना के आवश्यक होने का कोई संकेत नहीं है क्योंकि

कुछ इकाइया खरीददारों से परिवहन लागत वसूल करने में सफल रही इस प्रकार मूलाधारों को छोड़ने का संदेह है ।

1.1.17 सिफारिशें

यहां तत्काल पुनरीक्षण तथा योजना बंद करने का प्रभावशाली मामला है ।

अनुबन्ध- I

(पैराग्राफ 1.1. 3 एवं 1.1.4 देखें)

परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत की गई वर्षवार तथा राज्य वार प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण।

लाख रु. में

क्र. सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	1993-94 तक	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	जोड़
1.	असम	5229.97	2217.90	3861.10	2061.89	2548.61	1250.53	1195.24	18365.24
2.	मणिपुर	147.43	128.70	18.96	24.41	4.01	323.51
3.	त्रिपुरा	186.19	132.99	2.60	28.50	78.19	51.40	26.19	506.06
4.	अरुणाचल प्रदेश	444.22	47.66	267.42	1243.55	277.21	606.46	2886.52
5.	मेघालय	296.42	250.10	195.88	190.66	506.55	127.45	703.96	2271.02
6.	नागालैंड	792.51	67.80	970.01	1169.19	649.02	3648.53
7.	मिजोरम	372.06	272.32	405.30	103.29	347.22	1500.19
8.	सिक्किम	346.96	...	123.24	36.43	129.82	636.45
9.	हिमाचल प्रदेश	3298.57	1809.57	36.88	973.19	824.77	4814.06	4650.79	16407.83
10.	जम्मू व कश्मीर	774.21	334.79	...	466.30	138.62	594.51	280.23	2588.66
11.	उत्तर प्रदेश	850.08	85.35	...	600.95	0.92	45.13	...	1582.43
12.	अण्डमान एवं निकोबार	1707.24	1.49	375.00	197.48	2281.21
13.	लक्षद्वीप
14.	पश्चिम बंगाल (दार्जलिंग)	42.82	36.88	79.70
	जोड़	14445.86	5348.67	5000.00	4822.82	6460.00	8500.00	8500.00	53077.35

अनुबन्ध - III

(पैराग्राफ 1.1.7 देखें)

लकड़ीपर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में की गई प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृति संख्या तथा तिथि	इकाइयों की संख्या	प्रतिपूर्त राशि (रूपये)
1	अरुणाचल प्रदेश	13/55/97/डी.बी.ए.-II दिनांक 17.8.1998	5	1596667
2	असम	13/39/96/डी.बी.ए.-II दिनांक 30.1.1997	6	21127280
3	हिमाचल प्रदेश	13/32/97/डी.बी.ए.-II दिनांक 9.9.1997	1	6418
4	जम्मू व कश्मीर	13/32/96/डी.बी.ए.-II दिनांक 4.1.1997	1	33734
5	जम्मू व कश्मीर	13/47/डी.बी.ए.-II दिनांक 14.8.1998	1	22403
6	जम्मू व कश्मीर	13/40/डी.बी.ए.-II दिनांक 23.10.1998	1	59886
7	मणिपुर	13/23/98/डी.बी.ए.-II दिनांक 7.8.1998	1	579538
8	मणिपुर	13/23/98/डी.बी.ए.-II दिनांक 13.10.1999	1	103855
9	मेघालय	13/9/97/डी.बी.ए.-II दिनांक 14.8.1998	2	6233031
10	नागालैड	13/11/97/डी.बी.ए.-II दिनांक 18.5.1998	4	8955000
11	नागालैड	13/37/97/डी.बी.ए.-II दिनांक 8.5.1998	9	15562000
12	नागालैड	13/41/97/डी.बी.ए.-II दिनांक 12.8.1998	3	11369000
13	नागालैड	13/2/98/डी.बी.ए.-II दिनांक 27.8.1998	13	10992000
14	नागालैड	13/3/98/डी.बी.ए.-II दिनांक 28.8.1998	8	2820000
15	नागालैड	13/6/98/डी.बी.ए.-II दिनांक 28.8.1998	4	18908000
		जोड़	60	98368812

अनुबन्ध - III

(पैराग्राफ 1.1.13 देखें)

पशु/कुक्कुट चारा उत्पादन में जुड़ी इकाइयों को की गई प्रतिपूर्ति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृति संख्या तथा तिथि	इकाइयों की संख्या	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये)
1.	हिमाचल प्रदेश	13/34/96/ डी.बी.ए. II दिनांक 2.1.1997	1	63891
2.	हिमाचल प्रदेश	13/26/98 डी.बी.ए. II दिनांक 21.10.1998	1	47701
3.	हिमाचल प्रदेश	13/2/99 /डी.बी.ए. II दिनांक 30.3.1999	1	62359
		जोड़	3	173951
4.	जम्मू व कश्मीर	13/3/93/डी.बी.ए. II दिनांक 31.3.1995	5	2127665
5.	जम्मू व कश्मीर	13/31/93/डी.बी.ए. II दिनांक 31.3.1995	15	3870342
6.	जम्मू व कश्मीर	13/21/91/डी.बी.ए. II दिनांक 16.6.1995	1	1874652
7.	जम्मू व कश्मीर	13/14/95/डी.बी.ए. II दिनांक 5.8.1996	17	1393393
8.	जम्मू व कश्मीर	13/16/95/डी.बी.ए. II दिनांक 5.8.1996	6	1015184
9.	जम्मू व कश्मीर	13/21/94/डी.बी.ए. II दिनांक 28.11.1996	8	1843000
10.	जम्मू व कश्मीर	13/31/96/डी.बी.ए. II दिनांक 2.1.1997	19	5051126
11.	जम्मू व कश्मीर	13/32/96/डी.बी.ए. II दिनांक 2.1.1997	4	1360000
12.	जम्मू व कश्मीर	13/34/95/डी.बी.ए. II दिनांक 2.1.1997	19	3989775
13.	जम्मू व कश्मीर	13/34/95/डी.बी.ए. II दिनांक 2.1.1997	16	3473775
14.	जम्मू व कश्मीर	13/4/97/डी.बी.ए. II दिनांक 9.7.1997	22	5670365
15.	जम्मू व कश्मीर	13/3/97/डी.बी.ए. II दिनांक 9.8.1997	11	1547921
16.	जम्मू व कश्मीर	13/45/97/डी.बी.ए. II दिनांक 18.5.1998	27	11502508
17.	जम्मू व कश्मीर	13/3/97/डी.बी.ए. II दिनांक 1.6.1998	7	1082548

18.	जम्मू व कश्मीर	13/47/97/डी.बी.ए.II दिनांक 14.8.1998	1	214029
19.	जम्मू व कश्मीर	13/40/97/डी.बी.ए.II दिनांक 18/23.8.1998	35	30264300
20.	जम्मू व कश्मीर	13/21/98/डी.बी.ए.II दिनांक 7.9.1998	1	1556000
		जोड़	214	77836583
21.	मेघालय	13/3/95/डी.बी.ए.II दिनांक 31.3.1995	1	125874
22.	मेघालय	13/3/95/डी.बी.ए.II दिनांक 19.2.1996	-	114081
23.	मेघालय	13/36/96/डी.बी.ए.II दिनांक 4.8.1997	1	796203
24.	मेघालय	13/36/96/डी.बी.ए.II दिनांक 26.9.1997	-	99006
25.	मेघालय	13/36/96/डी.बी.ए.II दिनांक 26.9.1997	-	240963
26.	मेघालय	13/6/99/डी.बी.ए.II दिनांक 15.6.1999	-	328661
27.	मेघालय	13/6/99/डी.बी.ए.II दिनांक 6.9.1999	-	974915
		जोड़	2	2679703
28.	त्रिपुरा	13/4/96/7डी.बी.ए.II दिनांक 14.1.199-----	1	275859
29.	त्रिपुरा	13/23/97/डी.बी.ए.II दिनांक 9.7.1997	1	520590
30.	त्रिपुरा	13/29/98/डी.बी.ए.II दिनांक 11.11.1998	2	822231
		जोड़	4	1618680
		कुल जोड़	223	82308917

अनुबन्ध-IV


(पैराग्राफ 1.1.14 देखें)

राज्य सरकार/ओ.नी.सं.वि. द्वारा परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के भुगतान में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य	इकाइयों की संख्या	दावे की अवधि	आर्थिक सहायता की राशि (लाख रु. में)	रा.स्त.स. की बैठक की तिथि से राज्य सरकार की ओर से विलम्ब	दावे की प्राप्ति की तिथि से ओ.नी.सं.वि. की ओर से विलम्ब
1.	असम	44	1/88 से 6/95	1167.70	9 से 61	2 से 16
2.	हिमाचल प्रदेश	150	3/91 से 12/96	2473.17	3 से 48	6 से 12
3.	जम्मू व कश्मीर	157	4/91 से 6/96	482.15	5 से 32	7 से 17
4.	मणिपुर	2	9/93 से 5/95	18.97	3	8
5.	नागालैंड	10	4/90 से 3/93	171.62	1	10
6.	सिक्किम	7	4/93 से 3/95	129.82	3	5
जोड़		370		4443.43		

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

विपणन विकास सहायता



वाणिज्य विभाग

1.2 विपणन विकास सहायता

निर्यातों को प्रोत्साहित करने तथा विविधता लाने, व्यापार तथा विदेशों में भारतीय उत्पादों के विपणन के लिए विपणन विकास निधि (जिसे अक्टूबर 1975 में विपणन विकास सहायता (वि.वि.स.) का नाम दिया गया था) वर्ष 1963 में आरम्भ की गई थी। वि.वि.स. अनुदानों का उपयोग 19 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों तथा अन्य अनुमोदित संगठनों के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय द्वारा चतुर वित्तीय संवीक्षा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 64.66 करोड़ रु. की राशि के वि.वि.स. के अनुदान का सन्देहास्पद भुगतान हुआ। मंत्रालय के पास परिषदों/संस्थाओं आदि को दी गई निर्यात प्रोत्साहन सहायता के प्रभावों तथा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, बिक्री एवं अध्ययन दौरों इत्यादि के कारण भी निर्यात प्रोत्साहन पर प्रभाव के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

विशिष्टताएं

17 नि.प्रो.प. को 36.89 करोड़ रु. जारी किये गये यद्यपि वे अनुदान प्राप्त करने की पात्र नहीं थी।

निर्धारित मानदण्डों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 7.37 करोड़ रु. के अनुदानों का अधिक निर्गम हुआ।

1994-95 से 1998-99 के दौरान चार नि.प्रो.प. को जारी 1.17 करोड़ रु. का अनुदान मान्य नहीं था।

व्यापारियों से प्राप्त आय पर विचार किये बिना दो परिषदों को 1.71 करोड़ रु. के अधिक अनुदान जारी किये गये।

प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राप्त राजस्व की कटौती न करने के परिणामस्वरूप र.ज.नि.प्रो.प. तथा मूर.का.प्र.नि.प्रो.प. को 0.33 करोड़ रु. के अधिक अनुदान का निर्गम हुआ।

1995-96 से 1998-99 के वर्षों के दौरान मूर.का. प्र.नि.प्रो.प. मुम्बई को गैर-सहिता गतिविधियों के रूप में 0.97 करोड़ रु. के अनुदान का अनियमित भुगतान।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण कलकत्ता के फालतू स्टाफ की स्थापना लागत को वहन करने के लिए 4.75 करोड़ रु. अनियमित रूप से जारी किये गये थे।

भा.व्या.प्रो.सं. को 11.47 करोड़ रु. के अनुदान का अनियमित/अविवेकपूर्ण निर्गम।

मंत्रालय के पास परिषदों, संस्थाओं, संगठनों आदि को दी गई सहायता के प्रभाव तथा कार्यक्रम की उपलब्धि के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

प्रस्तावना

1.2.1 निर्यातों को प्रोत्साहित करने तथा विविधता लाने तथा भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं को विदेशों में विपणन करने के उद्देश्य से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने वर्ष 1963 में “विपणन विकास निधि” (जिसे अक्टूबर 1975 में विपणन विकास सहायता(वि.वि.स.) का नाम दिया गया था) आरम्भ की। वि.वि.स. का उपयोग 19 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (नि.प्रो.प.), अनुदान ग्राही संस्थाओं/अनुमोदित संगठनों जैसे भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.), भारतीय पैकेजिंग संस्थान (भा.पै.सं.), भारतीय हीरा संस्थान (भा.ही.सं.), भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन (भा.व्या.प्रो.सं.), तथा भारतीय निर्यात संगठन फ़ेडरेशन (भा.नि.सं.फ़े.) के माध्यम से निम्नलिखित के लिए किया जाता है।

- बाजार अनुसंधान, वस्तु अनुसंधान, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रम,
- निर्यात प्रचार तथा व्यापार सम्बद्ध सूचनाओं का प्रसार,
- व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी,
- व्यापार शिष्टमण्डलों तथा अध्ययन टोलियों का प्रायोजित करना,
- विदेशों में कार्यालयों तथा शाखाओं की स्थापना,
- निर्यात के विकास तथा विदेशी व्यापार की प्रौन्नति के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदों तथा अन्य अनुमोदित संगठनों को सहायता अनुदान,
- अन्य कोई योजनाएं जिन्हें साधारणतया भारतीय उत्पादनों तथा विदेशी सेवाओं के लिए बाजारों के विकास को बढ़ाने के लिए समझा जाए।

अनुदानों के निर्गम के लिए क्रिया विधि

1.2.2 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों तथा अनुमोदित संगठनों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट विकास तथा प्रोत्साहन परियोजनाओं सहित वि.वि.स. आबंटन/बजट, वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में सम्बद्ध नि.प्रो.प. तथा अनुदानग्राही संस्थाओं के साथ वार्षिक बैठकों में अनुमोदित किये जाते हैं। भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों हेतु तदर्थ अनुदानों हेतु प्रस्तावों की वि.वि.स. मण्डल द्वारा जांच की जाती है तथा मंत्रालय में वि.वि.स. के प्रभारी अतिरिक्त सचिव के अनुमोदन से निर्णय लिया जाता है। 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी योजना के अनुसार उप सचिव (वित्त), वार्षिक चक्रक्रम पर आधारित सदस्य सचिव के रूप में एक वस्तुमण्डल से उप सचिव सहित निदेशक (वि.वि.स.) की अध्यक्षता के अन्तर्गत वि.वि.स. की समिति भी भा.नि.सं.फ़े. नि.प्रो.प. इत्यादि के विशेष

अनुशंसाओं की प्राप्ति पर अलग-अलग निर्यातकों को वि.वि.सं. की प्रतिपूर्ति केप्रस्ताव अनुमोदित करती है।

लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

1.2.3 कार्यक्रम उद्देश्य, मूल्य निर्धारण एवं चयन प्रक्रियाओं, अनुदान प्राप्तकर्ताओं के निष्पादन के परिवीक्षण तथा कार्यक्रम उपलब्धियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, 12 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (19 में से) तथा भारतीय निर्यात संगठन फ़ैडरेशन के 1994-2000 के अभिलेखों की मई-अगस्त 2000 के दौरान लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।

वित्तीय परिव्यय

1.2.4 1994-95 से 1999-2000 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन परिषदों तथा अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को 127 करोड़ रु. के अनुदान जारी किये गये थे। 1994-95 से 1999-2000 (वर्षवार) के दौरान प्रत्येक नि.प्रो.प. तथा अनुदान ग्राही संस्थाओं को जारी किए गए वि.वि.सं. अनुदानों का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

अनुबंधित अवधि से बाहर अनुदान का निर्गम

1.2.5 विभाग द्वारा वि.वि.सं. अनुदान “निर्यात प्रयासों के लिए सहायता अनुदान की संहिता” में निर्धारित मात्रा तथा पद्धति के अनुसार जारी किये गये । सरकारी व्यय को कम करने तथा निर्यात प्रोत्साहन परिषदों को स्व सहायता करने तथा उद्योग से चलने वाले व्यावसायिक निकाय बनाने के लिए वित्त वर्ष 1992-93 से सहायता अनुदान का चरणबद्ध विधि से वापस लेने का फरवरी 1992 में निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार नि.प्रो.प. जो कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है के मामले में अनुदान सहायता 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर पांच वर्षों में पूर्णतया समाप्त कर दी जानी थी। नि.प्रो.प. जो कि 10वर्ष से कम पुरानी है, के मामले में उन्हें सात वर्षों (पहले छः वर्षों में 15 प्रतिशत की दर पर तथा सातवें वर्ष में 10 प्रतिशत की दर पर) में समाप्त किया जाना था। यह आदेश 1 अप्रैल 1992 से लागू हुआ । तथापि, इसे केवल 1992-93 तथा 1993-94 के लिये कार्यान्वित किया गया था। 1994-95 के दौरान गैर संहिता गतिविधियों (प्रशासन) को अनुदान बन्द करने तथा सम्पूर्ण वि.वि.सं. संहिता गतिविधि को आबंधित करने का निर्णय लिया गया । तथापि, प्रत्येक नि.प्रो.प. को अनुमान अनुदान की मात्रा समाप्त करने के प्रबन्धन को ध्यान में रख कर परिकल्पित की जानी थी तथा तदनुसार प्रत्येक नि.प्रो.प. को अनुमत अनुदान का परिकलन 1991-92 के बजट अनुमान के आधार पर किया जाना था। तथापि इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये ।

मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 17 नि.प्रो.प. को 36.89 करोड़ रु. के अनुदान का भुगतान हुआ।

मंत्रालय के फरवरी 1992 के निर्णय के अनुसार दस वर्ष से अधिक पुरानी नि.प्रो.प. को अनुदान 1996-97 से तथा दस वर्ष से कम पुरानों को 1998-99 से बन्द किया जाना था। इसके बावजूद विभाग ने 1996-97 से 1999-2000 के दौरान 11 नि.प्रो.प. जो कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी थी को 29.49 करोड़ रु. के अनुदान जारी किये जैसा कि अनुबन्ध II में दर्शाया गया है। तथा 1998-99 से 1999-2000 के दौरान 6 नि.प्रो.प., जो कि 10 वर्ष से कम पुरानी थी, को 7.40 करोड़ रु. के अनुदान जारी किये (अनुबन्ध III) इसके परिणामस्वरूप 36.89 करोड़ रु. के अनुदान का परिहार्य भुगतान हुआ। मंत्रालय ने फरवरी 2001 में बताया कि उपलब्ध निधियाँ नि.प्रो.प. को अनुदान चलाने के लिए आवश्यकता से अधिक थी। इसलिए वाणिज्य मंत्री के अनुमोदन पर नि.प्रो.प. द्वारा प्रस्तुत किये गए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों से सम्बद्ध योग्यताओं पर निधियों के आबंटन का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय का कथन कि निधियाँ केवल इसी आधार पर जारी की गई थी कि उनके पास उपलब्ध निधियाँ आवश्यकता से अधिक थी, असंगत तथा तर्क संगत नहीं है क्योंकि यह सहायता अनुदान को चरणबद्ध विधि से समाप्त करने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध है। इसने नि.प्रो.प. को स्वसहायता करने वाली तथा उद्योग चलाने वाले व्यावसायिक निकाय बनाने तथा इन परिषदों पर सरकार के व्यय को शून्य तक लाने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

अनुदान का अधिक निर्गम

मंत्रालय के निदेशों के विपरीत 9 नि.प्रो.प. को 7.37 करोड़ रु. का अधिक भुगतान हुआ।

1.2.6 विभाग ने जनवरी 1996 में संहिता गतिविधियों के लिए पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन के 0.01 प्रतिशत की दर पर, 1996-97 से अधिकतम 1 करोड़ रु. तथा न्यूनतम 15 लाख रु. का अनुदान जारी करने का निर्णय लिया। तथापि, यह देखा गया कि र.सं.उ.प.इ., नि.प्रो.प., प्ला.नि.प्रो.प., च.नि.प., र.ज.नि.प्रो.प. खेल के सामान की नि.प्रो.प., कारपेट नि.प्रो.प., हस्त शिल्प नि.प्रो.प. तथा काजू नि.प्रो.प. के मामले में यह निर्णय लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 1996-97 से 1999-2000 के दौरान 7.37 करोड़ रु. के अधिक अनुदानों का निर्गम हुआ (अनुबन्ध-IV) मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2001) कि सहायता अनुदान की मात्रा उस वर्ष के कुल निर्यात के 0.01 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निर्यात निष्पादन की गणना उस वर्ष के दौरान प्रत्येक निर्यात प्रोत्साहन परिषद पर निर्णत निष्पादन के आधार पर की जाती है न कि देश के कुल निर्यात के आधार पर।

1.17 करोड़ रु. के अग्राह्य अनुदान का निर्गम

1.2.7 वि.वि.स. संहिता के अनुसार अनुमोदित संहिता गतिविधियों पर 60 प्रतिशत व्यय विभाग द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत निर्यात परिषद द्वारा वहन किया जाना था। तथापि, इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर नि.प्रो.स., भा.पै.सं. र.ज.नि.प्रो.प., तथा इ.नि.प्रो.प. के अनुदानों को अंतिम रूप देते समय इसका पालन नहीं किया गया था

परिणामतः 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान 1.17 करोड़ रु. के अनुदानों का अधिक निर्गम हुआ (अनुबन्ध V)।

र.ज.नि.प्रो.प.¹ तथा मूर.फा.प्र.नि.प्रो.प. को 1.71 करोड़ रु. के अनुदान का अधिक निर्गम।

निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करते हुये 1.71 करोड़ रु. का अधिक अनुदान जारी किया गया था।

1.2.8 “निर्यात प्रयासों के लिए सहायता अनुदान की संहिता” के अनुसार अनुमोदित संगठनों द्वारा निर्यात प्रयासों से सम्बन्धित भारत तथा विदेश में प्रदर्शनियों/मेलों में हिस्सा लेने अथवा आयोजन के लिए किये गए व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में अनुमत है। शेष परिषद/व्यापार से अंशदान से वहन किया जाता है। र.ज.नि.प्रो.प. तथा मूर.फा.प्र.नि.प्रो.प. के 1994-95 से 1999-2000 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उन्होंने विदेश में प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों के आयोजन के लिए निर्यातकों से 40 प्रतिशत से अधिक अंशदान प्राप्त किये। कुछ मामलों में व्यापारियों से प्राप्त अंशदान, इन प्रदर्शनियों/मेलों के आयोजन के लिए किये गये कुल व्यय से भी अधिक था। इसलिए इन परिषदों को स्पष्ट रूप से उनके दावों को वास्तविक व्यय से व्यापार से प्राप्त किये गए अंशदान को घटा कर सीमित कर देना चाहिए था। तथापि, वाणिज्य विभाग से अनुदान का दावा करते समय इन परिषदों ने व्यापारियों से प्राप्त अंशदानों की अनदेखी कर दी। परिणामस्वरूप परिषदों को 1.71 करोड़ रु. का अधिक अनुदान जारी किया गया जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:

र.ज.नि.प्रो.प., मुम्बई

लाख रु. में

वर्ष	गतिविधि का विवरण	कुल व्यय	व्यापारियों के अंशदान	अपेक्षित अनुदान (3-4)	दावा किया गया तथा जारी अनुदान	दावा किया/ जारी अधिक अनुदान (6-5)
1996-97	विदेश में प्रदर्शनी	51.39	39.77	11.62	30.84	19.22
1997-98	...	127.13	134.08	शून्य	76.28	76.28
1998-99	...	40.78	36.28	4.50	24.47	19.97
जोड़						115.47

मूर.फा.प्र.नि.प्रो.प.

लाख रु. में

वर्ष	गतिविधि का विवरण	कुल व्यय	व्यापारियों के अंशदान	अपेक्षित अनुदान (3-4)	दावा किया गया तथा जारी अनुदान	दावा किया/ जारी अधिक अनुदान (6-5)
1995-96	...	215.48	216.30	शून्य	4.00	4.00
1996-97	...	135.52	118.14	17.38	22.20	4.82
1997-98	...	66.10	64.26	1.84	20.00	18.16
1998-99	...	49.02	32.87	16.15	45.00	28.85
जोड़						55.83
कुल जोड़						171.30

¹ रतन एवं जवाहरात निर्यात प्रोत्साहन परिषद

1.2.9 0.33 करोड़ रु. के अधिक अनुदान का निर्गम

“निर्यात प्रयास के लिए सहायता अनुदान की संहिता” यह व्यवस्था करती है कि देश के अन्दर अथवा विदेश में जारी करने के लिए प्रकाशन निकालने के लिए विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व को खाते में लेने के पश्चात निवल व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में अनुमत है। रत्न एवं ज्वाहारात निर्यात प्रोत्साहन परिषद तथा मू.र.फा.प्र.नि.प्रो.प के वर्ष 1996-97 के लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि इनको विज्ञापनों तथा प्रकाशनों की बिक्री से अर्जित राजस्व को खाते में लिये बिना व्यय के 60 प्रतिशत के अनुदान का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 0.33 करोड़ रु. के अधिक अनुदान का निर्गम किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

र.ज.नि.प्रो.प., मुम्बई

लाख रु. में

वर्ष	व्यय	राजस्व	निवल व्यय	सहायता अनुदान	अनुमत सहायता अनुदान	दावा किया गया अधिक अनुदान
1996-97	33.41	17.86	15.55	20.04	9.33	10.71
1997-98	33.78	11.46	20.32	19.06	12.19	6.87
1998-99	28.80	9.82	18.98	17.28	11.39	5.89
जोड़						23.47

मू.र.फा.प्र.नि.प्रो.प.

लाख रु. में

वर्ष	व्यय	राजस्व	निवल व्यय	सहायता अनुदान	अनुमत सहायता अनुदान	दावा किया गया अधिक अनुदान
1996-97	11.80	1.65	10.15	7.80	6.09	1.71
1997-98	16.21	3.86	12.35	15.00	7.41	7.59
1998-99	26.37	1.41	24.96	15.00	14.98	0.02
कुल जोड़						9.32
कुल जोड़						32.79

अनुदान का विपथन

1.2.10 वि.वि.स. समिति ने फरवरी 1994 में निर्णय लिया कि 1994-95 के आगे से निर्यात प्रोत्साहन परिषद को सहायता अनुदान निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों तक सीमित होगा न कि प्रशासनिक व्यय के लिए। प्रशासनिक व्यय अर्थात् गैर संहिता गतिविधियों पर व्यय उनके अपने संसाधनों से वहन किया जाना था। इन अनुदेशों के विपरीत मू.र.फा.प्र.नि.प्रो.प. मुम्बई को 1995-96 से 1998-99 वर्षों के दौरान गैर संहिता गतिविधियों पर 0.97 करोड़ रु. के अनुदान का भुगतान किया गया था।

अनावश्यक स्टाफ की स्थापना लागत को वहन करने के लिए 4.75 करोड़ रु. का निर्गम

योजना के अन्तर्गत न आने वाली स्थापना के लिए 4.75 करोड़ रु. का भुगतान किया गया।

1.2.11 वि.वि.स. संहिता स्थापना लागत वहन करने अथवा निर्यात प्रोत्साहन से असम्बन्धित अन्य गतिविधियों के अनुदान के निर्गम की अनुमति नहीं देती है। तथापि, इन अनुदेशों के विपरीत 1985-86 से 1994-95 की अवधि के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता के 1979 में अनावश्यक घोषित किये गए 256 कर्मचारियों की स्थापना लागत पर 4.75 करोड़ रु. वि.वि.स. अनुदानों से वहन किये गये थे।

भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन को अनुदान का अनियमित निर्गम

वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में भा.व्या.प्रो.प. के 11.47 करोड़ रु. के अनुदान का निर्गम

1.2.12 वाणिज्यिक विभाग भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन (भा.व्या.प्रो.स.) को योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत उसकी हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए 1993-94 तक बजटीय सहायता उपलब्ध करवाता रहा था। 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान भा.व्या.प्रो.प. को वित्तीय सहायता के लिए किये गए प्रावधानों पर भा.व्या.प्रो.स. के अधिशेषों तथा आरक्षितों को ध्यान में रखते हुये वित्त मंत्रालय सहमत नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक निधियां उपलब्ध हो तथा यह खर्च न की जाए अगले निर्गम पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने जनवरी 1997 में यह निर्णय लिया कि सम्बद्ध विभाग जिनकी तरफ से भा.व्या.प्रो.प. मेले/प्रदर्शनी का आयोजन करता है वह मेले की हानि को वहन करेगा। तथापि, 31 मार्च 1999 को भा.व्या.प्रो.प. के पास पड़ी 154.17 करोड़ रु. की अप्रयुक्त अधिशेष निधियों की बजाए 1996-97 से 1999-2000 के दौरान 11.47 करोड़ रु. की राशि की हानियों को वि.वि.स. अनुदानों (योजनेत्तर) से पूरा किया गया था। जबकि भा.व्या.प्रो.स. मेलों से हुई हानियों पर व्यय वहन करने के लिए वि.वि.स. संहिता में कोई प्रावधान नहीं है, भा.व्या.प्रो.सं. को 11.47 करोड़ रु. का निर्गम अनियमित था। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2001) कि उन्होंने विविध मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन, जिसे भा.व्या.प्रो.सं. ने वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आयोजित किया था पर हुये घाटे की राशि के सिवाय भा.व्या.प्रो.स. को कोई वि.वि.सं. अनुदान का निर्गम नहीं किया था। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जनवरी 1997 के वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार भा.व्या.प्रो.स. द्वारा आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों पर किसी प्रकारकी हानि सम्बद्ध मंत्रालय जिनकी ओर से मेले/ प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी द्वारा वहन की जानी थी। यह निर्णय समान रूप से वाणिज्य मंत्रालय पर भी लागू है। इसलिए स्पष्ट रूप में वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आयोजित किये गए मेलों/प्रदर्शनियों पर भा.व्या.प्रो.स. द्वारा उठाई गई हानियों का मंत्रालय के बजट से पूरा किया जाना था न कि वि.वि.स. अनुदान से।

निर्यातों में कमी

11 नि.प्रो.प.
द्वारा निर्यात
लक्ष्यों की
अनुपलब्धियां

1.2.13 वाणिज्यक मंत्रालय ने विभिन्न नि.प्रो.प. उत्पादों तथा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए 1996-97 से 1998-99 के दौरान 11 नि.प्रो.प. का वि.वि.स. सहायता अनुदान के रूप में 27.48 करोड़ रु. की सहायता अनुदान का भुगतान किया जैसा कि अनुबन्ध-VI में दर्शाया गया है, इन नि.प्रो.प. के निर्यात 1996-97 से 1998-99 में कम हो गये। इन नि.प्रो.प. के निर्यात लक्ष्य में 30.15 प्रतिशत तक की कमी थी जैसा कि अनुबन्ध-VII में दर्शाया गया है।

“ऑन अकाउंट” अनुदानों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

1.2.14 मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत तथा जारी किये गए अनुदानों के लेखाओं को, व्यय/उपयोग को लेखे में लेने के पश्चात प्रत्येक वर्ष के अन्त में अंतिम रूप दिया जाना था ताकि बाद के वर्ष के अनुदानों में वसूलियों/समायोजनों को अंग्रेजीत किया जा सके। तथापि यह देखा गया कि निम्नलिखित नि.प्रो.प. के मामले में 1996-97 से 1998-99 के वर्षों से सम्बन्धित 563.81 लाख रु. के अनुदानों को अगस्त 2000 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लाख रु. में

क्र. सं.	नि.प्रो.प. का नाम	वर्ष जिसके लिए अनुदान को अंतिम रूप नहीं दिया गया था	जारी किया गया अनुदान
1.	कालीन नि.प्रो.प.	1996-97 1997-98 1998-99	21.25 51.00 48.00
2.	हस्तशिल्प नि.प्रो.प.	1996-97 1997-98	23.40 150.00
3.	बिजली करघा विकास नि.प्रो.प.	1997-98 1998-99	36.00 45.00
4.	भारतीय एकाधिकार परिषद	1997-98 1998-99	8.00 19.56
5.	ऊन एवं ऊनी नि.प्रो.प.	1998-99	61.60
6.	मू.र.फा.प्र.नि.प्रो.प.	1998-99	100.00
जोड़			563.81

वि.वि.स. अनुदानों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण इन नि.प्रो.प. को अनुमत अनुदान की सही राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

परिबीक्षण

1.2.15 वि.वि.स. से सहायता अनुदान परिषद को निर्यात प्रोत्साहन के लिए जारी किये गये थे। तथापि, निर्यात प्रोत्साहन के लिए परिषदों को दी गई सहायता के प्रभाव के बारे में मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं थी और न ही मांगी, जिसने मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी से विदेशी बाजार से आदेश प्राप्त करने अथवा नये बाजारों पर कब्जा पाने में सहायता की हो के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं की। परिषदों ने भी जांच के लिए बिक्री एवं अध्ययन दोनों तथा आगे उद्योग के लाभ के प्रसार के परिणामस्वरूप निर्यात प्रोत्साहन के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

प्राप्त किये गए अनुदानों के सहायक लेखाओं का अनुरक्षण न करना

1.2.16 सामान्य वित्तीय नियमावली की शर्तों के अनुसार सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों अथवा निकायों को शामिल राशि का ध्यान न रखते हुये ऐसे अनुदानों के सहायक लेखे अनुरक्षित करने चाहिए। तथापि, नमूना लेखापरीक्षा की गई नि.प्रो.प./अनुदान ग्राही संस्थाओं ने सरकार से प्राप्त किये गए अनुदानों के सहायक लेखे तैयार नहीं किये। मंत्रालय ने (फरवरी 2001) बताया कि सभी नि.प्रो.प. को इस वर्ष से सहायक लेखे तैयार करने के निर्देश दिये जा रहे थे।

अनुबन्ध - I
(पैराग्राफ 1.2. 4 देखें)

नि.प्रो.प. को जारी किये गए वि.वि.स. अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

लाख रु. में

क्र.सं.	नि.प्रो.प. का नाम	1994-95		1995-96	
		सामान्य लेखे पर अनुदान	अंतिम अनुदान	लेखे पर अनुदान	अंतिम अनुदान
1.	काजू नि.प्रो.प. कोचीन (का.नि.प्रो.प.)	9.81	-	13.95	1.56
2.	कार्पेट नि.प्रो.प., नई दिल्ली	35.05	0.50	--	--
3.	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद नि.प्रो.प. कलकत्ता (र.स.उ.प्रो.प.);	31.50	--	22.66	--
4.	मूल रसायन औषधीय, प्रसाधन सामग्री नि.प्रो.प. मुम्बई (मू.र.औ.प्र.प्रो.प.)	31.50	11.09	13.50	--
5.	अभियांत्रिकी नि.र.औ.प्र.नि.प्रो.प., कलकत्ता (अ.नि.प्रो.प.)	182.70	76.46	247.25	--
6.	इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर नि.प्रो.प., नई दिल्ली (इ.क.सा.नि.प्रो.प.)	34.65	32.46	61.41	--
7.	हस्तकला नि.प्रो.प., नई दिल्ली	15.14	--	--	--
8.	रत्न एवं जवाहरात नि.प्रो.प., मुम्बई (र.ज.नि.प्रो.प.)	48.70	--	19.30	1.67
9.	हथकरघा नि.प्रो.प., चेन्नई (ह.नि.प्रो.प.)	27.00	--	23.00	--
10.	भारतीय रेशम नि.प्रो.प., मुम्बई (भा.रे.नि.प्रो.प.)	--	--	9.00	22.41
11.	चमड़ा निर्यात परिषद् चेन्नई (च.नि.प.)	61.86	--	305.26	6.07
12.	भारतीय समुद्र पार निर्माण परिषद्, मुम्बई, (भा.स.नि.प.)	10.69	--	26.41	1.33
13.	प्लास्टिक नि.प्रो.प. मुम्बई (प्ला.नि.प्रो.प.)	18.90	--	15.75	--
14.	क्रीड़ा सामग्री नि.प्रो.प., नई दिल्ली	9.50	--	10.22	--

2001 की रिपोर्ट सं. 2 (सिविल)

15.	सिन्थेटिक एवं रेशम वस्त्र नि.प्रो.प., मुम्बई	8.95	--	9.00	30.49
16.	शेलक नि.प्रो.प. कलकत्ता (शे.नि.प्रो.प.)	8.14	--	8.50	--
17.	ऊन तथा ऊनी वस्त्र नि.प्रो.प., नई दिल्ली	--	--	7.00	--
18.	भारतीय एकाधिकार परिषद	1.75	1.81	1.75	--
19.	बिजली करघा विकास नि.प्रो.प., मुम्बई				
	जोड़	535.84	122.32	793.96	63.53

1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000			
	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान
1	24.00	30.25	10.04	22.50	3.19	--	15.00	10.00	2.46	40.50	14.50	--
2	16.20	--	5.05	27.00	24.00	--	21.00	27.00	7.85	30.00	9.00	--
3	56.70	--	--	67.50	--	17.99	75.60	--	6.24	111.91	10.00	8.40
4	54.00	--	--	68.50	--	--	100.00	--	--	--	--	--
5	292.42	--	57.90	337.46	--	--	250.00	59.00	27.05	270.00	18.00	10.12
6	36.10	19.14	9.84	90.00	23.00	6.19	90.00	4.00	--	114.44	--	12.67
7	23.40	--	0.49	150.00	--	--	-	--	3.02	--	--	--
8	90.00	--	4.75	90.00	--	--	100.00	--	12.20	120.00	--	10.00
9	10.00	--	--	8.00	--	--	19.00	22.50	8.10	25.18	6.04	--
10	--	--	--	28.37	--	--	15.00	--	21.26	12.27	--	--
11	44.10	18.50	8.86	90.00	--	4.86	55.00	139.30	--	194.00	--	10.00
12	13.50	--	--	18.50	--	2.15	15.00	--	--	13.45	--	--
13	12.50	--	7.13	14.40	8.75	1.00	20.00	15.26	4.10	60.00	20.59	--
14	13.50	27.78	--	22.50	--	0.68	15.00	22.40	1.50	30.00	--	--
15	22.50	12.71	--	29.00	--	--	37.00	--	--	40.00	10.00	--
16	--	--	--	10.00	1.64	2.90	--	13.06	--	10.00	--	--
17	5.50	8.88	--	--	--	--	15.00	14.40	32.20	15.00	--	--
18	2.00	5.30	0.19	8.00	--	--	2.00	17.56	--	--	--	--
19	--	--	--	36.00	--	--	45.00	--	--	49.00	--	--
	716.42	122.56	104.25	1117.73	60.58	35.77	889.60	344.48	125.98	1135.75	88.13	51.19

अनुदानग्राही संस्थाओं को जारी किये गए वि.वि.स. अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

लाख रु. में

क्र.सं.	नि.प्रो.प. का नाम	1994-95		1995-96	
		लेखे पर अनुदान	अंतिम अनुदान	लेखे पर अनुदान	अंतिम अनुदान
1.	भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई (भा.पै.सं.)	46.03	4.73	30.00	
2.	भारतीय हीरा संस्थान, सूरत (भा.ही.सं.)	27.00	0.24	25.92	
3.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली (भा.वि.व्या.सं.)	236.00	--	310.00	
4.	भारतीय निर्यात संगठन संघ, नई दिल्ली (भा.नि.सं.फै.)	76.87		65.00	
5.	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली (भा.व्या.प्रो.सं.)	163.92		128.00	
6.	अन्य/निजी फर्में 9 टी.सी.आई.एल., एल एण्ड टी.	85.76		183.52	
	जोड़	635.58	4.97	742.44	

लाख रु. में

1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000		
सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान
11.25			32.50	--	----	50.00	44.00	11.49	60.00		13.68
21.27	31.63		16.88	31.66	0.22	13.10	27.76	1.74	6.46		
350.00	0.50		315.00	64.89	3.12	350.0	132.12	22.72	269.94	14.62	10.51
100.00	40.00		250.00	--	--	400.00	--	--	450.00		
416.38			67.00	---	--	367.41	--	--	265.65	31.00	
76.97			98.89	---	--	234.82	--	--	302.76		
975.87	72.13		780.27	96.55	3.34	1415.33	203.88	35.95	1354.81	45.62	24.19

निर्गमों का सार
(पैराग्राफ 1.2.4 देखें)

निर्यात प्रोत्साहन परिषदें

लाख रु. में

क्र.सं.	वर्ष	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	जोड़
1	1994-95	535.84	-	122.32	658.16
2	1995-96	793.96	-	63.53	857.49
3	1996-97	716.42	122.56	104.25	943.23
4	1997-98	1117.73	60.58	35.77	1214.08
5	1998-99	889.60	344.48	125.98	1360.06
6	1999-2000	1135.75	88.13	51.19	1275.07
	जोड़	5189.30	615.75	503.04	6308.09

अनुदानग्राही संस्थानें/अनुमोदित संगठन

लाख रु. में

क्र.सं.	वर्ष	सामान्य लेखे पर अनुदान	विशेष अनुदान	अंतिम अनुदान	जोड़
1	1994-95	635.58	-	4.97	640.55
2	1995-96	742.44	-	-	742.44
3	1996-97	975.87	72.13	-	1048.00
4	1997-98	780.27	96.55	3.34	880.16
5	1998-99	1415.33	203.88	35.95	1655.16
6	1999-2000	1354.81	45.62	24.19	1424.62
	जोड़	5904.30	418.18	68.45	6390.93

कुल जोड़ = 6308.09+6390.93=12699.02

अनुबन्ध-II
(पैराग्राफ 1.2.5 देखें)

नि.प्रो.प., जो 1.4.92 को 10 वर्ष से अधिक पुरानी थी, को जारी किये गए अनुदान

लाख रु. में

क्र.सं.	नि.प्रो.प. का नाम	कुल अनुदान			
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	प्लास्टिक एवं लिनेन निर्यात प्रोत्साहन परिषद	12.50	23.15	35.26	80.59
2	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद नि.प्रो.प.	56.70	67.50	75.60	121.91
3	मूल रसायन औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री नि.प्रो.प.	54.00	68.50	100.00	-
4	क्रीडा सामग्री नि.प्रो.प.	41.28	22.50	37.40	30.00
5	अभियांत्रिकी नि.प्रो.प.	292.42	337.46	309.00	288.00
6	हथकरघा नि.प्रो.प.	10.00	8.00	41.50	31.22
7	सिन्थेटिक एवं रेयन वस्त्र	35.21	29.00	37.00	50.00
8	शेलक नि.प्रो.प.	-	11.64	13.06	10.00
9	काजू नि.प्रो.प.	54.25	25.69	25.00	55.00
10	रत्न एवं जवाहरात नि.प्रो.प.	90.00	90.00	100.00	120.00
11	ऊन एवं ऊनी वस्त्र नि.प्रो.प.	14.38	-	29.40	15.00
	कुल जोड़	660.74	683.44	803.22	801.72

कुल जोड़ 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 = 2949.12 लाख

अनुबन्ध-III
(पैराग्राफ 1.2.5 देखें)

नि.प्रो.प.जो. 1-4-92 को 10 वर्ष से कम पुरानी थी, को जारी किये गए अनुदान

लाख रु. में

क्र.सं	नि.प्रो.प.का नाम	1998-1999			1999-2000		
		लेखा पर अनुदान	विशेष अनुदान	जोड़	लेखा पर अनुदान	विशेष अनुदान	कुल अनुदान
1	इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर नि.प्रो.प.	90.00	4.00	94.00	114.44	-	114.44
2	हस्तकला निर्यात प्रोत्साहन परिषद	-	-	-	-	-	-
3	चमड़ा नि.प्रो.प.	55.00	139.30	194.30	194.30	-	194.30
4	कार्पेट नि.प्रो.प.	21.00	27.00	48.00	30.00	9.00	39.00
5	भारतीय रेशम नि.प्रो.प.	15.00	-	15.00	12.27	-	12.27
6	भारतीय समुद्र पार निर्माण परिषद	15.00	-	15.00	13.45	-	13.45
	जोड़	196.00	170.30	366.30	364.46	9.00	373.46

1998-99 तथा 1999-2000 के लिए कुल जोड़ = 739.76 लाख रु. (366.30+373.46)

अनुबन्ध - IV
(पैराग्राफ 1.2.6 देखें)

अनुदान सहायता का अधिक निर्गम

लाख रु. में

वर्ष	पिछले वर्ष का निर्यात	जारी किया गया अनुदान	देय अनुदान अर्थात् पिछले वर्ष के निर्यात का 0.01 प्रतिशत	अधिक अनुदान
प्ला.नि.प्रो.प.				
1999-2000	214121 (98-990)	60.00	21.41	38.59
इ.नि.प्रो.प.				
1996-97	-	114.60	100.00	14.60
1997-98	-	168.74	100.00	68.74
1998-99	-	120.00	100.00 (न्यूनतम)	20.00
1999-2000	-	150.00	100.00 (अधिकतम)	50.00
			जोड़	153.34
रत्न एवं जवाहरात नि.प्रो.प.				
1999-2000	-	120.00	100.00 (अधिकतम)	20.00
चमड़ा निर्यात परिषद				
1997-98	55308 (लगभग)(96-97)	90.00	55.31	34.69
1999-2000	नि.प्रो.प.	194.00	100.00	94.00
			जोड़	128.69
क्रीड़ा सामग्री नि.प्रो.प.				
1997-98	21751	25.00	15.00 (अधिकतम)	10.00
1999-2000	24071	30.00	15.00 (अधिकतम)	15.00
			जोड़	25.00
कार्पेट नि.प्रो.प.				
1996-97	136492 (95-96)	18.00	15.00 (अधिकतम)	3.00
1997-98	158479 (96-97)	30.00	15.85	14.15
1998-99	166158 (97-98)	21.00	16.62	4.38
1999-2000	201394	30.00	20.14	9.86
			जोड़	31.39
हस्तकला नि.प्रो.प.				
1997-98	35067.70	150.00	35.07	114.93

इ.एस.सी.नि.प्रो.प				
1999-200	-	114.44	100.00 (अधिकतम)	14.44

काजू नि.प्रो.प.

लाख रु. में

1996-97	1285.50	24.00	15.00	9.00
1997-98	1396.10	22.50	15.00	7.50
1998-99	1609.90	15.00	15.00	-
1999-2000	-	40.50	16.10	24.40
जोड़				40.90

र.स.उ.प.				
1996-97	319022 (1995-96)	56.70	31.91	24.79
1997-98	357000 (1996-97)	67.50	35.70	31.80
1998-99	362000 (1997-98)	75.60	36.20	39.40
1999-2000	385319 (1998-99)	111.91	38.53	73.38
जोड़				169.37
कुल जोड़				736.65

अनुबन्ध -V
(पैराग्राफ 1.2.7 देखें)

अमान्य अनुदानों का निर्गम

लाख रु. में

क्र. सं.	गतिविधियां	अनुमोदित अनुदान एवं जारी अनुदान	वास्तविक व्यय	मान्य अनुदान अर्थात् वास्तविक व्यय का 60 प्रतिशत	वसूलीयोग्य अनुदान
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर नि.प्रो.प.					
1994-95					
1.	वेस्कॉन 94	8.00	8.81	5.29	2.71
2.	इलेक्ट्रॉनिक 94	11.40	16.20	9.72	1.68
3.	कम्प्यूटर इले. प्रतिनिधिमण्डल	7.30	2.71	1.63	5.67
4.	कन्ज्यूमर इले. प्रतिनिधिमण्डल	3.00	3.39	2.03	0.97
5.	हार्डवेयर प्रतिनिधिमण्डल	7.50	6.13	3.68	3.82
	जोड़	37.20	37.24	22.35	14.85
1995-96					
1.	इलेक्ट्रॉनिक्स	2.45	2.12	1.27	1.18
2.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर व्यवसाय	2.75	1.38	0.83	1.92
3.	महत्वपूर्ण देशों को कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल	2.75	0.88	0.53	2.22
4.	इलेक्ट्रॉनिक 9 पेरिस, फ्रांस में	10.10	12.97	7.78	2.32
5.	वेस्कॉन 95 प्रदर्शन यू.एस.ए.	9.00	9.82	5.89	3.11
	जोड़	27.05	27.17	16.30	10.75
1997-98					
1.	व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के प्रकाशन	46.47 (60%) 2.38(100%)	77.45 2.38	46.47 1.43	- 0.95
2.	बाजार सर्वेक्षण/प्रतिनिधिमण्डल	11.86 (60%) 3.39(100%)	19.77	11.86 2.03	1.36
3.	प्रकाशन एवं प्रचार	30.61 (100%)	30.61	18.37	12.24
	जोड़	94.71	130.21	80.16	14.55

भारतीय पैकेजिंग संस्थान					
					लाख रु. में
क्र.सं	गतिविधियां 1994-95	जारी किया गया अनुदान	वास्तविक व्यय 94-95	वास्तविक व्यय के 60 प्रतिशत की दर पर देय अनुदान	वसूली योग्य अनुदान
1.	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिवास	16.54	16.54	9.920	6.62
2.	समुद्र पार प्रतिनियुक्ति	1.50	1.54	0.924	0.58
3.	पुस्तकें, पत्रिकायें, तकनीकी पत्र आदि	4.71	4.71	2.826	1.88
4.	अन्य अनिवार्य निवेश प्रोत्साहनात्मक गतिविधियां	2.40	2.41	1.446	0.96
5.	पैकेजिंग विकास परियोजनाएं	0.075	0.075	0.045	0.03
जोड़		25.225	25.275	15.161	10.07

1994-95					
1.	पुस्तकालय पुस्तकें	2.00	2.77	1.66	0.34
2.	आवधिक अंशदान	2.60	3.23	1.94	0.66
3.	ए.पी.एफ./ए.पी.ओ. बैठकों की नियुक्ति	1.81	1.81	1.09	0.72
4.	राष्ट्रीय प्रदर्शनी	26.00	35.56	21.34	4.66
5.	अन्य प्रदर्शनियों में भागीदारी	0.25	0.30	0.18	0.07
जोड़		32.66	43.67	26.21	6.45

रत्न तथा जवाहरात निर्यात प्रोत्साहन परिषद

1994-95					
1.	विदेशों में विज्ञापन, प्रचार एवं निर्यात प्रोत्साहन	20.00	19.14	11.484	7.66
2.	प्रोत्साहक प्रकाशन	12.00	13.77	8.262	3.74
3.	विदेशों में प्रदर्शनी	5.00	20.44	5.000	
4.	अनुसंधान एवं विकास	6.00	2.01	1.206	0.80
जोड़		43.00	55.36	25.95	12.20
1995-96					
1.	विदेशों में विज्ञापन प्रचार, एवं निर्यात प्रोत्साहन	10.00	10.26	6.16	3.84
2.	प्रोत्साहक प्रकाशन	7.00	10.66	6.396	0.60
3.	प्रदर्शनी	4.50	13.10	4.50	0.00
जोड़		21.50	34.02	17.056	4.44
अभियांत्रिकी निर्यात प्रोत्साहन परिषद					
1994-95					
1.	प्रकाशन	25.00	27.30	16.38	8.62
2.	ब्रांड प्रचार	20.00	61.21	20.00	0.00
3.	बाजार सर्वेक्षण/अनुसंधान	20.00	39.53	20.00	0.00
जोड़		65.00	128.04	56.38	8.62

1995-96					
1.	निर्यात प्रोत्साहन एवं प्रचार कार्यक्रम	35.00	52.65	31.59 (12.50 संस्वीकृत अनुदान)	22.50
2.	ब्रांड प्रचार	10.00	83.14	49.88 (10.00 संस्वीकृत अनुदान)	0.00
3.	बाजार सर्वेक्षण/अनुसंधान	22.50	36.35	21.78 (10.15 संस्वीकृत अनुदान)	12.35
जोड़		67.50	172.14	32.65	34.85

कुल जोड़ = 116.78

अनुबन्ध-VI
(पैराग्राफ 1.2.13 देखें)

निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, जिनका निर्यात लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, को जारी की गई निधियों का विवरण:

क्र.सं.	नि.प्रो.प. का नाम	96-97	97-98	98-99	लाख रु. में योग
1.	कार्पेट नि.प्रो.प.	21.25	51.00	55.85	128.10
2.	र.स.उ.प.	56.70	85.49	81.84	224.03
3.	र.न.प्रो.प.	54.00	68.50	100.00	222.50
4.	इ.नि.प्रो.प.	350.32	337.46	336.05	1023.83
5.	हथकर्घा के लिए नि.प्रो.प.	23.89	150.00	3.02	176.91
6.	रत्न एवं जवाहरात नि.प्रो.प.	94.75	90.00	112.20	296.95
7.	चमड़ा नि.प्रो.प.	71.46	94.86	194.30	360.62
8.	प्ला.नि.प्रो.प.	19.63	24.15	39.36	83.14
9.	क्रीड़ा सामग्री नि.प्रो.प.	41.28	23.18	38.90	103.36
10.	सिन्थेटिक एवं रयान नि.प्रो.प.	35.21	29.00	37.00	101.21
11.	शैली नि.प्रो.प.	-	14.54	13.06	27.60
				जोड़	2748.25

अनुबन्ध VII
(पैराग्राफ 1.2.13 देखें)

निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, मूल रसायन, औषधि, प्रसाधन निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (र.नि.प्रो.प.) से सम्बन्धित निर्यात लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति

1. मूल रसायन, फार्मा, कास्मैटिक नि.प्रो.प. (र.ज.नि.प्रो.प.)

करोड़ रु. में

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां		
				कमी	प्रतिशतता
1.	1994-95	5504.60	5942.20	-	-
2.	1995-96	6742.60	7970.30	-	-
3.	1996-97	10004.70	9498.30	506.40	5.06
4.	1997-98	-	11015.90	-	-
5.	1998-99	14000.00	11797.00	2203.00	15.74

2. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कलकत्ता (र.स.उ.नि.प्रो.प.)

करोड़ रु. में

1.	1994-95	2679.20	2771.66	-	-
2.	1995-96	3300.00	3190.68	109.32	3.32
3.	1996-97	4045.00	3570.22	474.78	11.74
4.	1997-98	4451.00	3620.00	831.00	18.67
5.	1998-99	4131.00	3853.19	277.81	6.73

3. प्लास्टिक निर्यात प्रोत्साहन परिषद, मुम्बई (प्ला.नि.प्रो.प.)

करोड़ रु. में

1.	1994-95	-	1185.00	-	-
2.	1995-96	1424.00	1622.40	-	-
3.	1996-97	2030.00	2024.13	5.87	0.29
4.	1997-98	2592.00	2338.75	253.25	9.77
5.	1998-99	2952.00	2141.21	810.79	27.47

4. अभियांत्रिकी निर्यात प्रोत्साहन परिषद (अ.नि.प्रो.प.)

लाख रु. में

1.	1994-95	10,000,00	10,04200	-	-
2.	1995-96	12000,00	12,578,00	-	-
3.	1996-97	15,59,000	14,975,00	61500	3.95
4.	1997-98	17,21,000	17,102,00	10800	0.63
5.	1998-99	19,450,00	17,350,00	210000	10.80

5. शैली निर्यात प्रोत्साहन परिषद

लाख रु. में

1.	1994-95	4400.00
2.	1995-96	5895.00
3.	1996-97	5138.00
4.	1997-98	3015.00
5.	1998-99	3714.00

6. हथकरघा के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद

क्रम. सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	लाख रु. में	
				कमी	प्रतिशतता
1	95-96	290000	299024	-	-
2	96-97	350000	350677	-	-
3	97-98	430000	417439	12561	2.92
4	98-99	524880	505840	19040	3.63
5	1999-2000	605000	592360	12640	2.09

7. कार्पेट निर्यात प्रोत्साहन परिषद

क्रम. सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	लाख रु. में	
				कमी	प्रतिशतता
1	95-96	195000	136492	58508	30.00
2	96-97	216000	158479	57521	26.63
3	97-98	220000	166158	53842	24.47
4	98-99	252720	201394	51326	20.31

8. क्रीड़ा वस्तु की निर्यात प्रोत्साहन परिषद

क्रम. सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	लाख रु. में	
				कमी	प्रतिशतता
1	1994-95	16500	17991	-	-
2	1995-96	20500	20750	-	-
3	1996-97	23500	21751	1749	7.44
4	1997-98	27500	24071	3429	12.47
5	1998-99	28200	24780	3420	12.13
6.	1999-2000	32500	22700	9800	30.15

9. सिंथैटिक एवं रेयन टैक्सटाइल नि.प्रो.प.

क्रम. सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	अमेरिकी मिलियन डालर	
				कमी	प्रतिशतता
1	1994-95	650	792.19	-	-
2	1995-96	850	939.77	-	-
3	1996-97	1150	911.47	238.53	20.74
4	1997-98	1150	1.13.17	136.83	11.90
5.	1998-99	1200	968.38	231.62	19.30

10. रत्न एवं जवाहरात नि.प्रो.प.


क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	अमेरिकी मिलियन डालर	
				कमी	प्रतिशतता
1	1994-95	5200	4500	700	13.46
2	1995-96	5420	5275	145	2.68
3	1996-97	6300	4754	1546	24.54
4	1997-98	6300	5093	1207	19.16
5.	1998-99	-	-	-	-

11. चमड़ा निर्यात नि.प्रो.प.

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	अमेरिकी मिलियन डालर	
				कमी	प्रतिशतता
1	1994-95	1545.00	1612.00	-	-
2	1995-96	1780.00	1752.00	28.00	1.57
3	1996-97	2000.00	1558.00	442.00	22.1
4	1997-98	1780.00	1470.00	310.00	17.42
5.	1998-99	-	-	-	-

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय का प्रबन्धन



अध्याय-II : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

2. दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय का प्रबन्धन

दूरदर्शन विश्व में सबसे बड़े स्थलीय सार्वजनिक सेवा तंत्र में से एक है। इसके दर्शकों की संख्या 1997 में 296 मिलियन से बढ़कर 2000 में 403 मिलियन हो गई। इसने वाणिज्यिक समय व्यापार के द्वारा 1976 में वाणिज्यिक सेवायें आरम्भ की। वाणिज्यिक समय की प्रबन्धन प्रणाली तथा क्रियाविधि की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इसकी प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं में गम्भीर कमियों, जिनमें प्रशासकीय उपेक्षा एवं मूल्य सूची निर्धारण में मितव्ययिता संबंधी आसावधानी तथा त्रुटिपूर्ण बिल तैयार करना शामिल था, का पता चला। निर्णय निर्धारण करने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी तथा संगठन के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने में विफल थी। 1998 में स्थापित खेलकूद विपणन सहायता संघ एक दोषपूर्ण व्यवस्था थी जिसके परिणाम स्वरूप अवसर लागत की वसूली में हानि, वाणिज्यिक समय की कम मूल्य पर बिक्री, अधिकारों की अधिप्राप्ति में हेराफेरी, प्राप्यों की अवसूली, अग्राह्य वापसियों का भुगतान, वाणिज्यिक समय के लेखांकन में त्रुटियां, विलम्बित भुगतान पर शास्ति ब्याजों का उद्ग्रहण न होना, उपयुक्त बिल तैयार करने की प्रक्रिया तथा एकत्रण प्रणाली का अभाव रहा। नमूना जांच किये गये मामलों से 16.98 करोड़ रु. के बकाया प्राप्यों की अवसूली के अतिरिक्त 186.85 करोड़ रु. की हानि का पता चला।

विशिष्टताएं

- सहायता संघ के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं के विपणन पर, वाणिज्यिक समय की कम मूल्य पर बिक्री, अवसर लागत की हानि, अधिकारों के अधिप्रापण में हेराफेरी, प्राप्यों की अवसूली, अग्राह्य वापसियों के भुगतान के कारण दूरदर्शन ने 140.88 करोड़ रु. की हानि उठाई।
- दूरदर्शन ने समाचारों पर आधारित पांच मिनट के आंखों देखी दोपहर आंखों देखी तथा इंडिया द अवेकनिंग कार्यक्रमों पर प्रसारण शुल्क तथा निशुल्क वाणिज्यिक समय पर यथानुपात दरें प्रभारित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रमों के प्रायोजकों को 12.08 करोड़ रु. का अनुचित लाभ हुआ।
- दूरदर्शन ने सुपर हिट मुकाबला कार्यक्रम के प्रायोजक को प्रति कड़ी 560 सैकिण्ड के अनुमत वाणिज्यिक समय के प्रति 655 सैकिण्ड का वाणिज्यिक समय अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 1995 से अक्टूबर 1996 के दौरान

प्रसारित 56 कड़ियों के लिए प्रति कड़ी 8.05 लाख रु. का अनुचित लाभ दिया गया। इस सम्बन्ध में प्रायोजक को कुल अनुचित लाभ 4.51 करोड़ रु. परिकलित होता है।

- निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र कोलकाता ने विद्यमान नियमों के उल्लंघन में प्रायोजक रेनवो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अप्राधिकृत छूट, जैसे अधिक निशुल्क वाणिज्यिक समय का उपयोग, प्रायोजकता शुल्क तथा तत्काल खरीद दर, अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप प्रायोजक को 3.02 करोड़ रु. का अदेय लाभ हुआ।

- दूरदर्शन को भारत - श्री लंका क्रिकेट श्रृंखला तथा विम्बलडन 1997 के प्रसारण में उपग्रह का विलम्ब से आरक्षण करने तथा विज्ञापनों का बिल न देने के कारण 9.44 करोड़ रु. की हानि हुई।

- बांग्लादेश इंडिपेन्डेंस कप 1998 तथा फ्रेंच ओपन टैनिस् टूर्नामेंट 1997 में लगे प्रसारण समय बिक्री अभिकरणों से उपयोग किये गए वाणिज्यिक समय के कम लेखांकन तथा संयोजन एवं अन्तरिक्ष खण्डीय प्रभार के बिल प्रस्तुत न करने के कारण दूरदर्शन 8.93 करोड़ रु. का दावा करने में विफल रहा।

- अन्तर्राष्ट्रीय चैनल पर पुनरावृत्ति कार्यक्रम प्रसारण के लिए अन्य राष्ट्रीय चैनलों पर जहां वाणिज्यिक समय का मौखिक मूल्य उच्चतर था, सात दिनों के भीतर उपयोग किये जाने की 30 सैकिण्ड की अतिरिक्त सुविधा के कारण दूरदर्शन को 1.94 करोड़ रु. की हानि हुई। पुनः विचार करने पर दूरदर्शन द्वारा अगस्त 1996 में यह सुविधा वापस लेली गई।

- जुलाई 2000 को दूरदर्शन केन्द्र मुम्बई के विज्ञापन अभिकरणों से ब्याज सहित बकाया प्राप्य 16.98 करोड़ रु. थे। दिसम्बर 1997 से मार्च 1999 के दौरान तीन तमिल धारावाहिकों के प्रसारण के लिए 85.87 लाख रु. के शुल्क का भुगतान न होने के बावजूद, निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र चेन्नई ने प्रायोजकों के प्रत्यापनों को रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

2.1 प्रस्तावना

दूरदर्शन (दू.द.) भारत की राष्ट्रीय दूरदर्शन सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रसारण को समर्पित विश्व में सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। वाणिज्यिक समय में व्यापार से राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से दू.द. ने 1976 में अपनी वाणिज्यिक सेवा आरम्भ की। व्यापार 1976-77 में 0.7 करोड़ रु. के विशुद्ध राजस्व से आरम्भ हुआ तथा 1996-97 में 57.27 करोड़ रु. के स्तर तक पहुँच गया। बाद के दो वर्षों अर्थात् 1997-98 तथा 1998-99 में सकल राजस्व वर्ष 1996-97 की तुलना में 14 से 30 प्रतिशत तक गिर गया। 1999-2000 के आंकड़ों ने दर्शाया कि दू.द. द्वारा अर्जित सकल राजस्व ने पुनः वृद्धि सूचित की। तथापि 1999-2000 के दौरान पिछले शिखर वर्ष 1996-97 में मात्र 37.6 करोड़ रु. की वृद्धि थी। इसे इस तथ्य की पृष्ठ भूमि में

देखा जाना चाहिए कि विज्ञापन के मूल्य के सन्दर्भ में सूचना तंत्र का हिस्सा अनुरूप अवधि में प्रायः दुगुना हो गया है तथा दू.द. के दर्शकों की संख्या 1997 में 296 मिलियन से बढ़कर 2000 में 403 मिलियन हो गई है। स्पष्ट रूप से दू.द. द्वारा वाणिज्यिक समय की प्रबंधन प्रणाली तथा प्रक्रिया को इस बात का पता लगाने के उद्देश्य से देखना चाहिए कि वाणिज्यिक क्षमता का पूर्णतया उपयोग क्यों नहीं हो सका। एक विशिष्ट क्षेत्र है व्यापार विधि जिसके द्वारा विज्ञापन दाताओं को उनके कार्यक्रमों के विपणन के लिए कार्यक्रम निर्माताओं को वाणिज्यिक समय बेचा गया था तथा निर्माताओं के साथ राजस्व प्रबंधन की हिस्सेदारी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय उत्तम समय खण्ड से सम्बंधित कार्यक्रमों के एक समुच्चय, जिस विधि से 1997-99 की अवधि में वाणिज्यिक समय का नकारात्मक वृद्धि के रूप में विपणन किया गया, की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी। सन्दर्भ स्थापित करने के लिए पिछली अवधि के कुछ कार्यक्रमों के साथ साथ क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से प्रसारित कुछ कार्यक्रमों की जांच भी की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू प्रसारण समय बिक्री अभिकर्ताओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं के विपणन से सम्बन्धित था; एक ऐसी व्यवस्था जो दू.द. को भारी हानि पहुंचाकर विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई। दू.द. की भारी मात्रा में हानि तथा वाणिज्यिक विफलता इसकी अपनी प्रबन्धकीय व्यवस्था में पकड़ के कारण पाई गई जिसका प्रभाव क्षेत्र प्रशासकीय उपेक्षा तथा वित्तीय असावधानी से गलत मूल्य सूची निर्धारण तथा गलत बिल बनाने तक था। पूरी प्रक्रिया ने सरकार के खर्च पर स्वयं का शोषण स्वीकार किया है।

लेखापरीक्षा की उपलब्धियां उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दी गई है।

2.2 खेलकूद विपणन सहायता संघ की कार्यप्रणाली

2.2.1 दिसम्बर 1997 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.का.अ.), प्रसार भारती ने प्रसार भारती बोर्ड की पहली बैठक के समक्ष, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद घटनाओं की प्रसारण व्यवस्था को अंतिम रूप देने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव उनके अवबोधन की इस पृष्ठभूमि में रखा कि केवल निजी चैनल ही प्रसारण अधिकार प्राप्त करने योग्य हैं तथा अधिकांश जनता इस अवसर से वंचित रहती है। यद्यपि प्रस्ताव में व्यवस्था का कार्यक्षेत्र परिभाषित नहीं किया गया, बोर्ड ने मु.का.अ. को व्यवस्था को अंतिम रूप देने का प्राधिकार दे दिया। जनवरी 1998 में, बोर्ड की दूसरी बैठक में मु.का.अ. ने व्यवस्था का आकार प्रस्तुत किया। उन्होंने बोर्ड को बताया कि खेलकूद घटनाओं के लिए सामूहिक रूप से बोली लगाने हेतु प्रसारण समय विक्रय अभिकरणों के एक समूह को सहायता संघ बनाने के लिए इस बीच उन्होंने राजी कर लिया था, जबकि दू.द. वाहक की व्यवस्था करेगा तथा आपसी समझौते के आधार पर वाणिज्यिक राजस्व में सहभागी

रहेगी। बोर्ड ने राजस्व भागीदारी के बारे में पूछे अथवा उसका आधार सुनिश्चित किए बिना प्रस्ताव मंजूर कर दिया। इसका उद्देश्य दूरदर्शन को अपने वित्तीय संसाधन प्रभावित किए बिना अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद घटनाओं के प्रसारण अधिकार अर्जित करने में समर्थ बनाना तथा संचालन द्वारा उत्पन्न राजस्व का लाभ पाना था। तथापि वाहक व्यवस्था का अर्थ समय पर व्यापार से था तथा इस प्रकार दूरदर्शन के लिए लाभदायक स्थिति का संतुलन व्यापार में लगे समय की अवसर लागत की हानि के संदर्भ में संगणित किया जाना था।

फरवरी 1998 में, तीन विपणन अभिकरण, अर्थात् मै. स्ट्रैकॉन इण्डिया प्राइवेट लिमि. (स्ट्रैकॉन), मै. निम्बस कम्यूनिकेशन्स लिमि. (निम्बस) तथा मै. क्रीएटिव आइ लिमि. (क्रीएटिव) ने दूरदर्शन से अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद घटनाओं के सीधे प्रसारण तथा विपणन के लिए अधिकार प्राप्त करने हेतु सहकारिता तथा सहयोग के लिए और संयुक्त अनुबंध के माध्यम से एक सहायता संघ बनाया। मार्च 1998 में एकमात्र विपणन अधिकार प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन के साथ एक अनुबंध किया। मार्च 1998 के अंत में मै. यू.टी.वी. सॉफ्टवेयर कम्यूनिकेशन लिमि. ने सहायता संघ में प्रवेश किया। जुलाई 1999 से सहायता संघ का संचालन बंद हो गया।

प्रसारण अधिकार प्राप्त करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद घटनाओं के विपणन के लिए सहायता संघ की व्यवस्था के संचालन के अनुकूल लाभों तथा प्रबन्धन के दौरान दूरदर्शन को प्राप्त हो रहे वाणिज्यिक परिणामों के मूल्यांकन की दृष्टि से लेखापरीक्षा में जांच की गई।

सहायता संघ की संचालन अवधि में अप्रैल 98 और जून 99 (परिशिष्ट-I) के बीच दूरदर्शन राष्ट्रीय कार्यक्रम के 13 अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद घटनाएं सीधे एवं एक घटना की विशिष्टताएं प्रसारित की गईं। सहायता संघ के संचालन एवं घटनाओं के प्रसारण से संबंधित अभिलेखों तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में अधिकार शुल्क के भुगतान की जांच, अवसर लागत का परिकलन तथा वाणिज्यिक समय प्रबन्धन सम्मिलित थे।

2.2.2 अनुबंध में दोष

अनुबंध को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से दूरदर्शन की 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर (12.75 करोड़ रु.) की हानि हुई।

दूरदर्शन के साथ सहायता संघ के अनुबंध पर 24 मार्च 98 को हस्ताक्षर हुए परन्तु इसका पूर्वव्यापी प्रचालन 1 फरवरी 1998 से प्रभावित हुआ। पूर्वव्यापी प्रयोग औचित्य की जांच से प्रकट हुआ कि उसमें जबकि दूरदर्शन के लिए कोई लाभ नहीं था, इसने 20 फरवरी 1998 को कोई लागत निश्चित किए बिना आई.सी.सी. नाकआऊट के विदेशी अधिकार सौंप कर स्ट्रैकॉन का पक्ष लिया गया जबकि दूरदर्शन ने 24 फरवरी 1998 को अपनी बोली प्रस्तुत कर दी थी। तदन्तर स्ट्रैकॉन को ये अधिकार 3 मिलियन

अमेरिकी डालर की लागत पर मिले, जो दूरदर्शन ने 6 मिलियन अमेरिकी डालर पर खरीदे थे ।

सहायता संघ गठित करने के अनुबंध की शर्तों को प्रसार भारती बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं था । खुली निविदा आमंत्रित करने की सामान्य प्रणाली से विचलन के कोई कारण अभिलेखित नहीं थे ।

सहायता संघ के सदस्य पूर्वयोग्यता के बिना इच्छानुसार चुने हुए थे तथा उनका वित्तीय सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं किया गया था । इस क्षेत्र में अनुभवहीन सहायता संघ स्ट्रैकॉन द्वारा प्रभावित एक उत्पादक संघ था, जो 28 मई 1997 को दूरदर्शन के साथ पंजीकृत हुआ तथा सहायता संघ का गठन एवं नेतृत्व करने के मात्र आठ माह पूर्व 5 जून 1997 को प्राधिकृत किया गया ।

अनुबंध विशिष्ट वाणिज्यिक शर्तें प्रदान नहीं करता था, न ही न्यूनतम गारन्टी (न्यू.गा.) सामान्यतः प्रसारण समय के लेनदेनों में जिसके लिए बल दिया जाता है ।

अनुबंध न तो अधिकार शुल्क आवृत्त करने की बात करता था, न ही दूरदर्शन के लिए अव्यवहार्य लेन-देन अस्वीकार करने का अवसर छोड़ता था । दूरदर्शन की निष्क्रिय भूमिका स्पष्टतः इस पूर्वधारणा पर निश्चित की गई कि बिना अपने किसी निवेश के यह लाभ प्राप्त कर रहा था । यह भुला दिया गया था कि व्यतीत किए गए समय के अनुसार यह दूरदर्शन का अधिकार था जो आलोचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दोनों था । इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं था कि दूरदर्शन के अपने संसाधन बिल्कुल प्रयोग नहीं किए गए । क्रिकेट की घटनाओं में दूरदर्शन ने पांच घटनाओं में अपने संसाधनों का 2134.90 लाख रु. तक लगाया जबकि सहायता संघ (स्ट्रैकॉन) ने अपने संसाधनों से कुछ भी खर्च नहीं किया बल्कि घटनाओं से उत्पन्न निधियों को अधिकार में ले लिया । स्पष्टतः संसाधन व्यवरोध की पूर्वधारणा प्रसारण समय अभिकरणों को दूरदर्शन के व्यय पर लाभ पहुंचाने की एक सुविधाजनक युक्ति थी । जैसा कि विवरण दिया गया है सहायता संघ का सृजन एक दोषपूर्ण तथा अनियमित निर्णय सिद्ध हुआ जिसने प्रसारण समय विक्रेताओं के संघ को सरकार के व्यय पर लाभ पहुंचाया ।

2.2.3 अधिकार अर्जित करने में चालाकी

लेखापरीक्षा ने बड़ी घटनाओं के प्रसारण अधिकार की प्रक्रिया की जांच इस प्रयोजन की पृष्ठभूमि में की कि प्रसारण अधिकार शुल्क तथा विज्ञापन राजस्व से अन्य व्ययों (परिशिष्ट-II) की कटौती के बाद, लाभ दूरदर्शन तथा सहायता संघ के बीच विभक्त होना था । दूसरे शब्दों में अधिकार अर्जित करने में किसी प्रकार का मितव्यय स्वतः ये लाभ वृद्धि करेगा तथा इसके विपरीत उच्च अधिकार शुल्क लाभ में अनिवार्य रूप से कटौती करेगा । इस प्रकार यदि अधिकार शुल्क अधिक न हो तथा यदि विज्ञापन राजस्व का सृजन घटना की लागत एवं दूरदर्शन द्वारा समर्पित राजस्व से कम न हो तो घटना का प्रसारण लाभदायक होगा ।

क्रिकेट तथा टैनिश घटनाओं के लिए अधिकार बिना किसी आंकलन या औचित्य के अर्जित किए गए, जिससे प्रत्येक प्रतियोगिता के अधिकार शुल्क की लागत में व्यापक उतार-चढ़ाव रहा ।

अप्रैल 1998 तथा जून 1999 की अवधि में, क्रिकेट में दस तथा टैनिश में तीन मुख्य घटनाएं घटित हुईं । क्रिकेट की दस मुख्य घटनाओं में से चार के अधिकार अर्जित करने में दूरदर्शन शामिल था, जबकि सहायता संघ व्यवस्था के अन्तर्गत यह अपेक्षित नहीं था । इसके अतिरिक्त, ऐसा देखा गया कि अधिकार धारक द्वारा मांगे गए तथा बोलीदाता द्वारा भुगतान किए गए अधिकार शुल्क के औचित्य को, यहां तक कि आंकलन को भी अज्ञात रखने का कोई आधार नहीं था । इससे प्रत्येक क्रिकेट प्रतियोगिता की अधिकार शुल्क लागत में 30 लाख रु. से 425 लाख रु. तक का व्यापक उतार-चढ़ाव रहा । प्रसंगवस, दूरदर्शन की अपनी प्रापण लागत प्रत्येक प्रतियोगिता में 425 लाख रु. तक सबसे अधिक थी । टैनिश में, तीन घटनाओं (विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, तथा आस्ट्रेलियन ओपन) के लिए सहायता संघ द्वारा अधिकार अर्जित किए गए । सहायता संघ द्वारा अधिकार शुल्क के भुगतान की तुलना सहायता संघ के सृजन से पूर्व दूरदर्शन द्वारा किए गए अधिकार शुल्क के भुगतान से करने पर यह स्पष्ट हुआ कि सहायता संघ द्वारा विम्बलडन के लिए किया गया भुगतान 45 प्रतिशत (1.90 लाख अमेरिकी डालर से 2.75 लाख अमेरिकी डालर तक) तथा फ्रेंच ओपन के लिए 122 प्रतिशत (90,000 अमेरिकी डालर से 2,00,000 अमेरिकी डालर) अधिक था । अभिकरण द्वारा राजस्व सर्जन के विवरण के प्रसंग से प्रकट हुआ कि इन घटनाओं के लिए दिए गए अधिकार शुल्क से राजस्व सर्जन कम रहा तथा इन घटनाओं से दूरदर्शन को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ । स्पष्टतया, अत्यधिक उच्च अधिकार शुल्क ने राजस्व को मिटा दिया और घटना को अलाभदायक बना दिया । जबकि यह सत्य है कि सहायता संघ ने उच्चतर अधिकार शुल्क का भुगतान किया, न कि दूरदर्शन ने शुल्क में असामान्य वृद्धि जिसने दूरदर्शन को राजस्व से वंचित रखा, दूरदर्शन के व्यय पर लाभ कम करने का परिचायक था । लेखापरीक्षा की आशंका इस तथ्य पर आधारित है कि पूर्व वर्षों में जब दूरदर्शन ने अधिकार खरीदे थे और उस समय कोई सहायता संघ व्यवस्था नहीं थी, घटनाएं सदैव राजस्व आधिक्य रहीं ।

एक प्रतियोगिता कोकाकोला कप सिरीज (मई 1998) के लिए जबकि अधिकार शुल्क दूरदर्शन द्वारा भुगतान किया गया, उत्पन्न किया गया राजस्व स्ट्रैकान द्वारा रखा गया

एक घटना कोकाकोला कप मई 1998 में, जबकि चार एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए सहायता संघ (स्ट्रैकॉन) द्वारा 120 लाख रु. में अधिकार अर्जित किया जा चुका था, दूरदर्शन ने 30 लाख रु. का भुगतान सीधे अधिकार धारक ई. एस.पी.एन. को किया जब दूरदर्शन द्वारा एक और प्रतियोगिता ले ली गई थी । चूंकि यह प्रतियोगिता सहायता संघ (स्ट्रैकॉन) के साथ किए गए अनुबंध के बाहर थी और इसकी लागत दूरदर्शन द्वारा वहन की गई थी, इसका विपणन प्रतियोगिता की लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर होना चाहिए था । तथापि, राजस्व सहायता संघ को क्रेडिट किया गया और इसके कारण दूरदर्शन को 30 लाख रु. की निवल हानि हुई ।

श्रीलंका इन्डिपेंडेंस कप के अधिकार सहायता संघ के समझौते का उल्लंघन करते हुए प्रतिस्पर्धा चैनल को बेच दिये गये ।

दू.द. ने आई.सी.सी. नॉक आउट टूर्नामेंट के अधिकार शुल्क की बिना राजस्व अर्जन क्षमता का आंकलन किए उच्च बोली लगाई ।

जून-जुलाई 1998 में श्रीलंका इन्डिपेंडेंस कप में दूरदर्शन ने सहायता संघ (स्ट्रैकॉन) के साथ-साथ (पहले छः मैचों के) प्रसारण अधिकार बिना किसी लागत बताए इ.एस.पी.एन. को बेच दिए जबकि सहायता संघ के अनुबन्ध के अनुसार प्रतिस्पर्धी चैनलों के साथ व्यवहार करना निषेध था, परिणामतः एकमात्रता के अधिकार, दर्शकगण तथा तदनुरूपी राजस्व का नुकसान हुआ । दू.द. ने 0.9 मिलियन अमेरिकी डालर (3.83 करोड़ रु.) की यथानुपात अधिकार शुल्क के स्तर तक की राजस्व की हानि उठाई जबकि सहायता संघ को बिक्री तथा इ.एस.पी.एन. को प्रसारण से लाभ हुआ ।

दू.द. ने 9 प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्रों के अक्टूबर-नवम्बर 1998 के दौरान ढाका में आयोजित होने वाले, आई.सी.सी. नॉक आउट टूर्नामेंट के प्रसारण के अधिकारों को प्राप्त करने की फरवरी 1998 में बोली लगाई । दू.द. ने 8 मिलियन अमेरिकी डालर की बोली लगाई । आई.सी.सी. डवलपमेंट इन्टरनेशनल लिमिटेड आई.डी.आई. जिसको प्रसारण के अधिकार थे, ने बोली राशि का 10 प्रतिशत बोली गारंटी नियत की । दू.द. ने स्ट्रैकॉन नाम की प्राईवेट हवाई समय बिक्रिय अभिकर्ता से इस आश्वासन के साथ कि स्ट्रैकॉन को विदेशी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनुमत किया जाएगा गारन्टी की बोली के भुगतान के प्रबन्ध करने के लिए सहायता मांगी । स्ट्रैकॉन ने इसके बदले वर्ल्डटेल (डब्ल्यू.टी.) नाम की अन्तर्राष्ट्रीय विपणन अधिकार रखने वाली कम्पनी के माध्यम से 3.5 मिलियन अमेरिकी डालर के प्रतिफल में घटना के विदेशी अधिकार दे दिए । समझौते की बातचीत की कार्यवाही कार्यवृत्त का विवरण दू.द. के अभिलेखों में नहीं रखा गया । तथापि सम्बन्धित फाइलों में टिप्पणियों से पता चला कि 3-5 मार्च 1998 को कोलकाता में आई.डी.आई. के साथ समझौते की बातचीत हुई थी । स्ट्रैकॉन भी उस वातालाप में उपस्थित थी हालांकि उस समय तक सहायता संघ की व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी ।

पूर्वव्यापी प्रभाव से सहायता संघ को कार्यरूप देने का विचार बाद में सोच समझकर प्राईवेट अभिकर्ता को दू.द. के वाणिज्यिक संसार में प्रविष्टी को नियमित करने के उद्देश्य से किया गया था । समझौते की बातचीत से पता चलता है कि दू.द. के पास 10 मिलियन यू.एस. डालर (जमा 1 मिलियन यू.एस. डालर निर्माण लागत) जिसमें 6 मिलियन अमेरिकी डालर विदेशी अधिकारों तथा 4 मिलियन अमेरिकी डालर भारतीय अधिकारों के लिए सम्मिलित थे, तक बोली को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ।

टिप्पणियों तथा बोली के प्रलेखों की जांच से पता चला कि स्ट्रैकॉन ने 3 मार्च 1998 को स्पष्ट तौर से दू.द. को सूचित कर दिया था कि वह 11 मिलियन अमेरिकी डालर जिसमें 8 मिलियन डालर भारत के अधिकारों के उपयोग के तथा 3 मिलियन अमेरिकी डालर समुद्रपार विदेशी अधिकारों के उपयोग से एकत्र करेंगे । इसी प्रकार दू.द. को

दू.द. ने 2.13 करोड़ रु. के आई.सी.सी. नाक आउट टूर्नामेंट 1998 के अधिकार शुल्क के अग्राही दावे की स्वीकृति कर वापस अदायगी की

बोली के बन्द होने से पहले ही से ज्ञात था कि समुद्र पार विदेशी अधिकारों से 3 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक प्राप्त नहीं होंगे । तब भी अगले दिन ही दू.द. ने 6 मिलियन अमेरिकी डालर विदेशी अधिकारों की बोली के लिए लगाए । इससे यह उपलक्षित होता है कि दू.द. ने आर्थिक समझदारी के साधारण मापदण्डों की उपेक्षा करके अपने आप को एक हानिकारक सौदे में लिप्त कर लिया जैसा कि यह प्रतीत होता है कि स्ट्रैकॉन ने बोली को इस प्रकार आवृत्त किया कि दू.द. को इस सम्पन्न कार्य में 3 मिलियन अमेरिकी डालर (12.75 करोड़ रु. के बराबर) के स्तर तक के कम राजस्व की प्राप्ति हुई । जिस तरीके से सहायता संघ के समझौते पर 24 मार्च 1998 को हस्ताक्षर करके, 1 फरवरी 1998 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया गया वह सन्देहास्पद था ।

दू.द. ने आई.सी.सी. नाक आउट टूर्नामेंट के समुद्रपार विदेशी अधिकारों को मई 1998 में आइ.सी.सी. डवलपमैन्ट (इन्टरनेशनल) लिमिटेड (आइ डी आइ) से 10 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर खरीदा । दू.द. ने कुछ प्रसारण समय विक्रय अभिकर्ताओं जो उस समय दू.द. के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं के विपणन करने के लिए सहायता संघ बनाने की प्रक्रिया में रत थे, के साथ संभावित वाणिज्यिक समझौते करके भुगतान की व्यवस्था की, जैसा की बाद में पाया गया, कि अन्य दूसरी पार्टियां पीछे हट गई तथा केवल स्ट्रैकॉन ही मैदान में रह गई । निधियों का सर्जन तथा विपणन के लिए दू.द. ने स्ट्रैकॉन के साथ दो अनुबन्ध निष्पादित किए, एक समुद्र पार (विदेशी) अधिकारों, के लिए तथा दूसरा घरेलू अधिकारों के लिए । दू.द. ने समुद्रपार विदेशी अधिकार स्ट्रैकॉन को 3 मिलियन यू.एस. डालर, की न्यूनतम गारंटी पर बेच दिया था तदपश्चात् स्ट्रैकॉन ने निधियों को एकत्र करने के लिए समुद्रपार विदेशी अधिकारों को वर्ल्ड टैल को 3.5 मिलियन अमेरिकी डालर में इस अनुदेश के साथ बेच दिया कि राशि का भुगतान सीधे आइ डी. आइ को कर दिया जाए । अनुबन्ध के अनुसार वर्ल्ड टैल ने 3.5 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान आइ डी आइ को कर दिया । नवम्बर 1998 में स्ट्रैकॉन को यह महसूस हुआ कि उसने 0.5 मिलियन अमेरिकी डालर (3मिलियन अमेरिकी डालर की न्यूनतम गारंटी के आधार पर परकलित किए गए जो कि गलत थी) का आइ डी आइ को अधिक भुगतान कर दिया तथा दू.द. से राशि की वापस अदायगी का दावा किया । दावे को (जुलाई 1996) प्राथमिक जांच में ही रद्द कर दिया गया क्योंकि अधिक भुगतान आइ डी आइ को किया गया था न की दू.द. को, इसलिए इस बारे में दू.द. की कोई देयता नहीं बनती थी । लेकिन प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अगस्त 1999 में बिना कोई कारण बताए इस दावे को स्वीकार कर स्ट्रैकॉन को बकाया देयताओं के साथ इस राशि का समायोजन करने के लिए प्राधिकृत कर दिया । इसके परिणाम स्वरूप दू.द. को 2.13 करोड़ रु. की हानि हुई ।

दू.द. द्वारा वर्ल्ड कप क्रिकेट 1999 के अधिकारों के भाव बताने के प्रस्ताव में लापरवाही बरतने के कारण भरपूर ऊँची कीमत पर कम संख्या में मैच मिले ।

दू.द. ने सितम्बर 1996 तथा दुबारा जुलाई और अगस्त 1997 में वर्ल्ड कप क्रिकेट 1999 के सभी 42 मैचों के टैस्ट और काउंटी क्रिकेट बोर्ड (टी सी सी बी) लंदन के मैचों के प्रसारण अधिकारों में अपनी अभिरूचि दिखाई । क्योंकि दू.द. अप्रैल 1997 तक अपने प्रस्ताव उद्धृत करने में विफल रहा तो टी सी सी बी ने अगस्त 1997 में प्रसारण अधिकार इ.एस.पी.एन. को दे दिए । अन्ततः दू.द. ने इ.एस.पी.एन. के साथ 6 मिलियन अमेरिकी डालर में केवल 11 मैचों के सीधे प्रसारण के साथ-साथ प्रसारण के लिए समझौता कर लिया । दू.द. ने सितम्बर 1998 में विपणन तथा वित्तीय भागीदारी के लिए स्ट्रैकॉन के साथ एक अनुबन्ध कर लिया । निम्बस ने उस अनुबन्ध को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा माननीय उच्चन्यायालय ने अपने पर्यवेक्षण में स्ट्रैकॉन तथा निम्बस को खुली बोली के लिए अनुमत कर दिया तथा स्ट्रैकॉन द्वारा प्रस्तावित शर्तों को सबसे अच्छा प्रस्ताव मानकर स्वीकार कर लिया । क्योंकि स्ट्रैकॉन बैंक गारंटी देने में विफल रहा, दू.द. ने विपणन अधिकार निम्बस को प्रदान कर दिए । दू.द. ने निम्बस के साथ 13 मई 1999 को अनुबन्ध कर लिया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दू.द. ने केवल 11 मैचों के प्रसारण अधिकारों को 6 मिलियन अमेरिकी डालर की काफी ऊँची लागत पर प्राप्त किया । दू.द. की लापरवाही के कारण टी सी सी बी को अपने प्रस्ताव को उद्धृत करने में वह सितम्बर 1996 से अप्रैल 1997 तक सात महीनों से ज्यादा समय व्यतीत होने के बावजूद भी विफल रहा । यदि दू.द. ने अप्रैल 1997 में 6 मिलियन डालर अधिकार शुल्क के रूप में उद्धृत किया होता तो, दू.द. को 42 मैचों के एक मात्र टैरीस्ट्रीयल अधिकार प्राप्त हो जाते तथा इससे प्राप्त होने वाला राजस्व लगभग चार गुणा अधिक होता । यह रूचिकर है कि विश्व कप क्रिकेट 1999 के 11 मैचों के साथ प्रसारण के लिए दी गई अधिकार फीस की लागत विश्व कप क्रिकेट 1996 के 37 मैचों में से 32 के लिए दी गई 4.75 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में बहुत अधिक थी ।

2.2.4 अवसर लागत की हानि

दू.द. द्वारा अवसर लागत का तर्कसंगत आधार पर परिकलन का आंकलन नहीं करने के परिणामस्वरूप बहुत ज्यादा हानि हुई ।

जब भी नए कार्यक्रम को वर्तमान कार्यक्रम के स्थान पर दिखाया जाता है, अवसर लागत को नए कार्यक्रम के प्रायोजक से प्रसारण शुल्क के रूप में वसूला जाता है । यद्यपि प्रतिस्थापन द्वारा नए कार्यक्रम का आरम्भ किया जाना कार्यक्रम प्रबन्धन का एक नियमित कार्य है । दू.द. ने अवसर लागत की वसूली का एक तर्कसंगत आधार विकसित नहीं किया । केवल नवम्बर 1997 में ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अवसर लागत के रूप में दो - तिहाई प्रसारण शुल्क की वसूली प्रभारित करने की प्रथा को समाप्त कर पूरी अवसर लागत की वसूली करने का निर्णय लिया । यद्यपि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दू.द. ने अवसर लागत का परिकलन कम दर पर करना इस आधार पर जारी रखा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं का प्रसारण करना दू.द. के लिए अनिवार्य है, तथा इसके परिणामस्वरूप सहायता संघ द्वारा आवृत्त की गई घटनाओं से

कम से कम 10.84 करोड़ रु. की हानि हुई, जिसका ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है ।

क्र.सं	घटना का नाम	मैचों की संख्या		प्रसारण शुल्क के आधार पर परिकलित की गई अवसर लागत	अनुबन्ध के अनुसार वसूल की गई अवसर लागत	हानि
		दिन और रात में खेले गए मैच	दिन में खेले गए मैच			
1.	पैप्सी त्रिकोणीय श्रृंखला (अप्रैल 1998)	-	7	174.00	100.00	74.00
2.	कोका कोला कप (मई 1998)	4	---	46.20	27.00	19.20
3.	फ्रैंच ओपन 1998	6 दिन में 14 मैच- क्वाटर फाईनल के बाद से		50.60	29.00	21.60
4.	विश्व कप फुटबाल 1998	27 दिनों में 64 मैच		258.50 (213 सीधे प्रसारण के लिए और 45 झलकियों के लिए)	62.00	196.00
5.	श्री लंका इन्डिपेंडेंस कप (जून-जुलाई 1998)	4	6	38.35 (दिन/रात) 36.38 (दिन) (74.73)	50.00	24.73
6.	विम्बलडन 1998	6 दिन में 14 मैच-क्वाटर फाईनल के बाद से		49.05	33.00	16.05
7.	हीरो कप (सितम्बर - अक्टूबर 1998)	3 और टेस्टों की झलकियां	---	45.60	शून्य	45.60
8.	आई.सी.सी. नाकआउट अक्टूबर - नवम्बर 1998	8	---	124.00	शून्य	124.00
9.	कोका कोला कप शारजाह 1998	7		183.75	104.55	79.20
10.	होका कोला कप शारजाह 1999	7	--	523.00 (वास्तविक आधार पर)	88.67	434.33
11.	पैप्सी त्रिकोणीय श्रृंखला मार्च - अप्रैल 1999	2	3	49.00 (दिन/रात) 42.10 (दिन) 91.10	51.62	39.48
12.	आस्ट्रेलियन ओपन 1999	क्वाटर फाइनल के बाद		23.01	13.04	9.97
13.	भारत - पाक टैस्ट श्रृंखला	1 घंटे की 10 झलकियां		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पुष्टि नहीं की जा सकी
जोड़				1643.04	558.88	1084.16

तालिका में यह देखा जा सकता है कि तालिका की मद संख्या 10 से सम्बन्धित 523 लाख रु. का परिकलन अवसर लागत के रूप में वास्तविक दर पर आधारित है । यह गणना अप्रैल 1999 में प्रसार भारती के मु.का.अ. के अनुरोध पर की गई थी । मु.का.अ. ने अपने 12 अप्रैल 1999 के आदेश में सुस्पष्ट रूप से यह अभिलिखित किया कि अवसर लागत को समुचित रूप से दू.द. के वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित रखते हुए विद्यमान कार्यक्रमों के प्रसारण के वास्तविक शुल्क को ध्यान में रखते हुए जिनको घटना के प्रसारण के कारण बदलना पड़ा दू.द. के हवाई समय की कार्ड दर के अनुसार जो कोई भी अधिक हो उस पर परिकलित की जानी चाहिए । मु.का.अ. ने यह भी उल्लेख किया कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिस्थापन कार्यक्रमों के प्रायोजकों से निम्नतर अवसर लागत के निर्धारित कर वसूली करने पर आपत्ति की है । जैसा कि अन्तर की

मात्रा से इंगित होता है, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि दो-तिहाई प्रसारण शुल्क को लेते हुए दू.द. द्वारा परिकलित की गई अवसर लागत 88.67 लाख रू. थी, जबकि वास्तविक आधार पर की गई अवसर लागत की गणना जैसा कि उल्लेखित किया गया है 523 लाख रू. बनती है। तालिका की मद संख्या 6 से भी यह देखा जा सकता है कि विम्बलडन 1998 की पूर्ण अवसर लागत 49.05 लाख रू. परिकलित की गई थी। यद्यपि विम्बलडन 1997 के लिए अवसर लागत 2.06 करोड़ रू. परिकलित की गई थी जबकि सहायता संघ की कोई व्यवस्था नहीं थी।

2.2.5 वाणिज्यिक समय का प्रबन्धन

वाणिज्यिक समय के प्रबन्धन में (स्पॉट बाई दर या एस.बी.आर.) प्रति 10 सेकेण्ड के वाणिज्यिक समय की विक्रय कीमत का आकलन वाणिज्यिक समय की वास्तविक बिक्री तथा अनुबन्ध के अनुसार प्रसारण प्रमाणपत्र के आधार पर राजस्व की वसूली शामिल है। इस प्रकार वाणिज्यिक समय के प्रबन्धन में आवश्यक रूप से तर्क संगत आधार पर निश्चित एस.बी.आर. की उपलब्धता, विपणन एंजेन्सी के साथ बिक्री की शर्तों को दर्शाते हुए एक करार तथा प्रसारण अभिलेखों का उचित अनुरक्षण शामिल है।

दू.द. ने एस.बी.आर. को नियत करने की अपनी जिम्मेवारी को परित्याग कर सहायता संघ क्रेता को दर नियत करने के लिए अनुमत किया।

एस.बी.आर. का नियमन दू.द. के दर कार्ड के अनुसार होता है जिससे विभिन्न कारणों जैसे भाग लेने वाली टीमों, समय (दिन, दिन-रात, कार्यदिवस, सप्ताह के अन्त के दिन इत्यादि) तथा प्रसारण अधिकारों की एक मात्रता तथा गैर एक मात्रता को ध्यान में रखकर घटनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। दू.द. के दर कार्ड के अनुसार सभी अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं का सीधा प्रसारण तथा उनकी झलकियों को 70000 रू.सकल के एस.बी.आर. के साथ सामान्यतः 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है कुछ विशेष घटनाओं और उनकी झलकियों, जिनकी सूचना पहले से दी जानी होती है, को 80000 रू.(सकल) के साथ 'सुपर ए' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। दू.द. ने सहायता संघ व्यवस्था के अन्तर्गत अनुबन्ध आवृत्त की गई सभी खेल घटनाओं के सीधे प्रसारण के विपणन अधिकार वर्गीकृत किये बिना तथा एस.बी.आर. नियत किए बिना प्रदान कर दिए।

अभिकरण ने दू.द. से परामर्श किए बिना मनमाने ढंग से एस.बी.आर. को नियत किया और न ही दू.द. ने अभिकरण के इस कार्य पर कोई आपत्ति की। मापदण्डों का उल्लेख करने में आधा डालने वाले लचीले दर प्रदान कर करार ने अभिकरण द्वारा वाणिज्यिक अवसर के अविवेकी शोषण को सुगम बना दिया। 'ए' स्पेशल श्रेणी वाली घटना के लिए नियत एस.बी.आर. 'ए' तथा 'बी' श्रेणी की तुलना से भी कम पाया गया। इसके परिणामस्वरूप 46.05 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

2001 की रिपोर्ट सं.2 (सिविल)

(समय सेकिन्डों में) लाख रु. में

क्र.सं.	घटना का नाम	वाणिज्यिक समय		निवल राजस्व		अधिक/घाटा		दू.द. का अंश यदि कोई है	
		उपभोग किया	लेखाकरण किया	सहायता संघ विवरणी के अनुसार	दर कार्ड एवं वास्तविक वा.स. के अनुसार	सहायता संघ विवरणी के अनुसार	दर कार्य एवं वास्तविक वा.स. के अनुसार	सहायता संघ विवरणी के अनुसार	दर कार्ड एवं वास्तविक वा.स. के अनुसार
1.	पैप्सी त्रिकोणिय सीरीज अप्रैल 1998	42705	33910	815.51	2540.95	65.51	1790.95	45.86	1253.66
2.	कोका कोला कप मई 1998	16380	12155	158.46	974.61	6.54 (-)	809.61	शून्य	566.73
3.	फ्रेंच ओपन 1998	6710	5315	67.17	399.24	59.93 (-)	272.14	शून्य	190.50
4.	विश्व कप फुटबाल 1998	40225	36805	391.06	2393.39	236.23	2117.34	165.36	1482.14
5.	श्री लंका स्वाधीनता कप 1998	34405	26055	897.87	2047.10	618.37 (-)	530.85	शून्य	371.59
6.	विम्बल्डन 1998	8840	6710	113.82	525.98	54.88 (-)	357.28	शून्य	250.09
7.	हीरो कप 1998	16275	13585	478.72	968.36	136.59	626.23	शून्य	436.36
8.	आई सी सी नोक आउट 1998	52446	42120	2007.49	3120.54	1127.30(-)	14.25(-)	शून्य	शून्य
9.	कोका कोला कप 1998 (शारजाह)	41201	33865	1290.50	2451.46	815.80 (-)	345.16	शून्य	241.61
10.	कोकाकोला कप 1999 (शारजाह)	46820	37430	2775.65	2785.79	160.09	206.62	80.04	103.31
जोड़		306007	247950	8996.26	18207.42	2084.40(-)	7041.93	291.26	4895.99
11.	पैप्सी त्रिकोणीय सीरीज मार्च-अप्रैल 1999	21745	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1293.83	उपलब्ध नहीं	1293.83	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12.	आस्ट्रेलियन ओपन 1999	एजेंसी ने राजस्व सूत्रन विवरणी प्रस्तुत नहीं की।							
13.	इन्डोपाक टैस्ट-सीरीज (केवल झलकियाँ)								

* वाणिज्यिक समय

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि दू.द. को 'क' विशेष श्रेणी की घटनाओं के लिए दर कार्ड अनुबन्ध के आधार पर गणित 4895.99 लाख रुपये के न्यायपूर्ण अंश के विरुद्ध 291.26 लाख रुपये की आय हुई। यह भी देखा जा सकता है कि दस घटनाओं में से सात में दू.द. का राजस्व का अंश शून्य था और तीन घटनाओं के लिए (11, 12 तथा 13) न तो रिकार्ड में कोई विवरण थे और न ही राजस्व उत्पादन सम्बन्धित विवरणियां उपलब्ध थी।

दस घटनाओं में वाणिज्यिक समय के केवल 2,47,950 सेकेंड्स के लिए सहायता संघ का लेखा करण हुआ, जबकि वास्तविक उपभोग 306,007 सेकेंड बनते थे। 58,057 सेकेंड के लेखाकरण न होने से 40.64 करोड़ रुपये राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के क्षेत्र से बाहर हो गये।

दू.द. ने घटना के लिए अधिकार अधिप्राप्त किये परन्तु किसी समझौते अथवा राजस्व के हिस्सेदारी के प्रबन्ध के अभाव में राजस्व स्ट्रॉकॉन द्वारा रखा गया।

पेप्सी त्रिकोणिय सीरीज (मद 11) के सम्बन्ध में प्रसारण अधिकार, बिना किसी अनुबन्ध के, सहायता संघ को प्रदान किए गये थे, और सहायता संघ ने समय के उपभोग तथा अर्जित राजस्व की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने उपभोग किये गये समय की गणना की और पाया कि सहायता संघ ने 21745 सेकेंड का उपभोग किया था जिसका मूल्यांकन 'क' विशेष श्रेणी दर पर करने से 12.94 करोड़ रुपये थे। अवलोकन के बाद, इस मामले में रुचिकर बात यह देखी गई कि, विचलन का कारण बताये/अंकित किये बिना, सहायता संघ व्यवस्था के विचलन में दू.द. द्वारा, एक मिलियन अमेरिकन डालर की लागत पर अधिकार प्राप्त किये गये थे, यद्यपि लाभभोगी सहायता संघ (स्ट्रॉकॉन) बना रहा और दू.द. ने अपने राजस्व हिस्से, जो कि, 70:30 के अनुपात में 51.62 लाख रुपये को समायोजित करने के पश्चात परन्तु अधिकार शुल्क की वसूली को लेखे में लिये बिना कम से कम 8.69 करोड़ रु. बनता था, का कभी दावा नहीं किया। जून 2000 तक केवल ब्याज ही 156.42 लाख रु. बनता है। दू.द. ने, जब सहायता संघ व्यवस्था से बाहर अधिकार अधिप्राप्त किये थे जब उन्हें खुली बोली के लिए विपणन हेतु प्रयत्न करना चाहिये था। सहायता संघ को विपणन अधिकार उपलब्ध कराने के एक मात्र उद्देश्य से अधिकार अधिप्राप्ति के लिये सहायता संघ व्यवस्था से विचलन द्वारा दू.द. ने अपने राजस्व उत्पादन क्षमता को जोखित में डाल दिया और आखिरकार हानि उठाई। यह तथ्य कि एजेंसी ने दू.द. से सुस्पष्ट अधिकरण प्राप्त किये बिना, अपनी इच्छा से वाणिज्यिक समय का उपयोग किया तथा दू.द. ने निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया, इस बात को इंगित करते हैं कि निजी वायु समय विक्रय अभिकर्ता को सरकारी खर्च पर लाभ पहुंचाया गया था।

विभिन्न घटनाओं की झलकियां को, बिना कोई वाणिज्यिक शर्त निर्धारित किये प्रसारित किया गया था

मैचों के सीधे प्रसारण के अतिरिक्त, कुछ घटनाओं की झलकियों के प्रसारण का प्रावधान था। यद्यपि ऐसी झलकियों के लिए अवसर लागत की संरचना नहीं की गई थी और न ही एजेंसी को कोई पृथक बिल प्रस्तुत किये गये थे। एजेंसी (स्ट्रॉकॉन) द्वारा

प्रस्तुत किए गये लेखाओं में, वाणिज्यिक समय जो झलकियों के दौरान प्रयोग किया गया था, की गणना नहीं की गई थी। दू.द. स्टडियो में तैयार की गई कार्य पंजीयों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि झलकियों का प्रसारण कुछ घटनाओं में किया गया था परन्तु प्रसारित वाणिज्यिक समय का कार्य पंजीकरण नहीं किया गया था। कुछ मामलों में जहां प्रसारित वाणिज्यिक समय के विवरण उपलब्ध थे, मुख्य झलकियों को 'क' विशेष श्रेणी में रखते हुए 210.35 लाख रुपये की लागत की दो घटनाओं में तीन एक घंटे तथा एक आधे घंटे की मुख्य झलकियों के 3005 सैकेंड के प्रसारण किए गये थे। न तो एजेंसी ने वाणिज्यिक समय का अपनी राजस्व उत्पादन विवरणी में लेखाकरण किया था और न ही दू.द. ने 1.47 करोड़ रुपये (सकल), जो कि इसके अंश का 70 प्रतिशत था, के बिल प्रस्तुत किए थे।

विश्व कप क्रिकेट 1999 के विपणन के संदर्भ में जिसे बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा सहायता संघ व्यवस्थाओं से बाहर रखा गया था को लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ था (पैरा 2.2.3 देखें) निम्बस ने यह वचन दिया था कि वह कम से कम 77 करोड़ रुपये (सकल) के राजस्व का उत्पादन करेगा जिसमें से वह दू.द. को न्यूनतम लाभ के रूप में 14.25 करोड़ रुपये और 12.31 करोड़ रुपये दुलाई शुल्क के रूप में अदा करेगा। 66.50 करोड़ रुपये से आधिक्य राजस्व को दू.द. एवं निम्बस में 70: 30 के अनुपात में बांटा जायेगा। निम्बस ने यद्यपि इस तर्क के साथ कि उत्पादित राजस्व 66.50 करोड़ रुपये से कम होने के कारण बांटने योग्य नहीं था। इस पर दू.द. ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया। निम्बस के तर्क की लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई और पाया गया कि निम्बस ने अपने राजस्व उत्पादन के 77 करोड़ रुपये के न्यूनतम राजस्व के लक्ष्य के विरुद्ध 71.17 करोड़ रुपये के सकल राजस्व उत्पादन के आंकड़े दिखाये थे। निम्बस ने जान बूझ कर उपयोग किये समय के दबे आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया जो दू.द. की जांच में नहीं आये। लेखापरीक्षा ने कार्य पंजी से गणना की और देखा कि निम्बस ने वास्तव में 101416 सैकेंड समय का उपयोग किया था जब कि उसने केवल 71855 सैकेंड का लेखाकरण किया था। इस प्रकार उसने राजस्व उत्पादन के आंकड़ों को 29.28 करोड़ रु. कम दिखाया जिसकी गणना 99040 रु. प्रति 10 सैकेंड के एस बी आर के औसत के आधार पर की गई थी। यदि सही गणना दिखाई गई होती तो निम्बस द्वारा उत्पादित सकल राजस्व 100.45 करोड़ रु. बना होता। न्यायालय को दिये गये वचन के अनुसार, 66.50 करोड़ रु. के ऊपर के निवल राजस्व का हिस्सा बांटने योग्य था, इसलिए 33.95 करोड़ रु. का आधिक्य राजस्व दू.द. एवं निम्बस के बीच 70: 30 की अनुपात में बटवारे के लिए उपलब्ध होना चाहिये था। इस आधार पर दू.द. का हिस्सा 23.77 करोड़ रु. बनता था। अपने इस हिस्से का दावा करने के स्थान पर दू.द. ने निम्बस को अपनी वचनबद्धता का उल्लंघन करने की अनुमति दी और अपने को हानि पहुंचाई।

2.2.6 बकाया राशि की वसूली न करना

दू.द. की बकाया राशियों के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित न होने के कारण, समझौते के ज्ञापन में दू.द. की नियम पुस्तक के अनुसार नियत अवधि के अन्दर अर्थात् जिसमाह में घटना का प्रसारण हुआ था उस माह से अगले महीने से 60 दिन की उधार अवधि के पश्चात भी स्ट्रैकॉन ने दू.द. को भुगतान नहीं किये थे। अप्रैल, 1998 से अप्रैल 1999 की अवधि के दौरान प्रसारित की गई 13 घटनाओं में से 11 के लिए 964.62 लाख रुपये स्ट्रैकॉन के द्वारा देय थे। स्ट्रैकॉन ने मार्च 1999 में 9 घटनाओं और जून 1999 में 1 घटना शारजाह 1999 की राजस्व उत्पादन विवरणी प्रस्तुत की। बकाया 3 घटनाओं के लिए कोई राजस्व उत्पादन विवरणी जून 2000 तक प्रस्तुत नहीं की थी। एजेंसी ने मई 98, सितम्बर 98, दिसम्बर 98, फरवरी 99, अगस्त 99 तथा फरवरी 2000 के दौरान 623.55 लाख रू. का भुगतान किया था। 331.00 लाख रू. की राशि शारजाह 99 को छूट तथा आई सी सी नोक आऊट को वापसी की राशि के विरुद्ध समायोजित की गई थी। 10.07 लाख रू. की शेष राशि अभी भी एजेंसी के विरुद्ध बकाया थी। बकाया भुगतान की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जून 2000 तक का ब्याज 54.13 लाख रू. बनता है।

कोकाकोला कप शारजाह 1999 के सम्बन्ध में दू.द. द्वारा भुगतान किये गये अधिकार शुल्क का भी स्ट्राकान ने भुगतान नहीं किया था।

अधिकार शुल्क की कोकाकोला कप, शारजाह 1999 के लिए 7.25 करोड़ रू. की राशि का भुगतान सरकारी धन का विपथन करके, कनारा बैंक के लेखे में से की गई थी। स्ट्राकान ने राशि को घटना से उत्पादित राजस्व में से काट लिया था परन्तु दू.द. को प्रेषित नहीं किया। इस राशि पर जून 2000 तक 18 प्रतिशत की दर से 1.49 करोड़ ब्याज बनता है।

स्ट्राकान ने 3.22 करोड़ रू. रोके गये करों के रूप में कोकाकोला कप शारजाह 1999 से उत्पादित राजस्व से समाजित किये थे परन्तु उसे आय कर प्राधिकारी को भुगतान करना बाकी था। इस पर ब्याज 18 प्रतिशत की दर से जून 2000 तक 0.58 करोड़ बनता है।

2.2.7 बीमा सुरक्षा के अभाव में हानि

सहायता संघ के अनुबन्ध की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक सदस्य, अधिकार शुल्क, बीमा लागत के साथ, उत्पादन लागत, उपग्रह भरने की लागत, तथा कोई अन्य कर जिसे घटना के लिए वे अधिप्राप्त करते हैं, के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। यद्यपि अभिलेखों से देखा गया था कि, खराब मौसम या दूसरे कारणों से मैचों के रद्द होने की सूत्र में दू.द. के हितों की सुरक्षा के लिये समझौते के ज्ञापन में किसी बीमों का प्रावधान नहीं किया गया। दू.द. के लिए यह एक गंभीर विफलता थी।

श्रीलंका स्वतंत्रता कप में तीन मैच रद्द हुए थे परन्तु 3 मिलियन यू.एस.डालर के पूरे अधिकार शुल्क का भुगतान करना पड़ा था क्योंकि उनका बीमा नहीं हुआ था। वर्ल्डटेल ने स्ट्राकॉन के साथ अपने अनुबन्ध में यह प्रावधान किया था कि मैचों के रद्द होने के विरुद्ध उचित बीमा व्यवस्था करने के लिए स्ट्राकॉन उत्तरदायी होगा। दू.द. ने स्ट्राकॉन के साथ अपने अनुबन्ध में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया जिसके कारण 3.83 करोड़ रु. (0.9 मिलियन अमेरिकन डालर) की हानि हुई क्योंकि समस्त भुगतान दू.द. के राजस्व से किया गया।

2.2.8 बैंक खाते का अप्राधिकृत परिचालन

यद्यपि प्राधिकृत नहीं था फिर भी प्रसार भारती ने आई.सी.सी. नॉक आऊट टूर्नामेंट के लिए मई 1998 में केनरा बैंक में चालू खाता खोला। अधिकार शुल्क के प्रति भुगतान करने के लिए प्रसारण समय की बिक्री से प्राप्त समस्त राजस्व इस खाते में क्रेडिट किया जाना था। तथापि इस खाते में कोई राशि क्रेडिट नहीं की गई।

जून 1998 से जनवरी 1999 के दौरान दू.द. ने अप्राधिकृत रूप से अपनी राजस्व प्राप्तियों में से 8.5 करोड़ रु. इस लेखे को विपथित किए। इस संग्रह में से 5.12 करोड़ रु. रोके हुए कर के प्रति भुगतान किए गए और 0.07 करोड़ रु. दू.द. के अधिकारियों के यात्रा खर्चों पर व्यय किए गए। मार्च 1999 में राजस्व में 8.5 करोड़ रु. क्रेडिट करके व्यय की गई राशि की आपूर्ति करके खाता बराबर कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि 5.19 करोड़ रु. का राजस्व व्यय संस्वीकृति के माध्यम से आपूर्त किया गया। 5.12 करोड़ रु. के राजस्व का प्रभावी रूप से उपयोग निजी अभिकर्ता जो कि रूके हुए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, को अप्राधिकृत वित्तीय सहायता प्रदान करके किया गया। इस अप्राधिकृत वित्तीय सौदे को सुगम बनाने के लिए अप्राधिकृत बैंक खाता परिचालित किया गया था। एक बार सौदा तय होने पर, 8.5 करोड़ रु. राजस्व में वापस क्रेडिट करा दिए गए परन्तु खाता खुला रखा।

सहायता संघ (स्ट्राकॉन) ने फरवरी से अप्रैल 1999 के दौरान 1999 के विश्व कप क्रिकेट 1999 के विज्ञापनदाताओं से प्राप्त 26.75 करोड़ रु. इस लेखे में जमा कराए। इसमें से, विश्व कप क्रिकेट 1999 का 50 प्रतिशत अधिकार शुल्क और उस पर कर के प्रति 12.75 करोड़ रु. (2.55 मिलियन अमरीकी डालर) रु. का भुगतान इंग्लैंड तथा वेल्ज क्रिकेट बोर्ड (ई.सी.बी.) को मार्च, 1999 में किया गया। कोका कोला कप शारजाह 1999 के अधिकार शुल्क का भुगतान करने के लिए इस लेखे के माध्यम से 2.5 मिलियन अमरीकी डालर का एक साख पत्र (सा.प.) अप्रैल 1999 में वर्ल्ड टेल के पक्ष में खोला गया। 10.70 करोड़ रु. (2.5 मिलियन अमरीकी डालर) के अधिकार शुल्क के शेष 50 प्रतिशत का भुगतान भी अप्रैल 1999 में इसी खाते से किया गया जबकि अधिकार शुल्क और उस पर कर का भुगतान करने का एकमात्र उत्तरदायित्व

यद्यपि यह उत्तरदायित्व सहायता संघ (स्ट्राकॉन) का था, कोकाकोला कप शारजाह 1999 के अधिकार शुल्क का भुगतान सरकारी निधियों का विपथन करके इसे लेखे से किया गया था

सहायता संघ (स्ट्रैकॉन) का था। सा.प. के प्रति भुगतान करने पर लेखे में शेष घट कर 7.55 करोड़ रु. हो गया। इस प्रकार विश्व कप क्रिकेट 1999 के शेष 50 प्रतिशत अधिकार शुल्क का प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए सरकारी लेखे से 13 करोड़ रु. निकाले गए। वास्तव में इन निधियों से घाटे को पूरा किया गया। क्योंकि ई.सी.बी. 13 करोड़ रु. (3मिलियन अमरीकी डालर) के शेष अधिकार शुल्क के भुगतान के लिए दबाव डाल रहा था 8 करोड़ रु. की अन्य राशि सरकारी लेखे से निकाली गई और कर सहित 16.70 करोड़ रु. का भुगतान ई.सी.बी. को मई-जून 1999 में किया गया। इसी बीच, माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्व कप क्रिकेट 1999 के विपणन अधिकार निम्बस को दे दिए गए। परिणामस्वरूप निम्बस को अधिकार शुल्क और उस पर कर के रूप में दू.द. को 30 करोड़ रु. का भुगतान करना पड़ा। परिवर्तित वातावरण में केवल दो विज्ञापन अभिकरण ही अपने विज्ञापनों के प्रसारण के लिए निम्बस के साथ बने रहने में सहमत थी। इस प्रकार विश्व कप के लिए स्ट्रैकॉन द्वारा विज्ञापनदाताओं से मूल रूप से संग्रहीत 26.75 करोड़ रु. घटकर 12.48 करोड़ रु. रह गए। 30 करोड़ रु. के संविदा समझौते का निर्वाह करते हुए निम्बस ने शेष 17.52 करोड़ रु. मई-जून 1999 के दौरान तीन किस्तों में जमा करा दिए। कैनरा बैंक के खाते में स्ट्रैकॉन के क्रेडिट में पड़े शेष 14.28 करोड़ रु. का उपयोग कोका कोला कप शारजाह 1999 के 21.53 करोड़ रु. के अधिकार शुल्क का भुगतान करके किया गया। 7.25 करोड़ रु. की कमी को सरकारी लेखे से निकाली गई राशि, जो कि अभी भी स्ट्रैकॉन के प्रति बकाया है, से पूरा किया गया। दू.द. ने अगस्त 1999 तक 14.25 करोड़ रु. सरकारी लेखे में भुगतान किए। जनवरी 2001 तक सरकारी लेखे में 6.75 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति अभी होनी है।

जिस प्रकार लेखे का उपयोग किया गया उस से यह देखा जाएगा कि लेखे का एकमात्र उद्देश्य अप्राधिकृत लेन-देनों को सुगम बनाना था। समयबद्ध अवधि के दौरान प्रसार भारती सरकार की बजटीय प्रणाली के अन्तर्गत थी तथा सरकार द्वारा इसे साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था।

2.2.9 रोके हुए करों के अनियमित भुगतान के कारण हानि

दू.द. ने अधिकार शुल्क तथा उत्पादन लागत पर रोके हुए करों के रूप में 5.12 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जबकि सहायता संघ के साथ इसके समझौते के अनुसार आई.सी.सी.नाॅक आऊट टूर्नामेंट 1998 के अधिकार के अधिग्रहण तथा उत्पादन की लागत के प्रसंग में संघ करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह एक निजी पक्ष को सरकार के व्यय पर सीधा आर्थिक लाभ देने के बराबर था।

2.2.10 प्रोत्साहन खर्चों के अनियमित भुगतान के कारण हानि

आई.सी.सी.नॉक आऊट टूर्नामेंट 1998 के पत्र प्रचार के खर्चों के स्ट्रैकॉन के 44.26 लाख रु. के बिलों के विरुद्ध दू.द. ने 23.26 लाख रु. (उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार) का भुगतान किया, जो कि गलत था क्योंकि प्रचारकार्य विपणन अभिकरण का उत्तरदायित्व था तथा किसी भी अवस्था में वह व्यय घटना के राजस्व से वसूल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप दू.द. को 23.26 लाख रु. की हानि हुई।

2.2.11 अनियमित क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण हानि

स्ट्रैकॉन ने अप्रैल 1999 में आयोजित कोका कोला कप शारजाह 1999 के सीधा प्रसारण के एकमात्र अधिकार उत्पादन लागत तथा संयोजन लागत-सहित 5.11 मिलियन अमरीकी डालर (करों को निवल) मूल्य पर दू.द. पर प्रसारण के लिए वर्ल्ड टेल से प्राप्त किए। जनवरी 1999 के समझौते के अनुसार, स्ट्रैकॉन को घटना के विपणन के एकमात्र अधिकार दे दिए गए।

दू.द. ने 7.91 लाख रु. की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति के विरुद्ध 1.18 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति अनुमत की।

16 अप्रैल 1999 को खेला गया अन्तिम मैच दू.द. I के राष्ट्रीय चैनल पर संसद में चल रही बहस के सीधा प्रसारण के कारण केवल दू.द. II के मैट्रो चैनल पर प्रसारित किया गया तथा समाचार प्रसारण के समय मैच केवल दू.द. के स्पोर्ट्स चैनल पर प्रसारित किया गया। स्ट्रैकॉन ने, इस आधार पर कि दू.द. राष्ट्रीय चैनल पर मैच दिखाने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा जिस कारण राजस्व की हानि हुई, घटना की एक दिन की 3.25 करोड़ रु. की लागत का दावा प्रस्तुत किया। दू.द. ने अगस्त 1999 में दू.द. द्वारा अवसर लागत के आधार पर परिकलित 7.91 लाख रु. की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति के प्रति 1.18 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति को अनुमत किया। उच्चतर क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण दू.द. को 1.10 करोड़ रु. की हानि हुई।

2.2.12 5.87 करोड़ रु. के अनियमित प्रतिदाय की अभिस्वीकृति

दू.द. ने उत्पादन लागत के रूप में 5.87 करोड़ रु. का प्रतिदाय अभिस्वीकृत किया।

विश्व कप क्रिकेट 1999 की घटना के अधिकारों के अधिग्रहण, राजस्व की हानि के सम्बन्ध में टीका टिप्पणियां पहले ही पैरा 2.2.3 में की जा चुकी हैं। 5.87 करोड़ रु. के एक अनियमित प्रतिदाय की अभिस्वीकृति का मामला भी लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है। निम्बस को प्रसारण अधिकार देने से पहले, स्ट्रैकॉन ने इस कल्पना पर कि वह अधिकार का उपयोग करेगा, दू.द. द्वारा अधिकृत किए बिना ही स्वयं कुछ कार्यक्रम सौफ्टवेयर तथा प्रोत्साहन सामग्री तैयार की। न्यायालय द्वारा निम्बस को विपणन अधिकार दिए जाने तथा स्ट्रैकॉन को कार्यक्षेत्र से हटा दिए जाने के पश्चात स्ट्रैकॉन ने इन मदों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए जून 1999 में एक दावा दायर किया। यह अस्वीकार्य था परन्तु अगस्त 1999 में दू.द. ने इन मदों को अधिकृत कार्यक्रम समझकर दावों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। यद्यपि राशि का अभी तक भुगतान किया जाना है,

देयता स्वीकार कर ली गई है। लेखापरीक्षा द्वारा की गई जाँच से पता चला कि विश्व कप क्रिकेट 1999 के मैचों के सीधे तथा मुख्य झलकियों के प्रसारण की उत्पादन लागत के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि प्रसारण के अधिकार निम्ब्स को दे दिए गए थे। जहां तक "विश्व कप 1999 के रनअप" की उत्पादन लागत के भुगतान का प्रश्न है, कार्यक्रम कभी भी प्रसारित नहीं किया गया अतः दावे का कोई आधार नहीं था। जहां तक विश्व कप क्रिकेट 1999 के लिए प्रोत्साहन की उत्पादन लागत के भुगतान की बात है ये प्रवर्तित श्रेणी के अन्तर्गत प्रसारित किए गए थे जहां दू.द. का उत्पादन लागत के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इस प्रकार दावों को स्वीकार करके दू.द. ने 5.87 करोड़ रु. के अनियमित प्रतिदाय को अनुमत किया था।

2.2.13 संविदा के बिना विपणन

दू.द. ने स्ट्रैकॉन को भारत-पाक टैस्ट मैच- 1999 की झलकियों का बिना किसी करार के विपणन करने की अनुमति दी।

सहायता संघ की व्यवस्था के व्यतिक्रम में दू.द. ने जनवरी-फरवरी 1999 के दौरान आयोजित भारत-पाक टैस्ट मैचों की एक घण्टे की अवधि की प्रतिदिन 10 झलकियों के अधिकार 95,000 अमरीकी डालर के मूल्य पर ई एस.पी.एन. से प्राप्त किए। दू.द. द्वारा केवल 8 झलकियां ही प्रसारित की गईं तथा यथानुपाती लागत 76000 अमरीकी डालर बनी। किसी संविदा या समझौते के बिना तथा प्रयुक्त समय के लिए एस.बी.आर. के बिना स्ट्रैकॉन को घटना का विपणन करने की आज्ञा दी। स्ट्रैकॉन से अनुमत प्रतिदायों के प्रति समायोजन द्वारा 12 लाख रु. वसूल किए गए। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर पता चला कि दू.द. न तो प्रसारण प्रमाण-पत्र और न ही कार्यपंजी में अंकित प्रविष्टियों को प्रस्तुत करने की स्थिति में था। इससे पता चला कि वाणिज्यिक समय का कोई अभिलेख नहीं रखा गया। इस प्रकार जब कि दू.द. ने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 76,000 अमरीकी डालर (कर को शामिल न करके) 33.44 लाख रु. के बराबर का और 4.85 लाख रु. कर के प्रति भुगतान किया इसने अभिकरण से केवल 12 लाख रु. के राजस्व की उगाही की जिस कारण कर की देयता सहित 26.29 लाख रु. की हानि हुई।

2.2.14 निष्कर्ष

पूर्ववर्ती पैराग्राफों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से यह देखने में आएगा कि सहायता संघ के अधिकारों को प्राप्त करने तथा घटना का विपणन करने की दोनों ही व्यवस्थाएं विफल रही। जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है संकल्पनात्मक ढांचा अपने आप में दोषपूर्ण था, घटना विशेष हेतु समझौते विसामान्य थे, अधिग्रहण की प्रक्रियाएं छलयोजित थी, विशाल अवसर लागत पूर्वनिश्चित थी, प्राप्यराशियाँ अनिर्णीत थी तथा अनियमित भुगतान स्वीकृत किए गए थे। दू.द. ने स्वयं को धोखे में पड़ने दिया तथा सरकार के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने में विफल

रहा। अनुवर्ती पैराग्राफों में बताए गए कारणों से दू.द. द्वारा वहन की गई वित्तीय हानियों के विस्तार का सारांश निम्न प्रकार है:

राशि करोड़ रु. में

1.	वाणिज्यिक समय का कुप्रबंध (पैरा 2.2.5)	46.05
2.	वाणिज्यिक समय का कुप्रबंध (दू.द. का अदावी हिस्सा विश्व कप क्रिकेट 1999) (पैरा 2.2.5)	23.77
3.	चालाकी से अधिकारों के अधिग्रहण (6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत परविदेशी अधिकार प्राप्त किए किन्तु 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर बेचे गए-आई सी.सी. नॉकआउट टूर्नामेंट 1998) (पैरा 2.2.3)	12.75
4.	अवसर लागत की हानि (पैरा 2.2.4)	10.84
5.	वाणिज्यिक समय का कुप्रबंध (पेप्सी त्रिपक्षीय श्रृंखला 1999 के लिए अनुबंध के बिना प्रसारण अधिकार प्रदान करना) (पैरा 2.2.5)	8.69
	ब्याज की हानि	
6.	दू.द. को 7.25 करोड़ रु. का भुगतान न करना (कोका कोला कप शारजाह-1999 का अधिकार शुल्क) (पैरा 2.2.6)	7.25
	ब्याज की हानि	1.49
7.	5.87 करोड़ रु. की अनियमित वापसी को स्वीकार करना (विश्व कप क्रिकेट 1999 के संबंध में प्रोत्साहनात्मक सामग्री की लागत) (पैरा 2.2.12)	5.87
8.	रोके हुए करों के अनियमित भुगतान के कारण हानि (आई.सी.सी.नॉकआउट टूर्नामेंट 1998) (पैरा 2.2.9)	5.12
9.	अधिकार अधिग्रहण में चालाकी (ई.एस.पी.एन. से श्री लंका इंडिपेंडेस कप 1998 के लिए अधिकार शुल्क की वसूली न होना) (पैरा 2.2.3)	3.83
10.	बीमा आवरण के अभाव के कारण हानि (श्री लंका इंडिपेंडेस कप 1998) (पैरा 2.2. 7)	3.83
11.	आय कर के प्रति 3.22 करोड़ रु. का भुगतान न करना (कोका कोला कप शारजाह 1999) (पैरा 2.2.6)	3.22
	ब्याज की हानि	0.58

12.	अधिकार अधिग्रहण में चालाकी (आई.सी.सी. नॉकआउट टूर्नामेंट 1998 में अनियमित वापसी) (पैरा 2.2.3)	2.13
13.	वाणिज्यिक समय का कुप्रबंध (झलकियों के दौरान उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय का लेखांकन न करने के कारण हानि) (पैरा 2.2.5)	1.47
14.	अनियमित क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण हानि (कोका कोला कप शारजाह 1999) (पैरा 2.2.11)	1.10
15.	ब्याज की हानि (पैरा 2.2.6)	0.54
16.	अधिकार अधिग्रहण में चालाकी (दू.द. द्वारा कोका कोला कप-1998 के अतिरिक्त मैच के लिए अधिकार-शुल्क का भुगतान (पैरा 2.2. 3)	0.30
17.	अनुबंध के बिना विपणन (भारत-पाकिस्तान टेस्ट श्रृंखला 1999 की झलकियां) (पैरा 2.2.3)	0.26
18.	प्रोत्साहनात्मक खर्चों के अनियमित भुगतान के कारण हानि (आई.सी.सी. नॉकआउट टूर्नामेंट 1998) (पैरा 2.2.10)	0.23
जोड़		140.88

2.3 प्रायोजकों को अनुचित लाभ के कारण 25.44 करोड़ रु. की हानि

2.3.1 समाचारों पर आधारित कार्यक्रम के प्रायोजक को अनुचित लाभ

दू.द. ने दूरदर्शी क्षेत्रों से प्राप्त समाचारों के आधार पर ऑखों देखी शीर्षक का पाँच मिनट का कार्यक्रम सितम्बर 1996 में मै. नलिनी सिंह एसोसिएट्स को सौंपा। यह अक्टूबर 1996 से दूरदर्शन के मैट्रो चैनल पर सुपर-ए श्रेणी के अंतर्गत एक सप्ताह में छः दिन, शनिवार से वृहस्पतिवार तक रात 8.55 से 9.00 बजे तक प्रसारित किया जाना निर्धारित था।

अक्टूबर 1996 में, महानिदेशक (म.नि.), दू.द. ने प्रति कड़ी 50 सैकेंड के निःशुल्क वाणिज्यिक समय नि.वा. स. सहित 7500/- रु. की दर पर अपना प्रसारण शुल्क अस्थायी आधार पर इन आधारों पर नियत किया कि दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा (दू.वा.से.) सभी चैनलों की दरें संशोधित करने की प्रक्रिया में लगी हुई थी तथा अभिकरण को सूचित किया गया कि नियमित प्रभार तीन महीने के पश्चात सूचित कर दिए जाएंगे। कार्यक्रम 18 नवम्बर 1996 से आरंभ कर दिया गया।

दूरदर्शन ने 15 नवम्बर 1996 से अपनी संशोधित दरें लागू की। इन दरों के अनुसार इस स्लॉट के आधे घंटे के कार्यक्रम का प्रसारण शुल्क 150 सैकिडों के नि.वा.स. सहित 1.50 लाख रु. था। अतः पांच मिनटों के लिए यथानुपात शुल्क तथा नि.वा.स. क्रमशः 25,000/- रु. तथा 25 सैकिडों का होगा। डेली न्यूज तथा करेंट अफेयरस कार्यक्रमों को 8 मई 1997 से 30 सैकेंड का अतिरिक्त नि.वा.स. दिया गया था। तदनुसार पांच मिनट के कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त यथानुपात नि.वा.स. पाँच सैकेंड परिकलित किया गया जिससे कुल यथानुपात नि.वा.स. 30 सैकेंड का बनता है। लेकिन म.नि., दू.द. ने एक वर्ष के लिए इस आधार पर निम्न दरें देना जारी रखा कि स्लॉट बनाने के लिए इसे समय दिया जाएगा।

एक वर्ष पश्चात, म.नि., दू.द. ने नवम्बर 1997 से दरें संशोधित की तथा प्रतिकडी का 37,500 रु. प्रसारण शुल्क तथा 40 सैकेंडों का नि.वा.स. नियत किया। यहाँ तक कि इसने 30 सैकेंडों के यथानुपात नि.वा.स. से अधिक प्रति कडी अतिरिक्त 10 सैकेंड दिए। अग्राह्य अतिरिक्त समय का मूल्य, प्रति कडी 12,500 रु. के अतिरिक्त प्रसारण शुल्क के प्रति 30,000 रु. है। इस प्रकार प्रायोजक को मई 2000 तक 3.87 करोड़ रु. का अनुचित लाभ पहुँचाया गया जो निम्नानुसार है:

अवधि		कडियों की सं.	प्रति कडी नि.वा.स. (सैकिडों में)			30,000 रु. प्रति 10 सैकेंडों की दर पर प्रति कडी आधिक्य नि.वा.स. का मूल्य रु.	अनुचित लाभ लाख रु. में
से	तक		देय	अनुमत	आधिक्य		
18.11.96	7.5.97	147	25	50	25	75000	110.25
8.5.97	17.11.97	147	25+5	50	20	60000	88.20
18.11.97	31.5.2000	782	25+5	40	10	30000	234.60
जोड़-क							433.05

प्रसारण शुल्क

अवधि		कडियों की सं.	प्रति कडी प्रसारण शुल्क			अनुचित लाभ (लाख रु. में)
से	तक		देय रु.	प्रभारित रु.	आधिक्य (+) कमी (-) रु.	
18.11.96	17.11.97	294	25000	7500	(-)17500	(-)51.45
18.11.97	31.5.2000	782	25000	37500	(+)12500	(+)97.75
जोड़-ख						(+)46.30
कुल अनुचित लाभ		क-ख	= 433.00 लाख रु. घटाये 46.30 लाख रु. = 386.75 लाख रु.			

इसके अतिरिक्त नियंत्रक बिक्री, दूरदर्शन ने फरवरी 1998 में पाया था कि कार्यक्रम अनुमोदित पाँच मिनटों की अवधि तक सीमित नहीं था तथा अगस्त 1997 से फरवरी 1998 के बीच उसके पाँच मिनटों से अधिक, अतिरिक्त 4350 सैकेंडों का पहले ही उपयोग कर लिया था। अतिरिक्त उपयोग किए गए 4350 सैकेंडों का मूल्य 30,000 रु. प्रति 10 सैकेंड के स्पॉ.बा.द. पर 130.50 लाख रु. परिकलित किया गया लेकिन दू.द. ने अप्रैल 1998 में केवल 112.72 लाख रु. के बिल प्रस्तुत किए। निर्माता ने इसके विरुद्ध अभिवेदन किया। यद्यपि, म.नि.दू.द. ने प्रायोजक के तर्कों में कोई सार नहीं पाया तथापि उसने 20 प्रतिशत अर्थात् 22.54 लाख रु. तक की राशि अर्थदण्ड के रूप में मानकर घटा दी। इससे पहले कि इसे कार्यान्वित किया जा सके दू.द. ने 15 मिनट के प्रत्येक पाँच स्लॉटों के रूप में अधिक समय मानते हुए दावे को मनमाने ढंग से 1.87 लाख रु. तक और घटा दिया। इस गणना की हानि 1.29 करोड़ रु. परिकलित की गई।

दू.द. ने, निर्माता को समाचारों पर आधारित एक अन्य कार्यक्रम 'दोपहर आँखों देखी' का दोपहर 1.25 से 1.30 बजे तक 5 मिनटों का एक अन्य स्लॉट भी आबंटित किया। इसका प्रसारण दू.द. के राष्ट्रीय चैनल पर सप्ताह में पाँच दिन सोमवार से शुक्रवार तक 8 सितम्बर 1998 से प्रारंभ हुआ।

दर कार्ड के अनुसार स्लॉट 20,000 रु. के स्पॉ.बा.द. सहित 30 मिनट प्रति कड़ी के लिए 180 सैकेंडों के नि.वा.स. तथा 25,000 रु. के प्रसारण शुल्क सहित बी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तदनुसार प्रति कड़ी का यथानुपात शुल्क तथा नि.वा.स. क्रमशः 4167 रु. तथा 30 सैकेंड परिकलित किया गया। लेकिन दू.द. ने प्रति कड़ी के लिए 12,500 रु. का प्रसारण शुल्क वसूल किया तथा 90 सैकेंड का नि.वा.स. अनुमत किया। इस प्रकार, दू.द. ने 20,000 रु. की स्पॉ.बा.द. पर 1,20,000 रु. के वाणिज्यिक मूल्य के प्रति, प्रति कड़ी 8,333 रु. (12,500 रु.-4,167 रु.) पर 60 सैकेंडों (90 सैकेंड-30 सैकेंड) का वाणिज्यिक समय बेचा तथा प्रति कड़ी 1,11,667 रु. (1,20,000-8,333 रु.) की हानि उठाई गई। इस प्रकार इस कार्यक्रम में दू.द. ने 31 मई 2000 तक प्रसारित 430 कड़ियों पर 4.80 करोड़ रु. की हानि उठाई जबकि प्राइवेट निर्माता को अग्राह्य लाभ पहुंचाया।

दू.द. ने मानदण्डों से हट कर समाचारों पर आधारित कार्यक्रम के प्रायोजक को 9.96 करोड़ रु. का अनुचित लाभ दिया

निर्माता को मई 2000 तक दोनों कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 9.96 करोड़ रु. (3.87 करोड़ रु. जमा 1.29 करोड़ रु. जमा 4.80 करोड़ रु.) का अनुचित लाभ हुआ तथा तदनुसार दू.द. को इतनी ही हानि। न तो दूरदर्शन द्वारा मामले की कोई छानबीन की गई है और न ही दू.द. ने फरवरी 2001 तक लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर दिया।

2.3.2 राजस्व की हानि भारत-श्रीलंका एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला

अक्टूबर 1997 में, स्टारकोन इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड (स्टारकोन) ने, 22, 25 और 28 दिसम्बर 1997 को होने वाले (3 मैचों की) भारत-श्री लंका एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के सीधे प्रसारण के विपणन का दू.द. को प्रस्ताव किया। अभिकरण ने 6000 सैकेन्ड प्रति मैच नि.वा.स. की मांग की तथा अवसर लागत के बराबर लाइसेंस शुल्क, निर्माण लागत, कार्यान्वयन शुल्क की दूरदर्शन के नियत मापदण्डों के अनुसार गणना कर भुगतान करने की सहमति दी। इसकी संगणना 3.56 करोड़ रु. हुई जिसमें 1.56 करोड़ रु. की अवसर लागत, 1.50 करोड़ रु. अधिकार शुल्क तथा 0.5 करोड़ रु. की निर्माण लागत सम्मिलित थी। सामान्यतः एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला से होने वाले अर्जित राजस्व को ध्यान में रखते हुए, न्यू.गा. 3.56 करोड़ रु. से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार दू.द. ने 5000 नि.वा.स. के साथ 5 करोड़ रु. की प्रति मैच न्यू.गा. लेने का विचार किया जिसमें पहली पारी तथा दूसरी पारी की स्पॉट बाई दर क्रमशः 90,000 रु. तथा 1,12,500 रु. थी।

तथापि महानिदेशालय के अधिकारियों ने आपस में विचार-विमर्श करके 50 प्रतिशत वास्तविक अवसर लागत का 0.75 करोड़ रु. अवसर लागत मानकर न्यू.गा. को 3 करोड़ रु. तक घटा दिया। अवसर लागत में कमी करने का कारण दू.द. द्वारा घटना को दर्शकों के लिए कवर करना तथा प्रस्ताव को प्रायोजक के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना बताया गया। अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) (अ.स. तथा वि.स. (सू. एवं प्र.मं.) अवसर लागत को कम करने के लिए सहमत नहीं हुआ तथा मंत्रालय ने भी अवसर लागत की सारी राशि को वसूली तथा नि.वा.स. को सीमित करने से सम्बन्धित अन्य शर्तें लगाने का अनुमोदन कर दिया।

दू.द.ने श्रृंखला के विपणन अधिकार 3 करोड़ रु. की न्यू.गा. पर एजेंसी को दिए

मंत्री द्वारा अनुमोदित फाईल इस तर्क के आधार पर वापस ले ली गई कि प्रसार भारती की स्थापना के फलस्वरूप प्रसार भारती को ही केवल इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। मामले का महानिदेशक (म.नि.) ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के (मु.का.अ.) साथ उप-महानिदेशक (उ.म.नि.)की उपस्थिति में परिचर्चा की तथा दूरदर्शन ने श्रृंखला के विपणन अधिकार 3 करोड़ (निवल) की न्यू.गा. पर एजेंसी को दे दिए तथा वाणिज्यिक समय को 5000 सैकेन्ड तक सीमित करने के बजाय, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अधिकतम समय इस शर्त के साथ उपलब्ध करा दिया कि सीधा प्रसारण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पांच मिनट का वाणिज्यिक समय प्रत्येक पारी के प्रारम्भ एवं अन्त में अनुमत्त कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार दूरदर्शन ने पहली पारी तथा दूसरी पारी के राजस्व हिस्से का परिकलन क्रमशः 90,000रु. तथा 1,12,500रु. के स्थान पर 60,000रु. प्रति दस सैकेन्ड से करना था। न्यू.गा. से अधिक का उत्पन्न

होने वाले राजस्व का दूरदर्शन और अभिकरण के मध्य 70:30 के अनुपात में निवल आधार पर विभाजित किया जाना था। कुल तीन मैचों में से केवल दो मैचों का ही प्रसारण हुआ था, जबकि 25 दिसम्बर 1997 को होने वाले मैच को 5 ओवर की गेंदबाजी के पश्चात बीच में ही रोकना पड़ा।

दो मैचों के प्रसारण की यथाअनुपातीय न्यू.गा. की गणना दो करोड़ रु. की गई थी जो कि 3 करोड़ रु. की न्यू.गा. जो प्रसारण के अधिकारों के लिए थी, के आधार पर की गई थी। दू.द. ने इन मैचों के प्रसारण के लिए 3.20 करोड़ रु. व्यय किए। इस तरह कम न्यू.गा. के निर्धारण करने के परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रु. की हानि हुई।

आगे राजस्व के हिस्से में भी हानि उठानी पड़ी। दूरदर्शन के रेट कार्ड के अनुसार, 'ए स्पेशल' वर्ग में आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं/झलकियों के सीधे प्रसारण का स्पॉट बाई दर प्रति 10 सैकेण्ड 70,000 रु. है। ब्राडिंग प्रभारों एवं झलकियों के दौरान उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय को छोड़कर, 12655 सैकेण्ड के वाणिज्यिक समय का कुल मूल्य 885.85 लाख रु. परिकलित किया गया जिसमें (न्यू.गा. की राशि सहित) दूरदर्शन का निवल हिस्सा 587.08 लाख रु. था जिसमें से अभिकरण ने केवल न्यू.गा. के 2 करोड़ निवल राशि का भुगतान किया, फलस्वरूप, 2 मैचों के प्रसारण पर 3.87 करोड़ रु. की हानि उठानी पड़ी।

इस प्रकार न्यू.गा. की राशि में कमी तथा राजस्व हिस्से की भागीदारी में कमी के कारण दूरदर्शन को 5.07 करोड़ रु. (1.20 करोड़ रु. जमा 3.87 करोड़ रु.) कुल परिकलित राजस्व की हानि हुई।

अगर राजस्व उत्पन्न विवरणिकाओं तथा उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय के ब्यौरों का आगे विश्लेषण किया जाये तो हानि और भी अधिक हुई होगी। इस प्रकार का विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि इस खेल घटना के दो वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी एक घण्टे की अवधि की झलकियों की राजस्व उत्पन्न विवरणिकाएं तथा कुल उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय का ब्यौरा न तो अभिकरण ने प्रस्तुत किया न ही दू.द. ने मांगा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर दू.द. ने अब इनकी मांग करी है।

2.3.3. प्रायोजक को अनुचित लाभ देने के कारण राजस्व की हानि

निम्बस कम्यूनिकेशन ने दू.द. के मैट्रो चैनल पर 1993 से रविवार रात्रि 9.00-10.00 के समय फिल्म आधारित कार्यक्रम "सुपर हिट मुकाबला" प्रायोजित किया। प्रायोजक ने मार्च 1995 में दू.द. द्वारा आरम्भ की गई न्यूनतम गारन्टी योजना की सुविधा का उपयोग करने के लिए दू.द. को एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में दू.द. को प्रति कड़ी 40 लाख रु. की न्यू.गा. के प्रति 180 सैकिण्ड के नि.वा.स. सहित 655 सैकिण्ड के

वाणिज्यिक समय के लिए कहा गया था। 40 लाख रु. की न्यू.गा. प्रस्ताव (प्रसारण शुल्क सहित) स्वीकार करते समय दू.द. 180 सैकिण्ड के नि.वा.स. सहित केवल 560 सैकिण्ड के वाणिज्यिक समय के लिए सहमत हुआ। दू.द. ने दावा किया कि वाणिज्यिक समय का न्यू.गा. की गणना के लिए अधिमूल्य पर मूल्य निर्धारण किया गया। (वाणिज्यिक समय के 380 सैकिण्ड (560-180) के अतिरिक्त स्थान का अधिमूल्य पर परिकलित मूल्य 32.94 लाख रु. बनता था तथा 6.80 लाख रु. के प्रायोजकता शुल्क को जोड़ने के पश्चात् 39.74 लाख रु. बना। इस प्रकार दू.द. ने 560 सैकिण्ड का वाणिज्यिक समय प्रदान करके 40 लाख रु. की न्यू.गा. स्वीकार की। चूंकि अभिकरण 560 सैकिण्ड के लिए सहमत नहीं हुआ दू.द. ने 655 सैकिण्ड के अभिकरण के अनुरोध की पुनः जांच की तथा जुलाई 1995 में स्पष्ट किया कि 40 लाख रु. की न्यू.गा. के प्रति वह केवल 560 सैकिण्ड का वाणिज्यिक समय प्रति कड़ी प्राप्त करेगा।

दू.द. ने कार्यक्रम के प्रायोजक को 560 सैकिण्ड के स्वीकृत समय के प्रति 655 सैकिण्ड का वाणिज्यिक समय अनुमत किया।

बदले में प्रायोजक ने प्रति 10 सैकिण्ड 70,000 रु. की समान दर पर वाणिज्यिक समय की अपनी गणना का आग्रह किया तथा 475 सैकिण्ड (655-180) के लिए 33.25 लाख रु. परिकलित किए जिसमें उसने सब मिलाकर 40 लाख रु. प्रति कड़ी के न्यू.गा. प्रस्ताव में 6.80 लाख रु. का प्रायोजकता शुल्क जोड़ा। प्रायोजक की गणना प्रचलित दर ढांचे के अनुरूप नहीं थी तथा प्रायोजक के पक्ष में किसी प्रकार की छूट के परिणामस्वरूप प्रायोजक को दू.द. के राजस्व की लागत पर लाभ पहुंचेगा। वास्तव में दू.द. ने ऐसी दरें (अधिमूल्य दरें) पहले ही एक अन्य सुपर 'ए' श्रेणी धारावाहिक 'जुनून' के लिए प्रभारित की थी तथा इस प्रकार इस मामले में मानदण्ड में छूट देने का कोई औचित्य नहीं था। परन्तु फिर भी दू.द. ने सितम्बर 1995 में 40 लाख रु. की न्यू.गा. के प्रति 655 सैकिण्ड अनुमत करना स्वीकार कर लिया। स्पष्ट रूप से समान दर आधार उपयोग करके प्रायोजक ने योजना में अपेक्षा से अधिक लाभ लेने की युक्ति अपनाई। दर ढांचे के अनुसार 655 सैकिण्ड का मूल्य 53.85 लाख रु. परिकलित होता है। यहां तक कि 180 सैकिण्ड के नि.वा.स. को छोड़ने के पश्चात् भी 475 सैकिण्ड (655-180) के वाणिज्यिक समय का मूल्य 41.25 लाख रु. बनता है तथा 6.80 लाख रु. का प्रायोजकता शुल्क जोड़ने पर इस मामले में प्रभारित 40 लाख रु. की न्यू.गा. के प्रति 48.05 लाख रु. बनता था। इस प्रकार प्रायोजक ने प्रति कड़ी 8.05 लाख रु. का लाभ उठाया।

प्रायोजक निम्बस कम्यूनीकेशन को प्रति कड़ी 95 सैकिण्ड के अतिरिक्त वाणिज्यिक समय के उपयोग की अनुमति के निर्णय के परिणामस्वरूप सितम्बर 1995 से अक्टूबर 1996 के दौरान प्रसारित की गई 56 कड़ियों के लिए प्रति कड़ी 8.05 लाख रु. का अनुचित लाभ दिया गया। इस सम्बन्ध में प्रायोजक को दिया गया कुल अनुचित लाभ 4.51 करोड़ रु. बनता है। दू.द. ने नवम्बर 1996 के बाद से न्यू.गा. राशि तथा तुरन्त

क्रय दर बढ़ाकर संशोधित कर दी तथा प्रायोजक ने 30 नवम्बर 1997, जब कार्यक्रम अंतिम रूप से समाप्त हो गया, तक धारावाहिक जारी रखा। जनवरी 1997 से आगे की अवधि के लिए बकाया बिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रायोजक ने 1997 के दौरान प्रसारित 47 कड़ियों के लिये दू.द. द्वारा भेजे गये 23.16 करोड़ रु. के प्राप्यक में से 5.50 करोड़ रु. का भुगतान अभी तक करना था। सितम्बर 2000 तक इस बकाया राशि पर परिकलित किया गया ब्याज 3.04 करोड़ रु. बनता था।

लेखा परीक्षा ने मामला मन्त्रालय को, जनवरी 1997 में सूचित किया। मन्त्रालय ने मार्च 1997 में अपने उत्तर में टिप्पणी में उल्लिखित तथ्यों तथा आंकड़ों का कोई विरोध नहीं किया था।

2.3.4 प्रायोजक को अनुचित लाभ

म.नि.दू.द. ने रेन बौ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैर-फिल्मी धारावाहिक "जन्मभूमि" को 14 जनवरी 1997 से प्रसारित करने का अनुमोदन किया। म.नि.दू.द. ने आगे उसी निर्माता द्वारा समाचारों एवं सामयिक मामलों पर "खासखबर" कार्यक्रम को 5 अक्टूबर 1998 से प्रसारित करने का अनुमोदन कर दिया। दूरदर्शन ने दोनों कार्यक्रमों को दू.द.-1 और दू.द.-7 चैनलों पर प्रसारित किया। निदेशक दू.द.के. ने इन दोनों कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक को 3.02 करोड़ रु. का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया, जिसका विवरण अनुवर्ती पैरागाफों में दिया गया है।

(i) अधिक नि.वा.स. के प्रदान करने के परिणामस्वरूप प्रायोजक को 1.78 करोड़ रु. का अदेय लाभ

निदेशक, दू.द.के. ने प्रायोजक को अनुमत सीमा से अधिक बैंक नि.वा.स. के उपयोग की अनुमति दी

(क) दर कार्ड के अनुसार सप्ताह में पांच दिन प्रतिदिन प्रसारित होने वाले धारावाहिक को एक कड़ी का माना जाएगा तथा प्रायोजक 100 सैकेण्ड तक का बैंक नि.वा.स. का उपयोग कर सकेगा। म.नि.दू.द. ने धारावाहिक "जन्मभूमि" का समय दू.द.-1 पर 19 जनवरी 1998 से 30 मिनट से 45 मिनट तक बढ़ा दिया। अवधि में वृद्धि के कारण बिक्री नियंत्रक प्रसार-भारती ने अप्रैल 1998 में बैंक नि.वा.स. की उपयोग सीमा को 150 सैकेण्ड तक बढ़ा दिया। दर कार्ड नियमों के विपरीत निदेशक दूरदर्शन केन्द्र ने पांच दिन के प्रसारण के लिए बने "जन्मभूमि" की 36 कड़ियों में प्रायोजक को 100 तथा 150 सैकेण्ड की पात्रता से अधिक बैंक नि.वा.स. उपयोग करने की अनुमति दी परिणामतः प्रायोजक को 1.25 करोड़ रु. का अनुचित लाभ हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

चैनल/समय	अवधि	कड़ियों की संख्या	ग्राह्य नि.वा.स. (सैकेण्डों में)	उपयोग किया गया नि.वा.स. (सैकेण्डों में)	अधिक उपयोग किया गया नि.वा.स. (सैकेण्डों में)	दर प्रति 10 सैकेण्ड (रु.में)	कुल राशि (लाख रु.में)
दू.द.-1 सांय 6.20	24.2.97 से 19.11.99	30	87705	102175	14470	7500	108.53
दू.द.-7 सांय 8.30	24.2.97 से 18.9.98	6	6060	9695	3635	4500	16.36
कुल							124.89

(ख) समाचार एवं सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम खासखबर का प्रसारण 5 अक्टूबर 1998 से दू.द.-1 तथा दू.द.-7 चैनलों पर प्रारम्भ हुआ। दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा (दू.वा.से.) द्वारा अगस्त 1998 में अनुमोदित शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त नि.वा.स. की निरन्तर बैंकिंग इस शर्त के साथ होगी कि कोई भी एकल प्रसारण बैंकड नि.वा.स. के ग्राह्य नि.वा.स. जमा 50 सैकेण्ड से अधिक नहीं होगा।

निदेशक दू.द. ने नि.वा.स. की बैंकिंग के लिए खासखबर से सम्बंधित किसी भी प्रकार के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया। तथापि दिसम्बर 1998 से मार्च 2000 के दौरान की लॉग बुक से पता चला कि प्रायोजक ने दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के विपरीत 208 कड़ियों में 5 सैकेण्ड से 245 सैकेण्ड तक से अधिक बैंकड नि.वा.स. का उपयोग किया।

निदेशक, दू.द.के. ने अधिक वाणिज्यिक समय के उपयोग के लिए निर्धारित दर पर अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं किया

लेकिन निदेशक ने निर्धारित दर से अधिक वाणिज्यिक समय के उपयोग के लिए प्रायोजक से अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप प्रायोजक के दू.द.-1 तथा दू.द.-7 पर दिसम्बर 1998 से मार्च 2000 के दौरान दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा द्वारा अगस्त 1998 में अनुमोदित स्पॉट बाई दर के आधार पर परिकलित 52.70 लाख रु. का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चैनल	अवधि	स्वीकार्य नि.वा.स. (सैकेण्ड में)	उपयोजित नि.वा.स. (सैकेण्ड में)	अधिक उपयोजित नि.वा.स. (सैकेण्ड में)	दर प्रति 10 सैकेण्ड (रु. में)	अधिक नि.वा.स. का मूल्य (लाख रु. में)
दू.द.-1	19.3.99 से 30.3.2000	23920	27445	3525	5000	17.62
दू.दू.-7	11.12.98 से 21.11.99	20930	28725	7795	4500	35.08
कुल						52.70

निदेशक, दू.द.के. ने दू.द.-1 पर दोहराये प्रसारण के लिए प्रायोजकता शुल्क पर 50 प्रतिशत प्रीमियम प्रभारित नहीं किया

(ii) दोहराए गए कार्यक्रम में 80.15 लाख रु. का प्रायोजकता शुल्क का कम उद्ग्रहण

(क) दर कार्ड के अनुसार यदि किसी कार्यक्रम को दू.द.-7 से दू.द.-1 पर दोहराया जाता है तो नि.वा.स. में बिना किसी परिवर्तन किए, दू.द.-1 के स्लॉट में 50 प्रतिशत का प्रीमियम प्रायोजकता शुल्क जोड़ा जाता है। दैनिक धारावाहिक, जन्मभूमि पहली

बार दू.द.-7 पर 14 जनवरी 1997 को प्रसारित किया गया तथा दू.द.-1 पर 15 जनवरी 1997 से दोहराया गया ।

निदेशक ने इस दोहराए गए धारावाहिक के प्रसारण का पहली कड़ी से ही कोई प्रीमियम प्रभारित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप कम उद्धरण हुआ तथा 72.12 लाख रु. की परिणामी हानि हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि	समय	प्रसारणों की संख्या	प्रतिदिन के प्रसारण का प्रायोजकता शुल्क		कम उद्धरण (रु.में)	कुल कम उद्धरण (लाख रु.में)
			प्रभार्य (रु.में)	प्रभारित (रु.में)		
पहली से 52 वीं कड़ी तक (15.1.97-16.1.98)	30 मिनट	213	15000+7500 =22500	15000	7500	15.98
53 वीं कड़ी से आगे(19.1.98-31.3.2000)	45 मिनट	499	22500+11250 =33750	22500	11250	5.14
कुल						72.12

निदेशक, दू.द. के. ने दू.द.-7 पर दोहराये प्रसारण के लिए प्रायोजकता शुल्क पर 25 प्रतिशत प्रीमियम प्रभारित नहीं किया ।

(ख)

दर कार्ड के प्रावधानों के अनुसार यदि कार्यक्रम को दू.द.-1 से दू.द.-7 पर दोहराया जाता है तो नि.वा.स. में परिवर्तन किए बिना, दू.द.-7 पर 10 मिनट के कार्यक्रम पर 5000 रु. प्रायोजकता शुल्क तथा 20 मिनट के कार्यक्रम के लिए 10,000 रु. के प्रायोजकता शुल्क के अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है । समाचार पर आधारित कार्यक्रम, 'खासखबर', जिसका पहली बार प्रसारण दू.द.-1 पर 5 अक्टूबर 1998 से प्रारम्भ हुआ तथा तदनंतर दू.द.-7 पर उसी दिन उसे दोहराया गया ।

निदेशक ने दू.द.-7 पर दोहराये गये 'खासखबर' के प्रसारण पर प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 8.03 लाख रुपये के प्रायोजकता शुल्क का कम उदग्रहण हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है ।

अवधि	समय	प्रसारणों की संख्या	प्रतिदिन के प्रसारण का प्रायोजकता शुल्क		कम उद्धरण (रु.में)	कुल कम उद्धरण (लाख रु.में)
			प्रभार्य (रु.में)	प्रभारित (रु.में)		
5.10.98 से 19.12.99	10 मिनट	436	5000+1250 =6250	5000	1250	5.45
20.12.99 से 31.3.2000	20 मिनट	103	10000+2500 =12500	10000	2500	2.58
कुल						8.03

(iii) न्यूनतम गारन्टी स्कीम में अधिक छूट दिए जाने के फलस्वरूप 44.44 लाख रु. की हानि

न्यूनतम गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत प्रायोजक पहली कड़ी से अतिरिक्त स्पॉट बाई समय का 35 प्रतिशत की दर से, 14वीं कड़ी से 30 प्रतिशत की दर से तथा 27वीं कड़ी से 25 प्रतिशत की दर से छूट प्राप्त कर सकता है। उसके बाद की दर दूरदर्शन के विवेक पर निर्भर होती है।

खासखबर जिसका प्रसारण दू.द.-7 पर 5 अक्टूबर 1998 से किया गया था इस स्कीम के अन्तर्गत 20 सितम्बर 1999 से आया। परन्तु निदेशक दू.द.के. ने अतिरिक्त स्पॉट बाई समय पर 35 प्रतिशत की दर से छूट दे दी यद्यपि उस समय तक 40 से अधिक कड़ियां पहले ही प्रसारित हो चुकी थी। आगे यद्यपि कार्यक्रम प्राइम टाइम स्लॉट पर प्रसारित किया गया था निदेशक ने अतिरिक्त स्पॉट बाई समय पर प्रभार गैर प्राइम टाइम स्लॉट की दर से ही प्रभारित किया। जिसके परिणामस्वरूप 44.44 लाख रु. की हानि हुई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समय	अवधि	प्रसारणों की संख्या	प्रतिदिन के प्रसारण का प्रायोजकता शुल्क		कम उद्धरण (रु.में)	कुल कम उद्धरण (लाख रु.में)
			प्रभार्य (रु.में)	प्रभारित (रु.में)		
20.9.99 से 19.12.99	10 मिनट	91	35438	20475	14963	13.62
20.12.99 से 31.3.2000	20 मिनट	103	70875	40950	29925	30.82
कुल						44.44

इस प्रकार प्रायोजक को 3.02 करोड़ रु. की राशि का अदेय लाभ दिया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
नि.वा.स.की अधिक स्वीकृति	1.78
एक दोहराए जाने वाले कार्यक्रम में प्रायोजकता शुल्क का कम उदग्रहण	0.80
न्यूनतम गारंटी योजना में अधिक छूट प्रदान करना	0.44
जोड़	3.02

2.3.5 “इंडिया द अवेकनिंग” कार्यक्रम के प्रायोजक को अदेय लाभ

दू.द. अपने राष्ट्रीय चैनल के “न्यूज एंड करंट अफेयर्स” अनुभाग में 18 अगस्त 1997 से सप्ताह में पांच दिनों के लिए रात्रि 9.20 बजे “इंडिया द अवेकनिंग” नामक 5 मिनट की अवधि का एक प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करता है।

दू.द. ने पांच मिनट के कार्यक्रम के लिए यथानुपात प्रभारित नहीं किया ।

9.20 बजे रात्रि का प्रसारण उच्च 'क' श्रेणी के अन्तर्गत आता है जिसके लिए प्रसारण शुल्क 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 90 सैकेण्ड के नि.वा.स. तथा 30 सैकेण्ड के अतिरिक्त नि.वा.स. के साथ 3.00 लाख रू. प्रति कड़ी था । इसलिए यथानुपात प्रसारण शुल्क एवं 5 मिनट के कार्यक्रम के लिए नि.वा.स. क्रमशः 0.50 लाख रू. तथा 20 सैकेण्ड प्रति कड़ी बनते थे ।

दू.द. ने 37,500 रू. प्रसारण शुल्क के रूप में प्रभारित किये तथा यथानुपात दरों का पालन करने के स्थान पर 45 सैकेण्ड के नि.वा.स. की अनुमति प्रदान की। अभिलेख में कम प्रसारण शुल्क प्रभारित करने के आधार का कोई उल्लेख नहीं था । इस वास्तविकता का ज्ञान होते हुए कि यथानुपात का विकल्प भली भांति उपलब्ध था यह एक मनमाना कार्यकारी निर्णय था । इस प्रकार प्रत्येक कड़ी के लिए कम प्रसारण शुल्क प्रभारित करके एवं उच्च नि.वा.स. की अनुमति देकर प्रायोजक को 2.125 लाख रू. का अदेय लाभ प्रदान किया गया था । जनवरी 1998 तक 98 कड़ियों का प्रसारण किया गया था तथा अदेय लाभ 2.08 करोड़ रू. बनता था ।

इसके अतिरिक्त अभिकरण को अगस्त-सितम्बर 1997 के दौरान 9 कड़ियों के प्रसारण लिए 3.38 लाख रू. की राशि के बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

विभाग ने सितम्बर 2000 में बताया कि दू.द. ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए यथानुपात शुल्क प्रभारित करने पर विचार किया था और एक ढांचागत दर कार्ड विकसित कर लिया गया था तथा उसे लागू किया जा रहा था । यह भी बताया कि केन्द्र से प्रसारण की पुष्टि हो जाने पर 9 कड़ियों के लिए बिल प्रस्तुत किए जायेंगे ।

सत्यापन के उपरांत यह पाया गया कि यथानुपात दर कार्ड केवल सितम्बर 2000 में जारी किया गया था जबकि यथानुपात के आधार पर दरों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर लेखापरीक्षा में बार-बार जोर दिया गया था । यथानुपात दरों को लागू करने में विलंब के परिणामस्वरूप प्रायोजकों को सरकारी खर्च पर 2.08 करोड़ रुपये का अदेय लाभ प्रदान किया गया ।

2.3.6 फीचर फिल्म के प्रायोजक को अनुचित लाभ

दू.द. के चैनल 1 पर 25 जनवरी 1997 को 9.30 बजे सांय हिन्दी फीचर फिल्म सदमा के प्रसारण के लिए म.नि. दूरदर्शन ने 16 जनवरी 1997 को मल्टी चैनल (इंडिया) लिमिटेड से एक समझौता किया । समझौते की शर्तों के अनुसार मल्टी चैनल 2100 सैकेण्ड के वाणिज्यिक समय का हकदार था वशतँ कि मल्टी चैनल इसे निम्नलिखित दरों से कम पर नहीं बेचेगा।

(i) फीचर फिल्म के पहले घण्टे के दौरान प्रति दस सैकेण्ड 1.20 लाख रू. की दर पर 700 सैकेण्ड ।

(ii) फीचर फिल्म के दूसरे घण्टे के दौरान प्रति दस सैकिण्ड 0.75 लाख रु. की दर पर 700 सैकिण्ड ।

(iii) फीचर फिल्म के तीसरे घण्टे के दौरान प्रति दस सैकिण्ड 0.50 लाख रु. की दर पर 700 सैकिण्ड ।

समझौते में यह भी व्यवस्था थी कि अभिकरण उपरोक्त शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक समय का पालन करेगा तथा किसी भी स्लाट में समय बढ़ जाने पर दर पहले घण्टे के स्लाट की दर से तीन गुणा अर्थात प्रति 10 सैकिण्ड 3.60 लाख रु. वसूल होगी । समझौते में आगे यह दिया गया था कि कुल राजस्व का लिहाज किये बिना एजेन्सी कमीशन की 100 लाख रु. (निवल) की न्यूनतम गारन्टी राशि की शर्त पर कुल राजस्व दू.द. तथा मल्टी चैनल के बीच 70: 30 के अनुपात में बांटी जायेगी ।

अभिकरण ने
205 सैकिण्ड के
अधिक
वाणिज्यिक समय
का उपयोग
किया ।

फिल्म 25 जनवरी 1997 को 9.30 सायं से 12.30 रात तक दू.द. के चैनल-1 पर प्रसारित की गई तथा मल्टी चैनल ने पहले, दूसरे तथा तीसरे घण्टे के दौरान क्रमशः 700, 905 तथा 700 सैकिण्ड के वाणिज्यिक समय का उपयोग किया अर्थात यह दूसरे घण्टे में सीमा से 205 सैकिण्ड बढ़ गया। 2100 सैकिण्ड के अनुमत वाणिज्यिक समय का सकल मूल्य 171.50 लाख रु. परिकलित किया गया था तथा अधिक उपयोग किये गये 205 सैकिण्ड का प्रति 10 सैकिण्ड की 3.60 लाख रु. की दर का मूल्य 73.80 लाख रु. परिकलित किया गया था । इस प्रकार सकल राजस्व 245.30 लाख रु. (171.50+ 73.80) था । इसमें से दूरदर्शन का 70 प्रतिशत राशि का हिस्सा 15 प्रतिशत कमीशन अनुमत करने के पश्चात् न्यू.गा.सहित 175.95 लाख रु. परिकलित किया गया था । इसके प्रति दूरदर्शन ने दो किस्तों में 122.96 लाख रु. के बिल प्रस्तुत किये एक 2100 सैकिण्ड के अनुमत वाणिज्यिक समय के प्रति 100 लाख रु. का तथा दूसरा अनुमत वाणिज्यिक समय से अधिक उपयोग किये गए 205 सैकिण्ड के लिए 22.96 लाख रु. था ।

दू.द. का हिस्सा
175.95 लाख रु.
परिकलित किया गया
था परन्तु इसने
अभिकरण को केवल
100 लाख रु. का
बिल दिया ।

तथापि प्रायोजक ने उप-महानिदेशक (उ.म.नि.) से सम्पर्क किया तथा संदय दृष्टिकोण के लिए उससे पत्र प्राप्त कर लिया । इसको ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन ने 205 सैकिण्ड के अतिरिक्त वाणिज्यिक समय को एजेंसी द्वारा उसकी पिछली फिल्म कर्ज में कम उपयोग किये गये समय के साथ समायोजित करने की अनुमित दे दी तथा 22.96 लाख रु. का बिल रद्द कर दिया गया । इस समायोजन को अनुमत करने का कारण यह दिया गया था कि फिल्म कर्ज 10 नवम्बर 1996 को केवल दो दिन के नोटिस पर प्रसारित की गई थी ।

फिल्म सदमां में उपयोग किये गये अतिरिक्त वाणिज्यिक समय का समायोजन पहली फिल्म कर्ज के प्रसारण के दौरान कम उपयोग से करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि कर्ज के प्रसारण के लिए वाणिज्यिक शर्तों में कम अवधि के नोटिस के आधार पर पहले

ही ढील दी जा चुकी थी। इस फिल्म के लिए न्यू.गा. 100 लाख रु. के सामान्य प्रभारों के बजाय 50 लाख रु. कर दी गई थी तथा अग्रिम में 25 प्रतिशत की मांग को भी हटा दिया गया था। न केवल यह परन्तु स्पॉट बाई दर पर 20 प्रतिशत की छूट भी अनुमत की गई। इसके अतिरिक्त दू.द. तथा अभिकरण के बीच राजस्व की हिस्सेदारी भी 60:40 के अनुपात तक कम कर दी गई थी। जब मामला दू.द. को भेजा गया तो उन्होंने अपने दावे को दोहराया तथा इसके साथ यह भी कहा कि जिन दरों पर लेखापरीक्षा ने गणना की थी उन पर अभिकरण वाणिज्यिक बेच नहीं सका था। दू.द. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दू.द. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कोई अभिकरण दू.दू. की दरों से कम दर पर वाणिज्यिक नहीं बेच सकता तथा ऐसी अत्यधिक छूट से अभिकरण ने वास्तव में 1615 सैकिण्ड वाणिज्यिक समय की प्रथा के अनुसार फिल्म से अर्जित किये गए 1.26 करोड़ रु. के राजस्व का 43.28 प्रतिशत प्राप्त किया।

इस प्रकार 175.95 लाख रु. के इसके हिस्से के प्रति दू.द. ने मल्टी चैनल को केवल 100 लाख रु. का बिल दिया जिससे अभिकरण को 75.95 लाख रु. का अनुचित लाभ पहुंचा।

2.4 उपग्रह को विलम्ब से बुक करने के कारण 9.44 करोड़ रु. की हानि

2.4.1 भारत श्री लंका क्रिकेट सीरिज के प्रसारण में राजस्व की हानि।

दू.द. ने श्रीलंका में 2 से 24 अगस्त 1997 में आयोजित भारत - श्रीलंका सिरिज के भारत में प्रसारण के लिए एकमात्र केबल तथा उपग्रह चैनल के समस्त एशिया के भू-क्षेत्र के प्रसारण के लिए वर्ल्ड टेल इंक से अधिकार प्राप्त किए। इन अधिकारों के अन्तर्गत दो टैस्ट मैचों, तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों तथा दोनों घटनाओं के एक घण्टे के प्रमुख अंशों को आवृत करने का लाइसेन्स शुल्क 5.04 करोड़ रु. (36 रु. प्रति एक अमेरिकी डालर) के बराबर 1.4 मिलियन (निवल) अमेरिकी डालर था। जबकि टैस्ट मैचों का प्रसारण दू.द.-II पर करना था एवं एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों का प्रसारण दू.द.-I तथा दू.द.-II पर होना था।

दू.द. ने 6.75 करोड़ रु. की न्यूनतम गारन्टी पर वर्ल्ड टेल स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमि. को एक विपणन अधिकार दिये।

दू.द. ने वर्ल्ड टेल स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली भारत से सम्बन्ध वर्ल्ड टेल इंक को एकमात्र विपणन अधिकार दिये। इस एजेन्सी ने इसको आगे यू.टी.वी. को प्रदान किया। वर्ल्ड टेल स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दूरदर्शन को अधिकार शुल्क, निर्माण लागत तथा अवसर लागत के लिए 6.75 करोड़ रु. की न्यू.गा. राशि का भुगतान करना था। दूरदर्शन और एजेन्सी के बीच अनुबन्ध के अनुसार 6.75 करोड़ रु. से अधिक के राजस्व का बंटवारा 50:50 के अनुपात में किया जाना था। 6.75 करोड़ रु. की न्यू.गा. निश्चित थी और खराब मौसम के कारण मैचों के रद्द होने के कारणों में भी इसको वापस नहीं करना था। वर्ल्ड टेल या उसके द्वारा प्राधिकृत

विपणन एजेन्सी को 9 अगस्त 1997 या उससे पहले दू.द. 6.75 करोड़ रु. की अपरिवर्तनीय बैंक गारन्टी प्रदान करनी थी। बैंक गारन्टी की वैधता छः महीने तक थी। दू.द. ने सिंगनल प्राप्त करने में 6.32 करोड़ रु. व्यय किए जिसका ब्यौरा इस प्रकार है, 5.04 करोड़ रु. लाइसेन्स फीस, 75.60 लाख रु. 15 प्रतिशत लाइसेन्स फीस पर कर तथा 52 लाख रु. श्री लंका में सिंगनल की अपलिकिंग तथा दिल्ली में डाउन लिंकिंग की लागत। इसमें स्थान से श्री लंका में स्थित अपलिकिंग स्टेशन तक सिंगनल लाने की लागत सम्मिलित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दू.द. ने इस घटना के लिए तीन करोड़ रु. का अवसर लागत के रूप में परिकलन किया।

मामले की छानबीन से निम्न पता चला:

- (क) दो टैस्ट मैचों तथा तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों के सीधे प्रसारण के अधिकारों की 5.04 करोड़ रु. की निवल फीस बहुत अधिक थी विशेषकर दूरदर्शन द्वारा यह महसूस करना कि पांच दिन की अवधि के लम्बे टैस्ट मैच अधिकतर दर्शकों की रुचि को आकर्षित नहीं कर सकेंगे, इसके अतिरिक्त बहुत सीमित विपणनों की सम्भावना थी, प्रारम्भ में एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों तथा उसके मुख्य अंशों के प्रसारण अधिकारों की 1.5 करोड़ रु. की फीस के सन्दर्भ में।
- (ख) दू.द. ने घटनाओं के प्रसारण के लिए तीन करोड़ रु. की अवसर लागत का परिकलन किया परन्तु न्यू.गा. की राशि का निर्धारण करते समय केवल 1.75 करोड़ रु. की ही गणना की। अभिलेखों में ऐसा करने का कोई कारण उल्लेखित नहीं था। आगे न्यू.गा. राशि का निर्धारण करते समय, 52 लाख रु. के तकनीकी प्रभारों को (जिसमें स्थान से सिंगनल लाने तथा श्रीलंका के स्टेशन पर अपलिकिंग करने की लागत सम्मिलित नहीं थी) तथा आयकर घटक के 75.60 लाख रु. को भी ध्यान में नहीं रखा गया।
- (ग) यद्यपि पांच दिन के दो टैस्ट मैचों तथा उसकी झलकियों, साथ ही एक दिवसीय मैचों की झलकियों के प्रसारण से कोई भी राजस्व का सृजन नहीं हुआ, तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों से 7.16 करोड़ रु. का (15 प्रतिशत एजेन्सी के कमीशन के बाद) राजस्व प्राप्त हुआ।
- (घ) 4.16 करोड़ रु. की कीमत के 4770 सैकन्डों के विज्ञापन प्रसारण नहीं दिखाये जा सके जिसके लिए दू.द. ने विपणन एजेन्सी को 2.08 करोड़ रु. की छूट दी। प्रसारण न होने का कारण दूरदर्शन की अतिव्यस्तता बताया गया। परन्तु अभिलेखों के जांच से पता चला कि विज्ञापनों का प्रसारण उपग्रह के अनउपलब्धता के कारण हुआ। ऐसा प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के

दू.द. ने उपग्रह को विलम्ब से बुक करने के कारण 4.16 करोड़ रु. के मूल्य का विज्ञापन प्रसारण खो दिया।

कारण हुआ क्यों कि उपग्रह से अपलिकिंग का निर्णय बहुत ही विलम्ब से लिया गया। क्योंकि इनटैलसेट की बुकिंग पहले आओं पहले पाओं के आधार पर की जाती है, बुकिंग काफी पहले से करने की आवश्यकता होती है। जिससे क्रिकेट मैचों की घटनाओं को स्लोट कवर करने के लिए एक निश्चित समय मिल जाए। तीन एक दिवसीय मैचों की उपग्रह पर बुकिंग 4 अगस्त 1997 में ही की गई थी। इसलिए निवेदन किए गए कुछ टाइम स्लाट पहले की वचनबद्धता के कारण उपलब्ध नहीं थे। उपरोक्त छूट देने के बाद दू.द. का भाग 6.75 करोड़ की न्यू.गा. के बजाय 4.87 करोड़ रु. का ही परिकलित हुआ, लेकिन दावा केवल 4.67 करोड़ रु. का ही किया गया।

- (इ) 23 अगस्त 1997 को खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच को दूसरी पारी के 41 वें ओवर के बाद रोकना पड़ा तथा अगले दिन दुबारा खेला गया। 23 अगस्त को खेले गए मैच को बीच में ही रोके जाने से पहले कुल 2200 सेकिण्ड के 2.27 करोड़ रु. मूल्य के प्रसारित हुए विज्ञापनों की बिलिंग नहीं की गई चूंकि दू.द. का यह विचार था कि इन विज्ञापनों को 24 अगस्त 1997 को दोहराया गया था, इसलिए केवल जिन विज्ञापनों का 24 अगस्त 1997 को मैच के पूरे दिन प्रसारण हुआ, गणना में लिया गया। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जिन विज्ञापनों का प्रसारण पिछले दिन अर्थात् 23 अगस्त 1997 को हुआ विज्ञापन का उद्देश्य पूर्ण करते थे यद्यपि इनका अगले दिन पुर्नप्रसारण किया गया था।

इस प्रकार दू.द. को 9.32 करोड़ रु. (6.32 करोड़ रु. सिगनल प्राप्त करने तथा 3 करोड़ रु. अवसर लागत के) के व्यय के समक्ष केवल 4.67 करोड़ रु. ही प्राप्त हो सके। इसके परिणामस्वरूप 4.65 करोड़ रु. की हानि हुई जिसमें 1.14 करोड़ रु. के हिस्से की बिलिंग न करने के कारण हुई हानि को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार दूरदर्शन को कुल 5.79 करोड़ रु. की राशि की हानि हुई।

2.4.2 विम्बलडन-1997- लापरवाही के कारण हानि

दू.द. ने 3.03 करोड़ रु. की न्यू.गा. पर विपणन अधिकार में स्ट्रैकोन इंडिया लि. को सौंपे

दू.द. ने जुलाई 1997 में आयोजित किये गए विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के लिए 36 रु. प्रति यू.एस. डालर पर 2.47 लाख यू.एस.डालर (30 प्रतिशत के आयकर के संघटक सहित) के बराबर 0.89 करोड़ रु. पर प्रसारण अधिकार प्राप्त किये। बोलियाँ आमंत्रित करने के पश्चात दू.द. ने एक मात्र विपणन अधिकार 3.03 करोड़ रु. में (सकल)को न्यू.गा. पर अधिकतम बोलीदाता मै. स्ट्राकोन इण्डिया लिमिटेड को दिये।

दूरदर्शन को मैच 1 जुलाई 1997 से 6 जुलाई 1997 तक प्रसारित करना था परन्तु उन्होंने यह 3 जुलाई 1997 से 6 जुलाई 1997 तक प्रसारित किया। तदनुसार अभिकरण ने अवसर की हानि के कारण राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए न्यू.गा. में 1.01 करोड़ की कटौती की इच्छा की। दू.द. ने 1 जुलाई तथा 2 जुलाई 1997 को

दू.द. ने उपग्रह समय बुक करने में विलम्ब किया तथा अभिकरण को न्यू.गा. में 1.64 करोड़ रु. की छूट अनुमत की।

दिनों में उपग्रह की अनुपलब्धता के कारण बुक किये गए विज्ञापनों के मूल्य के आधार पर न्यू.गा. में 1.64 करोड़ रु. की कटौती अनुमत की। तथापि अभिलेखों से यह पता चला कि महा निदेशक दूरदर्शन (म.नि.) ने 15 मई 1997 को यह निर्णय ले लिया था कि मैच 1 से 6 जुलाई 1997 को प्रसारित किये जायेंगे तथा तदनुसार दू.द.के. को उपग्रह समय बुक करना चाहिए था जो कि पहले आओ-पहले पाओं आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है। दू.द.के. ने प्रक्रिया में विलम्ब किया उपग्रह समय 24 जून 1997 को मांगा। उस समय तक वांछित उपग्रह समय उपलब्ध नहीं था तथा पहले स्लाट 3 जुलाई 1997 से ही उपलब्ध नहीं था। इसलिए दू.द.1 तथा 2 जुलाई को सीधा प्रसारण नहीं कर सका। यदि महा निदेशक दूरदर्शन (म.नि.) द्वारा आदेशों पर तुरन्त कार्यवाही की गई होती तो घटी हुई न्यू.गा. के कारण हानि का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ होता। इसके अतिरिक्त दू.द. ने लॉग बुक जो गुम स्पॉट का समर्थन नहीं करती थी के सन्दर्भ में सत्यापन किये बिना गुम स्पॉट के कारण पार्टी को 0.13 करोड़ रु. की राहत अनुमत की।

क्यू. शीटें जो वाणिज्यिक समय के उपयोग को दर्शाती है कि अभिकरण ने 3 से 6 जुलाई 1997 तक प्रसारित मैचों में 10360 सैकिण्ड के वाणिज्यिक समय का उपयोग किया तथा केवल 1.07 करोड़ रु. का भुगतान किया। स्लॉट अनुसार स्पॉट बाई के आधार पर 10360 सैकिण्ड का मूल्य 4.87 करोड़ रु. परिकलित किया गया था।

इस प्रकार, प्राप्त सकल राजस्व 6.64 करोड़ रु. था तथा दू.द. का हिस्सा न्यू.गा. सहित 4.72 करोड़ रु. था जिसके प्रति अभिकरण ने केवल 1.07 करोड़ रु. का भुगतान किया। जब लेखापरीक्षा ने इंगित किया, दू.द. ने सकल राजस्व को 3.85 करोड़ रु. तक संशोधित किया तथा 1.54 करोड़ रु. का अन्य दावा प्रस्तुत किया परन्तु इसकी प्राप्ति की पुष्टि नहीं की। इससे अभी तक 2.11 करोड़ रु. बिना दावा किये रह गये। आधार, जिस पर सकल राजस्व 6.64 करोड़ रु. के बजाए 3.85 करोड़ रु. परिकलित किया गया स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभिलेखे प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

इस प्रकार अब तक इस मामले में दू.द. ने उपग्रह समय बुक करने में लापरवाही तथा लॉग बुक तथा क्यू. शीटों के सत्यापन में गलती के कारण 3.65 करोड़ रु. की हानि उठाई है।

2.5 वाणिज्यिक समय के कम लेखाकरण के कारण हानि

2.5.1 बंगलादेश स्वतंत्रता कप

बंगलादेश स्वतंत्रता कप के प्रसारण के लिए दू.द. ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया।

दू.द. ने जनवरी 1998 में ढाका में आयोजित बंगलादेश स्वतन्त्रता कप (कोका कोला कप-1998), एक क्रिकेट की घटना, को अपने नेटवर्क पर सीधा प्रसारण करने का निर्णय किया। दूरदर्शन ने 3 दिसम्बर, 1997 को एक भारतीय अभिकरण मैसर्स स्ट्राकॉन और प्रसारण अधिकारों के मूल धारक मैसर्स वर्ल्ड टेल आईएनसी वैस्ट पार्ट

यू.एस.ए. (मै.वर्ल्ड टेल) के साथ निम्न शर्तों पर एक त्रिपक्षीय समझौता करके घटना के प्रसारण अधिकार प्राप्त किए:

- (क) स्ट्राकॉन मैसर्स वर्ल्ड टेल को 2.0 मिलियन अमरीकी डॉलर के अधिकार फीस (करों का निवल) का भुगतान करेगा ।
- (ख) दूरदर्शन मै. वर्ल्ड टेल को अपलिकिंग प्रभार के रूप में 20,000 पौंड का भुगतान करेगा, दूरदर्शन पेन एम सेट को सैटेलाइट के प्रयोग के लिए 650 अमरीकी डॉलर प्रति घण्टा की दर से स्पेस सेगमेन्ट लागत का भुगतान करेगा ।
- (ग) स्ट्राकॉन अकेले स्वयं सम्पूर्ण अधिकार फीस का भुगतान करके एकमात्र विपणन अभिकर्ता बन जाएगा ।
- (घ) घटना दूरदर्शन की विपणन घटना समझी जाएगी और वाणिज्यिक कार्यक्रम सीधे प्रसारण के मैचों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।
- (ङ) 90,000/-रु. प्रति दस सैकेन्ड का तत्काल खरीद दर (त.ख.द.) निर्धारित किया गया था ।

दूरदर्शन और अभिकरण में अनुबन्ध के अनुसार राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की गई थी:

- (क) प्रथम 111 लाख रु. (निवल) दूरदर्शन को सुयोग लागत के रूप में क्रेडिट किए जाने थे ।
- (ख) 20,000 पौण्ड के समतुल्य अगला रुपया तथा स्पेस सेगमेन्ट लागत के प्रति वास्तविक लागत भी दूरदर्शन को क्रेडिट की जानी थी ।
- (ग) 2.0 मिलियन अमरीकी डॉलर (निवल) के समतुल्य अगला रुपया लाइसेंस फीस के प्रति स्ट्राकॉन द्वारा वसूल किया जाना था ।
- (घ) शेष राजस्व, यदि कोई है, दू.द. और स्ट्राकॉन के मध्य 70:30 के अनुपात में बांटा जाना था ।

लेखापरीक्षा को पता चला कि बिक्री नियन्त्रक ने जनवरी 1998 में महानिदेशक, दू.द. के अनुमोदन के बिना 90,000/-रु. प्रति दस सैकेन्ड के निश्चित त.ख.द. दर का 90,000/-रु., 76,500/-रु. और 63,000/-रु. प्रति दस सैकेन्ड के तीन स्तरीय त.ख.द. में संशोधन कर दिया ।

दू.द.के प्रसारण प्रमाणपत्र के अनुसार, अभिकरण ने 27852 सैकिण्ड के वाणिज्यिक समय का उपयोग किया जबकि अभिकरण के 13440 सैकिण्ड लेखावद्ध किए ।

दूरदर्शन प्रसारण प्रमाण पत्र के अनुसार, अभिकरण ने 27852 सैकेन्ड वाणिज्यिक समय का उपयोग किया । दूरदर्शन ने यह भी देखा कि अत्यधिक वाणिज्यिक प्रसारणों के कारण अनुबन्ध की धाराओं के विपरीत जिसमें यह व्यवस्था थी कि वाणिज्यिक कार्यक्रम खेल के सीधे प्रसारण में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बहुत से ओवरों की पहली गेंद नहीं

दिखाई जा सकी। परन्तु अभिकरण ने केवल 13440 सैकेन्ड का ही हिसाब किताब रखा तथा तीन स्तरीय त.ख.द. पर 10.66 करोड़ (सकल) रु. का राजस्व उत्पन्न हुआ प्रदर्शित किया तथा अधिशेष की बजाए घाटा दिखाया जबकि 90,000/-रु. प्रति दस सैकेन्ड पर 27852 सैकेन्ड का सकल राजस्व 25.07 करोड़ रु. बनता था। तदनुसार, यद्यपि अभिकरण ने दू.द. के अधिशेष राजस्व के 70 प्रतिशत भाग को शून्य परिकल्पित किया, यह वास्तव में 8.34 करोड़ रु. बनता था।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि समझौता ज्ञापन स.ज्ञा. के अनुसार अभिकरण को (i) सुयोग लागत (1.11 करोड़ रु.) (ii) अपलिकिंग प्रभार (20,000 ब्रिटिश पौंड के समतुल्य रुपये) और (iii) पी.ए.एस.-4 सैटेलाइट का प्रयोग करने के लिए स्पेस सेगमेन्ट लागत (37,375 अमरीकी डालर के समतुल्य रुपए) दू.द. के खाते में क्रेडिट किए जाने थे तथा अधिकार फीस (8.00 करोड़ रु.) का भुगतान सीधे मैसर्स वर्ल्ड टेल को इन खर्चों को उत्पन्न राजस्व में प्रभारित करके किया जाना था। परन्तु अभिकरण ने अन्य खर्चों का राजस्व में सृजन करते समय 37,375 अमरीकी डालर (प्रति एक अमरीकी डालर पर 40/-रु. के हिसाब से 0.15 करोड़ रु. के समतुल्य) स्पेस सेगमेन्ट प्रभार की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया और 20,000 पौंड (0.14 करोड़ रु.) अपलिकिंग प्रभार के लिए दू.द. को क्रेडिट नहीं किए।

दू.द. ने जनवरी 2001 में सूचित किया कि इसने अभिकरण से 111 लाख रु. वसूल कर लिए हैं, 1.91 लाख रु. 7 सितम्बर 1998 को तथा 109.09 लाख रु. 9 फरवरी 1999 को वसूल किए। इसके 9.74 करोड़ रु. के कुल भाग में से, 1.11 करोड़ रु. सुयोग लागत के रूप में, 0.14 करोड़ रु. अपलिकिंग प्रभारों के रूप में, 0.15 करोड़ रु. स्पेस सेगमेन्ट लागत के रूप में तथा 8.34 करोड़ रु. अधिशेष राजस्व के 70 प्रतिशत भाग के रूप में बनता है। दू.द. को केवल 1.11 करोड़ रु. प्राप्त हुए और वाणिज्यिक समय की कम गणना के कारण 8.34 करोड़ रु. की हानि हुई तथा अभिकरण ने 0.15 करोड़ रु. के स्पेस सेगमेन्ट प्रभार का कोई प्रावधान नहीं किया था और 0.14 करोड़ रु. इसे अपलिकिंग प्रभारों के रूप में क्रेडिट भी नहीं किए थे। संक्षेप में, दू.द., एक घटना के प्रसारण के तीन वर्षों के पश्चात् भी 8.63 करोड़ रु. के शेष दावे को वसूल करने में असफल रहा है।

2.5.2 गलत बिल प्रस्तुत करने के कारण हानि

म.नि.दू.द. ने बिना कोई समझौता निष्पादित किये 5 जून से 8 जून 1997 तक फ्रैंच ओपन टैनिस् प्रतियोगिता 1997 के प्रसारण के लिए दू.द-I तथा दू.द-II पर आबंटित समय सीमा के अनुसार लागू शुल्क के बराबर न्यू.गां. के भुगतान पर एक पक्ष को विपणन अधिकार सौंपे। निर्धारण पत्र के अनुसार दूरदर्शन तथा अभिकरण को मान्य लागू तत्काल क्रय दरों पर नि.वा.स. से अधिक विज्ञापनों से उत्पन्न राजस्व को, 15 प्रतिशत

की अभिकरण छूट देने के पश्चात 70:30 के अनुपात में बांटना था। दू.द. ने अभिकरण के प्रति 45.99 लाख रू. अर्थात् 41.74 लाख रू. निवल न्यू.गां. के लिए तथा 4.25 लाख रू. (निवल) नि.वा.स. से अधिक 90 सैकिण्ड के उपयोग के लिए दू.द. के हिस्से के रूप में, की मांग की। अभिकरण ने इसका भुगतान जून 1997 से नवम्बर 1997 के दौरान चार किश्तों में किया।

तथापि, उपर्युक्त घटना के लिए दूरदर्शन की अभिलेख पुस्तिका से पता चला कि वास्तव में अभिकरण ने अतिरिक्त वाणिज्यिक समय के 725 सैकिण्ड का उपयोग किया था न कि 90 सैकिण्ड का जैसा कि दू.द. द्वारा बिल दिया गया था। इसके लिए दूरदर्शन की सहभागिता 32.13 लाख रू. परिकलित होती थी।

इसके अतिरिक्त घटना के लिए उपयोग की गई वास्तविक समय सीमा के सन्दर्भ में न्यू.गा. 44.07 लाख रू. (निवल) परिकलित होती थी।

गलत मांग करने
के कारण दू.द.
को 30.21 लाख
रू. छोड़ने पड़े।

इस प्रकार दू.द. को देय कुल राजस्व 76.20 लाख रू. (उपयोग किये गए अतिरिक्त समय के लिए 32.13 लाख रू. जमा प्रसारण शुल्क के लिए 32.13 लाख रू.) था। इसके प्रति प्रक्रिया में 30.21 लाख रू. छोड़ते हुए दूरदर्शन ने 45.99 लाख रू. मात्र की मांग की तथा प्राप्त किये।

दू.द. ने अगस्त 2000 में बताया कि सकल प्रसारण शुल्क की गणना दू.द.के. द्वारा जारी प्रसारण प्रमाण पत्र में बताई गई दू.द. 1 तथा 2 पर वास्तविक समय सीमा पर आधारित थी तथा अभिकरण ने 60 सैकिण्ड के अतिरिक्त वाणिज्यिक समय का उपयोग किया था जबकि दू.द. ने 90 सैकिण्ड के लिए प्रभारित किया था।

दू.द. का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा संकलित अतिरिक्त समय दू.द. की अभिलेख पुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर था तथा आंकड़े कार्याधिकारी दू.द. के द्वारा प्रति परीक्षित तथा सत्यापित किये गये हैं। स्पष्ट रूप से आंकड़ों में, जिनके आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया था, हेराफेरी की गई है। हेराफेरी का संकेत स्वयं दू.द. उत्तर से स्पष्ट है जिसने सन्देहपूर्ण तर्क दिया है कि दू.द. ने वास्तव में 90 सैकिण्ड का दावा किया तथा भुगतान करवाया जबकि उस पक्ष ने वास्तव में केवल 60 सैकिण्ड का उपयोग किया था। यदि अभिलेख मूल प्रविष्टियों को आधार माना होता तो इस सम्बन्ध में अन्तर उत्पन्न नहीं होता। जिस धृष्टतापूर्ण विधि से छलयोजना का बचाव किया जा रहा है यह संगठित जटिलता की विद्यमानता की सम्भावना का संकेत देती है।

2.6 त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण हानि।

दू.द. ने मई 1995 में अपने अन्तर्राष्ट्रीय चैनल पर वाणिज्यिक समय के विपणन की दरों में संशोधन किया। तदनुसार इसने अपने अन्तर्राष्ट्रीय चैनल पर कार्यक्रमों के पुनः प्रसारण के लिये प्रायोजन शुल्क 5000 रू. प्रति आधे घंटे के लिये 90 सेकेंड की

(नि.वा.स.) के साथ निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, इसने राष्ट्रीय चैनल में विपणन हेतु उपलब्ध उच्चतर समूल्य वाणिज्यिक अवधि के प्रयोग से होने वाले प्रभाव पर विचार किये बिना, उन प्रायोजकों को, जो कि अधिकोष एवं दूसरे राष्ट्रीय चैनलों से सात दिन के अन्दर इसका प्रयोग कर सकें, 30 सेकेंड के निःशुल्क वाणिज्यिक समय भी प्रदान किया। अतिरिक्त सुविधा को बाद में अगस्त 1996 में वापस ले लिया गया था।

मई 1995 से अगस्त 1996 तक प्रदान की गई बैंकिंग सुविधा के साथ अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय के प्रभाव के निर्णय का लेखापरीक्षा में ऑकलन किया गया था। यह पाया गया था कि इस अवधि के अन्तर्गत दूरदर्शन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित 594 कड़ियों के प्रायोजकों ने बैंकिंग सुविधा लागू करके 12950 सेकेंड का लाभ लिया था। 15000 रु. प्रति 10 सेकेंड प्रति कड़ी की तत्काल खरीद दरों के मूल्यांकन से यह रकम 1.94 करोड़ रुपये बनती थी। इसकी तुलना में दूरदर्शन ने केवल 29.37 लाख रुपये ही कमाये थे। दूरदर्शन को कम आय इस कारण से हुई कि प्रायोजकों ने बैंकिंग सुविधा का लाभ लेते हुये अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के संचित अप्रायोगिक समय का लाभ लेकर उपलब्ध 12950 सेकेंड के वाणिज्यिक समय का प्रयोग किया था। यदि दूरदर्शन ने इस वाणिज्यिक समय का विपणन किया होता तो 15000 रु. प्रति 10 सेकेंड प्रति कड़ी की तत्काल खरीद दरों से 1.94 करोड़ रुपये की तुरन्त आय हुई होती। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण दूरदर्शन को 1.94 करोड़ रुपये की हानि हुई। आगे यह और पाया गया था कि प्रायोजकों द्वारा लाभान्वित 12950 सेकेंड के बैंक समय में से 2190 सेकेंड, जिनका मूल्य 32.85 लाख रुपये था को नामंजूर कर देना चाहिये था क्योंकि इनका प्रयोग सात दिन के बाद किया गया था।

दू.द. ने अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के संचित अनुपयोजित समय के राष्ट्रीय चैनलों पर नकदीकरण के कारण 1.94 करोड़ रु. की हानि उठाई।

दूरदर्शन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के जवाब में तथ्यों को स्वीकार किया और सितम्बर 1999 में बताया कि चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय चैनल को स्थापित होने में समय लगने की संभावना था। चैनल को सफल बनाने के उद्देश्य से आकर्षक पैकेज का प्रस्ताव दिया गया था जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रथम तो सरकार का अभिप्राय अपने राजस्व कमाने वाले राष्ट्रीय चैनल के खर्च पर अन्तर्राष्ट्रीय चैनल को स्थिर करना नहीं था, दूसरे हेरफेर व्यवस्था का पर्दाफास होने के पश्चात संभवतः अतिरिक्त सुविधा को वापस ले लिया गया था।

2.7 कमीशन प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण में राजस्व की हानि

दूरदर्शन के चैनल एक पर कमीशन कार्यक्रम के 13 कड़ियां- 'अनुगूज' का प्रसारण मार्च 6, 1997 से प्रत्येक बृहस्पतिवार 9.30 बजे शाम को शुरू हुआ जो कि सुपर 'ए' श्रेणी के अन्तर्गत आता है। तीन कड़ियों की समाप्ति के बाद बाकी बची हुई 10 कड़ियों को दूरदर्शन ने प्रायोजित कार्यक्रम के आधार पर 27 मार्च 1999 से प्रसारित किया। अंतिम कड़ी का प्रसारण 29 मई 1997 को किया गया।

कार्यक्रम की श्रेणी कम करके दू.द. ने प्रायोजक को 22 लाख रु. का अनुचित लाभ पहुंचाया।

दूरदर्शन की सूची दर में तीन लाख रु. 120 सेकेंड के नि.वा.स. के साथ प्रति कड़ी प्रसारण फीस प्रभारित करने का प्रावधान था वो कमीशन कार्यक्रम जिन्हें प्रायोजकों को सुपर ए श्रेणी में रखा था। लेकिन उस दर को चार्ज करने की बजाए दूरदर्शन ने इस स्लाट के कार्यक्रमों की श्रेणी को ए स्पेशल से कम कर दिया और इसी दरों से चार्ज शुरू कर दिया। इस श्रेणी के प्रसारण की दरें प्रति कड़ी 120 सेकेंड के नि.वा.स. के साथ दो लाख रूपए थी। श्रेणी को निम्न करने के आलावा दूरदर्शन ने नि.वा.स. के साथ 120 सेकेंड प्रति कड़ी से बढ़ाकर 150 सेकेंड प्रति कड़ी कर दिया जबकि पांच कड़ियां पहले ही प्रायोजित हो चुकी थी। इस प्रकार प्रसारण देश के अतिरिक्त प्रायोजकों को बकाया पांच कड़ियों पर बिना कोई अतिरिक्त फीस का भुगतान किए 30 सेकेंड का अतिरिक्त नि.वा.स. दिया गया। इस प्रकार प्रायोजकों को बिना वजह 22 लाख रु. का लाभ हुआ जो कि नीचे दिया गया है।

1.	प्रसार की फीस में घाटा प्रसारण 10 कड़ियों के प्रोग्राम में प्रति कड़ी एक लाख रु.	10 लाख रूपए
2.	एक मी.टी. की मूल्य की हानि (अ) पांच अतिरिक्त एक मी.टी. में दिया गया $5 \times 30 = 150$ सेकेंड (ब) 150 सेकेंड की कीमत $150/10 \times 80,000 = 80,000$ रु. प्रति सेकेंड	12 लाख रूपए
कुल		22 लाख रूपए

रिकार्ड परीक्षण उपरान्त पता चला कि दूरदर्शन ने यह कहा कि निम्न करने का कारण यह था कि कार्यक्रम उसी समय दिखाया जा रहा था जिस समय दूरदर्शन-2 पर हिन्दुस्तानी दिखाया जा रहा था। रिकार्ड यह भी दर्शाता है कि एक टी.सी. को एजेन्सी की मांग पर बढ़ाया गया था क्योंकि कमीशन कार्यक्रमों को प्रायोजित करना ये अच्छा था। सभी कारण उपयुक्त नहीं थे क्योंकि दूरदर्शन ने ही प्रोग्राम प्रसारण का स्लाट तय किया था और वे लोकप्रिय प्रायोजित कार्यक्रम के साथ उसके प्रसारण को बचा सकते थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने फरवरी 2001 में बताया कि कार्यक्रमों की वाणिज्य दरों को कुछ रियायतें देकर निर्धारित करना कमीशन कार्यक्रमों से अधिकतम राजस्व वसूल करना दू.द. का प्रयास है ताकि वे कुछ न होने से कुछ तो प्राप्त कर सकें। यह तर्क उपयुक्त नहीं है चूंकि विषय का उद्देश्य दू.द. की कीमत पर वाणिज्य दरों से परे लाभ पहुंचाना है।

2.8 विज्ञापन अभिकरणों से प्राप्य राशियों की अप्राप्ति

दू.द. नियमावली में दिये गए प्रावधानों तथा मन्त्रालय द्वारा निर्धारित दर सूची के अनुसार दू.द. द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्रत्यायन अभिकरणों के तथा विज्ञापनों के लिए विज्ञापन अभिकरणों से शुल्क संग्रहीत किये जाते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(क)	प्रायोजित कार्यक्रम	प्रत्यायन अभिकरणों द्वारा भुगतान योग्य शुल्क
		(i) प्रायोजकता शुल्क (ii) "न्यूनतम गारन्टी" के अन्तर्गत अतिरिक्त तत्काल खरीद के लिए शुल्क (iii) अतिरिक्त वाणिज्यिक समय के लिए तत्काल खरीद शुल्क (iv) ब्रांडिंग शुल्क
(ख)	विज्ञापन	विज्ञापन अभिकरणों द्वारा भुगतान योग्य शुल्क
		(i) फिल्मों के लिए प्रायोजकता शुल्क-2,00,000 लाख रु. (60 सैकिण्ड के निःशुल्क वाणिज्यिक समय सहित) (ii) ब्रांडिंग शुल्क (iii) अतिरिक्त वाणिज्यिक समय के लिए तत्काल खरीद शुल्क

दूरदर्शन महानिदेशालय (दू.म.नि.), नई दिल्ली ने विज्ञापन अभिकरणों से वाणिज्यिक राजस्व संग्रहण कार्य जनवरी 1995 से क्षेत्रीय केन्द्रों को स्थानान्तरित कर दिया। तथापि, अभिकरणों के पास दिसम्बर 1998 तक नई दिल्ली में तथा केन्द्र पर भुगतान के दोनों विकल्प थे। उसके बाद दू.म.नि., नई दिल्ली ने राजस्व संग्रहण अभिकरणों को पूर्णतया सौंप दिया।

नियमावली के अनुसार दू.द. को मासिक बिल प्रस्तुत करने होते हैं तथा प्रत्यायन अभिकरणों को भुगतान प्रसारण की तिथि से 60 दिन के भीतर करना होता है। यदि प्रत्यायन अभिकरण नियत तिथि अथवा एक वर्ष में तीन अवसरों पर अथवा क्रेडिट अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, ये स्वतः अपना प्रत्यायन खो देंगे। दू.द. को इन सभी दोषपूर्ण राशियों पर प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने का अधिकार है।

उपयुक्त बिल बनाने तथा एकत्रण की प्रणाली के अभाव के कारण मार्च 2000 तक 16.98 करोड़ रु. के प्राप्य बकाया थे।

2.8.1 दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई में बकाया प्राप्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि दू.के. मुम्बई में बिल तैयार करने तथा संग्रहण प्रणाली अपर्याप्त थी, और अभिकरणों से लंबित राशियां लम्बे समय से असंगत पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा दू.द.के. मुम्बई के अभिलेखों से सुनिश्चित की गई मार्च 2000 तक की बकाया राशियां, दिसम्बर 1998 तक की अवधि को 9.11 करोड़ रु. की बकाया राशि तथा जुलाई 2000 तक के ब्याज को सम्मिलित करते हुए 16.98 करोड़ रु. थीं।

लेखापरीक्षा ने जानकारी प्राप्त की कि 44 अभिकरणों में से 15, जिन के पास जनवरी 1999 से मार्च 2000 के दौरान बकाया राशि लंबित थी जो एक वर्ष में तीन अवसरों से अधिक पर भुगतान में चूक कर चुके थे, नियमों के अनुसार निरंतर चूक के कारण उनका पंजीकरण समाप्त होना चाहिए था। फिर भी न तो दू.द.के. मुम्बई ने और न ही म.नि.दू.द., नई दिल्ली ने दुशग्राही चूककर्ताओं के अपंजीकरण के लिये कोई कार्यवाही की। उन्होंने प्राप्त राशियों के भुगतान पर ब्याज उद्ग्रहीत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 1998 की सं. 2 तथा 2000 की सं. 2 के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता तथा तिरुवनंतपुरम के दू.द. पर बिल बनाने तथा संग्रहण प्रणाली में कमी जिसके परिणामस्वरूप विज्ञापन अभिकरणों से भारी बकाया राशियां लंबित थी का उल्लेख किया था। मंत्रालय को उपेक्षा के लिए, जिसके कारण निरन्तर भारी राशि प्राप्य थी तथा राजकोष को संभावित हानि हुई, प्रत्यक्ष तथा रचनात्मक उत्तरदायित्व सहित तुरन्त शोधक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

2.8.2 तीन तमिल धारावाहिकों के प्रसारण शुल्क का भुगतान न होना तथा परिणामस्वरूप प्रायोजकों को अदेय लाभ।

दू.द.के.चेन्नई ने प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत नीचे दिये गए दिनों में दू.द.-1 (क्षेत्रीय) चेन्नई पर इन्नोरु सीथई, "तिरुवल्लुवर" तथा "तिरुमचिइन तिरुमानम" नाम के तीन तमिल धारावाहिक प्रसारित किए हैं।

क्र. सं.	धारावाहिक का नाम	प्रसारण अवधि	कडियों की संख्या	प्रसारण समय तथा दिन	प्रायोजक का नाम
1.	इन्नोरु सीथई	11.12.97 से 23.04.98	17	7:03 सायं से 7:30 सायं गुरुवार	कडी 1 के लिए मल्टी चैनल (इंडिया) लि. 2 से 17 कडियों के लिए किनेस्कोप (इंडिया) प्राई. लि.
2.	तिरुवल्लुवर	05.12.97 से 15.05.98	21	7:03 सायं से 7:30 सायं शुक्रवार	कडी 1 तथा 2 के लिए मल्टी चैनल (इंडिया) लि. 3 से 21 कडियों के लिए किनेस्कोप (इंडिया) प्राई लि.
3.	तिरुमचिइन तिरुमानम	18.09.98 से 01.03.99	17	7:03 सायं से 7:30 सायं शुक्रवार	किनेस्कोप (इंडिया) प्राई. लि.

केन्द्र ने “न्यू.गा.” प्रणाली के अन्तर्गत प्रायोजकों से एक अनुबन्ध किया। न्यू.गा. प्रसारण शुल्क तथा अतिरिक्त तत्काल क्रय के मूल्य का कुल जोड़ है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रायोजक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 120 सेकिण्ड प्रतिकडी के नि.वा.स. के उपयोग के हकदार थे। महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा निर्धारित दरों पर एकमुश्त भुगतान करके प्रायोजक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान्य नि.वा.स. के बराबर अतिरिक्त वाणिज्यिक समय (अतिरिक्त तत्कालक्रय- अ.त.क्र.) का उपयोग भी कर सकते हैं।

प्रायोजकों द्वारा धारावाहिकों के लिए भुगतान योग्य दरें भिन्न प्रकार थी-

क्र.सं.	भुगतान योग्य शुल्क की प्रकृति	धारावाहिक “इन्नोरु सीथइ” के लिए दर	धारावाहिक “तिरुवल्लुवर” के लिए दर	धारावाहिक “तिरुमचिइन नीसमानम” के लिए दर
(i)	प्रायोजकता शुल्क/प्रसारण शुल्क	17 कडियों के लिए 16,000 रु. प्रतिकडी घटा 15 प्रतिशत दलाली	16000 रु प्रति कडी घटा 15 प्रतिशत दलाली	1 से 13 कडियों के लिए 16000रु. कडी 14 के लिए 10,000 रु, घटा 15 प्रतिशत दलाली दोनों के लिए।
(ii)	1 से 17 कडियों के लिए एक अतिरिक्त तत्काल क्रय (त.क्र.) के लिए न्यूनतम गारन्टी शुल्क	17 कडियों के लिए प्रति अ.त.क्र. 2,16,000 रु घटा 3/98 तक 35 प्रतिशत दलाली तथा 4/98 से 30 प्रतिशत दलाली	2,16,000 रु. अ.त.क्र. प्रति कडी घटा दलाली*	7 से 13 कडियों के लिए प्रति अ. त.क्र. 2,16,000 रु घटा 50 प्रतिशत दलाली
(iii)	दूसरे अतिरिक्त तत्काल क्रय के लिए न्यूनतम गारन्टी शुल्क		9 कडियों के लिए प्रति अ.त.क्र. 2,16000 रु घटा कडी 1 के लिए 15 प्रतिशत की दर पर तथा 14 कडियों के लिए 45 प्रतिशत की दर पर दलाली	7 से 13 कडियों के लिए प्रति अ.त.क्र. 2,16,000 रु. घटा 65 प्रतिशत की दर पर दलाली
(iv)	अतिरिक्त नि.वा.स. के लिए तत्काल क्रय दर	10 सेकिण्ड के लिए 18000 रु घटा 30 प्रतिशत दलाली	प्रति 10 सेकिण्ड के लिए 18,000 रु घटा 45 प्रतिशत दलाली	व्यापार चिन्ह शुल्क, 3 से 10 कडियों के लिए 10 सेकिण्ड के 18,000 रु घटा 15प्रतिशत दलाली

* घटाएं कडी 1 के लिए 50 प्रतिशत दलाली, 2 से 13 कडियों के लिए 35 प्रतिशत दलाली तथा 14 से 21 कडियों के लिए 45 प्रतिशत दलाली।

दू.द.के. चेन्नई के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि उपरोक्त धारावाहिकों के प्रायोजकों ने न्यू.गा. शुल्क के भुगतान में निरन्तर चूक की फिर भी निदेशक दूरदर्शन केंद्र, चेन्नई ने छूट अवधि की सुविधाओं का लाभ देना जारी रखा। दूरदर्शन ने अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रायोजकों के प्रत्यापन को निरस्त करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की थी। तीन धारावाहिकों के लिए प्रायोजकों से वसूली योग्य न्यू.गा.शुल्क नवम्बर 2000 तक 85.87 लाख रु. बना। दू.द.के. ने भुगतान में चूक के लिए ब्याज की कोई मांग नहीं की।

दू.द.के. चेन्नई ने प्रायोजकों के प्रत्यापन को रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

इन तीन धारावाहिकों के प्रायोजकों ने नियत शुल्क देने में चूक करते हुये इन तीन धारावाहिकों के लिए 7005 सेकिण्ड के अतिरिक्त नि.वा.स. का विपणन करके 126.09 लाख रु का राजस्व अर्जित किया।

केंद्र के निदेशक ने अक्टूबर 2000 में उत्तर दिया कि उसने मै. किनस्कोप (इंडिया) प्राई.लि. मुम्बई के सम्बन्ध में 28 नवम्बर 1997 से उधार के रूप में बुकिंग स्वीकार करने के लिए नई दिल्ली में महानिदेशक के निर्देशों पर उधार सुविधायें अनुमत की थी। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चेन्नई केंद्र को इस एजेन्सी का प्रत्यापन निरस्त करने के लिए मामला उठाना चाहिए था जब इसने अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार तीन से अधिक अवसरों पर पुनः चूक की थी।

2.8.3 प्रायोजकों द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज का एकत्रण न करने के कारण राजस्व की हानि

दू.द.के. में जनवरी 1997 से नवम्बर 1999 की अवधि से संबंधित अभिलेख की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 56 प्रत्यायित एजेंसियों न राशियों का 3 दिनों से 365 दिनों तक विलम्बित भुगतान किया। निदेशक, दू.द.के. चेन्नई ने ऐसे विलम्बित भुगतानों पर दायित्वक ब्याज के लिए कोई मांग प्रस्तुत नहीं की। प्रत्यायित एजेंसियों से ऐसा वसूली योग्य ब्याज नवम्बर 1999 तक 81.92 लाख रु. परिकलित किया गया। निम्नलिखित एजेंसियां अधिक चूककर्ता थीं:

दू.द.के. चेन्नई ने विलम्बित भुगतानों के लिए दण्डात्मक ब्याज की मांग नहीं की।

अभिकरण का नाम	प्राप्तों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज (रुपये)
युनाइटेड टैलीविजन	2718180
हंसा वीजन	904425
एच.टी.ए.फुलेब्रह्म	1233995
मल्टी चैनल	131249
ए.बी.सी.सी.	306000
भारतीय जीवन बीमा निगम	111080
एम.सी.सी.ए.एन.एन.एरिकसन	153440
प्राइम टाईम	1296432
विजन टाइम	104461
आर.के.एस./बी.बी.डी.ओ.	136171
आर.के.स्वामी	268927

चूंकि केन्द्र से प्रसारित विज्ञापनों से संबंधित बिल उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे इसलिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार निदेशक, दू.द.के.चेन्नई द्वारा ही चूककर्ता एजेंसियों से मांग प्रस्तुत करके ब्याज वसूल किया जाना चाहिए था।

पुनरीक्षण से उत्पन्न हुये मामले प्रत्येक टिप्पणी के सम्बन्ध में मंत्रालय को मई से नवम्बर 2000 के दौरान अलग से भेजे गये थे । दो टिप्पणियों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो गये थे जिन्हें पुनरीक्षण में सुसंगत स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है । शेष टिप्पणियां जो कि मंत्रालय को भेजी गई थीं के उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित थे ।

अनुबन्ध -I

(पैराग्राफ 2.2.1 देखें)

सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित घटनाओं की सूची

क्र.सं.	घटना का नाम	प्रसारण का माह
1.	पेप्सी त्रिपक्षीय श्रृंखला 1998	अप्रैल 1998
2.	कोका कोला कप 1998	मई 1998
3.	फेंच ओपन 1998	जून 1998
4.	विश्व कप सौकर 1998	जून जुलाई 1998
5.	श्री लंका इंडिपेंडेस कप 1998	जून जुलाई 1998
6.	विम्बलडन 1998	जून जुलाई 1998
7.	हीरो कप 1998	सितम्बर - अक्टूबर 1998
8.	आइ सी सी नॉक आउट 1998	अक्टूबर -नवम्बर 1998
9.	कोका कोला कप (शारजाह) 1998	नवम्बर 1998
10.	ऑस्ट्रेलियन ओपन 1999	जनवरी 1999
11.	भारत-पाक टेस्ट श्रृंखला* 1999	जनवरी-फरवरी 1999
12.	पेप्सी त्रिपक्षीय श्रृंखला 1999	मार्च - अप्रैल 1999
13.	कोका कोला कप (शारजाह) 1999	अप्रैल 1999
14.	विश्व कप क्रिकेट 1999	मई-जून 1999

* केवल झलकियां

अनुबन्ध -III

(पैराग्राफ 2.2.3 देखें)

क्रिकेट की घटनाओं के संबंध में दिए गए अधिकार शुल्क दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	घटना का नाम	मैचों की सं.		एकान्तिक या अनेकांतिक	से अधि प्राप्त अधिकार	अधि द्वारा प्राप्त अधिकार	अधिकार शुल्क लागत	प्रति मैच लागत
		दिन एवं रात के मैच	दिन के मैच					
1.	पैप्सी त्रिपक्षीय श्रृंखला (अप्रैल 1998)	-	7	अनेकांतिक	ई.एस.पी.एन.	स्ट्राकॉन	500.00	71.43
2.	कोका कोला कप मई 1998	4	-	अनेकांतिक	ई.एस.पी.एन.	स्ट्राकॉन	120.00	30.00
3.	श्री लंका इंडिपेन्डेंस कप जून-जुलाई 98	4	6	6 - अनेकांतिक 4 - एकांतिक	वर्ल्ड टैल	स्ट्राकॉन	1275.00	127.50
4.	हीरो कप 1998 सितम्बर - अक्टूबर 98	3	-	एकांतिक	सी.एस.आई. लिमि.	स्ट्राकॉन	286.88	95.63
5.	आइ.सी.सी. नॉक आउट	8	-	एकांतिक	आइ.सी.सी.	दू.द.	3400.00	425.00
6.	कोका कोला कप नवम्बर 98 (शारजाह)	7	-	एकांतिक	वर्ल्ड टैल	स्ट्राकॉन	1700.00	242.86
7.	कोका कोला कप अप्रैल 99 (शारजाह)	7	-	एकांतिक	वर्ल्ड टैल	स्ट्राकॉन/यू.टी.वी.	2148.04	306.86
8.	पैप्सी त्रिपक्षीय श्रृंखला मार्च/अप्रैल 99 (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका)	2	3	अनेकांतिक	इ.एस.पी.एन. स्टार स्पोर्ट्स	दू.द.	425.00	85.00
9.	विश्व कप क्रिकेट 99	11+31 झलकियां	-	अनेकांतिक	ई.सी.बी.	दू.द.	2560.96	170.73 (लगभग)
10.	भारत पाकिस्तान श्रृंखला टेस्ट मैच	केवल झलकियां	-	अनेकांतिक	इ.एस.पी.एन. स्टार स्पोर्ट्स	दू.द.	33.44	-

शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय

महानगरों में अवसंरचना विकास

अध्याय III : शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय

3.1 महानगरों में अवसंरचना विकास

वित्तीय संस्थाओं सहित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के भाग लेने योग्य प्रयास के रूप में मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद के महानगरों में अवसंरचना विकास के लिए शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 1993-94 में एक योजना प्रायोजित की। सरकार ने यह विचार किया था कि समय के साथ योजना नोडल अभिकरणों के साथ परिक्रामी निधि की स्थापना के लिए आत्मनिर्भर हो जायेगी। मंत्रालय यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि नोडल अभिकरणों ने परिक्रामी निधि की स्थापना की मूल आवश्यकता पूरी की थी। नोडल अभिकरणों को सरकारी निधियों के निर्गम में कमियां थी। नोडल एजेन्सियों ने भी कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी नहीं की। राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति ने पर्याप्त निधि पूर्व मूल्यांकन के बिना परियोजना संस्वीकृत की। प्रत्यक्ष प्रगति धीमी थी। संस्वीकृत की गई 442 परियोजनाओं में से रा.स्व.सं.स. ने 72 परियोजनाएं बन्द कर दी, 115 परियोजनाएं पूरी हुई थी तथा 62 परियोजनाएं अभी भी आरम्भ की जानी थी। न तो मंत्रालय और न ही नोडल अभिकरण योजना के राजस्व सृजन का डाटा प्रस्तुत कर सके। सभी स्तरों पर प्रभावी परिवीक्षण के बहुत कम प्रमाण थे।

विशिष्टताएं

इसके लिए आठवीं तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान क्रमशः 700 करोड़ रु. तथा 500 करोड़ रु. के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। योजना के लिए निधियों का केन्द्रीय निर्गम अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय से बहुत कम पड़ गया। अब तक नौवीं योजना में निधियों का निर्गम भी समग्र योजना आबंटन के साथ बराबर नहीं चल सका।

मुम्बई को छोड़कर किसी भी नोडल अभिकरण ने परिक्रामी निधि की स्थापना नहीं की जो कि निरन्तर तथा पौषणीय आधार पर अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के सृजन तथा विकास के लिए समीक्षात्मक आवश्यकता थी। राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति ने परिक्रामी निधि जिसे नोडल अभिकरण ने स्थापित किया था, में से दीर्घ अवधि कर्ज संस्वीकृत करके विपरीत उद्देश्य के लिए कार्यवाही की।

मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किये बिना कि नोडल अभिकरणों ने परिक्रामी निधि की स्थापना कर ली थी तथा उन्होंने इसका संचालन निर्धारित विधि से किया था, नोडल अभिकरणों को वर्षानुवर्ष निधियां संस्वीकृत तथा जारी की।

नोडल अभिकरणों ने सरकारी निधियां कार्यान्वयन अभिकरणों को वांछित गति से नहीं बांटी । वर्ष 1999 -2000 के अन्त में सरकारी निधियों की भारी राशि नोडल अभिकरणों के पास अव्ययित पड़ी थी ।

कोलकाता, चेन्नई तथा मुम्बई में महानगर विकास योजना की तैयारी, सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिए जारी की गई केन्द्रीय निधियां अव्ययित रह गई ।

मंत्रालय ने निधियों के भारी भाग वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्वीकृत तथा जारी किये जिससे यह संकेत मिला कि निधियों की संस्वीकृति में कर्तव्यपरायणता का अनुसरण नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त सम्भवता बजट आबंटन को व्यपगत होने से बचने के लिए जल्दी निर्गम किये जा रहे थे ।

हैदराबाद को छोड़ कर सभी महानगरों की राज्य स्तरीय संस्वीकृति समितियों ने परियोजनाएं संस्वीकृत करने में निर्धारित मिश्रित परियोजना से भारी रूप से विचलन किया । उनके द्वारा अपनाया गया परियोजना मिश्रण वाणिज्यिक जीवन क्षम परियोजनाओं के प्रति विषम था जो कि लम्बी अवधि के आधार पर योजना बनाए रखने के लिए अनिवार्य था ।

राज्य समितियों द्वारा गलत संस्वीकृतियों के कई मामले थे; उदाहरणार्थ अपात्र परियोजनाओं को खुल्लमखुला अनुदानों की संस्वीकृति, अपात्र श्रेणी को सुलभ कर्जों की संस्वीकृति, कार्यान्वयन एजेंसियों की चालू परियोजनाओं को संस्वीकृति, किसी परियोजना रिपोर्ट के बिना संस्वीकृति, नगर वृहत्त योजना तथा प्राथमिकताकरण कसौटी का निर्धारण आदि ।

वर्ष 1999-2000 के अन्त में बंगलौर में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मुख्य चुकौती दोष थे ।

कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण, कलकत्ता के लिए नोडल अभिकरण भी निर्धारित निर्देशन के विपरीत एक कार्यान्वयन अभिकरण था, इसने अपनी निधियों से योजना निधि को पृथक नहीं किया तथा मनमाने ढंग से विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की ।

चेन्नई नोडल अभिकरण ने गलत ढंग से कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रशासनिक व्यय प्रभारित किये, तथा उन प्रभारों को कर्ज की राशि से समायोजित किया।

हैदराबाद नोडल अभिकरण ने राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित न किये गये कार्यों पर कुछ व्यय किये ।

कार्यान्वयन अभिकरणों ने संस्वीकृत 442 परियोजनाओं में से 72 परियोजनाएं विविध कारणों से, जैसे गैर-सम्भाव्यता, भूमि की अनुपलब्धता, आरम्भ करने में विलम्ब, योजनाओं को अनुमति न मिलना, स्थल विवाद, कानूनी समस्याएँ, नोडल अभिकरणों द्वारा निधियां जारी न करने, प्राथमिकता में परिवर्तन आदि के कारण छोड़ दी ।

चेन्नई, हैदराबाद तथा मुम्बई में योजनाओं के विलम्ब से आरम्भ करने तथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप 86 परियोजनाओं में लागत में वृद्धि का संशोधन हुआ।

हैदराबाद में 2.04 करोड़ रु. की लागत पर निर्मित समानान्तर पुल त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण अप्रयुक्त पड़ा है।

जैसा कि योजना में विचार किया गया था, न तो नोडल अभिकरण और न ही मंत्रालय परियोजना द्वारा राजस्व उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियों के बारे में लेखापरीक्षा को आकड़े उपलब्ध करवा सके।

सभी स्तरों - मंत्रालय, राज्य, तथा नोडल अभिकरणों के स्तर पर योजना का परीक्षण घटिया था। मंत्रालय ने छ:माही पुनरीक्षण बैठकें आयोजित नहीं की। परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1999 में गठित संचालन समिति ने कभी बैठक नहीं की। राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति बिखर बिखर कर मिली, प्राथमिक तौर पर परियोजनाएं संस्वीकृत करने के लिए न कि पहले संस्वीकृत परियोजनाओं के पुनरीक्षण अथवा परीक्षण के लिए। नोडल अभिकरणों ने योजना-वार पृथक लेखों का अनुरक्षण नहीं किया।

प्रस्तावना

3.1.1 शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई निरन्तर मांगों के प्रत्युत्तर में शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय ने महानगरों में अवसंरचना के विकास के लिए 1993-94 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की। योजना पांच महानगरों अर्थात् मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद में लागू है। मंत्रालय ने मार्च 1995 में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किये। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का मूल उद्देश्य सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से महानगरों में अवसंरचना विकास परियोजनाएं आरम्भ करना है। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय महत्व की होनी चाहिए तथा जल आपूर्ति तथा मलजल, सड़कों तथा पुलों, नगर परिवहन, ठोस अपव्यय प्रबन्धन इत्यादि को कवर करती होनी चाहिए।

3.1.2 शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय महानगर योजना की प्रगति का प्रबन्ध तथा परीक्षण करता है। सम्बद्ध सरकारों ने राज्य सरकार के तीन सदस्यों तथा योजना आयोग एवं शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय के प्रत्येक से एक सदस्य से रा.स्त.सं.स.¹ का गठन किया। रा.स्त.सं.स. मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं संस्वीकृत करती है। योजना में प्रत्येक महानगर में निधियन तथा परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति का परीक्षण करने के लिए एक नोडल अभिकरण की पहचान करने पर विचार किया गया है। कार्यान्वयन अभिकरण परियोजना

¹ राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति

रिपोर्ट तैयार करते हैं। योजना केवल पूंजीगत परियोजनाएं जो नई परिसम्पत्तियों का निर्माण करती हैं तथा पुरानी परिसम्पत्तियों के उपयोग के गतिरोध को हटाती हैं, को अनुमति देती है तथा अनुसूक्षण कार्यों की अनुमति नहीं देती है। सम्बद्ध महानगरों में निम्नलिखित नोडल अभिकरण है -

(क)	मुम्बई	मुम्बई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (मु.म.क्षे.वि.प्रा.)
(ख)	कोलकाता	कोलकाता महानगरीय विकास प्राधिकरण (क.म.वि.प्रा.)
(ग)	चेन्नई	तमिलनाडु शहरी वित्त तथा अवसंरचना विकास निगम (त.ना.श.वि.अ.वि.नि.)
(घ)	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश शहरी अवसंरचना तथा वित्त विकास निगम (आ.प्र.श.अ.वि.नि.)
(ङ)	बंगलौर	कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास वित्त निगम (क.श.अ.वि.वि.नि.)

3.1.3. नोडल अभिकरणों का यह कार्य है कि वे सभी श्रेणियों की परियोजनाओं की मिश्रित गतिविधियों की पहचान कर, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं के घटकों की राजस्व उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करें। योजना में यह विचारा गया है कि उपयुक्त राज्यों/स्थानीय नीतियों के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं की बास्केट पर पुनः संरचना/उपभोग कर्ता प्रभारों का लगाना/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सामान्य राजस्व वृद्धि का एक हिस्से के काम में लाने आदि को समग्र आधार पर व्यवहार्य होना चाहिए। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में स्थानीय शहरी निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को विशेष दिशा निर्देश/अनुदेश जारी कर कार्यान्वयन अभिकरणों से सम्बन्धित नोडल एजेंसियों की समन्वय तथा निधि प्रबन्धन की भूमिका को नियत करती है। सम्बन्धित महानगरों में कार्यान्वयन अभिकरणों के नाम अनुबन्ध-1 में दिये गये हैं।

वित्तीय व्यवस्था

3.1.4. योजना में 25 प्रतिशत समरूप से अनुदान के रूप में निधियन केन्द्र और राज्य सरकार प्रदान करती है। नोडल अभिकरण को बकाया 50 प्रतिशत संस्थागत वित्त व्यवस्था से पूरा करना पड़ता है। सम्बन्धित राज्यों की प्रत्येक नोडल एजेंसी द्वारा परिक्रामी निधि का सृजन करना योजना की एक संकटकालीन आवश्यकता है। इसका उद्देश्य संरचनात्मक परिसम्पत्तियों के निरन्तर और पोषणीय आधार पर विकास के लिए निधि का सृजन तथा अनुसूक्षण करना है।

3.1.5. नोडल अभिकरण आगे परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ जारी करती है, ऐसी जारी की गई निधियाँ ऋण और अनुदान का मिश्रण होता है। योजना में यह विचार किया गया है कि परियोजना पर आधारित ऋण को ब्याज की

परिवर्ती दरों पर जिसमें अनुदानों का विवेकपूर्ण मिश्रण होता है (केन्द्र और राज्य के 20 प्रतिशत हिस्से की सीमा तक) विभिन्न कार्यान्वयन संस्थानों को नोडल अभिकरण द्वारा दिया जाएगा। यह इस प्रकार से किया जाएगा कि उधार ली गई पूंजी पर ब्याज/मूल्यांकन/प्रक्रिया/ सेवा प्रभार तथा सम्बन्धित लागत लगाने के पश्चात् न्यूनतम 75 प्रतिशत तक प्रत्येक नोडल अभिकरण के पास समग्र निधि के रूप में नौवीं योजना के अन्त में रहे।

3.1.6. योजना में यह विहित है कि नोडल अभिकरण द्वारा निधियन तीन मिश्रित श्रेणियों की परियोजनाओं अर्थात् (क) लाभकारी (ख) उपभोग कर्ता प्रभार आधारित तथा (ग) बुनियादी सेवाओं वाली परियोजनाओं पर 40: 30: 30: के अनुपात में होगा। श्रेणी क की परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था में कोई छूट नहीं मिलेगी। श्रेणी ख की परियोजनाएं बाजार दर से कम ब्याज पर वित्त पोषित होंगी। श्रेणी ग की परियोजनाएं दो प्रकार की हैं। जो बुनियादी सेवाओं से सम्बन्धित तथा जिनका सीधा सम्बन्ध गरीबी उन्मूलन से नहीं है, को तीन से पांच प्रतिशत के नाममात्र के ब्याज पर सुलभ कर्ज के रूप में निधियन प्राप्त करेंगी। दूसरे प्रकार की अर्थात् जिनका सीधा सम्बन्ध शहरी गरीबी उन्मूलन से है सहायता अनुदान प्राप्त करेंगी, यद्यपि ऐसा अनुदान नोडल अभिकरण द्वारा सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान आबंटन के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.1.7. राज्य सरकार तथा नोडल अभिकरण स्टाफ और प्रशासन लागत को वहन करेंगी। नोडल अभिकरण को योजना के अन्तर्गत समस्त प्राप्त होने वाली तथा व्यय होने वाली राशि के लिए वाणिज्यिक बैंक में एक पृथक खाता खोलकर अनुरक्षण करना होगा। उनको प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण का योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना का पृथक रूप से खाते का अनुरक्षण भी करना होगा।

3.1.8. 1993 से 2000 तक की लेखापरीक्षा द्वारा आवृत्त की गई अवधि के दौरान राज्य स्तरीय संस्वीकृत समितियों ने 3342.51 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत की 442 परियोजनाओं की मंजूरी दी। पैराग्राफ सं. 3.1.38 के नीचे दी गई तालिका में इन परियोजनाओं का आगे का ब्यौरा दिया गया है। तथापि, निधियों के निर्गम में दी गई कमियों तथा इस तथ्य के आधार पर भी कि सांस्थानिक वित्त योजना द्वारा अपेक्षित तक एकत्रित नहीं किये जा सके, रा.स्त.स.स. द्वारा जारी संस्वीकृतियां वास्तविक संसाधन उपलब्धता को प्रतिबिम्बित नहीं करती है। इस प्रकार परियोजनाओं को संस्वीकृत करते समय उपलब्ध संसाधनों तथा संरचना का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

3.1.9. लेखापरीक्षा ने 1993-2000 की अवधि के दौरान, मंत्रालय और पांच महानगरों के नोडल अभिकरणों के योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की योजना के नियोजन तथा प्रशासन व्यय का प्रबन्धन तथा परिक्रामी निधि के प्रबन्धन का मूल्यांकन

करने के लिए समीक्षा की। महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

वित्तीय परिचय तथा व्यय

3.1.10 निम्नलिखित तालिका बजट, मंत्रालय द्वारा जारी की गई संस्वीकृतियों, नोडल अभिकरणों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट नोडल अभिकरणों के उत्तर से संकलित निम्न तालिका केन्द्र और राज्य द्वारा जारी की गई सहायता, कुल उपलब्ध निधियां तथा 1993-2000 के दौरान योजना के अन्तर्गत व्यय का ब्यौरा दर्शाती है। सम्बन्धित महानगरों का ब्यौरा आगे अनुलग्नक-II में दिया गया है।

करोड़ रु. में

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा			राज्य हिस्सा	व्यय*
	बजट अनुमान	वास्तविक जारी निधियां	कमिया		
1993-94	शून्य	70.50	-	52.58	47.90
1994-95	74.50	74.50	-	106.37	188.44
1995-96	83.90	83.90	-	136.66	135.43
1996-97	83.90	60.90	23.00	125.77	236.07
आठवीं योजना में कुल	242.30	289.80	23.00	421.38	607.84
1997-98	80.90	68.90	12.00	91.86	164.92
1998-99	86.40	74.85	11.55	58.79	266.14
1999-2000	86.37	79.90	6.47	67.96	284.78
नोवीं योजना में तीन वर्षों का योग	253.67	223.65	30.02	218.61	715.84
कुल		513.45		639.99	1323.68

* केन्द्रीय /राज्य/संस्थानों द्वारा वित्त पोषित निधियों में से

3.1.11. इस तथ्य के आधार पर कि अवधि के दौरान नोडल अभिकरणों द्वारा 560.73 करोड़ रु. का सांस्थानिक वित्त वसूल किया गया था, यह स्पष्ट है कि राज्य ने भारी मात्रा में इसका हिस्सा रोके रखा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियों में आठवीं योजना में अनुमोदित 700 करोड़ रु. के परिव्यय से 59 प्रतिशतता की कमी पाई गई। नोवीं योजना की अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अनुदानों का प्रवाह 500 करोड़ रु. के समग्र अनुमोदित योजनागत परिव्यय के साथ गति नहीं पकड़ पाया यथानुपात आधार पर मार्च 2000 तक इसमें 26 प्रतिशत की कमी थी।

3.1.12. नोडल अभिकरणों ने भी अपने पास उपलब्ध निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को नहीं भेजा। 31 मार्च 2000 को महानगरों में नोडल अभिकरणों को दी गई सरकारी राशि में से अव्ययित राशि निम्न तालिका में दी गई है:-

करोड़ रु. में

नोडल अभिकरणों ने 462.91 करोड़ रु. कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करने की बजाए अपने पास रखे ।

महानगर	केन्द्र का भाग	राज्य का भाग	कुल	कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई राशि	नोडल अभिकरणों के पास खर्च न की गई शेष राशि
बंगलौर	84.54	82.38	166.92	92.93	73.00
कोलकाता	115.76	234.65	350.41	*169.08	181.33
चेन्नई	96.00	133.11	229.11	149.93	79.18
हैदराबाद	95.27	79.51	174.78	134.75	40.03
मुम्बई	121.88	110.34	232.22	142.85	89.37
कुल	513.45	639.99	1153.44	690.53	462.91

* अपुष्ट आंकड़े

विकास आयोजना/ व्यवहार्यता अध्ययनों और अनुसंधान पर व्यय न किया जाना ।

3.1.13. केन्द्रीय आबंटन में महानगर विकास योजना बनाने/व्यवहार्यता अध्ययन और अनुसंधान इत्यादि के लिए दी गई 2.95 करोड़ रु. की राशि शामिल थी । बंगलौर और हैदराबाद में नोडल अभिकरणों ने व्यवहार्यता अध्ययन आदि पर क्रमशः 0.34 और 0.21 करोड़ रु. खर्च किये । कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में महानगर विकास योजना बनाने /व्यवहार्यता अध्ययनों और अनुसंधान के लिए जारी की गई 2.40 करोड़ रु. की कुल राशि नोडल अभिकरणों के पास अव्ययित पड़ी रही। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को बिना उचित व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुमोदित किया गया और बाद में उन्हें वापस ले लिया गया ।

परिक्रामी निधि

सतत आधार पर शहरी अवसंरचना के विकास के लिए निधि के निर्माण तथा अनुरक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

3.1.14 लेखापरीक्षा ने मुम्बई को छोड़कर किसी नोडल अभिकरण को योजना के लिए परिक्रामी निधि रखते हुए नहीं पाया । बंगलौर नोडल अभिकरण ने केन्द्रीय अनुदान को अपने खाते में जमा कराया और राज्य अनुदान को व्यक्तिगत खाते में जमा कराया । कोलकाता नोडल अभिकरण ने केन्द्रीय अनुदान को अलग बैंक खाते में रखा और राज्य अनुदान को व्यक्तिगत जमा खाते में रखा । इसके अलावा इसने व्यक्तिगत जमा खाते में रखे गए राज्य आबंटन का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। इसने महानगर परियोजनाओं के अधीन आवास के लिए भूमि विकास की प्राप्ति को विभिन्न बैंकों में रखा । हैदराबाद नोडल अभिकरण ने निधियों को विभिन्न बैंकों में अल्पावधि जमाखाते में रखा और कार्यान्वयन अभिकरणों से भी ऐसा ही करने को कहा । इसमें थोड़ी अच्छाई थी चूंकि कार्यान्वयन अभिकरणों को अपने स्तर पर किसी निधि का अनुरक्षण करने के स्थान पर निधि की रकमों को कार्य की प्रगति के अनुसार प्राप्त व

खर्च करना चाहिये था। चेन्नई नोडल अभिकरण ने परिक्रामी निधि की रचना एवं उसमें पड़ी हुई रकम के बारे में सूचना नहीं दी थी।

3.1.15. मुम्बई नोडल अभिकरण ने परिक्रामी निधि का सृजन किया था, जिसमें मार्च 2000 को 212.12 करोड़ रु. का संग्रह था। उस संग्रह में वर्ष 1993-94 में केन्द्रीय सरकार द्वारा मुम्बई नगर निगम को सम्भावित निर्माण हेतु राज्य सरकार को जारी किये गये 20 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं थे। योजना के दिशा निर्देशों में नोडल अभिकरणों द्वारा मात्र उतनी अवधि के लिए कर्ज देने का प्रावधान था जितने में नौवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक, कुल सरकारी निर्माण के 75 प्रतिशत की वसूली वापस परिक्रामी निधि में सम्भव हो सके। मुम्बई नोडल अभिकरण ने दस वर्षों की अवधि के लिए कर्ज देकर उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था। परिणामस्वरूप नोडल अभिकरण मार्च 2000 तक कार्यान्वयन अभिकरणों से, 232.22 करोड़ रुपये के कुल सरकारी निर्माण की तुलना में केवल 25 करोड़ रुपये की परिक्रामी निधि के क्रेडिट में पुनः प्राप्ति कर सकी।

3.1.16. नोडल अभिकरण द्वारा परिक्रामी निधि का सृजन न करना, जैसी, परिकल्पना थी, शहरी अवसंरचना की लगातार एवं स्वपोषण के आधार पर उन्नति के उद्देश्य में रूकावट थी। मंत्रालय को इस की छानबीन करनी चाहिए थी कि उसने परिक्रामी निधि के सृजन हेतु मूल आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना वर्षानुवर्ष नोडल अभिकरणों को निधियां जारी कैसे की।

राज्यों के अनुरूपयोजी भाग का कम निर्माण

3.1.17. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने अपने अनुरूपयोजी भाग से 29.46 करोड़ रुपये कम जारी किये।

करोड़ रुपये में

महानगर	निर्माण का केन्द्रीय भाग	निर्माण का राज्य भाग	राज्य भाग का कम निर्माण
बंगलोर	84.54	82.38	2.16
कलकत्ता	115.76	234.65	-
चेन्नई	96.00	133.11	-
हैदराबाद	95.27	79.51	15.76
मुम्बई	121.88	110.34	11.54
कुल	513.45	639.99	29.46

जारी किये गए राज्य के अनुरूपयोजी भाग के 29.46 करोड़ रु. कम पड़ गए।

3.1.18. कलकत्ता में नोडल अभिकरण ने 95.22 करोड़ रुपये का कर्ज राज्य सरकार से प्राप्त किया परन्तु उसे राज्य सरकार के अनुरूपयोजी भाग के रूप में गलत सूचित किया।

वित्तीय वर्ष के अन्त में केन्द्रीय अनुदान का निर्मोचन

3.1.19 निम्न तालिका योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निधियों के निर्मोचन के ढंग को दर्शाती हैं-

करोड़ रु. में

वर्ष	वर्ष में जारी की गई राशि	मार्च में जारी की गई निधियां		अन्तिम तिमाही में जारी की गई निधियां	
		राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1993-94	0.50	0.50	100	0.50	100
1994-95	74.50	74.50	100	74.50	100
1995-96	83.90	42.15	50.2	83.90	100
1996-97	60.90	10.77	17.7	26.65	43.7
1997-98	68.90	30.00	43.5	30.00	43.5
1998-99	74.85	-	-	31.87	42.6
1999-2000	79.90	-	-	36.90	46.2

3.1.20 योजना के प्रथम दो वर्षों में मंत्रालय ने मार्च में ही अपने सारे अनुदान जारी कर दिये थे। सामान्यतः मंत्रालय ने अपने भाग का बड़ा हिस्सा वर्ष की अन्तिम तिमाही में जारी किया था। जैसा कि अभ्युक्ति में शामिल है कि मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किये बिना कि मुम्बई के सिवाए नोडल अभिकरणों ने परिक्रामी निधि के सृजन हेतु मूल आवश्यकताओं को पूरा किया है या नहीं वर्षानुवर्ष निधियों का निर्मोचन किया, वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में निधियों का जारी करना संस्वीकृति दाता प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षित परिश्रम की कमी को सुझाता है, इसके अतिरिक्त सम्भवतः अनुदानों का आपात निर्मोचन के रूप में बजट आबंटन के व्यपगत होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया।

परियोजना के निर्धारित मिश्रण का पालन न करना

3.1.21 जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है रा.स्त.सं.स. ने श्रेणी क, ख और ग में परियोजना के मिश्रण अनुपात 40: 30: 30 का पालन नहीं किया था। उनके द्वारा अपनाया गया मिश्रण, हैदराबाद के अलावा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं अर्थात् क श्रेणी की परियोजनाओं की लम्बे समय के आधार पर जीवित रखने के लिए अनिवार्य था, विषम था।

मानक	क (40 प्रतिशत)	ख (30 प्रतिशत)	ग (30 प्रतिशत)
बंगलौर	25.3	15.8	58.9
चेन्नई	6.5	45.5	48.0
कलकत्ता	20.2	74.2	5.6
हैदराबाद	46.8	29.2	24.0
मुम्बई	19.4	44.8	35.8

रा.स्त.सं.स. द्वारा अपात्र परियोजनाओं को अनुदानों की मंजूरी

71.42 करोड़
रु. कर्जों के
बजाय अनुदानों
के रूप में
संस्वीकृत किए
गए।

3.1.22 मूल सेवाओं से सम्बन्धित ग श्रेणी की 1216 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृत लागत में कुल 155 परियोजनाएं थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया, जैसा कि नीचे विवरण है, कि तीन महानगरों में सम्बन्धित रा.स्त.सं.स. ने 68 अपात्र परियोजनाओं के लिए 71.42 करोड़ रुपये के अनुदानों को मंजूरी दी थी जो कि गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित नहीं थी, इसलिए अनुदानों के लिए हकदार नहीं थी।

करोड़ रु. में

शहर का नाम	परियोजनाओं जिनके लिये अनुदान स्वीकृत किये की संख्या	राशि
बंगलोर	6	7.55
मुम्बई	25	55.56
चेन्नई	37	8.31
योग	68	71.42

3.1.23 महाराष्ट्र रा.स्त.सं.स. ने गलती से एक ख श्रेणी की स्ट्रीट लाइटिंग तथा दो जलपूर्ति परियोजनाओं के लिए 11.43 करोड़ रुपये के अनुदान मंजूर कर दिये थे और नोडल एजेन्सी ने उन्हें जारी भी कर दिया था।

सुलभ कर्जों की अनियमित मंजूरी

31.21 करोड़
रु. के सुलभ
कर्जों की गलत
संस्वीकृति

3.1.24 महाराष्ट्र रा.स्त.सं.स. ने गलती से परियोजनाओं के लिए सुलभ कर्ज के रूप में ख श्रेणी की सात परियोजनाओं के लिए 31.21 करोड़ रुपये मंजूर किये जिन पर ग श्रेणी की परियोजनाओं के लिए लागू तीन प्रतिशत का ब्याज बनता था।

3.1.25 महाराष्ट्र रा.स्त.सं.स. ने ब.वि.रा.प. न.मु.न.नि. और ठा.न.नि. को 70.74 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना संस्वीकृत की, यद्यपि ये कार्य इन अभिकरणों की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा थे। नोडीय अभिकरण ने उन अपात्र परियोजनाओं पर मार्च 2000 तक 46 करोड़ रु. जारी किए।

चालू परियोजनाओं की अनियमित संस्वीकृति

दिशा निर्देशों के
उल्लंघन में योजना
के अन्तर्गत चालू
परियोजनाएं आरम्भ
की गई थी।

3.1.26 परियोजनाओं की 14 प्रतिशत परियोजनाएं जिनका ब्यौरा अनुबन्ध-III में दिया गया है, चालू परियोजनाएं थी, जिन पर 496.02 करोड़ रु. का कुल व्यय अन्तर्ग्रस्त था, और रा.स्त.सं.स. द्वारा उन्हें योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के रूप में अपनाने से पहले कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा 117.90 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके थे। यह गलत था क्योंकि यह चालू परियोजनाओं को लेने के लिए मना करने वाले

मंत्रालय के जून और अक्टूबर 1995 के अनुदेशों का उल्लंघन था। निम्न तालिका सम्बन्धित महानगरों की स्थिति को दर्शाती है -

करोड़ रु. में

महानगर	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल सुख्या	संस्वीकृत चालू परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत किए जाने की तारीख तक चालू परियोजनाओं पर किया गया व्यय	मार्च 2000 तक चालू परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय
बंगलौर	31	—	—	—
कलकत्ता	87	33	45.87	132.19
चेन्नई	121	14	15.68	110.17
हैदराबाद	148	7	8.57	46.37
मुम्बई	55	10	47.78	207.29
कुल	442	64	117.90	496.02

स्रोत: नोडीय अभिकरणों को कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भेजी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, और लेखापरीक्षा द्वारा नोडीय अभिकरणों से संग्रहीत ब्यौरे।

3.1.27 चेन्नई में, रा.स्त.सं.स. ने योजना के अन्तर्गत पूर्ण परियोजना को संस्वीकृत किया। नोडीय अभिकरण ने योजना पर खर्च किए गए 0.23 करोड़ रु. प्रभारित किये।

रा.स्त.सं.स. द्वारा परियोजनाओं की गलत संस्वीकृति के अन्य मामले

3.1.28 बंगलौर में रा.स्त.सं.स. ने परियोजना रिपोर्ट, नगर वृहत योजना के बिना और कोई प्राथमिकता का मापदण्ड निर्धारित किए बिना परियोजनाएं संस्वीकृत की।

3.1.29 बंगलौर में, रा.स्त.सं.स. ने राईट्स लि. द्वारा अगस्त 1991 में प्रकट की गई आंशका, कि फ्लाई ओवर मेट्रो रेल प्रणाली के विकल्प को रोक देगा, की देखी-अनदेखी करके टाउन हाल और सिरसी सर्कल के मध्य 94 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए मार्च 1996 में एक परियोजना संस्वीकृत की।

3.1.30 कलकत्ता और चेन्नई में, रा.स्त.सं.स. ने 113.06 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर मध्यम आय वर्ग फ्लैटों और मकानों के निर्माण के लिए ग्यारह परियोजनाएं संस्वीकृत की यद्यपि दिशा-निर्देशों का अभिप्राय केवल शहरी निर्धनों के लिए ही मकानों के निर्माण करने का था। मार्च, 2000 तक 34.49 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका था।

3.1.31 मुम्बई में रा.स्त.सं.स. ने स्वास्थ्य क्षेत्र जिसे योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जाना था, से सम्बन्धित दो परियोजनाएं 26.81 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर सितम्बर 1999 में अनुमोदित की।

3.1.32 कलकत्ता में रा.स्त.सं.स. ने नगर क्षेत्र के शौचघरों को कम लागत की सफाई योजना में परिवर्तन का 6.55 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर फरवरी 1996 में अनुमोदन किया जिसके विरुद्ध 6.51 करोड़ रु. मार्च 2000 तक व्यय किए जा चुके थे ।

ऋण की चुकोती में चूक

23.03 करोड़ रु. के कर्ज तथा ब्याज की चुकोती में चूक।

3.1.33 बंगलौर नोडीय अभिकरण ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अपने तीन कार्यान्वयन अभिकरणों को 93.92 करोड़ रु. संस्वीकृत किए । 31 मार्च 2000 तक ब्याज सहित 38.17 करोड़ रु. नोडीय अभिकरण को भुगतान किया जाना बकाया था । कार्यान्वयन अभिकरणों से नियत तिथि को बकाया अदत्त राशि 23.03 करोड़ रु. थी ।

कलकत्ता नोडीय अभिकरण द्वारा योजना निधियों का निजी निधियों से अपृथक्करण

क.म.वि.प्रा. ने नोडल एजेन्सी के साथ साथ कार्यान्वयन एजेन्सी का कार्य किया।

3.1.34 योजना में अभिकल्पित है कि यदि नोडीय अभिकरण समन्वय एवं निधि प्रबन्ध तथा योजना एवं विकास का कार्य करती है तो किसी भी प्रकार के स्वार्थ संघर्ष को रोकने के लिए दोनो प्रकार के कार्यों में स्पष्ट रूप से भेद कर देना चाहिए । कलकत्ता नोडीय अभिकरण अर्थात् सी.एम.डी.ए. ने भी कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य किया था । इसने योजना गतिविधियों को इसकी सामान्य गतिविधियों से अलग नहीं किया । इसने केन्द्र द्वारा दिए गए धन को अपने लेखे में रखा और ब्याज की दर, वसूली कार्यक्रम और ऋण तथा अनुदान के संघटक का निर्णय लिए बिना सभी प्रकार की परियोजनाओं को निधियां विमुक्त की ।

3.1.35 हैदाबाद में, नोडीय अभिकरण ने ऋण के वसूली कार्यक्रम और ब्याज दर का निर्णय लिए बिना कार्यान्वयन अभिकरणों को ऋण विमुक्त किए ।

प्रशासकीय व्यय की अप्राधिकृत वसूली

2.03 करोड़ रु. के प्रशासकीय व्यय योजना को प्रभारित किये गये यद्यपि मान्य नहीं थे।

3.1.36 चेन्नई नोडीय प्राधिकरण ने अप्राधिकृत रूप से कार्यान्वयन अभिकरणों से कुल विमुक्त ऋण की राशि के एक प्रतिशत की दर से मार्च 2000 तक 2.03 करोड़ रु. प्रशासकीय व्यय के रूप में वसूल किए और उन प्रभारों को ऋण की राशि के विरुद्ध समायोजित किया ।

निर अनुमोदित कार्यों पर किया गया व्यय

योजना के साथ न जुड़ी हुई गतिविधियों को 9.80 करोड़ रु. का विपथन।

3.1.37 हैदराबाद में, नोडीय अभिकरण ने तीन अभिकरणों अर्थात् कुली कुतुबसा शहरी विकास प्राधिकरण, मांस और कुक्कुट पालन विकास निगम तथा कलैक्टर हैदराबाद (नन्दनवनम परियोजना) को रा.स्त.सं.स. के अनुमोदन के बिना 9.80 करोड़ रु. की निधियां जारी की । हैदराबाद नोडीय अभिकरण ने भी रा.स्त.सं.स. के अनुमोदन के बिना साइट्स एण्ड सर्विसिज, जैटीज एण्ड पार्कस की 6 परियोजनाओं पर 1993-94, 1994-

95 और 1995-96 वर्षों के दौरान क्रमशः 1.12 करोड़, रु. 5.80 करोड़ रु. और 1.75 करोड़ रु. व्यय किए।

प्रत्यक्ष प्रगति

442 परियोजनाओं में से केवल 115 पूर्ण हुई थी।

3.1.38 विभिन्न प्रलेखों जैसे रा.स्त.सं.स. की सभाओं के कार्यवृत्त, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा नोडीय अभिकरणों को भेजी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों और मार्च 2000 तक नोडीय अभिकरणों द्वारा मंत्रालय को भेजी गई त्रैमासिक स्थिति रिपोर्टों से लेखापरीक्षा ने अनुमोदित परियोजनाओं की प्रत्यक्ष प्रगति पर, निम्नलिखित तालिका संकलित की है। निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रत्यक्ष प्रगति पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दी गई हैं। अनुबन्ध-IV में और ब्यौरे दिए गए हैं।

शहर	अनुमोदित			छोड़ दिए गए			पूर्ण किए गए			प्रगति में			अभी आरम्भ किए जाने हैं		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
श्रेणी→															
बंगलोर	4	9	18	1	6	7			2	3	3	9	-	-	-
चेन्नई	35	21	65	13	4	9	11	6	26	5	8	26	6	3	4
कलकत्ता	12	55	20	-	-	-	1	22	14	6	29	6	5	4	-
हैदराबाद	82	43	23	4	16	2	12	6	7	50	19	10	16	2	4
मुम्बई	12	14	29	3	3	4	-	3	5	5	4	10	4	4	10
जोड़	145	142	155	21	29	22	24	37	54	69	63	61	31	13	18
अनुमोदित परियोजनाओं की प्रतिशतता				14	21	14	17	26	35	48	44	39	21	9	12
कुल जोड़	442			72(16)			115(26)			193(44)			62(14)		

कोष्ठकों में आंकड़े समग्र प्रतिशतता निरूपित करते हैं।

बन्द की गई परियोजनाएं

संस्वीकृति के पश्चात 72 परियोजनाएं छोड़ दी गई थी। हैदराबाद में 4.05 करोड़ रु. का व्यय करने के पश्चात 15 परियोजनाएं बीच में ही बन्द हो गई थी।

3.1.39. रा.स्त.सं.स. तमिलनाडु ने, चेन्नई में भूमि की असंभाव्यता, अनुपलब्धता, परियोजना के आरंभ होने में विलम्ब तथा सक्षम प्राधिकारी से योजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 26 परियोजनाएं बन्द कर दी। आन्ध्र रा.स्त.सं.स. ने हैदराबाद में 22 परियोजनाएं बन्द की जिसमें कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा स्थल के गलत चयन, स्थल विवाद कानून संबंधी समस्याओं, प्रमुख अभिकरणों द्वारा पर्याप्त निधियों के जारी न करने आदि के कारण सूचित किए गए 4.05 करोड़ रु. का व्यय करने के पश्चात छोड़ी गई 15 परियोजनाएं शामिल थी।

3.1.40 मुम्बई नोडल अभिकरण ने परियोजनाओं की असंभाव्यता, नगर निगम की स्वीकृति न मिलना प्राथमिकता में परिवर्तन, भूमि के अनधिग्रहण आदि के कारण सूचित की गई 10 परियोजनाएं बन्द की दी।

आरंभ की जाने वाली परियोजनाएं

3.1.41 कार्यान्वयन अभिकरणों ने मार्च 1997 तक पूर्ण करने के लिए नियत 10 परियोजनाएं मार्च 2000 तक आरंभ नहीं कीं। उन्होंने श्रेणी क तथा ख की क्रमशः 31 तथा 13 राजस्व उत्पादन परियोजनाओं को भी आरंभ नहीं किया।

3.1.42 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों तथा पुनरीक्षण बैठकों के कार्यवृत्त ने दर्शाया कि धीमी प्रगति के कारण आरंभ करने में विलम्ब, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के बाद लगाए/आरेखण/योजनाओं/अनुमानों को तैयार करने में विलम्ब, मूल आरेखण में परिवर्तन, कार्य के अतिरिक्त संघटकों का समावेशन, अन्तर्भिकरण समन्वयन में कमी, परियोजनाएं तैयार करने, भूमि अधिग्रहण, दीर्घकालिक निवेश कार्यक्रम की तैयारी, निवेशों को प्राथमिकता देने, वित्त प्रबन्धन तथा परियोजना कार्यान्वयन के परीक्षण में कार्यान्वयन अभिकरणों की क्षमता में कमी थी। इससे यह प्रकट होता है कि रा.स्त.सं.स. ने परियोजनाओं को संस्वीकृत करने से पहले उचित तथा सुव्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया।

3.1.43 पूर्ण की गई 115 परियोजनाओं के संबंध में समापन की वास्तविक तिथि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अतः अधिक लगाए गए समय का पता नहीं लगाया जा सका। 31-3-2000 को 193 परियोजनाएं प्रगति में थीं जिसमें से 30 परियोजनाओं के पूर्ण होने की नियत तिथि प्रमुख अभिकरणों के पास उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, 163 परियोजनाओं में से 135 परियोजनाएं मार्च 2000 तक पूर्ण होनी नियत थी। जैसाकि परियोजना प्रस्तावों तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के प्रपत्र क तथा ख से संकलित निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, इन परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अत्याधिक समय 2 से 63 महीनों (मार्च 2000 तक) का था।

करोड़ रु. में

नगर	प्रगति पर रही परियोजनाओं की कुल संख्या	अत्याधिक समय शामिल होने वाली परियोजनाओं की सं.	अत्याधिक समय (माह)
बंगलौर	15	10	6 से 26
कलकत्ता	41	30	3 से 48
चेन्नई	39	13	3 से 42
हैदराबाद	79	74	2 से 63
मुम्बई	19	8	12 से 42
कुल	193	135	

32.52 करोड़
रु. की लागत
बढ़ जाने के
अतिरिक्त
समय भी बहुत
बढ़ गया।

3.1.44 जैसाकि कार्यान्वयन अभिकरणों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों से संकलित की गई निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, प्रगति पर रही 5 परियोजनाओं तथा 26 पूर्ण की गई परियोजनाओं में 32.52 करोड़ रु. राशि की अत्याधिक लागत थी।

करोड़ रु. में

नगर	अत्याधिक लागत शामिल होने वाली पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अत्याधिक लागत	अत्याधिक लागत शामिल होने वाला प्रगति पर रही परियोजनाओं की संख्या	अत्याधिक लागत
बंगलौर	2	0.58	-	-
कलकत्ता	7	0.55	1	0.28
चेन्नई	16	21.75	1	0.05
हैदराबाद	1	0.01	2	0.15
मुम्बई	-	-	1	9.15
कुल	26	22.89	5	9.63

समापन प्रमाणपत्रों का अभाव

3.1.45 लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल अभिकरणों द्वारा पूर्ण सूचित की गई 115 परियोजनाओं में से 568.63 करोड़ रु. की लागत वाली 113 परियोजनाओं में कोई समापन प्रमाणपत्र नहीं था।

3.1.46 है.श.वि.प्रा. ने हैदराबाद में नया पुल पर 2.04 करोड़ रु. की लागत पर एक समानान्तर पुल का निर्माण किया। पुल सितम्बर 1999 में यातायात के लिए खोला गया था लेकिन गलत आरेखण के कारण तीन दिनों के बाद बन्द कर दिया था। पुल मई 2000 तक बन्द पड़ा था।

राजस्व उत्पादनों के लक्ष्यों की अनुपलब्धि

3.1.47 योजना दिशानिर्देशों में यह विचार किया गया था कि नोडल अभिकरण, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित काफी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परियोजनाओं की राजस्व उत्पादन क्षमता का स्पष्ट रूप से निर्धारण करेंगी। सभी पांचों नगरों में प्रमुख अभिकरण, लेखापरीक्षा को राजस्व उत्पादन के लक्ष्य तथा वास्तव में उत्पादित राजस्व के आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहे।

परिवीक्षण

3.1.48 सभी स्तरों पर परिवीक्षण निम्नलिखित के कारण अपर्याप्त तथा अप्रभावी था:

परिवीक्षण
अपर्याप्त तथा
अप्रभावी था।

- (क) मंत्रालय द्वारा संसदीय स्थायी समिति को जून 1997 में दिए गए आश्वासन के अनुसार मंत्रालय ने, विभिन्न महानगरों में चक्रीय आधार पर छमाही पुनरीक्षण बैठकें आयोजित नहीं की।
- (ख) मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1999 में प्रत्येक छःमाह में परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु गठित संचालन समिति की कभी बैठक नहीं हुई।
- (ग) रा.स्त.सं.स. की बहुत कम बैठकें हुई थी तथा पहले संस्वीकृत परियोजनाओं की परिवीक्षण तथा पुनरीक्षण करने के लिए नहीं बल्कि परियोजनाओं को प्राथमिक रूप से संस्वीकृत करने के लिए की गई थी।
- (घ) जैसाकि निर्धारित था, प्रमुख अभिकरणों में से किसी ने भी प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए थे।

सिफारिशें

3.1.49 मंत्रालय को, अधिक सुदृढ़ आधार पर योजना को प्रोत्साहित करने के लिए उसके समन्वयन तथा परिवीक्षण कार्यों को क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है। इसे यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमुख अभिरण उनको निधियां जारी करने से पहले सभी सम्मत पूर्वअपेक्षाओं, विशेष रूप से आवर्ती निधियों के गठन के संबन्ध में बैठक करें।

अनुबन्ध - I
(पैराग्राफ 3.1.3 देखें)

- I मुम्बई शहर
कार्यान्वयन अधिकरण
1. मुम्बई नगर निगम (मु.न.नि.)
 2. मुम्बई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (ब.वि.प.उ.)
 3. महाराष्ट्र शहरी तथा औद्योगिक निगम लि. (म.श.औ.नि.लि.)
 4. ठाणे नगर निगम (ठा.न.नि.)
 5. कल्याण नगर निगम (क.न.नि.)
 6. नवी मुम्बई नगर निगम (न.मु.न.नि.)
- II कलकत्ता
कार्यान्वयन अधिकरण
1. कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण (क.म.वि.प्रा.)
 2. कलकत्ता महानगरीय जल आपूर्ति एवं मलव्ययन प्राधिकरण (क.म.ज.म.प्रा.) क.म.वि.प्रा. की एक शाखा
 3. कलकत्ता नगर निगम (क.न.नि.)
- III चेन्नई
कार्यान्वयन अधिकरण:
1. मद्रास महानगरीय विकास प्राधिकरण (म.म.वि.प्रा.)
 2. मद्रास महानगरीय जल आपूर्ति तथा मलव्ययन बोर्ड (म.म.ज.म.बो.)
 3. तमिल नाडु पर्यटन विकास निगम (त.ना.प.वि.)
 4. मद्रास निगम
- IV हैदराबाद शहर
कार्यान्वयन अधिकरण:
1. हैदराबाद नगर निगम (है.न.नि.)
 2. हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (है.श.वि.प्रा.)
 3. हैदराबाद मेट्रो जल आपूर्ति एवं मलव्ययन बोर्ड (है.मै.ज.आ.म.बो.)
- V बंगलौर शहर
कार्यान्वयन अधिकरण:
1. बंगलौर महानगर पालिका (बं.प.पा.)
 2. कर्नाटक जल आपूर्ति मलव्ययन बोर्ड (क.ज.आ.म.बो.)
 3. बंगलौर विकास प्राधिकरण (बं.वि.प्रा.)

अनुबन्ध - II
(पैराग्राफ 3.1.10 देखें)

जारी किये गए केन्द्रीय तथा राज्य के हिस्से तथा नोडल अभिकरणों द्वारा किये गए व्यय का वर्ष वार विवरण

वर्ष	कलकत्ता			बंगलौर			चेन्नई			हैदराबाद			मुम्बई			जोड़		
	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	व्यय	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	व्यय	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	व्यय	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	व्यय	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	व्यय	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1993-94	20.10	22.48	42.48	0.10	--	--	15.10	15.10	--	15.10	15.00	--	20.10	--	5.42	70.50	52.58	47.90
1994-95	16.10	60.27	35.91	20.10	20.00	--	11.10	15.10	110.17	11.10	11.00	--	16.10	--	42.36	74.50	106.37	188.44
1995-96	8.08	45.90	36.22	15.08	15.18	0.02	17.08	20.08	21.12	15.58	15.50	14.81	18.08	40.00	63.26	83.90	136.66	135.43
1996-97	13.58	32.50	51.48	10.55	10.55	38.06	11.98	47.22	62.35	11.71	15.50	12.60	13.08	20.00	71.58	60.90	125.77	236.07
1997-98	14.89	28.50	58.26	11.25	11.25	23.60	12.81	19.50	34.97	12.22	8.61	25.85	17.73	24.00	22.24	68.90	91.86	164.92
1998-99	16.23	20.00	59.38	13.55	13.55	90.12	13.78	--	61.93	13.90	13.90	23.66	17.39	11.34	31.05	74.85	58.79	266.14
1999-2000	16.78	25.00	54.42	13.91	11.85	38.84	14.15	16.11	34.09	15.66	--	107.27	19.40	15.00	49.86	79.90	67.96	284.78
जोड़	115.76	234.65	338.15	84.54	82.38	190.64	96.00	133.11	324.63	95.27	79.51	184.49	121.88	110.34	285.77	513.45	639.99	1323.68

स्रोत:

1. मंत्रालय द्वारा जारी की गई संस्वीकृतियां
2. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर

अनुबन्ध -III

(पैराग्राफ 3.1.26 देखें)

राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित चल रही परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृति की तिथि तक व्यय	करोड़ रु. में अभ्युक्तियां
कलकत्ता				
कान नगर रेलवे अण्डर पास	3.50	19.10.95	0.01 (3/95)	3.86
ऊटाडंगा रेलवे अण्डर पास	4.53	19.10.95	1.07 (3/95)	4.41
बी.के. एक्सप्रेस बे	3.18	19.10.95	2012 (3/95)	3.19
आर.बी. कनेक्टर वाइडनिंग	5.09	19.10.95	0.45 (3/95)	4.99
स्ट्रीट लाइटिंग फेज I	0.65	19.10.95	0.16 (3/95)	0.64
गरिया पुल	2.18	19.10.95	0.10 (3/95)	2.44
बन्नूर एवन्यू मलव्ययन	1.24	19.10.95	0.60 (3/95)	1.24
डब्ल्यू एस.एस. मध्यग्राम	2.44	19.10.95	0.27 (3/95)	2.44
डब्ल्यू एस.एस. नरगी श्यामपुर	0.88	19.10.95	0.18 (3/95)	0.76
डब्ल्यू एस.एस. रजरहार	6.70	19.10.95	0.51 (3/95)	2.11
क.न.नि.वार्ड - 111 -112 में मलव्ययन व्यवस्था	10.16	2.12.95	0.03 (3/95)	7.68
टी.पी. बेसिन में नहरों का विकास	0.39	2.12.95	0.24 (3/95)	0.38
बेलेलियस सड़क के लिए जल निकास योजना	0.44	2.12.95	0.02 (3/95)	0.44
कलकत्ता में एस.इ.एम. का सुदृढिकरण	2.22	2.12.95	0.50 (3/95)	2.22
टैगरेशन में टी.पी. सेरामपोर	9.66	2.12.95	2.49 (3/95)	7.22
डब्ल्यू.एस.एस. उत्तरपाड़ा	1.98	2.12.95	0.17 (3/95)	1.45
डब्ल्यू एस.एस. वडरिया उलूरिया चेन्नोल	1.42	2.12.95	0.12 (3/95)	1.47
डब्ल्यू एस.एस. देयोल पाड़ा	1.28	2.12.95	0.18 (3.95)	1.03
डब्ल्यू एस.एस. जाटिया गामिपुर तथा नावापाली	1.02	2.12.95	0.32 (3.95)	1.01
नई आपूर्ति लाइने तथा नगरपालिका जल आपूर्ति फेज I के नियन्त्रण के लिए स्रोत	15.62	2.12.95	10.43 (3.95)	13.76
साल्ट लेक तथा लेक टाउन में यू.जी.आर	14.13	23.2.96	10.08 (3.95)	13.91
जादवपुर तथा बेहाला में जल आपूर्ति का सुधार	25.14	23.2.96	0.10 (3.95)	9.79
नवग्राम में जल आपूर्ति का संवर्धन तथा वृद्धि	0.77	23.2.96	0.21 (3.95)	0.51
बाली, बाकरा, सारेगं तथा बेलानगर अभोयनगर में ज.आ. का संवर्धन तथा वृद्धि	1.54	23.2.96	0.33 (3.95)	1.54
डब्ल्यू.एस.एस. अण्डुअल मोइहरी	0.59	23.2.96	0.01 (3.95)	0.49
एफ.ए.डब्ल्यू एस स्रोतों का संवर्धन	1.09	23.2.96	0.30 (3.95)	1.11
के./आ. सार्वजनिक सुविधायें	1.00	23.2.96	0.63 (3.95)	0.90
टी.पी. बेसिन की शाखा नहरों का सुधार	0.62	23.2.96	0.14 (3.95)	0.62
नगर पालिका क्षेत्रों में शौचालयों का रूपान्तरण	6.55	23.2.96	1.00 (3.95)	6.51
नगरपालिका शहरों में सड़कों का सुधार	27.52	23.2.96	10.65 (3.95)	25.83
सात्किया फ्लाई ओवर	4.85	23.2.96	1.00 (3.95)	4.13
गरिया स्टेशन रोड	0.69	23.2.96	0.20 (3.95)	0.61

परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृति की तिथि तक व्यय	अभ्युक्तियां
क.न.नि. में शहरी सड़कों का सुधार	3.50	23.2.96	1.25 (3.95)	3.50
चेन्नई				
कोय्यमवेदू थोक बाजार में सामान्य सुखसाधन भवन	0.91	4.9.95	0.15 (3.95)	0.99
आर.के. मुह सड़क पुल को चौड़ा करना	0.44	4.9.95	0.36 (3.95)	0.50
गान्धी इरविन पुल को चौड़ा करना	0.23	4.9.95	0.23 (3.95)	0.23
गेन रेड्डी सड़क पर एफ.ओ.बी.	0.25	4.9.95	0.25 (3.95)	0.25
इंदिरा नगर में व्यावसायिक परिसर	0.84	4.9.95	0.82 (3.95)	0.91
बेवेशी रोड पर व्यावसायिक परिसर	0.49	4.9.95	0.39 (3.95)	0.54
इ.बी.आर सलाई पर व्यावसायिक परिसर	0.45	4.9.95	0.19 (3.95)	0.51
शिनाय नगर में व्यावसायिक परिसर	0.40	4.9.95	0.25 (3.95)	0.45
वाउवार कोट्टम में जल भन्दारण	7.94	4.9.95	2.59 (3.95)	1.16
त्रिपलीकेन में जल भन्दारण	6.91	4.9.95	0.02 (3.95)	9.37
कन्नापाड थिडाल में जल भन्दारण	10.70	4.9.95	0.01 (3.95)	8.02
रेडिहिल से पोरूर तक स्वच्छ जल अन्तरण	61.16	4.9.95	6.53 (3.95)	66.71
कलाधूर में मुख्य सीवर	11.00	4.9.95	3.72 (3.95)	11.17
डा.नायर रोड तथा टी. नगर में व्यावसायिक परिसर	0.45	4.9.95	0.16 (3.95)	0.36
हैदराबाद				
नैकलेस रोड फेज I	20.00	6.11.95	6.37 (3.95)	19.27
साहेबनगर राइट एवं सर्विसिज	10.00	6.11.95	0.82 (3.95)	2.82
वशीरबाद फ्लाई ओवर	6.00	27.2.98	0.12 (3.95)	3.40
वरनाका फ्लाई ओवर	6.00	27.2.98	0.14 (3.95)	4.40
तागूतालि फ्लाई ओवर	20.00	27.2.98	0.51 (3.95)	8.77
मासव टैंक फ्लाई ओवर	12.00	27.2.98	0.36 (3.95)	5.11
नारायणगुडा फ्लाई ओवर	6.00	27.2.98	0.25 (3.95)	2.60
मुम्बई				
खारगढ़ में भूमि विकास	27.90	5.1.96	0.69 (3.95)	12.28
खेल परिसर	4.25	5.1.96	0.38 (3.95)	4.24
स्टील लाइटिंग	60.00	5.1.96	4.77 (3.95)	41.75
एरोली फेस-1 में सड़क पुल	49.46	5.1.96	16.30 (3.95)	49.46
कालबा पुल	24.00	5.1.96	8.64 (3.95)	23.18
पाम बीच रोड फेस- I	53.89	5.1.96	13.75 (3.95)	63.04
वासी नोड में अंडर पास	3.15	5.1.96	0.03 (3.95)	3.15
कल्याण शील रोड पर आर.ओ.बी.	4.00	5.1.96	0.05 (3.95)	3.12
स्वच्छता कार्यक्रम	2.07	5.1.96	1.72 (3.95)	2.07
सड़क कार्य	5.00	5.1.96	1.45 (3.95)	5.00
कुल			117.90	496.02

अनुबन्ध IV
(पैराग्राफ 3.1.38 देखें)

राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची तथा 31-3-2000 को व्यय

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
	पूरी हुई परियोजना				
	बंगलौर				
1.	सिरसा सर्कल फ्लाईओवर	ग	12.3.96	94.00	94.17
2.	इन्टरमीडियट रिंग रोड़	ग	12.3.96	12.40	13.21
	कलकत्ता				
3.	गोलफ् ग्रीन में आवास	क	2.12.95	7.82	7.47
4.	जल आपूर्ति योजना, मध्यग्राम	ख	19.10.95	2.44	2.44
5.	जल आपूर्ति योजना, (ज.आ.यो.) नंशी श्यामपुर	ख	19.10.95	0.88	0.77
6.	ज.आ.यो. जटिया, गनीपुर नावापल्ली	ख	2.12.95	1.02	1.01
7.	ज.आ.यो. बालो, आंकश, सारिंगा एवं बेलनपुर अमोयनगर	ख	23.2.96	1.54	1.54
8.	ज.आ.यो. झण्डुल मोड़हरी	ख	23.2.96	0.59	0.49
9.	ज.आ.यो. वाचरीया उलूबेरिया चेन्नेल	ख	2.12.95	1.42	1.47
10.	स्रोतों का संवर्धन	ख	23.2.96	1.09	1.11
11.	साव्ट लेक तथा लेक टाउन में यू.जी.आर.	ख	23.2.96	14.13	13.91
12.	मु.अली पार्क में बूस्टिंग स्टेशन	ख	2.12.95	7.88	7.29
13.	उल्टाडंगा रेलवे अण्डरपास	ख	19.10.95	4.53	4.41
14.	गारिया स्टेशन रोड़	ख	23.2.96	0.69	0.61
15.	बी.के. एक्सप्रेस बे का सुदृढिकरण	ख	19.10.95	3.18	3.19
16.	स्ट्रीट लाइटिंग-I का सुधार	ख	19.10.95	0.65	0.64
17.	आर.बी. कनेक्टर वाइडनिंग	ख	19.10.95	5.09	4.99
18.	क.न.नि. में शहरी सड़कों का सुधार	ख	23.2.96	3.50	3.50
19.	स्ट्रीट लाइटिंग-II का सुधार	ख	2.12.95	1.68	1.66
20.	हावड़ा मैदान क्षेत्र के आसपास सड़कों का सुधार	ख	2.12.95	1.59	1.33
21.	इ.एम.बी.पी. को चौड़ा करना (पी.सी.रोटरी से आर.बी.रोटरी)	ख	2.12.95	7.97	7.53
22.	फतेशाह नहर पर पुल	ख	23.2.96	0.42	0.43
23.	जन सुविधायें	ग	23.2.96	1.00	0.90
24.	टी.पी.बेसिन में लीड नहर -1 का सुधार	ग	2.12.95	0.39	0.38
25.	टी.पी.बेसिन शाखा नहर का सुधार	ग	23.2.96	0.62	0.62
26.	बेलेलियस सड़क के लिए अपवहन योजना	ग	2.12.95	0.44	0.44
27.	बेहाला आई.ई. में अपवहन संकुलन को हटाना	ग	2.12.95	0.10	0.05
28.	हावड़ा मैदान क्षेत्र के आसपास अपवहन संकुलन को हटाना	ग	2.12.95	0.62	0.52
29.	बागजोला खाल (ऊपरी) फेस-I का सुधार	ग	23.2.96	0.42	0.42
30.	बागजोला खाल (ऊपरी) फेस-II का सुधार	ग	23.2.96	0.66	0.66
31.	निचले बागजोला का पुनः निकर्षण	ग	29.10.98	1.84	1.37
32.	कलकत्ता में एस.डब्ल्यू एस का सुदृढिकरण	ग	2.12.95	2.22	2.22
33.	मध्यग्राम जल आपूर्ति (फेस-II)	ख	9.2.98	2.70	2.58
34.	वाइपुर जल आपूर्ति (फेस-I)	ख	9.2.98	1.94	1.84
35.	कोनागर रेलवे अण्डरपास	ख	19.10.95	3.50	3.87

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
36.	तापसिया पी.एस. का नवीकरण	ग	2.12.95	0.88	0.91
37.	नन्दन नगर में अपवहन संकुलन को हटाना	ग	2.12.95	0.34	0.30
38.	सी.एम.सी. बार्ड 103,104 में बस्ती सुधार कार्य	ग	2.12.95	3.43	3.17
39.	सिल्वर जैट्टी से फेयरलाई जैट्टी तक कलकत्ता रेबर फ्रंट सौन्दर्यीकरण	ग	15.2.2000	1.19	1.25
	चेन्नई				
40.	व्यासायिक परिसर- इंदिरा नगर	क	4.9.95	0.84	0.91
41.	व्यावसायिक परिसर - ब्रेवेरी रोड़	क	4.9.95	0.49	0.54
42.	व्यावसायिक परिसर - इ.बी.आर. सलाई	क	4.9.95	0.45	0.51
43.	व्यावसायिक परिसर - शैनोय नगर	क	4.9.95	0.40	0.45
44.	व्यावसायिक परिसर - डा. नय्यर रोड़	क	4.9.95	0.45	0.36
45.	कोयमवेडू में सामान्य सुखसाधन	क	4.9.95	0.91	0.99
46.	जल भन्दारण वालुवारेकोट्टम	ख	4.9.95	7.94	10.16
47.	जल भन्दारण तिरीली केन	ख	4.9.95	6.91	9.37
48.	जल भन्दारण कन्नापुर थिडल	ख	4.9.95	10.70	8.02
49.	रैडहिल से पोस्टर तक स्वच्छ जल अन्तरण	ख	4.9.95	61.16	66.71
50.	गान्धी अरविन बाइडवे को चौड़ा करना	ग	4.9.95	0.23	0.23
51.	आर.के मट्ट रोड़ का चौड़ा करना	ग	4.9.95	0.44	0.50
52.	कोलायपुर में सिवर मेन	ग	4.9.95	41.00	11.17
53.	पड्डू स्ट्रीट में कार्यालय परिसर	क	8.1.96	0.30	0.31
54.	II तल सुपर बाजार में कार्यालय परिसर	क	8.1.96	0.48	0.48
55.	एम.एम.डी.ए. टावर II	क	8.1.96	15.00	17.20
56.	एम.पी.एल. कार्यालय परिसर में कार्यालय परिसर	क	8.1.96	0.45	0.38
57.	II तल एम.पी.एल. कार्यालय में कार्यालय परिसर	क	8.1.96	0.22	0.20
58.	थिलाई नगर एडक का सुधार	ग	8.1.96	0.06	0.06
59.	बालाजी नगर सड़क का सुधार	ग	8.1.96	0.14	0.12
60.	ईरीकराई सड़क का सुधार	ग	8.1.96	0.13	0.13
61.	एम.जी.आर. रोड़ का सुधार	ग	8.1.96	0.06	0.06
62.	सनुकुवर पुल - बकिघंम नहर का निर्माण	ग	8.1.96	0.45	0.45
63.	गान्धी इरविन पुल का चौड़ा करना	ग	8.1.96	0.23	0.23
64.	दुर्गा रोड़ का सुधार	ग	8.1.96	0.88	0.27
65.	राधा नगर मुख्य सड़क का सुधार	ग	8.1.96	0.68	0.34
66.	गान्धी रोड़ का सुधार	ग	8.1.96	0.47	0.39
67.	अडवर्कस इक्काटुथंगल एवं चुलाईनेडू का निर्माण	ख	1.11.96	21.00	29.53
68.	नेपीयर पुल का चौड़ा करना	ग	1.11.96	5.11	5.24
69.	मलव्यन सुविधायें उपलब्ध कराना, सारथी नगर, वी.ओ.सी. ब्लॉक आदि	ग	1.11.96	2.89	2.98
70.	तूफानी जल नालियां का निर्माण	ग	30.12.97	1.96	0.96
71.	पोस्टर टी.पी. पर तूफानी जल नालियों का निर्माण	ग	30.12.97	1.49	1.27
72.	फेस -I वलासारवकम टी.पी.पर तूफानी जल नालियों का निर्माण	ग	30.12.97	0.88	0.88
73.	सड़कों का सुधार	ग	30.12.97	1.13	1.15
74.	जल आपूर्ति का सुधार माधवरम	ख	4.1.99	0.74	0.73
75.	सड़क का सुधार तथा ड्रेन आवादी की व्यवस्था	ग	4.1.99	0.81	0.70
76.	कामराज नगर मुख्य सड़क पर तूफानी जल नाली का	ग	4.1.99	0.90	0.70

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
	निर्माण				
77.	कामराज नगर IV गली में तूफानी जल नाली सड़क का निर्माण	ग	4.1.99	0.44	0.42
78.	इजहिलगम में भूमिगत पारपथ	ग	3.8.98	1.50	0.75
79.	पीटर रोड़ के साथ सत्वेन थियेटर इन्टरसेक्सन	ग	4.1.99	8.50	3.23
80.	गान्धी मन्दापन केन्सर संस्थान इन्टरसेक्सन	ग	4.1.99	7.00	4.42
81.	ड्रेन एवं कवर्ट भाघावरम का निर्माण	ग	3.8.98	0.47	0.47
82.	तूफानी जल नालियां फेस II	ग	3.8.98	0.65	0.65
	हैदराबाद				
83.	जगदगिरी गुट्टा में सम्प के समीप पम्प हाउस का निर्माण	क	6.11.95	0.06	0.07
84.	कापरा नगरपालिका में आउट में 900 के एल क्षमता आर.सी.सी. इ.एल.एस.आर. का निर्माण	क	6.11.95	0.42	0.39
85.	बाहरी कालोनी में सम्प में पम्प हाउस का निर्माण	क	6.11.95	0.05	0.05
86.	येलुगुगुट्टा के समीप 5.0 एम.एल. क्षमता जी.एल.एस.आर. का निर्माण	क	6.11.95	1.55	1.55
87.	येलुगुगुट्टा के समीप प्रस्तावित जलाशय के नाचरम जंक्शन पर 1200 एम.एम.ब्यास सैनिकपुरी सैदाबाद पर 600 एम.एम. ब्यास पी.एस.सी./एम.एस. फीडर मेन बिछाना	क	6.11.95	1.38	1.20
88.	उप्पल नगरपालिका में सैनिकपुर से आटो नगर तक 1000 एम.एस. ब्यास मेन तक बेरापपागड़ा में विद्यमान 0.9 एम.एल. क्षमता इ.एल.एस.आर. पर 450 एम.एस. ब्यास एम.एस. फीडर मुख्य का निर्माण, आपूर्ति कम करना, विधाना, जोड़ना, जांच करना तथा आरम्भ करना ।	क	6.11.95	0.44	0.42
89.	चाणक्य पुरी सम्प में पम्प कमरे का निर्माण	क	6.11.95	0.06	0.05
90.	माधुपुर हिल्लाक पर 5.0 एम.एल. क्षमता जी.एल.एस.आर. का निर्माण ।	क	6.11.95	1.45	1.41
91.	वासवी कालोनी में 5.0 एम.एल.क्षमता जी.एल.एस.आर. का निर्माण	क	6.11.95	1.16	1.13
92.	वासवी कालोनी में आटोनगर जलाशय से प्रस्तावित जी.एस.एल.आर. तक 400 एम.एस. ब्यास सी.आई. फीडर मेन बिछाना ।	क	6.11.95	0.44	0.37
93.	कुडबेल, राजेन्द्र नगर में 2.0 एम.एल. जी.एल.एस.आर का निर्माण	क	6.11.95	0.65	0.58
94.	माधापुर/गाच्छीवाली में विकसित इलाके के लिए जल की आपूर्ति करने के लिए लिंगमपैली जलाशय से माधापुर में प्रस्तावित जी.एस.एल. आर. पर ट्रंक वितरण मुख्य पम्प हाउस, पम्प सैटों (700 एम.एस.ब्यास - 403 कि.मी., 600 एम.एस. ब्यास, एम.एस. खस -2.91 कि.मी., 350 एम. ब्यास - 3.99 कि.मी.) सहित पम्पिंग मेन बिछाना ।	क	6.11.95	8.50	7.47
95.	आर.टी.सी. क्रास रोड़ से चिकाडपेली पुल तक 250 एम.एस. ब्यास सी.आई.मेन बिछाना	ख	6.11.95	0.23	0.23

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
96.	चिकालगुडा क्षेत्र के अन्तर्गत एकमिनार मस्जिद से गंगापुत्र कालोनी तक 900 एम.एस. ब्यास एम.एस. जल आपूर्ति संवितरण बिछाना	ख	6.11.95	0.66	0.64
97.	गंगापुत्र कालोनी से पारसीन गुट्टा रीड़ विकास टी.पांडट तक 600 एम.एस. ब्यास एवं 450 एम.एस. ब्यास सी.आई. जल आपूर्ति मेन बिछाना	ख	6.11.95	0.77	0.71
98.	बजारा दूसरे चरण आउट लैट से सड़क सं.14 तक 900 एम.एस. ब्यास एम.एस.जल आपूर्ति मेन बिछाना	ख	6.11.95	0.34	0.32
99.	जुबली सम्प के पम्प हाऊस पर एम.एस. इन्टर कनेक्शनों सहित थाटीखाना जी.एल.एस.आर. तथा बंजारा दूसरे चरण में इन लैट तथा आऊट लैट पाइप कनेक्शन, थाटीखाना जलाशय से विद्यमान वितरण प्रणाली सड़क संख्या 14 तक 600 एम.एस.ब्यास एम.एस. आऊट लैट में का इन्टरकनेक्शन	ख	6.11.95	0.04	0.04
100.	सड़क मरम्मत तथा इन्टरकनेक्शनों ति पी.पी.सी. के अन्तरण सहित बंजारा दूसरेचरण से नन्दीनगर जंकशन तक 2000 एम.एस. ब्यास सी.आई. सेवा वितरण मेन टैपिंग 900 एम.एस. ब्यास एम.एस. आऊटलेट में बिछाना	ख	6.11.95	0.20	0.18
101.	सड़क की मरम्मत सहित सुरभि एन्कलेन से बंजारा रोड़ संख्या 14 के साथ पुलिस स्टेशन से आगे तक 200 एम.एस. ब्यास एस.डब्ल्यू जी.सीवर बिछाना	ख	6.11.95	0.05	0.04
102.	नेकलेस रोड़ फेस I	ग	6.11.95	20.00	19.27
103.	फ्लाई ओवर (एयर पोर्ट)	ग	6.11.95	6.00	4.76
104.	फ्लाई ओवर एच.एच. के भवन	ग	6.11.95	10.00	9.08
105.	नये पुल में समानान्तर पुल	ग	6.11.95	8.00	2.04
106.	वशीर बाग फ्लाई ओवर	ग	27.2.98	6.00	3.40
107.	तारनाका फ्लाई ओवर	ग	27.2.98	6.00	4.40
	मुम्बई				
108.	स्वच्छता कार्यक्रम	ग	5.1.96	2.07	2.07
109.	स्ट्रीट लाइटिंग	ग	5.1.96	1.36	1.36
110.	सड़क कार्य	ग	5.1.96	5.00	5.00
111.	स्ट्रीट लाइटिंग	ग	5.1.96	3.30	3.30
112.	कल्याण बदरपुर रोड़ पर निरन्तर पहुचं तथा आर.ओ.बी. का निर्माण	ग	29.9.99	5.94	5.94
113.	एरोली में सड़क पुल	ख	5.1.96	49.46	49.46
114.	कालवा पुल	ख	5.1.96	24.00	23.18
115.	जल आपूर्ति योजना	ख	26.2.98	31.05	31.05
	परियोजनाएं प्रगति पर				
	कलकत्ता				
116.	वैष्णवघाट पट्टली में म.आ.व. आवास	क	19.10.95	17.63	10.54
117.	करबा में क्षेत्र विकास	क	2.12.95	10.12	3.38
118.	बैरक पुर आवास	क	2.12.95	17.84	12.49
119.	भागजतिन में क.न.वि.प्रा. आवास	क	9.2.98	24.78	2.71
120.	ज.आ.यो. रजरहाट	क	19.10.95	6.71	3.08

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
121.	ज.आ.यो., उत्तर पाड़ा	ख	12.12.95	1.98	1.47
122.	ज.आ.यो., नवग्राम	ख	23.2.96	0.77	0.52
123.	ज.आ.यो. देयोलपाड़ा	ख	2.12.95	1.28	1.03
124.	समरपुर टी.पी. एकीकरण-II	ख	2.12.95	9.66	7.24
125.	ज.आ. जे.डी.वी. बेहाला का सुधार	ख	27.2.96	25.14	10.03
126.	नगरपालिका जल आपूर्ति फेस -I के नियंत्रण के लिए नई आपूर्ति लाइने एक स्रोत	ख	2.12.95	15.62	13.91
127.	गार्डन रीच टी.पी. का संवर्धन	ख	2.12.95	59.07	47.32
128.	हावड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू का नियंत्रण	ख	23.2.1996	2.11	1.60
129.	1500 एम.एस.पल्टा-तल्ला मेन हिस्से का शेष	ख	2.12.98	18.53	12.42
130.	पदमा - पुकुर डब्ल्यू टी. संयंत्र का संवर्धन	ख	9.2.98	67.00	8.85
131.	महेशतला नगरपालिका के भीतर पाइप द्वारा ज.आ.	ख	9.2.98	5.34	2.98
132.	चन्दन नगर जल अभिक्रिया (ज.अ.) संयंत्र का संवर्धन	ख	9.2.98	2.21	Nil
133.	राजपुर-सोनार पुर ज.अ. (फेस I)	ख	29.10.98	3.29	2.35
134.	सल्लिकिया फ्लाई ओवर	ख	23.2.96	4.85	4.13
135.	नगरपालिका शहरों में सड़कों का सुधार	ख	23.2.96	27.52	25.83
136.	गेरिया पुल	ख	19.10.95	2.18	2.46
137.	इ.एम.बी.पी. को चौड़ा करना (सी.पी.टी.एन. मेरी से पी.सी.रोटरी एवं एस.एल. प्रथम प्रवेश से बी.एम.रोड तक)	ख	2.12.95	5.77	3.96
138.	पी.ए. शाह रोड का निर्माण	ख	2.12.95	15.13	6.88
139.	लोक गार्डन में आ.ओ.बी.	ख	9.2.98	20.82	3.70
140.	बोन्देल गेट में आर.ओ.बी.	ख	9.2.98	10.65	0.80
141.	बी.के.पी. - डी.डी.एम. एक्सप्रेस बे	ख	9.2.98	20.85	0.77
142.	चालपट्टी रोड	ख	29.10.98	2.20	1.15
143.	इ.एम.बी.पी. को चौड़ा करना (आर.बी. रोटरी कमलगाजी)	ख	27.10.98	29.17	1.04
144.	इ.एम.बी.पी. को चौड़ा करना (पी.सी. - आर.बी. रोटरी) फेस II	ख	29.10.98	9.97	0.18
145.	कोनागर (एक्सप्रेस बे को चौड़ा करना)	ख	29.10.98	9.55	0.92
146.	बन्नूर एवन्यू मलव्यन	ग	19.10.95	1.24	1.24
147.	नगरपालिका क्षेत्र में शैचालयों का रूपान्तरण	ग	23.2.96	6.55	6.51
148.	एच.एम.सी. बोर्ड 3,8,50 में संकुलन को हटाना	ग	2.12.95	1.03	0.74
149.	एच.एम.सी. कार्य - 1-16 में तूफानी जल निकास	ग	9.2.98	3.35	2.39
150.	क.न.नि. में ट्रंक सीवर तथा नालियाँ	ग	29.10.98	2.00	0.50
151.	क.न.नि. वार्ड 111-112 (पी.) में मल व्यन व्यवस्था	ग	2.12.95	10.16	8.43
152.	कल्याणी में आवास परिसर	क	15.2.2000	10.00	0.80
153.	इ.डी. ब्लाक, साल्ट लेक में आवास परिसर	क	15.2.2000	6.30	0.49
154.	भातपाड़ा नगरपालिका के भीतर नये चोर्ड रोड का सुधार तथा चौड़ा करना	ख	15.2.2000	2.50	0.22
155.	गर्फा शिशु उद्यान में 3.5 एम.जी. भूमिगत जलाशय	ख	15.2.2000	9.50	0.16
156.	सोनार पुर में आर.ओ.बी.	ख	15.2.2000	10.73	0.31
	बंगलौर				
157.	लोहा एवं इस्पात बाजार	क	22.5.95	40.20	15.92
158.	होसर रोड में ट्रंक टर्मिनल	क	23.5.95	23.64	0.00

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
159.	मादीवाला व्यावसायिक परिसर	क	4.12.95	16.00	12.65
160.	विद्युत शवदाहगृह -वन शंकरा	ख	4.12.95	2.20	0.55
161.	विद्युत शवदाहगृह -वोमन हाली	ख	4.12.95	2.15	0.80
162.	जल आपूर्ति संवितरण का सुधार करना	ख	4.12.95	45.55	29.60
163.	केम्पबुद्धी टैंक की मरम्मत करना	ग	22.5.95	3.00	0.00
164.	तेवरकरे पार्क का विकास करना	ग	4.12.95	2.50	0.85
165.	रिचमोंड सर्कल में गेड प्रथककर	ग	12.3.96	18.00	7.00
166.	जे.पी. पार्क का विकास करना	ग	12.3.96	3.50	0.34
167.	स्लम वस्ती का सुधार	ग	18.2.97	1.50	1.10
168.	बाह्य रिंग रोड	ग	18.2.97	38.95	13.39
169.	संगम थियेटर पैदल भूमिगत पथ	ग	18.02.97	2.98	0.00
170.	शिवजी नगर बस स्टैंड का पुनर्निर्माण	ग	19.5.99	5.50	1.05
171.	शिवाजी नगर के समीप भूमिगत पथ	ग	19.5.99	3.48	
	चेन्नई				
172.	गेंगू रोड पर एफ.ओ.बी.	ग	1.11.96	0.25	0.25
173.	पेरम्बूर में पैदल क्रॉसिंग सड़क के लिए विद्यमान भूमिगत पथ के दोनों तरफ बढ़ाई गई सुरंग का निर्माण	ग	1.11.96	2.93	1.06
174.	एफ.ओ.बी. पेरम्बूर का निर्माण	ग	1.11.96	21.00	49.9
175.	मां. पूनामल्लई सड़क का सुधार करना	ग	1.11.96	14.42	7.50
176.	अतिरिक्त प्रवाह बनाने के लिए सीवर का पुनः रूट बनाना तथा सीवर लाइनों के उच्च आकारों की व्यवस्था करना	ग	1.11.96	6.00	5.56
177.	व्हीकुलर भूमिगत पैदल पथ - सेडापीठ बाजार रोड	ग	30.12.97	3.00	1.24
178.	व्यासरपादी कानागाम, तारामणी तथा कोडुंग्यार को मलव्यन सुविधाओं की व्यवस्था करना	ग	30.12.97	38.00	29.48
179.	व्हीकुलर ब्रिज मनाली रोड को नष्ट करना तथा पुनर्निर्माण करना	ग	3.8.98	1.60	0.65
180.	सरदार पटेल रोड - इन्टर सेक्शन एल.बी.रोड	ग	4.1.99	15.50	2.66
181.	राधाकृष्ण सलाई/रोयापीठ हाई रोड इन्टर सेक्शन	ग	4.1.99	8.50	2.94
182.	अल्वर पेट टी.टी.के.रोड /लुज चर्च रोड	ग	4.1.99	11.00	3.05
183.	रोयापीठ अस्पताल पीटर रोड	ग	4.1.99	8.50	2.71
184.	पैन्थन रोड, कासा मेजर रोड	ग	4.1.99	8.50	2.12
185.	संगीत अकादमी, रोयापीठ हाई रोड टी.टी.के. रोड	ग	4.1.99	15.00	4.80
186.	परसावाल्कम (ऐवोटन) पेरम्बूर हाई रोड	ग	4.1.99	12.00	3.13
187.	एम.के.श्री नगर पर नहर बी को आरपार करता हुआ पुल	ग	3.8.98	3.20	1.15
188.	नहर बी को आरपार करती हुई सड़क पर विद्यमान पुल को चौड़ा करना	ग	3.8.98	1.60	0.54
189.	10 स्थानों पर मलव्यन पम्पिंग स्टेशनों की व्यवस्था करना	ग	3.8.98	2.88	1.73
190.	माम्बालाम अपवाहिका के साथ अवरोधन करता हुआ सीवर	ग	3.8.98	16.00	4.32
191.	सड़कें एवं अपवाहिकार्यें का निर्माण	ग	3.8.98	0.72	0.12
192.	पुलियां तथा अपवाहिकार्यें का निर्माण	ग	3.8.98	1.00	0.00
193.	तूफनी जल अपवाहिका का निर्माण	ग	3.8.98	0.70	0.10
194.	डा. अम्बेडकर नगर में 312 स्लम कोठरियां का निर्माण	ग	3.8.98	3.88	1.80

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
195.	सड़कों का सुधार करना	ग	5.10.99	6.70	1.01
196.	नादुबनकाराई में उच्च स्तरीय सड़क	ग	5.10.99	4.00	0.95
197.	गुलाइमेड में उच्च स्तरीय पुल	ग	5.10.99	4.00	0.61
198.	भूमिगत मलव्यन व्यवस्था	ख	4.1.99	34.00	0.00
199.	रूकी हुई मुख्य लाइन का पुनर्वास तथा वितरण नेटवर्क का सुधार करना	ख	3.8.98	10.00	9.96
200.	गंगादेश्वर कोइल स्ट्रीट से हैरिस रोड तक जल नहर अभिक्रिया संयंत्र का पुनः मार्ग बनाना	ख	3.8.98	3.00	3.05
201.	विमलापुरम में जी.एल.आर. तथा ओ.एच.टी.सी. का निर्माण	ख	3.8.98	0.42	0.00
202.	के./आ. अम्मानकुलम तथा अम्बेडकर नगर में ओ.एच.टी.सी. का निर्माण	ख	3.8.98	0.81	0.18
203.	जल आपूर्ति का सुधार करना	ख	5.10.99	3.70	0.00
204.	मुफुसिल बस टर्मिनल	ख	5.10.99	103.49	11.71
205.	जल आपूर्ति का पुनर्वास तथा सुधार करना	ख	5.10.99	25.00	19.82
206.	कील कटाली में व्यावसायिक परिसर	क	8.1.96	0.61	0.59
207.	टी.एस संख्या 32 क में वाणिज्यिक हाल तथा व्यावसायिक परिसर	क	4.1.99	0.95	0.10
208.	सामुदायिक हाल तथा व्यावसायिक परिसर का निर्माण	क	3.8.98	6.26	4.20
209.	अन्ना नगर में के./आ. कार्यालय परिसर	क	4.1.99	3.36	0.40
210.	वालाजाह रोड में पर्यटन परिसर का निर्माण	क	4.1.99	2.50	0.15
हैदराबाद					
211.	बोदबांडा जलाशय से रामानन्दा थियेस्थानगर तक 1000 एम.एम. व्यास, 900 एम.एम. व्यास तथा 750 एम.एम. व्यास एम.एस. जल आपूर्ति पाईप लाईन बिछाना	क	6.11.95	3.05	1.33
212.	इरागड्डा जलाशय से अमीरपेट एक्स रोड तक 900 एम.एम. व्यास एम.एस. तथा 750 एम.एम. व्यास एम.एस./सी.आई. जल आपूर्ति पाईप लाईन बिछाना	क	6.11.95	3.05	2.17
213.	लिंम पैली जलाशय से हैदरनगर जलाशय तक 1000 एम.एम. व्यास एम.एस. पम्पिंग मुख्य लाईन बिछाना	क	6.11.95	3.21	1.84
214.	लिंमपैली में 2.2 एम.एम. क्षमता के पम्प हाऊस तथा होदी का निर्माण	क	6.11.95	0.90	0.67
215.	लिंमपैली पम्प हाऊस में पम्पिंग उपकरण	क	6.11.95	2.05	1.2000
216.	वैशाली नगर नगर जुनासागर रोड पर असामान्य क्षेत्र में 6 एम.एल. क्षमता के सेवा जलाशय का निर्माण	क	6.11.95	1.30	0.99
217.	वैशाली नगर से तथा तक 600 एम.एम. व्यास एम.एस. लाईन इनलैट तथा 750 एम.एम./300एम.एम./200 एम.एम. व्यास सी.आई.आउट लैट बिछाना	क	6.11.95	2.64	1.47
218.	नगर जुने नगर कालोनी में 1 एम.एल. क्षमता इ.एल.एस. आर सहित उपरोक्त जलाशय से नगरजुने तथा आसमानगन्ध क्षेत्र में अठारह अन्य कलोनियों सहित उपरोक्त जलाशय के 600 एम.एम./350एम.एम./300एम.एम./250एम.एम./200एम.एम. व्यास सी.आई. से फीडर मुख्य लाइने वितरण लाइने बिछाना	क	6.11.95	2.35	1.50

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
219.	जगदगिरीगुट्टा में 5 एम.एल. क्षमता आर.सी.सी. जी.सल.एस. आर का निर्माण	क	6.11.95	1.25	1.09
220.	0.6 एम.एल. क्षमता आर. सी.सी. होदी का निर्माण आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करना	क	6.11.95	0.14	0.12
221.	जगदगिरी गुट्टा होदी में पम्पिंग उपकरण का निर्माण आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करना	क	6.11.95	0.32	0.22
222.	हैदरनगर से जगदगिरी गुट्टा के प्रस्तावित जलाशय तक 700 एम.एम. व्यास पी.एस.सी. (5465 कि.मी.) का मेन फीडर बिछाना	क	6.11.95	2.80	2.80
223.	कुत्तुबुल्ल पुर नगरपालिका क्षेत्र में विद्यमान संवितरण प्रणाली जोड़ने के लिए शपूर नगर में विद्यमान जी.एल.एस.आर से जीडी मेटला नियन्त्रण कक्ष तक जी.एल.एस. आर जगदगिरी गुट्टा से चिन्तल जंक्शन तक 600 एम.एम. व्यास एम.एस./सी.आई. तथा 500 एम.एम. व्यास सी.आई. ट्रंक वितरण पाईपलाईन का विनिर्माण, आपूर्ति न्यूनीकरण बिछाना जोड़ना तथा जांच करना	क	6.11.95	2.12	2.09
224.	जगदगिरीगुट्टा में होदी से जी.एल.एस.आर तक 600 एम.एम. व्यास एम.एस. पम्पिंग मुख्य लाईन का निर्माण, बिछाना, जोड़ना, जांच करना तथा चालू करना तथा कुत्तुबुल्लापुर नगरपालिका क्षेत्र में जगदगिरीगुट्टा जें जी.एल.एस. आर से मकदूर नगर तक 750 एम.एम. तथा 500 एम.एम. व्यास एम.एस. तथा 450 एम.एम. व्यास सी.आई. ट्रंक संवितरण लाईनों का निर्माण, आपूर्ति, न्यूनीकरण, बिछाना, जोड़ना, जांच करना तथा चालू करना	क	6.11.95	1.50	1.49
225.	कुत्तुबुल्लापुर नगरपालिका क्षेत्र (2.34 कि.मी.) में अलवल जिदीमितला में 5 एम.एल. क्षमता के जी.एल. एस.व. आर से 6000 एम.एम. व्यास पी.एस.सी./एम.एस तथा 300 एम.एम. व्यास सी.आई. ट्रंक संवितरण मुख्य लाइन का विनिर्माण न्यूनीकरण, बिछाना, जोड़ना जांच करना तथा चालू करना	क	6.11.95	0.83	0.76
226.	अहाता दीवारों का निर्माण, जलाशय तथा होदियों को पहुंच मार्ग, जलाशय स्थल में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण तथा जगदगिरी गुट्टा में जलाशय तथा होदी स्थलों पर बाहरी विद्युतीकरण तथा कलोनीनिकरण प्रबन्ध	क	6.11.95	0.53	0.17
227.	मंदिर परिसर के पीछे मीरपेट हिल्लोक पर 5.0 एम.एल. क्षमता जी.एल.एस.आर का निर्माण	क	6.11.95	1.50	1.38
228.	भगत सिंह गुडा जंक्शन से मीरपेट हिल्लोक के प्रस्तावित जलाशय तक सैनिकपुरी - सैदाबाद मुख्यलाइन के 1200 एम.एम. व्यास से 600 एम.एम. व्यास पी.एस.सी. फीडर मुख्य लाईन का बिछाना	क	6.11.95	0.43	0.45
229.	कपरा नगरपालिका क्षेत्र में ओसमानिया विश्वविद्यालय शिक्षक कालोनी में प्रस्तावित होदी को 400 एम.एम. व्यास वी.एस.सी. फीडर मुख्य लाईन का विनिर्माण,	क	6.11.95	0.68	0.58

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
	आपूर्ति न्यूनीकरण, बिछाना, जोड़ना, जांच करना तथा चालू करना				
230.	बाहरी इ.एल.एस.आर से पाकरा नगर पालिका कार्यालय तक 400 एम.एम. व्यास का सी.आई विरतण मुख्य लाईन का विनिर्माण, आपूर्ति, समतली करण, बिछाना, जोड़ना परीक्षण और शुरू करना	क	6.11.95	1.05	1.00
231.	इ.एल.एस.आर राधिका थेटर से कमलानगर, इ.सी.आई.एल. एक्स रोड कापरा नगरपालिका में खुशगुडा तक 5000 एम.एम. व्यास/400 एम.एम. व्यास/200 एम.एम. व्यास सी.आई विरण मेन का विनिर्माण, आपूर्ति समतलीकरण, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण तथा आरम्भ करना	क	6.11.95	1.50	1.13
232.	5 एम.एल. क्षमता का जी.एस.एल.आर. मिटपट हिलोक से कृष्णानगर मालापुर तथा लायाराम एक्स रोड की कापरा नगर पालिका तक 600 एम.एम. एम.एस. 600 एम.एम. व्यास का सी.आई./400 एम.एम. का वितरण मुख्य लाईन का विनिर्माण, आपूर्ति, समतलीकरण, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण और आरम्भ करना	क	6.11.95	1.85	1.70
233.	कापरा नगरपालिका के आउट में 600 के एल. क्षमता आर.सी.सी. पम्प का निर्माण	क	6.11.95	0.15	0.13
234.	आऊट कालोनी में पैम्पिंग सयंत्र की आपूर्ति तथा स्थापना	क	6.11.95	0.13	0.09
235.	मीर पर और जलाशय स्थलों पर चार दिवारी सम्पर्क मार्ग और क्वाटरों इत्यादि का निर्माण	क	6.11.95	0.50	0.16
236.	जी.एल.एस.आर. येलुगुण्डा से टी.वी. स्टूडियो काकरिया नगर मेन रोड और उप्पलनगर पालिका के जोन-1 तक, 600 एम.एम. व्यास एम.एस. और 450/400 एम.एम. व्यास सी.आई. वितरण लाईन 5 एम.एल. क्षमता का विनिर्माण, आपूर्ति, समतली करण, बिछाना , जोड़ना, परीक्षण और आरम्भ करना	क	6.11.95	2.90	2.49
237.	येलुगुगुटेटा स्थल पर, चार दिवारी बाह्य विद्युतकरण तथा स्टाफ क्वाटरों, कार्यालय भवन इत्यादि के निर्माण में सम्पर्क मार्ग बरसाती नाली, बाढ लगाना इत्यादि भी शामिल है।	क	6.11.95	0.50	0.18
238.	जी.एम.एस. आर से अलवल 5.0 एम.एल. नगर राम में फादर बालरह तक 600 एम.एम. व्यास पी.एस.सी. ट्रैंक मेन का वितरण का विनिर्माण, आपूर्ति, समतलीकरण, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण आरम्भ करना	क	6.11.95	0.37	0.25
239.	फादर बलिहानगर से माचाबोलाराम और यापराल में प्रस्तावित इ.एल.एस.आर. 400 एम.एम. परीक्षण डाय एम.एस. पम्पिंग मेन का विनिर्माण, आपूर्ति बिछाना,	क	6.11.95	2.80	2.00
240.	फादर बलिहानगर सम्प से माचाबोलाराम और थपराल तक प्रस्तावित इ.एल.एस.आर के लिए विनिर्माण, आपूर्ति स्थापना पानी निकालने के पम्पिंग संचंत्र तथा उपकरणों को लगाना	क	6.11.95	0.23	0.17

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
241.	इ.एल.एस.आर. परिसर तक चार दिवारी का निर्माण विद्युतीकरण फादर बलिहानगर सम्प के वर्तमान पम्प हाऊस का विस्तार	क	6.11.95	0.20	0.13
242.	मलकाजगिरी नगर पालिका की चाणक्यपुरी सम्प में 0.6 एम.एल.आर.सी.सी.इ.एल.एस.आर का निर्माण	क	6.11.95	0.33	0.27
243.	1 एम.एल. क्षमता के सम्प का चाणक्यपुरी में निर्माण	क	6.11.95	0.25	0.11
244.	सी एल आउटलैट मेन (1860 आर.एम.टी.) चाणक्यपुरी इ.एल.एस.आर से वर्तमान वितरण प्रणाली के लिए तथा 600 एम.एम. व्यास' इनलैट मेन(90 आर.एम.टी.) चाणक्यपुरी जी.एल.एस.आर तक 450 एम.एम. व्यास एम.एस पम्पिंग मेन (1220आ.एम.टी.) से चाणक्यपुरी सम्प से गौतमनगर इ.एल.एस.आर. तथा 400/300/250 एम.एम. व्यास विनिर्माण बिछाना, जोड़ना, परीक्षण	क	6.11.95	1.70	1.17
245.	जलाशय स्थल पर चार दिवारी का निर्माण एवं विद्युतीकरण	क	6.11.95	0.23	0.05
246.	ऑटोनगर जलाशय से नागोल और मनसुराबाद क्षेत्रों तक ट्रंक वितरण मेन का बिछाना	क	6.11.95	4.10	2.55
247.	वासवी नगर जलाशय से कोठापरा और नागौल क्षेत्रों तक 600 एम.एम. डाय/450 एम.एम./400 एम.एम./350 एम.एम./300 एम.एम. /250 एम.एम. व्यास सी.एल. ट्रंक वितरण मुख्य पाइपों का बिछाना	क	6.11.95	2.06	1.57
248.	ऑटोनगर जलाशय से हैयातनगर गाँव अर्थात लेक्चर कालोनी विनायक नगर तथा आई.बी. नगर में आर.टी.सी. कालोनी नगर पालिका के अन्तर्गत 450/400/300 एम.एम. डाय सी.आई. जल आपूर्ति लाईनों का बिछाना	क	6.11.95	1.37	0.96
249.	एल.बी.नगर क्रॉसिंग एक्स रोड से करामानघाट (ऑटोनगर जलाशय से शुरू किया गया) तक 450/350 एम.एम.सी.एल. जल आपूर्ति लाईनों का बिछाना	क	6.11.95	0.83	0.96
250.	एल.बी. नगर पालिका में वसावी नगर 5 एम एल क्षमता वाले जलाशय से कमाण्ड टेलीफोन कपौली, कोठापेटा, रामकृष्णपुरम तक तथा आटोनगर नगर जलाशय के सिस्टम से कमाण्ड अल्कापुरी, ग्रीनहिल और शैली वाहन नगर तक 250 एम.एम. व्यास वाली सी आई मुख्य पाइप लाईन बिछाना	क	6.11.95	2.55	1.56
251.	आटोनगर जलाशय से एक एम.एल. क्षमता वाली आर.सी.सी. जी.एल. एस.आर हुडापार्क तक 400 एम.एम. व्यास वाली सी.आई. पम्पिंग मुख्य लाईन बिछाना ।	क	6.11.95	0.58	0.32
252.	हुडापार्क एक एम.एल.ई.एल. एस.आर. से 14 कालोनियों तक 450/300/250 एम.एम. व्यास वाली सी.आई. ट्रंक वितरण मुख्य लाईन बिछाना	क	6.12.95	0.55	0.33
253.	आटोनगर जलाशय परिसर में पम्प हाऊस का निर्माण	क	6.11.95	0.07	0.03

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
254.	जी.एल.एस.आर. के लिए चार दिवारी का निर्माण और वासवी कालोनी में विद्युतीकरण ।	क	6.11.95	0.16	0.04
255.	इनलैट मुख्य लाईन और बाहरी पाईप लाईन सहित मेलर डिवुलापली में 1.0 एम. एल ई एल.एस.आर. का निर्माण	क	6.11.95	1.00	0.25
256.	बुडवैल में प्रस्तावित फिल्टरसेशन संयंत्र से बुडवैल में 2 एम.एल. जलाशय तक 300एम.एम. व्यास वाली एम.एस. इनलैट मुख्य लाईन का विनिर्माण आपूर्ति, समतली करण बिछाना, जोड़ना, परीक्षण और प्रारम्भ करना तथा वर्तमान वितरण प्रणाली को जोड़ने के लिए बुडवैल में 2 एम.एल. जलाशय (नया) से 350 एम.एम. व्यास वाली सी.आई. आउटलैट मुख्य लाईन का विनिर्माण, आपूर्ति समतलीकरण, बिछाना, जोड़ना परीक्षण और प्रारम्भ करना ।	क	6.11.95	0.59	0.39
257.	बुडवैल में 2 एम.एल. जलाशय (नया) से मुस्क महल तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों में वर्तमान सम्प तक 300 एम.एम. व्यास वाली सी आई आउटलैट मुख्यलाईन का विनिर्माण, आपूर्ति, समतलीकरण, बिछाना जोड़ना, परीक्षण और प्रारम्भ करना	क	6.11.95	0.90	0.62
258.	अमीरपेट में वाणिज्यिक परिसर	क	6.11.95	5.18	1.04
259.	स्वर्णजयंती वाणिज्यिक परिसर अमीरपेट के मार्फत	क	6.11.95	20.00	3.92
260.	हैदराबाद पब्लिक स्कूल पर समान्तर पुल	क	6.11.95	1.25	0.10
261.	जूबली सम्प परिसर में जूबल हिल्स अंचल में 5 एम.एल. क्षमता के सर्विस जलाशय का निर्माण	ख	6.11.95	1.25	1.09
262.	प्रशासन नगर जलाशय से जर्लिस्ट कालोनी पम्प हाऊस पर जूबली हिल्स रोड न. 1 तथा अपोलो अस्पताल रोड के चौराहे तक 1200 एम.एम. 100 एम.एम. और 900 एम.एम. व्यास वाली एम.एस. जल आपूर्ति पाईप लाईन बिछाना जिसमें प्रशासन नगर और साईपेट पम्प हाऊस पर आपूर्ति तथा पम्प लगाना शामिल है	ख	6.11.95	3.40	3.25
263.	600 एम.एम. डाय (300 जार.एम.टी.) पी.एस.सी. फीडर मुख्य पाईप 750 एम.एम.(210)बॉयोगुडा कसाईखाना ट्रंक वितरण मुख्य पाईपों का बिछाना	ख	6.11.95	0.45	0.29
264.	नियंत्रण कक्ष से चिल्कालगुडा जलाशय तक 1000 एम.एम. डाय गुरुत्व मुख्य पाईप का बिछाना	ख	6.11.95	5.50	4.40
265.	बोजागट्टा जलाशय से शारदानगर तक 600 एम.एम. डाय तथा 450 एम.एम. डाय सी.आई. जलापूर्ति वितरण मुख्यपाईप का बिछाना	ख	6.11.95	2.80	2.14
266.	नायक नगर चौराहे से नायक नगर क्षेत्र तक 450 एम.एम./300 एम.एम. डाय सी.आई. ट्रंक वितरण मुख्यपाईप का बिछाना	ख	6.11.95	0.33	0.26
267.	योसुफगुडा पार्क से एस.आर.सी. सीमेंट सहित 600 एम.एम. से 900 एम.एम. तक भिन्न डाय की आर.सी.सी.एन.पी.4 श्रेणी की पाईपों की मलव्यन मुख्यपाईप के 51/28 तथा अमीरपेट में है.श.वि.प्रा. पर	ख	6.11.95	4.35	0.85

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
	शेष ड्रुप्लीकेट के.-51 मुख्यपाइप का विनिर्माण, आपूर्ति, वितरण, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण तथा चालू करना				
268.	सोमेजिगुडा में बंजारा नाले के अनुप्रवाह में मलव्यन पाइपें बिछाने सहित एन.बी.टी. कैंसर अस्पताल से बंजारा तालाब के अनुप्रवाह तक एन पी 2 श्रेणी की 300 एम एम डायमिटर तथा एन पी 3 श्रेणी की 500/600/700 एम एम डायमिटर की आर सी सी की मलव्यत मुख्यपाइप का विनिर्माण, आपूर्ति, वितरण, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण तथा चालू करना	ख	6.11.95	5.00	1.50
269.	हुसैन सागर क्षेत्र के अंतर्गत भोईगुडा कसाईखाने में प्रांगण प्रकाश - व्यवस्था क्वार्टर आदि सहित 10 एम.एल. क्षमता के जलाशय का निर्माण	ख	6.11.95	2.25	1.75
270.	बंजारा रोड नं. 14 से कृष्ण नगर तक 750 एम.एम. डायमिटर एवं 600 एम.एम. डायमिटर सी.आई. जलापूर्ति मुख्यपाइप को बिछाना	ख	6.11.95	2.10	1.94
271.	बोराबंडा जलाशय से पांडुरंगानगर तक 400/300/200 एम. एम. डायमिटर सी आई एल ए श्रेणी गुरुत्व मुख्यपाइप का बिछाना	ख	6.11.95	0.36	0.32
272.	सहेबनगर एस. एवं एस.	ख	6.11.95	10.00	2.82
273.	मुस्लमजुंग पुल पर समानान्तर पुल का निर्माण	ख	6.11.95	8.00	0.34
274.	ओलिपंथ में आर.ओ.बी.	ख	6.11.95	5.00	2.10
275.	जमाई ओसमानिया में आर.ओ.बी.	ख	6.11.95	6.00	0.45
276.	रेलनिलयम में आर.ओ.बी.	ख	6.11.95	5.00	0.60
277.	युसुफगुडा में नया प्रमुख पार्क	ख	6.11.95	2.00	0.37
278.	सीताफल मंडी में आर.ओ.बी.	ख	6.11.95	3.65	0.01
279.	एन.टी.आर.उद्यान	ख	27.2.98	40.00	5.05
280.	नैकलेस रोड फेज -II	ग	6.11.95	10.00	8.86
281.	सी.टी.ओ. फ्लाईओवर	ग	6.11.95	6.00	4.68
282.	तेलगुटैली फ्लाईओवर	ग	27.2.98	20.00	8.77
283.	मसैबटैंक फ्लाईओवर	ग	27.2.98	12.00	5.11
284.	नरंयगुडा फ्लाईओवर	ग	27.2.98	6.00	2.60
285.	एच.एस.लेक के प्रदूषण से बचने के लिए ड्रुप्लीकेट 'ए' में सीवर प्राप्त करने सहित कुकटपैली नाले के साथ भोलाशंकर मक्का तथा ब्राह्मणवाड़ी क्षेत्र में एस आर सी सीमेंट सहित 300 से 500 एम.एम. तक भिन्न डायमिटर की आर सी सी एन पी 3 तथा एन पी 4 श्रेणी की पाइपों का विनिर्माण, आपूर्ति, वितरण, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण तथा चालू करना	ग	8.1.96	4.50	2.00
286.	सिंगरेनी कोयलाखानों से संतोष नगर एक्स रोड तक 400/500/600/800 एम एम डायमिटर की कंचनबाग मुख्यपाइप का विस्तारण	ग	8.1.96	4.00	1.72
287.	सैयदाबाद सबर्मा - नरंयगर, लक्ष्मीनगर, एवं विनयनगर कॉलोनियों आदि में स्थानीय तथा संयोजी सीवर पाइपों को बिछाना	ग	8.1.96	1.85	0.61

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
288.	सिंगरेनी कालोनी से डेकन मेडिकल कॉलेज तक कंचनबाग टैंक में मलव्यन नालियां एकत्र करने के लिए परिवर्ती क्षेत्रों में शाखा सीवर पाईप बिछाने सहित 400/300/350/250/200 एम एम डाय आर सी सी एन पी 3 श्रेणी की पाइप का विस्तारण	ग	8.1.96	1.30	0.34
289.	क्लोरीनीकरण संयंत्र मुम्बई गृह के लिए विभिन्न जलाशय स्थलों पर कक्षों का निर्माण	ग	8.1.96	0.14	0.08
	मुम्बई				
290.	खासघर में भूमि विकास	क	5.1.96	27.90	12.28
291.	व्यवसायिक परिसर एवं टाउन हॉल	क	5.1.96	6.00	5.65
292.	खेल काम्प्लेक्स	क	5.1.96	4.25	4.24
293.	कलामबोली में औद्योगिक पार्क	क	26.2.98	34.66	5.99
294.	व्यवसायिक परिसर एवं टाउन हॉल (बढ़ी हुई लागत)	क	29.9.99	5.59	0.22
295.	गली में प्रकाश व्यवस्था	ख	5.1.96	60.00	41.75
296.	डीजल शवदाहगृह	ख	5.1.96	0.50	0.45
297.	जल आपूर्ति योजना थाना शहर (चरण II)	ख	29.9.99	39.37	0.72
298.	कल्याण में पम्पिंग स्टेशन की क्षमता में सुधार	ख	29.9.99	6.70	0.20
299.	पाल्म बीच रोड फेज - II	ग	5.1.96	53.89	63.04
300.	वशी नोड पर उपमार्ग	ग	5.1.96	3.15	3.15
301.	पाटरी पुल में कल्याण शिल रोड पर आर ओ बी	ग	5.1.96	4.00	3.12
302.	खारघर में उपमार्ग	ग	26.2.98	2.50	0.50
303.	खंडेश्वर में आर.ओ.बी.	ग	26.2.98	14.34	12.62
304.	प्रसाधन कॉम्प्लेक्स	ग	26.2.98	2.00	1.37
305.	गटर	ग	26.2.98	7.59	4.81
306.	मलव्ययन लाईनें	ग	26.2.98	9.36	0.58
307.	पाल्म बीच मार्ग (अतिरिक्त निर्माण कार्य)	ग	29.9.99	10.00	3.13
308.	वशी में उपमार्ग (बढ़ी हुई लागत)	ग	29.9.99	2.36	1.00
	अभी आरंभ की जाने वाली परियोजनाएं				
	कोलकाता				
309.	वैजोबघाटा में आवास	क	15.2.2000	10.89	शून्य
310.	जी.एल. ब्लॉक आवास, पूर्वी कोलकाता	क	15.2.2000	5.41	शून्य
311.	ई.ई. ब्लॉक सॉल्ट लेक में आवास	क	15.2.2000	7.63	शून्य
312.	पूर्वी कोलकाता में फेरीवाले पुनर्वास केन्द्र एवं वाणिज्यिक काम्प्लेक्स	क	15.2.2000	10.80	शून्य
313.	स्यालदाह में न्यायालय एवं व्यापारिक काम्प्लेक्स (फेज II)	क	15.2.2000	8.31	शून्य
314.	एच.एम.सी. क्षेत्र में गली की प्रकाश व्यवस्था में सुधार	ख	15.2.2000	1.09	शून्य
315.	गार्डन रीच वाटर वर्क्स - फेज II के अंतर्गत प्राथमिक जाली का स्थायीकरण एवं विस्तारण	ख	15.2.2000	29.48	शून्य
316.	गरफासिशु उद्यान में यू.जी.आर. में तथा आसपास पानी की मुख्य पाईप	ख	15.2.2000	4.20	शून्य
317.	महत्वपूर्ण एवं प्राचीन कोलकाता सड़कें (फेज II)	ख	15.2.2000	3.20	शून्य
	चेन्नई				
318.	दैनिक बाजार का विकास	क	8.1.96	0.30	शून्य
319.	वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स प्राचीन शहर पंचायत कार्यालय	क	30.12.97	0.23	शून्य

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
320.	वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स एवं बसटर्मिनल का निर्माण	क		0.56	शून्य
321.	सिगाराविलेन नगर में 112 फ्लैट	क	5.10.99	3.85	शून्य
322.	विजय राघवन रोड में फ्लैट	क	5.10.99	1.80	शून्य
323.	नंदनम में वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण	क	5.10.99	1.86	शून्य
324.	लोन स्केयर पराकासमसलाई में पार्किंग	ख	1.11.96	7.00	शून्य
325.	ओ.एच.टी.एवं जी.एल.आर. का निर्माण	ख	3.8.98	0.69	शून्य
326.	नेटवर्क संचरण का विस्तारण	ख	3.8.98	0.26	शून्य
327.	बी नहर के आरपार मध्य कैलाश पुल को चौड़ा करना	ग	3.8.98	0.90	शून्य
328.	कोयमबीडु एवं कोडुंगापुर में विद्यमान उपचार संयंत्र का सुधार	ग	3.8.98	40.45	शून्य
329.	रतन बाजार में पैदल चलने वालों के लिए पारपथ	ग	5.10.99	1.31	शून्य
330.	भूमिगत जलव्यवस्था	ग	5.10.99	19.22	शून्य
	हैदराबाद				शून्य
331.	सब्जीमंडी में लघु मंडी परिसर का निर्माण	क	27.2.98	4.00	शून्य
332.	सोलिड वेस्ट प्रबन्ध का आधुनिकीकरण	क	7.12.99	28.00	शून्य
333.	सड़क को चौड़ा करना	क	7.12.99	60.68	शून्य
334.	नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण	क	7.12.99	10.32	शून्य
335.	एन.टी.आर उद्यान चरण II	क	7.12.99	30.00	शून्य
336.	गाड़ी खड़ी करने का स्थान	क	7.12.99	20.00	शून्य
337.	खाद्य न्यायालय	क	7.12.99	2.00	शून्य
338.	रॉक गार्डन	क	7.12.99	10.00	शून्य
339.	माचा बोलारम में 500 के एल क्षमता की आर.सी.सी. ई.एल.एम.आर. का निर्माण	क	6.11.95	0.24	शून्य
340.	यपरांल में 500 सी.एल. क्षमता की आर सी सी ई डब्ल्यू आर का निर्माण	क	6.11.95	0.26	शून्य
341.	चाणक्यपुरी ई.एल.एस. आर. और चाणक्यपुरी सम्प में सौथमनगर इ.एल.एस.आर. में पानी निकालने के लिए पानी निकालने वाले संयंत्र की आपूर्ति और निर्माण	क	6.11.95	0.21	शून्य
342.	वनस्थलीपुरम के पूर्वी ओर 14 कालोनियों में आन्तरिक वितरण मुख्य लाइनों का बिछाना	क	6.11.95	1.90	शून्य
343.	आटोनगर जलाशय परिसर को पम्प सेटों की अपूर्ति तथा सुपुर्दगी	क	6.11.95	0.18	शून्य
344.	हुडा पार्क कालोनी, वनस्थलीपुरम में आई एम एल आर सी सी ई एल एस आर का निर्माण	क	6.11.95	0.50	शून्य
345.	डब्ल्यू टी.पी. से प्रस्तावित स्थान तक 3500 एम एम डायल वाली सी.आई. पानी निकालने की मुख्य लाइन सहित बुडवेल, राजेन्द्रनगर में वर्तमान डब्ल्यू टी.पी. की ओर एम. जी.डी. डब्ल्यू टी.पी. का निर्माण	क	6.11.95	2.00	शून्य
346.	माधापुर में विकासशील मोहल्लों से दुर्गम चरेबु में प्रस्तावित एस.टी.पी. तक सीवरों को जोड़ने वाली बड़ी लाइन बिछाना सर्वेक्षण, रूपरेखा तथा अनुमानों को तैयार करना, बोली लगाने वाले प्रलेखों आदि की परामर्शदात्री सेवाओं की लागत सहित एस.टी.पी. का निर्माण	क	6.11.95	7.90	शून्य
347.	रमन्थापुर सड़क और नल्लाचेरु की ओर जाने वाली सड़क के साथ गली सं. 8 के चौराहे से 600 एम.एम.	ग	8.1.96	5.11	शून्य

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
	और 800 एम.एम. डाया आर.सी.सी. एन.पी. 3 श्रेणी की पाइपों का निर्माण करना, आपूर्ति करना, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण करना और चालू करना				
348.	विभिन्न जलाशय स्थानों पर लगाने के लिए क्लोरीनीकरण पोधों की प्राप्ति	ग	8.1.96	0.40	शून्य
349.	एच.एम.डब्ल्यू एस.एस.बी. की जल आपूर्ति प्रणाली का और इसके द्वारा मीटरों की प्राप्ति और प्रतिस्थापन की विस्तृत जल लेखापरीक्षा करना	ग	7.12.99	12.50	शून्य
350.	वर्तमान जल अपूर्ति प्रणाली का सुधार	ख	7.12.99	50.00	शून्य
351.	जल आपूर्ति में सुधार और एच.एम. डब्ल्यू एस.एस.बी. की जल आपूर्ति प्रणाली का विस्तार	ख	7.12.99	6.00	शून्य
352.	उद्यान	ख	27.2.98	3.00	शून्य
	मुम्बई				
353.	ट्रक टर्मिनल	क	26.2.98	5.40	शून्य
354.	बहुमंजिल एवं उद्यान	क	26.2.98	2.50	शून्य
355.	कलाम बोली औद्योगिक उद्यान (चरण -II)	क	29.9.99	25.00	शून्य
356.	सब्जी मंडी का निर्माण	क	29.9.99	7.50	शून्य
357.	बायोमेडीकल रक्षी का प्रबन्ध	ख	29.9.99	20.44	शून्य
358.	राष्ट्रीय प्लाविका प्रभाजन केन्द्र	ख	29.9.99	6.37	शून्य
359.	खारघर नोड की जल आपूर्ति का वितरण	ख	29.9.99	35.00	शून्य
360.	माण्डवा टिटवाला जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन	ख	29.9.99	2.60	शून्य
361.	एफ.ओ.बी. और रिकशा स्टैंड	ग	26.2.98	3.00	शून्य
362.	किंग सर्किल एवं पोस्टल कालोनी में तूफानी पानी का नाला	ग	29.9.99	30.50	शून्य
363.	मुलुन्द (ई) बस डिपो	ग	29.9.99	11.70	शून्य
364.	मुलुन्द चैक नाका बस डिपो के ऊपर अतिरिक्त मंजिल	ग	29.9.99	0.15	शून्य
365.	स्पीज बस स्टैन्ड	ग	29.9.99	0.50	शून्य
366.	खारघर नोड मलव्यन प्रणाली	ग	29.9.99	17.25	शून्य
367.	नया सात पथों वाला पैन्चल घुसाव पुल	ग	29.9.99	20.00	शून्य
368.	खण्डेश्वर में बेलापुर पैन्चल रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. (स्टेज II)	ग	29.9.99	5.29	शून्य
369.	सड़कों का निर्माण	ग	29.9.99	9.63	शून्य
370.	स्ट्रीट लाइटिंग	ग	29.9.99	6.08	शून्य
	छोड़ी गई परियोजनाएं				
	बंगलौर				
371.	सींगेना आगरहास में कृषि मंडी का निर्माण	क	18.2.97	39.29	शून्य
372.	विद्युत शवदाह गृह - भिखारियों की कालोनी	ख	4.12.95	1.27	शून्य
373.	विद्युत शवदाह गृह, अमरुथाहल्ली	ख	4.12.95	1.19	शून्य
374.	मैसूर रोड पर मलव्ययन शोधन	ख	25.3.98	52.12	शून्य
375.	येलाहान्का पर मलव्ययन शोधन	ख	25.3.98	39.24	शून्य
376.	बी.डब्ल्यू एस.एस.बी. के पम्पिंग स्टेशनों का आधुनिकीकरण	ख	25.3.98	16.17	शून्य
377.	भूग्रस्त जल स्त्रोतों द्वारा जल आपूर्ति का संवर्धन	ख	25.3.98	8.20	शून्य
378.	शिवाजी नगर बस स्टैन्ड का पुनर्प्रतिरूपण	घ	25.3.98	5.50	शून्य
379.	मेखरी सर्कल पर श्रेणी विलगत	ग	25.3.98	20.00	शून्य

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
380.	भूमिगत पारपथ शिवाजी नगर	ग	25.3.98	3.48	शून्य
381.	तूफानी जल नालियों का सुधार	ग	25.3.98	46.25	शून्य
382.	भूमिगत पैदल पारपथ - मैसूर बैंक सर्किल	ग	25.3.98	4.68	शून्य
383.	भूमिगत पैदल पारपथ - सिटी मार्किट	ग	25.3.98	5.01	शून्य
384.	बाहरी रिंग रोड - पूर्वी खण्ड	ग	25.3.98	65.21	शून्य
	चेन्नई				
385.	नेहरू नीडन सलाई पर प्रतिदिन मंडी लगाना	क	8.1.96	0.37	शून्य
386.	नगर कार्यालय परिसर में कार्यालय परिसर का निर्माण	क	8.1.96	4.55	शून्य
387.	एम.टी.एच. एडक पर कार्यालय - वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	क	8.1.96	0.53	शून्य
388.	राधानगर में कल्याण मणुपम	क	8.1.96	0.55	शून्य
389.	नगर कार्यालय भवन की द्वितीय मंजिल पर कार्यालय परिसर का निर्माण	क	8.1.96	0.30	शून्य
390.	सी./ओ. शानमुगम रोड की प्रथम मंजिल पर दूकानों का निर्माण	क	8.1.96	0.25	शून्य
391.	चौथी मेन रोड, नांगानलूर पर व्यवसायिक परिसर	क	8.1.96	0.32	शून्य
392.	पल्लावरम रेलवे स्टेशन के समीप मार्किट एवं व्यवसायिक परिसर	क	8.1.96	0.35	शून्य
393.	मद्रास मोकुसिल बस टर्मिनल	क	1.11.96	0.88	शून्य
394.	टी.पी. कार्यालय में वाणिज्यिक परिसर	क	30.12.97	2.41	शून्य
395.	एटीकुलम आरकट रोड पर वाणिज्यिक परिसर	क	30.12.97	2.70	शून्य
396.	राष्ट्रीय राजमार्ग -14 के साथ लगा हुआ मेटाकुपम सलाई पर वाणिज्यिक परिसर	क	30.12.97	0.32	शून्य
397.	काठी वक्कम हाई रोड पर वाणिज्यिक परिसर	क	4.1.99	0.19	शून्य
398.	विद्युत शवदाह गृह पोरूर पंचायत	ख	30.12.97	0.68	शून्य
399.	विद्युत शवदाह गृह का निर्माण	ख	30.12.97	0.68	शून्य
400.	विद्युत शवदाह गृह	ख	3.8.98	0.68	शून्य
401.	संग्रह टंकी तथा स्टैंडपोस्ट की व्यवस्था	ख	3.8.98	0.19	शून्य
402.	वीरांगल ऊड़ई के लिए खुली नहर एवं बालाजी नगर मेन रोड के पार लघु आर.सी.सी. पुल का निर्माण	ग	8.1.96	0.30	शून्य
403.	सुधानन्दा भारती रोड स्ट्रीट और भारत माता स्ट्रीट का सुधार	ग	8.1.96	0.30	शून्य
404.	अम्बतुर रेलवे स्टेशन और पट्टारावक्कम समपार (लेवल क्रॉसिंग) के बीच लिंक रोड का सुधार एवं निर्माण	ग	8.1.96	0.58	शून्य
405.	इरूमबुलियुर रोड का विकास	ग	8.1.96	0.37	शून्य
406.	कोयमबेडू जंक्शन पर फ्लाई ओवर	ग	1.11.96	10.00	शून्य
407.	वेल्लेज रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण	ग	1.11.96	17.50	शून्य
408.	लुज पर भूमिगत पैदल पार पथ	ग	30.12.97	3.50	शून्य
409.	मिन्ट पर भूमिगत पैदल पार पथ	ग	30.12.97	3.50	शून्य
410.	कूडा - खाद यार्ड तथा यानों की खरीद	ग	3.8.98	0.88	शून्य
	मुम्बई				
411.	शिवाजी मैदान एवं मण्डी अहाता I	क	5.1.96	1.50	शून्य
412.	गोआदेवी में वाणिज्यिक परिसर का विकास	क	5.1.96	3.00	शून्य
413.	ट्रक टर्मिनल	क	5.1.96	5.00	शून्य
414.	विद्युत एवं गैस का शवदाह गृह	ख	5.1.96	4.65	शून्य

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमोदित लागत	व्यय
415.	कला दीर्घा (आर्ट गैलरी)/संग्रहालय सम्मेलन केन्द्र	ख	5.1.96	3.00	शून्य
416.	जल आपूर्ति योजना (के.डी.एम.सी.)	ख	26.2.98	12.20	शून्य
417.	नोडल बस स्टेन्ड का विकास	ग	5.1.96	0.32	शून्य
418.	वर्तमान अराम घरों का उन्नयन	ग	5.1.96	1.62	शून्य
419.	पूर्वी और पश्चिमि एक्सप्रेस राजमार्ग पर बस स्टेन्ड	ग	5.1.96	2.86	शून्य
420.	बसों के लिए एल.ई.डी. प्रणाली का प्रदर्शन	ग	26.2.98	0.40	शून्य

हेदराबाद					
421.	अमीरपेट फ्लाई ओवर	ख	8.1.96	5.00	0.22
422.	पंजागुट्टा फ्लाई ओवर	ख	8.1.96	4.50	0.20
423.	विश्वेसरय्या फ्लाई ओवर	ख	8.1.96	6.00	0.27
424.	आर.टी.सी. 'X' फ्लाई ओवर	ख	8.1.96	4.50	0.34
425.	मोजनशाही मार्किअ फ्लाई ओवर	ख	8.1.96	8.00	0.53
426.	नेकलेस रोड चरण -II (आर.ओ.बी.)	ग	8.1.96	6.00	शून्य
427.	गनफाऊन्डरी पर भूमिगत पैदल पार पथ	ख	6.11.95	0.31	0.01
428.	पथेरगट्टी पर भूमिगत पैदल पार पथ	ख	6.11.95	0.40	शून्य
429.	शादन महाविद्यालय खैराबाद पर भूमिगत पारपथ	ख	6.11.95	0.32	0.15
430.	शंकरमुट्ट पर भूमिगत पैदल पार पथ	ख	6.11.95	0.35	शून्य
431.	आजमपुरा पर आर.यू.बी.	ख	6.11.95	1.35	0.01
432.	विधान सभा पर भूमिगत पैदल पार पथ	ख	6.11.95	0.47	शून्य
433.	सचिवालय पर भूमिगत पैदल पारपथ	ख	6.11.95	0.45	शून्य
434.	हरषपेन्टा पर घिसाई	ख	6.11.95	1.15	0.01
435.	तिलक रोड, अवीदज पर भूमिगत पैदल पारपथ	ख	6.11.95	0.35	0.01
436.	फिरोज गांधी पार्क में आधुनिक वातानुकूलित मण्डी परिसर का निर्माण	क	8.1.96	1.50	शून्य
437.	दारूलशिफा में कार्यालय परिसर का निर्माण	क	8.1.96	1.50	0.01
438.	मोंडा मार्किट में आधुनिक मण्डी का निर्माण	क	8.1.96	7.00	शून्य
439.	अफजलगंज में एम सी एच वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	क	27.2.98	8.00	शून्य
440.	युग्म शहरों में सम्पत्ति के रूप में भूमि उत्पन्न करने के लिए खुले नालों /नालियों को ढकना	क	27.2.98	9.00	शून्य
441.	कांडीकल गेट पर आर.ओ.बी.	ख	27.2.98	7.00	शून्य
442.	विभिन्न स्थलों पर मूत्रालयों का निर्माण	ख	27.2.98	0.25	शून्य

- स्रोत ; (1) 1995-96 से 1999-2000 के दौरान राज्य स्तरीय संस्वीकृत समिति के कार्यवृत्त
(2) 31-3-2000 को समाप्त तिमाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट



शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय

के.लो.नि.वि. में विवाचन प्रणाली

3.2 के.लो.नि.वि. में विवाचन प्रणाली

के.लो.नि.वि. में संविदाओं के प्रबन्ध को पहले भारत के नि.म.ले.प. की 1992 की प्रतिवेदन संख्या 2 में शामिल किया गया था जिसकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई थी। अप्रैल 1994 में शहरी विकास मंत्रालय ने लो.ले.स. को जवाब दिया था कि संविदाओं के प्रशासन को सुप्रवाही बनाने के लिए उसने परिवीक्षण प्रणाली जैसे उपाय शुरू किए थे ताकि निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन, विवाचन के मामलों का विश्लेषणात्मक अध्ययन और भावी मार्गदर्शन के लिए पूर्व के निर्णयों के रूझान के बारे में एक तत्काल सन्दर्भ प्रस्तुत करने हेतु एक क्रमबद्ध संक्षेप तैयार कर, एक तकनीकी विधायी सैल का सर्जन आदि सुनिश्चित किया जा सके। दिसम्बर 1994 में लो.ले.स. ने चाहा था कि मंत्रालय इन संविदाओं के कार्य निष्पादन और संबंधित विवाचन निर्णयों के प्रकाश में इन कदमों की प्रभावकारिता पर निकट से और निरन्तर दृष्टि रखे तथा इनकी समीक्षा करे और संविदाओं के कुशल प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें तथा ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किए जाने से बचाव करे। तथापि मंत्रालय ने दिए गए आश्वासन के अनुसार वास्तव में उपाय नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ऐसा भुगतान किया जाता रहा जिससे बचा जा सकता था।

विशिष्टताएं

विवाचन निर्णयों की सुव्यवस्थित रूप से निगरानी नहीं की गई।

के.लो.नि.वि. द्वारा ठेकेदार को नक्शों, डिजाइनों, सामग्रियों तथा निर्णयों की सूचना विलम्ब से दिए जाने के परिणामस्वरूप संविदाओं में अनावश्यक देरी हुई तथा 262.74 लाख रु. की क्षतिपूर्ति/हानि का भुगतान करना पड़ा।

के.लो.नि.वि. द्वारा कार्यों की मदों के की नामावली में दी गई अपेक्षाएँ उसके द्वारा उपलब्ध किए गए विशेष विवरणों तथा आरेखणों के अनुकूल नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए 55.79 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा।

ठेकेदारों के कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए बिलों का भुगतान स्वीकृत शर्तों के अनुसार न किए जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा समय पर भुगतान किए जाने पर प्रस्तावित छूट जवाब हो गई।

विभाग द्वारा ठेके की शर्तों/नियमबद्ध प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण 286.06 लाख रु. वापिस लौटाने पड़े जिससे ब्याज का घाटा हुआ।

संविदाओं को अनियमित रूप से निरस्त करने के कारण 117.71 लाख रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने अधिकारियों पर कोई उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जबकि उनकी गलतियों के कारण विवाचकों के निर्णय इसके विरुद्ध गये थे।

के.लो.नि.वि. में विवाचन के मामलों की निगरानी और प्रबन्धन की प्रणाली में त्रुटियों के कारण अनुवर्ती कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ और 94 प्रतिशत दावे नामंजूर हो गए।

प्रस्तावना

3.2.1 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) केन्द्र सरकार के सभी भवनों और परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ रख-रखाव के लिए भी केन्द्र सरकार की प्रधान एजेंसी है। इस कार्य के लिए के.लो.नि.वि. ठेकेदारों के साथ करार करता है। करार के खण्ड-25 में, न सुलझाए गए प्रश्नों तथा संविदाओं अथवा कार्य करने से सम्बन्धित अथवा उससे उत्पन्न मामलों के सम्बन्ध में विवादों के मामले में, एक विवाचक नियुक्त करने की व्यवस्था है। ठेकेदार से विवाचक नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर के.लो.नि.वि. को यह निश्चित करना होता है कि विवाद के मुद्दे खण्ड-25 की परिधि में आते हैं या नहीं। उसके बाद के.लो.नि.वि. विवाचक की नियुक्ति करता है जो मामले की सुनवाई करता है। विवाचक द्वारा निर्णय दे दिए जाने के बाद के.लो.नि.वि. को उसकी जांच करनी होती है। यदि वह निर्णयको स्वीकार करता है तो उसके निर्णय को न्यायालय का नियम बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। के.लो.नि.वि. निर्णय को न्यायालय में चुनौती दे सकता है।

अधिशासी अभियंता को विवाचन के लम्बित मामलों का एक तिमाही विवरण अधीक्षण अभियंता को भेजनी चाहिए जो अपने समूचे सर्किल के बारे में एक ऐसा ही विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियंता को भेजता है। इन रिपोर्टों की मुख्य अभियंताओं द्वारा अवधिक बैठकों में समीक्षा की जानी चाहिए ताकि विवाचन के मामलों को तेजी से अन्तिम रूप दिया जा सके।

संगठनात्मक ढांचा

3.2.2 महानिदेशक (निर्माण), के.लो.नि.वि. का मुखिया होता है और उसकी सहायता अपर महानिदेशक (निर्माण) करता है। इस विभाग को 7 क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक का मुखिया एक सहायक महानिदेशक होता है। क्षेत्रीय इकाइयों को पुनः अंचल कार्यालयों, सर्किल कार्यालयों तथा प्रभागीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है जिनके मुखिया क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता होते हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

3.2.3 अप्रैल 2000 से जुलाई 2000 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने विवाचन गतिविधियों से सम्बन्धित अभिलेखों तथा समूचे देश में कार्य कर रहे के.लो.नि.वि. के प्रभागों के वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक के दौरान अन्तिम रूप दिए गए निर्णयों की समीक्षा की। समीक्षा में अधिनियम 1940, आरबिट्रेशन और कौंसिलिपेशन अधिनियम 1996, के.लो.नि.वि. नियम पुस्तिका खण्ड-2 तथा महानिदेशक निर्माण द्वारा जारी अनुदेशों के सन्दर्भ में के.लो.नि.वि. द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली की जांच शामिल है। के.लो.नि.वि. ने कोई नियंत्रण रजिस्टर नहीं रखा है जिसमें सभी विवाचन मामलों के ब्यौरे दिए गए हों। अतः लेखापरीक्षा को विवाचन के मामलों की सही संख्या का पता नहीं चल पाया किन्तु इसने 402 मामलों की जांच की जो इसको उपलब्ध कराए गए थे और जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

दिए गए निर्णयों की रूपरेखा

3.2.4 निम्नलिखित तालिका में दिए गए निर्णयों, दी गई राशि, वसूली/भुगतान तथा दिए गए ब्याज की वर्षवार स्थिति दर्शाई गई है -

लाख रु. में

वर्ष	पुनरीक्षित निर्णयों की संख्या	के.लो.नि.वि. के पक्ष में निर्णय	दी गई राशि	वसूल की गई राशि	के.लो.नि.वि. के खिलाफ निर्णय	दी गई राशि	दिया गया ब्याज	अदा की गई कुल राशि
1994-95	84	7	49.80	0.002	77	120.59	55.30	163.41
1995-96	79	2	0.03	0.03	77	197.48	50.04	183.25
1996-97	50	1	0.003	-	49	89.80	26.36	148.97
1997-98	12	1	-	-	11	18.78	0.93	5.13
1998-99	93	5	-	-	88	207.74		176.06
1999-2000	84	6	0.26	-	78	152.98	85.37	198.04
कुल	402	22	50.09	0.03	380	787.37	284.20	874.86

केवल 22 निर्णय जिनमें 14 शून्य निर्णय शामिल थे, के.लो.नि.वि. के पक्ष में गए जिनमें 50.09 लाख रु. का भुगतान अन्तरनिहित था हालांकि दो मामलों में के.लो.नि.वि. ने ठेकेदारों से 0.03 लाख रु. की राशि की वसूल कर ली है किन्तु 50.06 लाख रु. की राशि वसूल की जानी अभी बाकी है।

380 मामलों में निर्णय, के.लो.नि.वि. के खिलाफ गया के.लो.नि.वि. ने 287^व मामलों को स्वीकार कर लिया और 64^व निर्णयों को चुनौती दे दी। शेष 35^व निर्णयों में इसको अभी कार्यवाही करनी है। के.लो.नि.वि. ने स्वीकार किए गए मामलों के प्रति ठेकेदारों

^प मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^क मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^ख मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

को 874.86 लाख रु. का भुगतान कर दिया है जिसमें 284.20 लाख रु. की ब्याज की राशि शामिल है। विवाचकों ने के.लो.नि.वि. को भी 212.96 लाख रु. की राशि के काउंटर दावों को अनुमति नहीं दी।

अकुशल संविदा प्रबन्धन के कारण अनावश्यक व्यय

3.2.5 संविदा के खण्ड-2 में यह कहा गया है कि कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय ठेकेदार की तरफ से संविदा का सार होता है। विलम्ब के लिए मुआवजा के.लो.नि.वि. द्वारा वसूल किया जा सकता है और मुआवजे की राशि के सम्बन्ध में इसका निर्णय अन्तिम होता है और वह विवाचन खण्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर है। के.लो.नि.वि. को ऐसे मुआवजे की वसूली के लिए कार्य निष्पादन में विलम्ब को स्वीकार करते समय ठेकेदार को नोटिस देना होता है। 223[†] मामलों में ठेकेदारों ने कार्य पूरा करने में विलम्ब किया। के.लो.नि.वि. ने न तो काय को विलम्ब से पूरा करने के लिए मुआवजे के दावे के बारे में ठेकेदारों को नोटिस ही जारी किया ना ही कार्य पूरा करने के लिए संशोधित तारीख ही निश्चित की। ठेकेदारों ने 262.74 लाख रु. की राशि के क्षतिपूर्ति/मुआवजे का दावा किया (वृद्धि और ब्याज: 112.68 लाख रु., बाजार दरों में वृद्धि 19.05 लाख रु., चौकीदारी पर व्यय 9.47 लाख रु., बेकार मजदूर/औजारों तथा संयंत्रों की लागत 117.66 लाख रु., गोदाम में सामग्री की क्षति 0.70 लाख रु. और गोदाम का किराया 3.18 लाख रु.) विवाचकों ने मुआवजे की मंजूरी दी क्योंकि के.लो.नि.वि. ने स्थल/नक्शे/डिजाइन सौंपने में देरी की थी। इसने संविदा की अवधि के भीतर कार्य पूरा न होने के लिए मुआवजा वसूल करने के अपने इरादे की सूचना देते हुए ठेकेदारों को समय पर और उचित नोटिस जारी करने में भी विलम्ब किया।

262.74 लाख रु. की क्षतिपूर्ति/मुआवजा ठेकेदारों के पक्ष में दिया गया था।

महानिदेशक (निर्माण) द्वारा 6 अप्रैल 1995 को जारी ज्ञापन संख्या डी.जी. (डब्ल्यू)/नि./81 में यह कहा गया है कि बढ़ाई गई अवधि के दौरान स्थापना व्यय, लाभ के घाटे के लिए मुआवजे के दावे, करार के खण्ड-2 से सम्बन्धित दावों के अनुसंगिक है। ये विवाचन के भीतर नहीं हैं इसलिए के.लो.नि.वि. द्वारा इनको विवाचकों के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। तथापि के.लो.नि.वि. ने विवाचन के ऐसे 26* मामले भेजे जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 28.37 लाख रु. की अनुमति देनी पड़ी (क्योंकि ये 117.66 लाख रु. एवं 9.47 लाख रु. के उक्त आंकड़ों में शामिल हैं)।

3.2.6 के.लो.नि.वि. की नियम पुस्तिका खण्ड-2 के पैरा 24 (i) (ii) में यह व्यवस्था है कि संविदा की शर्तें संक्षिप्त और निश्चित होनी चाहिए। 43^{††} मामलों में के.लो.नि.वि.

[†] मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

* अनुबंध की क्रम संख्या

6, 78, 79, 97, 99, 155, 157, 162, 168, 169, 208, 221, 239, 240, 241, 263, 265, 293, 315, 359, 369, 372, 374, 375, 391, तथा 392

^{††} मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

कार्य के मदों की अपूर्ण नामवली/विनिर्देशन के कारण 55.79 लाख रु. के अधिनर्णय के.लो.नि. वि. के विरुद्ध गए

ने संविदा में कार्य की मदों/कार्य के तरीकों/विनिर्दिष्टियों को स्पष्ट नहीं किया है कार्य के मदों की नामावली वास्तविक कार्य से मेल नहीं खाती, परिणामस्वरूप ठेकेदारों ने कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए भुगतान का दावा किया। के.लो.नि.वि. ने उनके दावों का इस आधार पर विरोध किया कि वास्तव में जो काम किया गया है, वह संविदा की कार्यसूची के तहत मदों की अपेक्षा में आता है। विवाचकों ने के.लो.नि.वि. के तर्क को नहीं माना और ठेकेदारों को ब्याज छोड़कर 55.79 लाख रु. लेने की अनुमति दे दी।

3.2.7 विभाग ने चालू खाता बिलों के नियमित मासिक भुगतान तथा कार्य पूरा होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अन्तिम बिलों के भुगतान के लिए ठेकेदारों द्वारा निर्धारित नहीं की गई दरों पर सशर्त रियायत की पेशकश को स्वीकार किया। 107^व मामलों में विभाग ने संविदा की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान किए बिना रियायत काट ली। विवाचकों ने निर्णय दिया कि विभाग रियायत का पात्र नहीं था और उसने 40.88 लाख रु. तथा ब्याज (राशि पता नहीं) ठेकेदारों को लौटाने का निर्णय दिया। संविदाओं की सहमत शर्तों का अनुपालन करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप निर्धारित रियायत समाप्त हो गई और ब्याज का अनावश्यक घाटा हुआ।

3.2.8 के.लो.नि.वि. की नियम पुस्तिका के उपबन्धों के अनुसार कार्य/करार से सम्बन्धित सभी निर्णय उचित स्तर पर लिए जाने चाहिए। करार के तहत ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली सभी राशियों का नियतन बिलों को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले कर लिया जाना चाहिए और किन्हीं भी परिस्थितियों में अन्तिम बिलों में तदर्थ आधार पर राशि रोकी नहीं जानी चाहिए।

270^व मामलों में विवाचकों ने 263.09 लाख रु. की राशि ब्याज सहित वापिस लौटाने का निर्णय दिया (कम भुगतान 36.13 लाख रु. विवाचन घटौती 49.01 लाख रु., अनियमित कटौती 5.65 लाख रु., त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए घटौती 3.52 लाख रु., किए गए कार्य के लिए न किया गया भुगतान 72.58 लाख रु. तथा अतिरिक्त मद 96.19 लाख रु.) निर्णय लेने में के.लो.नि.वि. की असफलता के परिणामस्वरूप ब्याज (राशि का पता नहीं) का भी अनावश्यक भुगतान करना पड़ा।

3.2.9 74^व मामलों में विभाग न तो चोरी, घाटे को सिद्ध कर सका और नाही स्थल पर पड़े अतिरिक्त सामग्री को वापस लौटाने के बारे में नोटिस जारी कर सका किन्तु उसने दण्डात्मक वसूली की। विवाचक ने 22.97 लाख रु. की वसूल की गई राशि को लौटाने का निर्णय लिया।

263.09 लाख रु. की वापसी ब्याज के साथ अनुमत की

^३ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^४ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^५ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

3.2.10 विभाग ने समय को संविदा का सार बनाए बिना, कार्य को निरस्त कर दिया क्योंकि कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय तय नहीं किया गया और नाही समय बढ़ाया गया था। के.लो.नि.वि. ने कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि बीत जाने के काफी समय बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

विभाग द्वारा समय बढ़ाने के लिए अनुमति देने के लिए समय पर कार्यवाही करने और समय पर मुआवजे/देयता की वापसी के लिए समुचित नोटिस देने में विफलता के कारण भुगतान करना पड़ा जो निम्न प्रकार से हैं :

(क) 70^{वें} मामलों में 25.89 लाख रु. की जमानत जमा तथा उस पर ब्याज (मात्रा नहीं बताई गई) की वापसी का निर्धारण नहीं किया।

(ख) 22 मामलों में 20.46 लाख रु. की राशि के करारों को निरस्त करने के फलस्वरूप शेष कार्यों पर लाभ के भुगतान के दावों पर हानि को रोका नहीं जा सका।

3.2.11 विवाचकों ने विवाचन की लागत के रूप में 219^{रु} और 72¹ मामलों में ठेकेदारों को क्रमशः 5.73 लाख और 16.99 लाख रु. की भी अनुमति दी।

3.2.12 के.लो.नि.वि. ने विवाचकों/न्यायालयों द्वारा यथाअनुदेय ब्याज के रूप में 284.20 लाख रु. का भुगतान किया।

प्रतिदावों की परिहार्य अस्वीकृति

3.2.13 संविदा के खण्ड-2 में ठेकेदारों से के.लो.नि.वि. को, अनुसूचि के अनुसार कार्य पूरा न किए जाने की अवस्था में मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। खण्ड-3 में ठेकेदारों द्वारा ठेके की किसी एक अथवा या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में विभाग द्वारा ठेके को निरस्त किए जाने की व्यवस्था है। करार में अपने जोखिम और लागत कार्य पूरा करवाने के लिए विभाग द्वारा जमानत जमा को जब्त किए जाने तथा किए गए अतिरिक्त व्यय, (जब्त की गई जमानत जमा राशि के अतिरिक्त) की वसूली की भी व्यवस्था है।

विभाग द्वारा ठेकेदारों से ठेके के खण्ड-2 और 3 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजों और अतिरिक्त व्यय के रूप में 117.71 लाख रु. की वसूली की गई इस राशि को के.लो.नि.वि. की निम्नलिखित असफलताओं के कारण 37² मामले में, विवाचकों द्वारा अलग रखा गया।

^० मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^१ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^१ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

^२ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं।

- संविदा की अवधि के भीतर कार्य के पूरा करने में असफलता के लिए मुआवजे की वसूली के बारे में विभाग के इशारे को ठेकेदारों को सूचित करने हेतु समय पर और उचित नोटिस जारी न करना ।
- के.लो.नि.वि. ने ठेके में समय को महत्व नहीं दिया अर्थात् के.लो.नि.वि. और ठेकेदार ने कार्य को पूरा किए जाने के लिए निर्धारित अवधि के बाद कोई समय पुनः निर्धारित नहीं किया ।
- कार्य पूरा होने की तारीख के बाद कार्य संचालन में विलम्ब के लिए मुआवजे की वसूली हेतु विभाग के निर्णय की सूचना देना ।
- अन्य एजेंसियों को दिए गए बकाया कार्य मूल ठेके की मात्रा की अनुसूची से भिन्न थे ।
- के.लो.नि.वि. ने शेष कार्य देने के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की ।
- के.लो.नि.वि. अपने प्रतिदावों के समर्थन में विवाचकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा ।

विवाचक के सम्मुख अकुशल बकालत

3.2.14 माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ठेके में पंचाट खण्ड के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट विवाद अथवा मतभेद के सम्बन्ध में पूरा और अन्तिम नियतन हो जाने पर वह विवाचक के कार्यक्षेत्र से बाहर हो जाता है ।

चार मामलों में ठेकेदारों ने पूर्ण और अन्तिम नियतन में बिना शर्त अन्तिम बिल की रशीद की पावती दी । किन्तु विभाग के अधिकारियों ने बाद में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों को स्वीकार किया और उनको विवाचक को भेजा । विवाचक के सम्मुख प्रस्तुत किए गए बचाव पक्ष के बयान में विभाग ने न तो इस तथ्य को प्रकाशमय किया और न ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया । विवाचक ने दावों को स्वीकार किया और ठेकेदारों के पक्ष में 6.16 लाख रु. की राशि ब्याज सहित मंजूर की (अनुबंध की क्रम संख्या 44,344,359,392) ।

विभाग की ओर से शिथिलता के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार

3.2.15 व्यक्तिगत फाइलों की जांच से यह पता चला कि नियमावली में निर्धारित समय सीमा तथा विवाचक की नियुक्ति में जारी अनुदेशों (30 दिन) का पालन करने तथ्य विवरण प्रस्तुत करने (अधिकतम 1 से 2 महीने), न्यायालय में निर्णय को चुनौती देने (न्यायालय के नोटिस प्राप्त होने से 30 दिन), उपाचित ब्याज इत्यादि से बचने के लिए

निर्णय में बताई गई राशि को न्यायालय में जमा करने में सामान्य शिथिलता बरती गई है ।

विवाचको की
नियुक्ति में
विलम्ब था

- (क) 328³ मामले में क.लो.नि.वि. ने 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर विवाचकों की नियुक्ति नहीं की । यह समय 1 महीना 3 दिन से 85 महीना 9 दिन तक का लगा ।
- (ख) 36⁴ मामलों में विवाचकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख अथवा ठेकेदारों द्वारा अधिशासी अभियंता को नोटिस दिए जाने की तारीख से ब्याज की अनुमति देते हुए अधिनिर्णयों को प्रकाशित किया । विवाचकों की नियुक्ति को रोकने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ब्याज (मात्रा नहीं बताई गई) भार बढ़ा ।
- (ग) 73⁵ मामलों में विभाग ने विवाचकों को तथ्य विवरण प्रस्तुत करने में विलम्ब किया और इसमें 2 महीने 15 दिन से लेकर 36 महीने तक का समय लगा । विलम्ब के कारण ब्याज का भार बढ़ा क्योंकि अधिनिर्णय में समान्यतः पक्षकारों के साथ विवाचक द्वारा पहली बार पत्राचार किए जाने की तारीख से ब्याज की अनुमति दी गई है ।
- (घ) 39⁶ मामलों में विभाग न्यायालय में अधिनिर्णय की राशि को जमा करने में असफल रहा ताकि न्यायालय में चुनौती दिए गए अधिनिर्णय के सम्बन्ध में आगे ब्याज न बढ़े और ब्याज का अतिरिक्त भार न उठाना पड़े ।
- (ङ.) दो मामलों में सक्षम प्राधिकारी ने अधिनिर्णय को, न्यायालय की डिक्री बना दिए जाने के बाद, चुनौती देने की अनुमति दी (अनुबंध की क्रम सं. 17 और 42)।
- (च) सात मामलों में के.लो.नि.वि. ने निर्धारित समय सीमा के बाद न्यायालय में आपत्तियां दायर की जिसके परिणामस्वरूप आपत्तियों को आधार पर नामंजूर/बर्खास्त किया गया कि याचिकाओं पर सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध है (अनुबंध के क्रम संख्या 25,35 (i), 38, 39, 44, 46, 47) ।
- (छ) 15⁷ मामलों में भुगतान की तारीख तक ब्याज अदा किया गया जबकि अधिनिर्णय के अनुसार ब्याज की अनुमति अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा डिक्री की तारीख जो भी पहले हो, तक दी गई थी । विभाग ने डिक्री की तारीख तक ब्याज को सीमित करने के बजाय भुगतान की तारीख तक ब्याज की

³ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं ।

⁴ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं ।

⁵ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं ।

⁶ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं ।

⁷ मामले अनुबंध में अंकित किए गए हैं ।

अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप 1.82 लाख रु. का अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।

(ज) के.लो.नि.वि. के गलत हिसाब लगाए जाने के कारण न्यायालय में ब्याज के रूप में 10.10 लाख रु. की राशि जमा की (अनुबंध की क्रम संख्या 5, 38, और 293)।

(झ) उच्च न्यायालय ने मुख्य अभियन्ता एन जैड-III जयपुर, पर न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाचक के लिए ठेकेदार के दावों को समय पर न भेजे जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण 1500 रु. का जुर्माना लगाया ।

(अः) चार मामलों में विवाचक द्वारा अधिनिर्णय की राशि 0.25 लाख रु. अधिक दर्शाई गई थी । विभाग उसको विवाचकों से ठीक नहीं करवा पाया किन्तु उसने क्रम संख्या 113 के निर्णय के सम्बन्ध में ठेकेदार को भुगतान कर दिया तथा अन्य अधिनिर्णय को चुनौती दे दी (अनुबंध की क्रम संख्या 88, 113, 255, 261)।

मूल्यांकन

3.2.16 महानिदेशक (निर्माण) के दिनांक 5 जनवरी 1993 के ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार मुख्य अभियन्ता को संबंधित अधिकारी की ओर से कमियों के कारण यदि कोई हो तो, बताने हाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अवार्ड के.लो.नि.वि. के विरुद्ध गए और उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए अपनी सिफारिशें भेजनी चाहिए और जहां आवश्यक हो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । इनके अलावा मुख्य अभियन्ताओं को सरकार की सूचना के लिए ऐसे सभी मामलों के आंकड़े रखने होते हैं ।

के.लो.नि.वि.ने
उत्तरदायित्व
प्रर्वतन नहीं किया।

अभिलेखों की जांच से पता चला है कि इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई । इस सम्बन्ध में मांगी गई सूचना सूचित नहीं की गई । विवाचन के मामलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।

परिवीक्षण

विवाचन मामलों
के परिवीक्षण/
पुनरवालोकन की
प्रणाली अस्तित्व में
नहीं थी।

3.2.17 के.लो.नि.वि. ने विवाचन के मामलेवार की मामलावार स्थिति तथा सभी मण्डलों की प्रगति के ब्यौरे नहीं रखे थे । इसने विवाचन के मामलों की प्रगति की समीक्षा नहीं की थी । विवाचकों की नियुक्ति तथ्यों के प्रति वक्तव्य दायर करने निर्णयों के कार्यान्वित करने, निर्णयों को स्वीकार करने/चुनौती देने, निर्णय के सम्बन्ध में आपत्तियां दायर करना आदि के विलम्ब हुए । के.लो.नि.वि. के भीतर विवाचन मामलों/निर्णयों का परिवीक्षण करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप विवाचन के

मामलों में कार्यवाही करने तथा निर्णयों को प्रभावशाली रूप से लागू करने में विफलता रही ।

मामला मन्त्रालय को नवम्बर 2000 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 200१) ।

**अनुबंध
(पैराग्राफ 3.2.3 देखें)**

क्र.सं	आर्बिट्रेशन केस नं. अवार्ड की तारीख	करार सं. प्रभाग का नाम
1.	2.	3.
1.	ए.आर.बी./एसएसजे/623 सीएफएचकेएमएनएस 31.3.95	15 ईई/ईडी 8/90-91 सीडी-II
2.	ए.आर.बी./एसएसजे/726 एफएनएस 15.2.95	8 ईई/सीडी VIII/90-91 सीडी-II
3.	ए.आर.बी./एसएसजे/149 एन 13.1.95	18 ईई/सीडी II/76-77 सीडी-II
4.	ए.आर.बी./एसएसजे/766 एफएस 22.3.95	13 ईई/सीडी-8/89-90 सीडी-II
5.	ए.आर.बी./एसएसजे/655 एडएफकेएलएन 26.12.94	2 ईई/सीडी-VIII/86-87 सीडी-II
6.	ए.आर.बी./वाई.पी.सी.डी./303 एसीइएफएचकेएमक्यूएन 23.3.99	18-ईई/सीडी X/87-88 सीडी-II
7.	ए.आर.बी./एसएसजे/875 एफ एनएस 11.7.96	2-ईई/सीडी II/88-89 सीडी-II
8.	ए.आर.बी./एसएसजे/814 एफजीएनएस 27.10.95	5-ईई/सीडी VIII/92-93 सीडी-II
9.	ए.आर.बी./एसएसजे/904 केएनएस 23.7.96	19-ईई/सीडी II/90-91 सीडी-II
10.	ए.आर.बी./एसएसजे/320 सीएफकेएलएनएस 20.10.94	4-ईई/सीडी II/86-87 सीडी-II
11.	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/499 सीईएफएनएस 12.3.99	28-ईई/सीडी X/89-90 सीडी-II
12.	ए.आर.बी./एसएसजे/822 सीईएफकेएनएस 23.2.96	12-ईई/सीडी 8/90-91 सीडी-II
13.	ए.आर.बी./एसएसजे/496 बीसीएफजीएलएन 27.12.94	4-ईई/सीडी II/77-79 सीडी-II
14.	ए.आर.बी./एसएसजे/303 सीएफकेएलएनएस 31.10.94	5-ईई/सीडी 2/86-87 सीडी-II
15.	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/481 9.2.99	31-ईई/सीडी X/91-93 सीडी-II
16.	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/632 सीएफकेएनएस 31.3.99	4-ईई/सीडी VIII/91-92 सीडी-II
17.	ए.आर.बी./एसएसजे/625 सीईएफएसएमएनपीएस 28.6.95	1-ईई/सीडी VIII/86-87 सीडी-XIV
18.	ए.आर.बी./एसएसजे/682 सीईएफजीकेएनपीआरएस 15.9.95	36-ईई II/एमबीआरएचपी/89- 90 सीडी-XIV

क्र.सं	आर्बिट्रेशन केस नं. अवार्ड की तारीख	करार सं. प्रभाग का नाम
1.	2.	3.
20.	यू.आर.बी./एस.एस.जे./556 सीएफएचकेएमएनआरएस 30.6.95	6-डीपीएम II / एमबीआरएचबी/88-89 सीडी-XIV
21.	ए.आर.बी./एसएसजे/501 एफजीएनपीएस 13.6.94	7ईई/एमबीआरएचपी/86.87 सीडी-XIV
22.	ए.आर.बी./एसएसजे/313 डीएफएचकेएस 17.2.95	27(ए)/एमबीआरएचपी/82-83 सीडी-XIV
23.	ए.आर.बी./एसएसजे/338 सीईएफकेएमएनपीएस 21.9.94	2/डीपीएम/एमबीआरएचपी/83 -84 सीडी-XIV
24.	ए.आर.बी./एसएसजे/122 ईएफजीकेआरएस 23.7.96	1-ईई II/एमबीआरएचपी/84- 85 सीडी-XIV
25.	ए.आर.बी./एसएसजे/491 सीईएफकेपी 6.6.95	15/ईई-II/एमबीआरएचपी/83- 84 सीडी-XIV
26.	ए.आर.बी./एसएसजे/654 एसीईएफएनपीक्यू 20.10.95	1/ईई-II/एमबीआरएचपी/89- 90 सीडी-XIV
27.	एआरबी/वाइपीसीडी/583 एफएचएमएनओपीएस 31.1.2000	6/ईई/सीडी-XIV/95-96 सीडी-XIV
28.	एआरबी/एसएसजे/652 सीईएफकेएनपीएस 25.8.94	34/ईई-1/एमबीआरएचपी/89- 90 सीडी-XIV
29.	एआरबी/एसएसजे/653 सीईएफएनपीएस 19.10.95	16/ईई- II/एमबीआरएचपी/89-90 सीडी-XIV
30.	ए.आर.बी./एसएसजे/751 बीएलएन 3.6.96	11/ईई- II/एमबीआरएचपी/86-87 सीडी-XIV
31.	ए.आर.बी./एसएसजे/578 डीईएफजीकेएनपीएस 11.3.94	1/ईई/एससीडी/86-87 एससीडी
32.	ए.आर.बी./एसएसजे/754 सीईएफएचकेएनपीएस 15.6.95	35/ईई/एससीडी/89-90 एससीडी
33.	ए.आर.बी./एसएसजे/896 सीईएफजीकेएनपीएस 22.12.95	54/ईई/एससीडी/91-92 एससीडी
34.	ए.आर.बी./एसएसजे/728 एसीईएफएचकेएमएनक्यू 25.1.95	14/ईई/एससीडी/85-86 एससीडी
35(i)	ए.आर.बी./एसएसजे/110 सीईएनपीएस 28.12.92	11/ईई/एससीडी/88-89 एससीडी
35(ii)	ए.आर.बी./वाईटी/96/25 सीईएफएलएनओपीएस 17.10.98	11/ईई/एससीडी/88-89 एससीडी

36	ए.आर.बी./एसएसजे/198 सीकेएनएस 15.12.94	3/ईई/एससीडी/84-85 एससीडी
37	ए.आर.बी./एसएसजे/446 एसीईएफएचकेएमएनपीक्यू 18.4.94	6/ईई/सीडीXI/86-87 संसद निर्माण मण्डल-III
38	ए.आर.बी./एसएसजे/448 एसीईएफएचकेएमएनपीक्यू 29.4.94	7/ईई/सीडीXI/86-87 संसद निर्माण मण्डल-III
39	ए.आर.बी./एसएसजे/117 सीईएफएचएलएमएनएस 8.6.95	15/ईई/81-82 संसद निर्माण मण्डल-III
40	ए.आर.बी./एसएसजे/659 सीएफकेएनपीएस 24.3.95	23/ईई/सीडीIX/88-89 संसद निर्माण मण्डल-IV
41	ए.आर.बी./एसएसजे/847 ईएफएन 16.7.96	4-ईई/सीडीIX/89-90 संसद निर्माण मण्डल-IV
42	ए.आर.बी./वीएन/312 सीएफजीकेएनएस 19.5.94	3-ईई/सीडीIX/83-84 संसद निर्माण मण्डल संसद निर्माण मण्डल-IV
43	ए.आर.बी./एसएसजे/679 सीपीएनएस 10.11.95	26-ईई/सीडीIX/89-90 संसद निर्माण मण्डल संसद निर्माण मण्डल-IV
44	ए.आर.बी./एसएसजे/449 सीकेपीएनएस 29.6.95	10-ईई/सीडीIX/88-89 संसद निर्माण मण्डल संसद निर्माण मण्डल-IV
45	ए.आर.बी./एसएसजे/439 एफपीएनएस 10.2.95	6-ईई/सीडीIX/85-86 संसद निर्माण मण्डल संसद निर्माण मण्डल-IV
46	ए.आर.बी./एसएसजे/634 सीएचकेएमएनपीएस 23.1.96	21-ईई/सीडीIX/88-89 संसद निर्माण मण्डल-IV
47	ए.आर.बी./एसएसजे/834 डीएफकेएनओएस 28.7.95	22-ईई/सीडीVII/92-93 संसद निर्माण मण्डल-IV
48	ए.आर.बी./एसएसजे/595 सीएफएचकेएमएनआरएस 13.4.94	12-ईई/सीडीVII/90-91 संसद निर्माण मण्डल संसद निर्माण मण्डल-IV
49	ए.आर.बी./एसएसजे/441 सीडीईएफजीकेएलओआरएस 11.1.95	2-ईई/सीडी9/82-83 संसद निर्माण मण्डल संसद निर्माण मण्डल-IV
50	ए.आर.बी./एसएसजे/304 सीकेएनपीएस 22.6.94	8-ईई(ई)/एमबीआरएचपी/84- 85 ईसीडी-V
51	ए.आर.बी./एसएसजे/735 बीएचएन 21.9.95	2-ईसीडीV/90-91 ईसीडी-V
52	ए.आर.बी./एसएसजे/314 सीकेएनएस 29.6.94	15/इ(ई)एमबीआरएचपी/83- 84 ईसीडी-V
53	ए.आर.बी./वीएन/898 एसीपीएन 11.7.95	11-ईसीडीV/89-90
56	ए.आर.बी./पीकेके/7 एचएलएनएस 27.12.96	1-ईसी/एफसीईडी/86-87 ईडी-VII
57	ए.आर.बी./पीकेके/143 ए 27.9.96	ईडी-XI

58	टीकेएम/104 एफएचजेकेएलएनपीएस 27.9.94	
59	टीकेएम/75 सीएफएचजेकेएनपीएस 30.6.94	
60	टीकेएम/127 ईएफएचजेकेएलएनपीएस 18.8.95	
61	टीकेएम/119 सीडीजीएचकेएलएनएस 31.5.96	
62	बीकेबी/79 सीईजीएचएनपीएस 15.3.99	
63	ए.आर.बी./एसएसजे/463 एफएचजेएलएनएस 18.1.97	11-ईई/एफएसडीएफ/84-85
64	ए.आर.बी./एसएसजे/770 सीईएफकेएनएस 8.3.96	1/ईई/एफएसडी-III/89-90
65	ए.आर.बी./एसएसजे/744 सीएफकेएनएस 11.1.96	5/ईई/एफसीडी- II/87-88
66	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/20 एफएचकेएमएनएस 9.10.98	1/ईई/एफसीडी- II/88-89
67	ए.आर.बी./एसएसजे/493 सीएफएचकेएस 26.12.95	15/ईई/एफसीडी- II/89-90
68	ए.आर.बी./एसएसजे/492 एफएचकेएमएनएस 11.1.96	16/ईई/एफसीडी- II/89-90
69	ए.आर.बी./एसएसजे/683 एसीइएफकेएनक्यू 11.4.96	32/ईई/एफएसडीएफ/87-88
70	ए.आर.बी./वीएन/682 एफएमएनएस 6.3.95	17/ईई/एफसीडीआइ-/89-90
71	ए.आर.बी./एसएसजे/817 एफएचएनएस 6.12.95	12/ईई/एफसीडीआइ-/91-92
72	ए.आर.बी./वीएन/834 एफकेएनएस 7.3.95	6/ईई/एसीडी/87-88
73	ए.आर.बी./एसएसजे/773 बीसीएफकेएमएन 13.6.96	2/ईई/एनएसजीपी-डीआइवी- I/89-90
74	ए.आर.बी./एसएसजे/738 एफएचएचएमक्यू 17.6.96	2/ईई/एनएसजीपी-डीआइवी- I/90-91
75	ए.आर.बी./एसएसजे/826 एसीइएफके 18.7.96	22/ईई/एनएसजीपी- डीआइवी-I/88-89
76	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/17 सीइएफकेएनएस 25.5.98	फरीदाबाद सेंट्रल डिविजन नं.-1, सीपीडब्ल्यूडी फरीदाबाद 1-ईई/एनएसजीपी-डीआइवी- I/92-93

77	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/19 सीईएनएस 7.9.98	-वही- 1/ईई/एनएसजीपी- डीआईवी-I/88-89
78	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/7 सीएफकेएनएस 11.5.99	-वही- -वही- 15/ईई/एनएसजीपी- डीआईवी-III/91-92
79	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/21 बीसीइएफकेएलएन 27.3.2000	-वही- 18/ईई/एफसीडी I/94-95
80	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/668 इएलएनएस 22.12.99	2/ईई/केसीडी/92-93
81	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/766 इएफएलएनएस 24.12.99	7/ईई/एफएसएल/91-92
82	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/155 एसीएफएन 30.11.996	82/केसीडी/91-92
83	ए.आर.बी./एसएसजे/816 एफएचएनएस 5.12.95	37/ईई/एफसीडी-I/90-91
84	ए.आर.बी./एसएसजे/788 एफएचएनएस 6.12.95	31/ईई/एफसीडी-I/90-91
85	ए.आर.बी./एसएसजे/1043 एसीइएफएलएनक्यू 15.4.96	8/ईई/एफसीडी-I/90-91
86	ए.आर.बी./एसएसजे/1044 एसीइएफएलएनक्यू 12.4.96	10/ईई/एफसीडी-I/90-91
87	ए.आर.बी./एसएसजे/1045 एसीइएफएलएनक्यू 4.11.96	11/ईई/एफसीडी-I/90-91
88	ए.आर.बी./एसएसजे/1042 एसीइएफएलक्यू 16.4.96	7/ईई/एफसीडी-I/90-91
89	ए.आर.बी./एसएसजे/1046 एसीइएफएलक्यू 17.4.96	11/ईई/एफसीडी-I/90-91
90	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/6 एफएचएमएनएस 28.10.98	18/ईई/एफसीडी-I/84-85
91	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/478 सीएफजीकेएनएस 10.5.99	43/ईई/एफसीडी-I/88-89
92	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/530 एफकेएनएस 27.5.94	63/ईई/एफसीडी-I/86-87
93	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/825 एसीडीइएफकेएन 29.6.95	85/ईई/एफसीडी-I/90-91
94	ए.आर.बी./वीएन/964 सीएचकेएलएनएस 12.9.95	26/ईई/एफसीडी-I/91-92
95	ए.आर.बी./एसएसजे/813 एसीएफकेक्यू 2.4.96	13/ईई/एफसीडी/86-87

96	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/37 सीकेएस 8.9.98	10/ईई/एनएसजीपी/डीआईवी- II/89-90
97	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/36 एसीइएफकेएनक्यू 11.8.99	1/ईई/डीआईवी-II/89-90
98	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/18 वीसीडीइएफएचकेएलएन 24.3.2000	6/ईई/एनएसजीपी/डीआईवी- III
99	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/28 बीसीकेएलएन 21.3.2000	8/ईई/एनएसजीपी-V/89-90
100	ए.आर.बी./एसएसजे/884 एसीएफएचकेएनक्यू 26.7.96	15/ईई/एनएसजीपी/इडी- II/89-90
101	ए.आर.बी./एसएसजे/885 एसीएफएचकेएमएन 18.7.96	10/ईई/एनएसजीपी/इडी- I/89-90
102	ए.आर.बी./एसएसजे/743 एसीएफएचकेएन 9.3.96	10/ईई/एनएसजीपी/इडी- I/89-90
103	टीकेएम/ए.आर.बी./सीएएल/इ 2/57 एम 29.7.94	45-ईई/बीसीडी/82-83 वीसीडी
104	टीकेएम/ए.आर.बी./सीएएल/इ 2/118 एम एन 29.7.94	8-ईई/बीसीडी/83-84 वीसीडी
105	टीकेएम/ए.आर.बी./सीएएल/इ 2/250 एफएचएमएन 29.1.96	117-ईई/बीसीडी/89-90 वीसीडी
106	बी.के.बी./ए.आर.बी./सीएएल/इजैड /118 एलएनएस 12.6.98	104-ईई/बीसीडी-I/92-93 वीसीडी-I
107	ए.आर.बी./एसएसजे/695 सीएफकेएनएस 29.6.94	30/ईई/एचसीडी-I/87-88 हेदराबाद सैन्ट्रल डिविजन-I
108	ए.आर.बी./एसएसजे/632 सीएफकेएमएनएस 28.7.94	22/एचसीडी-II/85-86 एचसीडी-II
109	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/340 सीओएनएस 9.6.99	40/इइ/एचसीडी-III/89-90 एचसीडी-III
110	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/339 सीएनएस 20.8.99	62/इइ/एचवीडी-III/89-90 एचसीडी-III
111	ए.आर.बी./एसएसजे/936 सीकेएनएस 24.7.96	2/वीसीडी-III/92-93 विशाखापट्टनम सैन्ट्रल डिविजन
112	ए.आर.बी./एसएसजे/426 सीएफएलएनएस 16.6.94	29/इइ/एचसीडी-I/87-88 एचसीडी-I
113	ए.आर.बी./एसएसजे/852 सीडीएफकेएनएस 16.5.96	23/इइ/एचसीडी-I/90-91 एचसीडी-I
114	ए.आर.बी./एसएसजे/680 सीकेआईएनएस 13.5.94	17/इइ/एचसीडी-II/87-88 एचसीडी-II
115	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/337 सीएफएस 24.9.99	37/इइ/एचसीडी-III/89-90

116	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/338 सीएफजीएनएस 20.9.99	57/इइ/एचसीडी-III/89-90
117	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/343 सीएफएनएस 17.6.99	54/इइ/एचसीडी-III/90-91 एचसीडी-III
118	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/341 एफएस 26.8.99	46/इइ/एचसीडी-III/89-90 एचसीडी-III
119	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/342 एफएनएस 16.9.99	34/इइ/एचसीडी-III/88-89 एचसीडी-III
120	ए.आर.बी./एसएसजे/694 17.11.94	52/इइ/एचसीडी-II/89-90
121	ए.आर.बी./एसएसजे/729 एफकेएस 4.4.94	25/एचसीडी-II/90-91
122	ए.आर.बी./एसएसजे/730 एफकेएस 4.4.94	57/एचसीडी-II/90-91
123	ए.आर.बी./एसएसजे/523 सीएस 30.5.94	35/एचसीडी-III/86-87
124	आर.बी./एसएसजे/696 18.5.94	44/एचसीडी-II/89-90
125	ए.आर.बी./इजैड-11/एसएस/658 एफएस 20.4.99	2/एनएपीडी/93-94
126	ए.आर.बी./वाइपीसीडी/344 एफएस 14.6.99	12/इइ/एचसीडी-III/90-91
127	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/248 एस 1.7.99	1/सीई/एसइ/इ/एसएच/93-94 मेघालय सैन्ट्रल डिविजन
128	टीकेएम/एआरबी/सीए- 1/एनइजैड/174 30.6.94 सीएफकेएनपीएस	19/सीई/एसइ/इ/जीसीडी/7 7-78 जीसीडी
129	टीकेएम/एआरबी/एनइजैड/सीएएल/ 102 12.12.95 इएचकेएमएनएस	9/एससी/इइ/एससीडी/89- 90 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
130	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/एनइजैड/ 101 12.12.95 सीइएफएचकेएमएनपीएस	2/इइ/एससीडी/एसआईएल/8 9.90 -वहीं-
131	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/134- 21.9.98 सीएफएमएनएस	9/एसइ/इइ/एएडब्ल्यूडी/90- 91 एएडब्ल्यू डिविजन, गोहाटी
132	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/133 25.9.98 सीजीएचएमएनएस	22/एसइ/इइ/एएडब्ल्यूडी/88- 89 -वहीं-
133	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/42 सीइएफएनएस 6.1.99	52/इइ/एनसीडी/84-85 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
134	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/67 सीइएनएस 18.1.99	66/एसइ/इइ/टीसीडी/एजीटी/ एसआइएल/88-89 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन

135	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/68 सीइएफएनएस 20.1.99	29/एसइ/इइ/टीसीडी/एजीटी/ एसआइएल/88-89 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
136	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/66 इएफएनएस 2.7.99	65/एसइ/इइ/टीसीडी/एजीटी/ एसआइएल/87-88 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
137	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/70 सीइपीएनएस 25.6.99	66/एसइ/इइ/टीसीडी/एजीटी/ एसआइएल/87-88 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
138	बीकेबी/एआरबी/एनइजैड/71 सीइएफपीएनएस 23.6.99	18/एसइ/इइ/एसएच/85-86 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
139	एकेबी/एआरबी/एनइजैड/124 बीसीइएफपीएन 28.2.2000	65/एसइ/इइ/टीसीडी/एजीटी/ एसआइएल/88-89 सिलचर सैन्ट्रल डिविजन
140	एआरबी/वीएन/768 एचएलएनएस 20.10.94	14/इइ/88-89 शिमला सैन्ट्रल डिविजन-I
141	एआरबी/एसएसजे/1059 एसीएफकेएलएन 12.4.96	5/इइ/84-85 -वहीं-
142	एआरबी/वाइपीसीडी/252 बीसीडीएफकेएलएन 15.12.99	6/इइ/84-85 -वहीं-
143	एआरबी/वाइपीसीडी/229 सीएफकेएस 27.10.98	1/इइ/90-91 एससीडी-I
144	एआरबी/वाइपीसीडी/209 एफएस 20.5.98	66/एससीडी/93-94 एससीडी-I
145	एआरबी/वाइपीसीडी/243 एफकेएस 1.6.98	83/इइ/92-93 एससीडी
146	एआरबी/वाइपीसीडी/239 एफजीएस 12.11.98	10/इइ/एससीडी/87-88 एससीडी-I
147	एआरबी/वाइपीसीडी/211 एस 30.7.98	136/इइ/81-82 एससीडी
148	एआरबी/वीएन/619 एफ 10.2.94	1/इइ/84-85/एससीडी एससीडी
149	एआरबी/वीएन/640 एन 31.01.1995	37/इइ/सीसीडी/86-87 चण्डीगढ़, सी डिवीजन
150	एआरबी/वीएन/773 सीएफजीएलएनएस 28.08.1995	37/इइ/सीसीडी/84-85 सी सी डिवीजन
151	एआरबी/एसएसजे/1034 एफएलएनएस 05.07.1996	46/इइ/सीसीडीएल/91-92 सी सी डिवीजन-I
152	एआरबी/वाइपीसीडी/178 इएफएनएस 09.09.1998	60/इइ/सीसीडीएल/91-92 सी सी डिवीजन-I
153	एआरबी/वाइपीसीडी/179 इएफएनएस 10.09.1998	63/इइ/सीसीडीएल/91-92 सी सी डिवीजन-I

154	एआरबी/वाइपीसीडी/159 एसीडीइएफकेएन 15.10.1998	6/इइ/सीसीडीएल/92-93 सी सी डिवीजन-I
155	एआरबी/वाइपीसीडी/273 सीएफजीकेएनएस 29.06.1999	1/इइ/सीसीडीएल/95-96 सी सी डिवीजन-I
156	एआरबी/वाइपीसीडी/468 इजीएलएनएस 20.10.99	16/इइ/सीसीडी III/93-94 सी सी डिवीजन-III
157	एआरबी/वाइपीसीडी/101 सीइएफजीकेएनएस 30.11.99	5/इइ/सीसीडी I/93-94 सी सी डिवीजन-I
158	एआरबी/वाइपीसीडी/171 सीइएफजीकेएनओएस 29.10.99	20/इइ/सीसीडी II/93-94 सी सी डिवीजन-II
159	एआरबी/वाइपीसीडी/218 सीइएफजीकेएनआरएस 24.6.98	17/इइ/बीसीडी II/89-90 बी सी डिवीजन-II
160	एआरबी/वाइपीसीडी/63 सीएफजेकेआरएनएस 27.11.98	34/इइ/बीसीडी I/88-89 बी सी डिवीजन-I
161	एआरबी/वाइपीसीडी/95 एफएचकेएलएनआर 21.1.99	33/इइ/बीसीडी II/93-94 बी सी डिवीजन-II
162	एआरबी/वाइपीसीडी/97 सीएफकेआरएनएस 28.1.99	1/इइ/बीसीडी II/89-90 बी सी डिवीजन-II
163	एआरबी/वाइपीसीडी/204 सीएफकेएनआरएस 15.3.99	43/इइ/आइसीडी/88-89 (इन्दौर सेन्ट्रल डिवीजन)
164	एआरबी/वाइपीसीडी/514 सीएफकेएनआरएस 29.4.99	16/इइ/आइसीडी/92-93 आइसी डिवीजन-I
165	एआरबी/वाइपीसीडी/140 सीइएफकेएनआरएस 8.6.99	8/इइ/आइसीडी/93-93 जीसी डिवीजन
166	एआरबी/वाइपीसीडी/143 एसीइएफजीजेकेएन 24.6.99	23-इइ/आइसीडी/90-91 आइसीडी
167	एआरबी/वाइपीसीडी/399 एफकेएनएस 29.7.99	2-इइ/आइसीडी/93-94 आइसीडी
168	एआरबी/वाइपीसीडी/758 सीएफकेएमएनआरएस 28.1.2000	12-इइ/आइसीडी/93-94 आइसीडी
169	एआरबी/वाइपीसीडी/213 सीइएफएचकेएमएनआरएस 16.3.2000	37-इइ/बीसीडी-II/93-94 बीसीडी-II
170	एआरबी/एसएसजे/38 बीएफ 9.8.94	4-एमआरए/VI/77-78. कानपुर सेन्ट्रल डिवीजन
171	एआरबी/एसएसजे/39एफएस 12.8.94	6-एमआरएम/IX/77-78 कानपुर सेन्ट्रल डिवीजन
172	एआरबी/एसएसजे/71 एफजीएन 12.6.95	4-एमआरएम/डी-I/81-82 कानपुर सेन्ट्रल डिवीजन
173	एआरबी/एसएसजे/831 एफकेएस 19.7.96	7-यूपी/एसइ-एसीसी/89-90 डीसीडी-I
174	एआरबी/एसएसजे/803 सीइएफकेएस 17.7.96	11-इइ/88-89 इलाहाबाद सेन्ट्रल डिवीजन

175	एआरबी/वाइपीसीडी/53 एसीइएफजीकेक्यू 10.2.1999	6-यू.पी./सीइ(एनजैड)/89-90 डीसीडी-I
176	एआरबी/वाइपीसीडी/401 इएफकेएस 13.10.1999	5-इइ/डीसीडी-2/93-94 डीसीडी-2
177	एआरबी/वाइपीसीडी/51 सीडीइएफकेएस 14.1.2000	1-सीइ/एफ/93-94 डीसीडी-I
178	एआरबी/वाइपीसीडी/74 इएनएस 19.1.2000	44-डीसीडी-II/91-92 डीसीडी-II
179	एआरबी/एसएसजे/856 एफजीएचकेएस 25.7.96	इइ/12/88-89 डीसीडी-I
180	एआरबी/एसएसजे/765 बीएफजी 11.7.96	एफएसके/3188-89 कानपुर सेन्ट्रल डिवीजन
181	एआरबी/वाइपीसीडी/60 एचएस 19.8.98	10-इइ/डीसीडी-II/87-88 डीसीडी-II
182	एआरबी/वाइपीसीडी/207 एचएमएस 23.3.99	8-के-94-95
183	एआरबी/के- केएम/एसजेड/74187/एआरबी/वा इपीसीडी/695 आईएनएस 7.3.2000	37-एमसीडी IV /92-93 मद्रास सेन्ट्रल डिवीजन IV
184	एआरबी/वीएन/852 27.7.95	61-इइ/एसीके/91-92 इलाहाबाद सेन्ट्रल डिवीजन IV
185	एआरबी/वाइपीसीडी/362 बीएफएचएम 3.11.98	20-इइ/जीसीडी/90-91 गांधी नगर सेन्ट्रल डिवीजन
186	एआरबी/एनइजैड/12 एनएस 4/95	इम्फाल सेन्ट्रल डिवीजन-I
187	एआरबी/एनइजैड/5 एक्यूएन 21.8.98	इम्फाल सेन्ट्रल डिवीजन
188	एआरबी/एसएसजे/468 एनएस 26.8.99	इइ/एमसीडी/20/88-89 मधुपुर सेन्ट्रल डिवीजन
189	एआरबी/एसएसजे/254 एनएस 5.4.94	इइ/एमसीडी/5/87-88 एमसीडी
190	एआरबी/एसएसजे/403 एनएस 28.9.94	इइ/एमसीडी/2/85-86 एमसीडी
191	एआरबी/वीएन/770 एसीएफजीएचकेएन 12.5.94	इइ/एमसीडी/12/89-90 एमसीडी
192	एआरबी/वीएन/722 सीइएफजीकेएस 20.9.94	9-इइ/एसीडी/88-89 जलधर सेन्ट्रल डिवीजन
193	एआरबी/एसएसजे/792 एफएन 8.3.95	2-इइ/एसीडी/90-91 जेसीडी
194	एआरबी/एसएसजे/796 एफएस 28.2.95	3-इइ/केएफडी/90-91 जेसीडी
195	एआरबी/वीएन/723 एफकेएस 18.7.94	16-इइ/एसीडी/88-89 जेसीडी
196	एआरबी/एसएसजे/469 एफएचकेएलएस 13.4.94	डब्ल्यूओ/इइ/एसीडी/88-89 जेसीडी

197	एआरबी/वीएन/764 सीएफजीकेएनएस 15.2.95	49-इइ/एसीडी/88-89 जेसीडी
198	एआरबी/एसएसजे/833 एफकेएस 28.2.95	23-इइ/एसीडी/89-90 जेसीडी
199	एआरबी/एसएसजे/785 एफएचकेएनएस 21.8.95	इइ/एमसीडी/45/90-91 एमसीडी
200	एआरबी/एसएसजे/867 एफजीकेएनएस 9.10.95	इइ/बीएफडीएम/19/92-93 एमसीडी
201	एआरबी/एसएसजे/1037 सीएफएनएस 16.2.96	इइ/एमसीडी/42/87-88 एमसीडी
202	एआरबी/एसएसजे/892 एफएनएस 17.1.96	इइ/एमसीडी/43/87-88 एमसीडी
203	एआरबी/एसएसजे/915 बीएफजीकेएनएस 15.2.96	इइ/एमसीडी/42/89-90 एमसीडी
204	एआरबी/एसएसजे/843 डीएफकेएलएनओएस 14.10.95	इइ/बीएफडी/5/90-91
205	एआरबी/एसएसजे/860 डीएफकेएलएनओएस 14.10.95	इइ/बीएफडीएस/7/90-91
206	एआरबी/एसएसजे/937 एसीएफकेएन 7.3.86	इइ/एमसीडी/30/89-90
207	एआरबी/एसएसजे/364 सीजीकेएलएस 21.6.95	22-इइ/एफएसजेड/78-79
208	एआरबी/एसएसजे/967 सीडीएफजीकेएनएस 22.2.96	इइ/वीएफडीजी/6/90-91
209	एआरबी/एसएसजे/863 एसीएफएचकेएनक्यू 17.4.95	6-इइ/केएफडी/90-91
210	एआरबी/एसएसजे/864 वीसीएफआइजेकेएलएन 21.4.95	17-इइ/केएफडी/90-91
211	एआरबी/एसएसजे/891 एफजीएनएस 4.4.96	इइ/एफसीडीआई/90/91
212	एआरबी/वाइपीसीडी/419 वीइएफएनसी 18.2.99	इइ/सीडी/20/83-84
213	एआरबी/वाइपीसीडी/161 एफजीजेकेएन 3.12.98	इइ/एमसीडी/3/92-93
214	एआरबी/वाइपीसीडी/258 एचजेकेएनएस 3.7.98	इइ/एमसीडी/61/90-91
215	एआरबी/वाइपीसीडी/108 9.2.99	12/इइ/वीएफडी/90-91
216	एआरबी/वाइपीसीडी/109 10.2.99	15-इइ/बीएफडी/90-91

217	एआरबी/वाइपीसीडी/152 10.2.99	14-इइ/बीएफडी/90-91
218	एआरबी/वाइपीसीडी/437 वीकेएलएन 23.2.99	39-इइ/एसीडी/82-83
219	एआरबी/वाइपीसीडी/257 एस 23.9.99	डब्ल्यूओ 10/एसइ/एफएसजेड/88-89 एलसीडी
220	एआरबी/वाइपीसीडी/174 एस 22.9.99	डब्ल्यूओ 25/इ/एफएसजेड/ 88-89
221	एआरबी/वाइपीसीडी/548 सीडीइएफकेएलएनएस 28.10.99	21-इइ/एफएसजेड/91-92
222	एआरबी/वाइपीसीडी/210 इएफएस 18.10.99	10-इइ/एफएसजेड/91-92
223	एआरबी/वाइपीसीडी/807 वीसीएफ 31.3.2000	15-इइ/एलसीडी/9596
224	एआरबी/वाइपीसीडी/253 सीएफजीकेएलएनएस 30.9.99	82-इइ/एसीडी/89-90
225	एआरबी/वाइपीसीडी/164 सीएफजीकेएस 22.7.99	88-इइ/एसीडी/90-91
226	एआरबी/वाइपीसीडी/275 एसीडीएनक्यू 25.11.99	13-इइ/बीएफडी/92-93 बीएफडी
227	एआरबी/वाइपीसीडी/549 बीसीएफएन 26.11.99	12/इइ/बीएफडी/फेजील्का/9 2-93 बीएफडी
228	एआरबी/वाइपीसीडी/248 सीइएफजीकेएनएस 12.4.99	50-इइ/एसीडी/89-90 एसीडी
229	एआरबी/वाइपीसीडी/413 2.6.99	इइ/सीसीडी/23/83-84
230	एआरबी/वाइपीसीडी/413 8.6.99	इइ/सीसीडी/23/83-84
231	एआरबी/(श्रीकेडीबाली) बीसीइएफएचजेकेएल 17.4.97	95-इइ/जेडीसी/92-93
232	एआरबी/एसएसजे/535 सीडीएफकेएनओपीएस 19.5.94	38-इइ/बीसीडी/88-89 बीकानेर सेन्ट्रल डिबीजन
233	एआरबी/एसएसजे/534 सीडीएफजीकेएनओपीएस 24.5.94	42-इइ/बीसीउ/88-89 -वही-
234	एआरबी/एसएसजे/536 डीएफजीकेएनओपीएस 11.5.94	8/इइ/बीसीडी/89-90 बीसीडी
235	एआरबी/एसएसजे/460 सीडीएफकेएलएनओपीएस 10.5.94	2इइ/बीसीडी/89-90 बीसीडी
236	एआरबी/एसएसजे/457 सीडीएफजीकेएनओपीएस 16.5.94	47/इइ/बीसीडी/89-90 बीसीडी

237	एआरबी/एसएसजे/456 सीडीएफकेएनओपीएस 26.4.98	48/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
238	एआरबी/वाइपीसीडी/8 एफकेएलएनओपीएस 14.7.98	23/इड/बीसीडी/91-92 बीसीडी
239	एआरबी/वाइपीसीडी/147 सीडीएफकेएनओपीएस 5.3.99	55/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
240	एआरबी/वाइपीसीडी/145 सीडीएफकेएनओपीएस 1.3.99	60/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
241	एआरबी/वाइपीसीडी/146 सीडीएफकेएनओपीएस 3.3.99	61/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
242	एआरबी/वाइपीसीडी/9 इएसजीपीएनपीएस 24.2.99	13/इड/बीसीडी/86-87 बीसीडी
243	एआरबी/एसएसजे/92 डीएफकेएनपीएस 8.4.96	5/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
244	एआरबी/एसएसजे/957 डीएफजीकेएनपीएस 8.4.96	6/इड/बीसीडी/89-90 बीसीडी
245	एआरबी/एसएसजे/958 डीएफकेएनपीएस 9.4.96	33/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
246	एआरबी/एसएसजे/920 डीएफकेएनएस 17.5.96	34/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
247	एआरबी/एसएसजे/95 डीएफकेएनपीएस 17.5.96	7/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी
248	एआरबी/वाइपीसीडी/214 सीएफएचकेएनओएस 25.6.99	95/इड/जेसीडी/90-91 जेसीडी- II जयपुर
249	एआरबी/वीएन/896 एचएलपीएनएस 31.5.95	8/इड(इ)/सीडी/91-92 जयपुर सेन्दल इलेक्ट्रीकल डिविजन, जयपुर
250	एआरबी/वीएन/881 एलएन 23.5.95	4/इड(इ)/जेसीडी/91-92 -वही-
251	एआरबी/एसएसजे/537 एएफजेकेएलएनओपीक्यू 24.9.94	7/इड/बीसीडी/89-90 बीसीडी
252	एआरबी/एसएसजे/859 एडीएफकेएनपीक्यू 23.2096	13/इड/बीएफडी/आरएसएन/ 91-92 बीएफडी-V, बारमेर
253	एआरबी/एसएसजे/840 एडीकेएनओक्यू 23.2.96	14/इड/बीएफडी/आरएसएन/ 91-92 -वही-
254	एआरबी/एसएसजे/954 एडीएफकेएनक्यू 22.2.96	16-इड/बीएफउ/एसकेपी/91- 92 -वही-
255	एआरबी/एसएसजे/955 एडीएफकेएलएनपीक्यू 22.2.96	15/इड/बीएफडी/एसकेपी/91 -92 -वही-

256	एआरबी/एसएसजे/893 एडीएफएनपी 23.7.96	1/इएफबीसीडी/89-90 बीसीडी, बीकानेर
257	एआरबी/एसएसजे/918 एडीएफएनपी 22.7.96	64/इड/बीसीडी/88-89 -वही-
258	एआरबी/एसएसजे/894 एडीएफएनपी 22.7.96	65/इड/बीसीडी/88-89 -वही-
259	एआरबी/वाइपीसीडी/149 एएफकेएनओपीक्यू 16.10.98	54/इड/बीसीडी/88-89 -वही-
260	एआरबी/वाइपीसीडी/150 एएफकेएनओपीक्यू 16.10.98	50/इड/बीसीडी/88-89 -वही-
261	एआरबी/वाइपीसीडी/523 एसीडीएफजीएचकेएलएनओपीक्यू 18.11.98	5/इड/एसीडी/87-88 एसीडी/अजमेर
262	एआरबी/वाइपीसीडी/10 एएफजीकेएलएनओपीक्यू 11.09.98	100/इड/जेसीडी/90-91 जेसीडी-I, जयपुर
263	एआरबी/वाइपीसीडी/376 एसीएफकेएनओपीक्यू 12.11.98	43/33/बीसीडी/87-88 बीसीडी, बीकानेर
264	एआरबी/वाइपीसीडी/385 एसीइएफजीकेएलएनओपीक्यू 22.2.99	6/इड/जेसीडी/90-91 जेसीडी-II, जयपुर
265	एआरबी/वाइपीसीडी/148 एसीएफकेएनओपीक्यू 1.4.99	67/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी, बीकानेर
266	एआरबी/वाइपीसीडी/379 एइएफजीकेएनओपी 29.7.99	20/इड/जेसीडी/91-92 जेसीडी-II, जयपुर
267	एआरबी/वाइपीसीडी/215 बीसीइएफजीएचकेएलएनओपी 24.8.99	77/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी, बीकानेर
268	एआरबी/वाइपीसीडी/12 बीएफकेएनपी 22.12.99	77/इड/बीसीडी/88-89 बीबीसी बीकानेर
269	एआरबी/वाइपीसीडी/11 बीएफकेएनओपी 23.12.99	78/इड/बीसीडी/88-89 बीसीडी बीकानेर
270	एआरबी/वाइपीसीडी/617 बीसीइएफजीएचकेएनओपी 29.2.2000	3/इड/एसीडी/79-80 जेसीडी-I, जयपुर
271	एआरबी/वाइपीसीडी/382 एसीइएफकेएनओपीक्यू 28.12.99	32/इड/जेसीडी/89-90 जेसीडी-II जयपुर
272	एआरबी/वाइपीसीडी/901 एएन 22.2.95	24/इड(इ)/जेसीडी/91-92
273	एआरबी/वाइपीसीडी/144 एइएफकेएनपीक्यू 1.7.99	34/इड/एसीडी/92-93 एसीडी अजमेर
274	एआरबी/जेएनएल/1988/1104 बीएफजीएनपी 31.3.99	इड/जेसीडी/66/89-90 जम्मु सेन्दल डिविजन

275	एआरबी/एसबी/1 बीजीकेएन 16.3.99	इइ/जेसीडी/28/88-89 -वही-
276	एआरबी/जेएनएल/1997/1103 बीएनओपी 31.3.99	इइ/जेसीडी/12/87-88 -वही-
277	सीइ(बीएफजैड) आरएल-1 /979 बीएनओ 8.7.99	इइ/जेसीडी/43/88-89 -वही-
278	एआरबी/एसएसजे/406 एएन 25.11.94	46/सीसीडी/78-79 कोची सेन्दल डिविजन
279	एआरबी/एसएसजे/829 एसीएफएचजेकेएनक्यू 30.6.95	70/टीसीडी/90-91 तिरुअनन्तपुरम सेन्दल डिविजन
280	एआरबी/पीकेके/1 एएफएन 31.7.96	38/टीसीडी/89-90 तिरुअनन्तपुरम इलैक्ट्रीकल सेन्दल डिविजन
281	एआरबी/पीकेके/2 एएफ 21.6.96	2-टीसीडी/92-93 -वही-
282	एआरबी/वाइपीसीडी/527 एम 31.3.99	23/टीआरसीडी/91-92 त्रिशुर सेन्दल डिविजन
283	एआरबी/वाइपीसीडी/529 4.5.99	6/टीआरसीडी/91-92 -वही-
284	एआरबी/वाइपीसीडी/297 सीएस 3.5.99	10 सीएचसीडी/91-92 कोट्टायम सेन्दल डिविजन
285	एआरबी/वाइपीसीडी/761 सीडीएनएस 9.12.99	53 टीसीडी/94-95 तिरुअनन्तपुरम (सेन्दल डिविजन)
286	एआरबी/एसएसजे/699 सीएफजीकेएलएनएस 9.2.95	15/सीइ/बीसीडी-1/ 87-88 बैंगलोर सेन्दल डिविजन-I
287	एआरबी/वाइपीसीडी/291 एएफएन 29.12.99	41/बीसीडी/सीइ/91-92 बैंगलोर सेन्दल डिविजन-I
288	एआरबी/वाइपीसीडी/292 एफएनएस 20.10.98	20/इइ/91-92 बीसीडी-II
289	एआरबी/वाइपीसीडी/290 एसीएफजीकेएनक्यू 10.12.98	6/सीइ/एसजैड/बीसीडी/88- 89 बैंगलोर सेन्दल डिविजन-I
290	एआरबी/एसएसजे/700 बीएफएन 24.11.94	94/बीसीडी-II/ 89-90 बीसीडी
291	एआरबी/वाइपीसीडी/286 एसीएफकेएनक्यू 19.11.98	7/इइ/बीसीडी-I/93-94 बीसीडी-I
292	एआरबी/वाइपीसीडी/287 एसीएफकेक्यू 19.11.98	26/एसइ/बीसीडी-I/93-94 बीसीडी-I
293	एआरबी/वाइपीसीडी/289 एसीडीएफएन 24.3.99	10/सीइ/बीसीडी- II/92-93 बीसीडी- II
294	टीकेएम/एआरबी/इजैड/सीएएल/ 240 सीइएफकेएनएस 23.11.94	12/सीसीडी-V/89-90 कोलकता सेन्दल डिविजन-V
295	टीकेएम/एआरबी/सीएल/इजैड/234 सीकेएनएस 16.8.94	43-इइ/सीसीडी-II/ 90-91 सीसीडी-II

296	टीकेएम/एआरबी/सीएलएल/इजैड/ 193 एचकेएनएस 28.6.94	47/इइ/सीसीडी-II/89-90 सीसीडी-II
297	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इइ/246 सीएफजीकेएनएस 31.1.95 कोरिजंडम 23.2.95	21/इइ/सीसीडी VI/89-90 सीसीडी-VI
298	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 218 सीएस 29.12.94	32-सीसीडी VI/72-73 सीडी-VI
299	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 231 सीएफजीकेएनएस 31.10.94	43-सीसीडी-VI/89-90 सीसीडी-VI
300	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 153 सीइजीकेएनएस 31.5.94, 6.6.94	5-इइ-एससीएडी/85-86 एससीएडी
301	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/1बीबीजैड /254 सीइकेएनएस 22.2.95	2-इइ/बीसीडी-I/90-91 बीसीडी-I
302	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 146 सीइकेएलएनएस 28.11.94	2-इइ/सीसीडी-II/84-85 सीसीडी-II
303	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 264 सीएफकेएस 21.3.95	11-सीसीडी VI/83-84 सीसीडी VI
304	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/सीजैड/ 178 सीइएफजेकेएलएस 25.4.94	5-सीसीडी VI/90-91 सीसीडी-VI
305	टीकेएम/एआरबी/सीएल/इजैड/242 सीएनएस 21.3.95	7-सीसीडीVI/72-73 सीसीडी-VI
306	टीकेएम/एआरबी/सीएल/इजैड/259 सीइकेएनएस 31.3.95	4-इइ/सीसीडीVI/91-92 सीसीडीVI
307	टीकेएम/एआरबी/1 बीबीजैड/164 सीडीएफकेएनएस 31.3.95	9-केसीडी/89-90 केसीडी
308	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/239 सीएफकेएनएस 30.6.95	5-केसीडी 1/90-91 केसीडी-I
309	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/238 सीएफकेएनएस 30.6.95, 19.7.95	6-केसीडी-1/90-91 केसीडी-I
310	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 277 सीजीकेएनएस 11.8.95	30-सीसीडी VI/91-92 सीसीडी-VI
311	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इइ/171 सीकेएनएस 26.4.95	5-सीसीडी VI/ 87-88 सीसीडी-VI
312	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/256 सीएफकेएन 28.7.95	3-केसीडी/90-91 केसीडी
313	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/223 सीएफकेएलएनएस 29.9.95	16 केसीडी I/89-90

314	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 300 सीइएफकेएनओएस 30.1.96	1-इइ/सीसीडी II/ 89-90 सीसीडी II
315	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/305 सीइएल बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/81 25.3.96	1 केसीडी/90-91 के सीडी
316	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/303 एजेएनक्यू 29.3.96 9.4.96	7-इइ/एमआरसीडी/92-93 एमआरसीडी
317	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आईबीबी जैड/215 सीएफकेएमएनएस 14.12.95	11-केसीडी I/88-89 केसीडी-I
318	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/308 सीइएफकेएनएस 26.3.96	12-इइ/सीसीडी VII/91-92 सीसीडी-VII
319	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 241 सीइएफएचएनएस 29.2.96	6-इइ/सीसीडी-II/82-83 सीसीडी-II
320	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 245 सीएफजीएनएस 29.2.96	27-इइ/सीसीडी-II/86-87 सीसीडी-II
321	मैटर नम्बर 4079 आफ 1988 मैटर नम्बर 41 आफ 1995 डीओए 11.4.95 13.11.96 सीकेएनएस 25.12.96	4-इइ/सीसीडी-II/77-78 सीसीडी-II
322	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 263 सीजेकेएलएनएस 29.6.95	9-इइ/सीसीडी VI/91-92 सीसीडी-VI
323	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 244 सीइएफएचकेएनएस 30.11.95	25-सीसीडी-V/90-91
324	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 237 सीएफएनएस 27.2.96	10-सीसीडी-V/87-88
325	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आईबीबी जैड/291 सीजेकेएलएनएस 31.10.95	3-बीसीडी/90-91
326	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 268 सीकेएलएनएस 29.11.95	16-इइ/सीडी-II/87-88
327	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 217 एमएस 30.11.95	28-इइ/सीसीडी-II/89-90
328	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/304 एजेएनक्यू 29.3.96	6इइ/एमआरसीडी-/93-94
329	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/190 एन 10.11.95	1-केसीडी/88-89
330	एआरबी/वीएन/157 सीइएफजीके एनएस 4.1.96	4-सीसीडी/80-81

331	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 309 एफकेएनएस 19.1.96	5-इइ/एनएलडी/92-93
332	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 161 सीडीइएफएलएनएस 8.8.96	30/सीसीडी-II/89-90
333	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/339 31.7.96	14-इइ/एमआरसीडी-II/93- 94
334	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/253 सीएफएचकेएनएस 30.7.96	4 एसइ/इइ/वीसीडी/90-91
335	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/आई बीबीजैड/290 एफजेएमएनएस 26.4.96	7 इइ/वीसीडी/89-90
336	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 327 इएनएस 31.5.96	55-इइ/सीसीडी/91-92
337	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 284 सीइएफजीएचएलएनएस 30.4.96	2-इइ/सीसीडी-V/85-86
338	टीकेएम/एआरबी/आईबीबीजैड/287 सीकेएलएनएस 25.4.96	11-केसीडी/89-90
339	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 269 सीइएलएनएस 24.6.96	49-सीसीडी-V/91-92
340	टीकेएम/एआरबी/सीएएल/इजैड/ 156 सीइएफजीएनएस 24.6.96	4-सीसीडीV/84-85
341	जेपी/एआरबी/सीएएल/ईजैड/1 सीएफकेएनएस 24.9.96	23-इइ/सीसीडीII/90-91
342	टीकेपी/एआरबी/सीएएल/इजैड/307 एचएलएनएस 24.6.96	72-इइ/सीसीडीI/8-86
343	बीकेबी/एआरबी/16 जैड/102 सीएनएस 6.9.98	7-केसीडी/89-90
344	बीकेबी/एआरबी/18 जैड/93 सीएनएस 10.2.98	14-केसीडी/93-94
345	बीकेबी/एआरबी/इजैड/47 सीएनएस 19.3.98	9-इइ-सीसीडी I/93-94
346	बीकेबी/एआरबी/इजैड/13 सीइकेएनएस 10.2.98	4 इइ/एनएलडी/94-95
347	बीकेबी/एआरबी/इजैड/19 सीकेएनएस 27.1.98	58 सीसीडीIII/92-93
348	बीकेबी/एआरबी/इजैड/6 सीएलएनएस 5.2.98	3-इइ/एससीएडी/88-89
349	बीकेबी/एआरबी/इजैड/14 इएफजीकेएनएस 16.2.98	4 सीसीडी/VII/91-92

350	बीकेबी/एआरबी/इजैड/17 सीइजीकेएनएस 12.11.97	23 सीसीडीIII/93-94
351	बीकेबी/एआरबी/इजैड/5 एफएचकेएलएनएस 4.3.98	28/इइ/एससीएडी/79-80
352	बीकेबी/एआरबी/इजैड/37 इएफकेएनएस 18.3.98	3/इइ/एनएलडी/92-93
353	बीकेबी/एआरबी/इजैड/(ईएल)55 इएनएस 24.3.98	35/सीइ/इइ(इ)सीसीडी-II
354	बीकेबी//एआरबी/1 बीजैड/103 सीएनएस 28.4.98	8-केसीडी-II/90-91
355	बीकेबी/एआरबी/इजैड(इ)/56 सीडीकेएनएस 1.5.98	16-इइ/सीडी I/93-94
356	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/119 सीएलएनएस 31.8.98	19-इइ/बीसीडी I/93-94
357	बीकेबी/एआरबी/इजैड(इएल)/33 सीएचएनएस 2.11.98	16-इइ/सीडी IV/89-90
358	बीकेबी/एआरबी/इजैड/171 सीएफजीएनएस 9.11.98	11-इइ/सीसीडीV/94-95
359	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/101 सीएचएनएस 14.10.98	7-केसीडी/90-91
360	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/82 सीएनएस 22.2.99	18-केसीडी/89-90
361	बीकेबी/एआरबी/1 बीजैड/89 सीएन 12.3.99	16-इइ/बीसीडी/89-90
362	बीकेबी/एआरबी/इजैड/112 सीएनएस 15.7.98	1-केसीडी/89-90
363	बीकेबी/एआरबी/इजैड/11 सीइएफजीकेएनएस 20.4.98	71-सीसीडी-III/93-94
364	बीकेबी//एआरबी/इजैड/99 सीएफजीकेएनएस 18.11.98	72-इइ-सीसीडी-III/93-94
365	बीकेबी/एआरबी/इजैड/172 सीएफकेएनएस 16.11.98	5-इइ-सीसीडी-III/94-95
366	बीकेबी/एआरबी/इजैड/98 सीएफकेएनएस 9.9.98	66-इइ-सीसीडी-III/93-94
367	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/191 एफएनएस 22.2.99	23-इइ-बीसीडी-II/95-96
368	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/106 सीएफजेकेएनएस 18.9.98	2-एसइ-बीएलसीडी/93-94

369	बीकेबी/एआरबी/इजैड/36 सीकेएनएस 29.1.99	11-इइ-सीसीडी III/93-94
370	बीकेबी/एआरबी/इजैड/36 सीकेएनएस 6.7.98	11-इइ-सीसीडी III/93-94
371	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/123 एफएनएस 16.12.98	2-केसीडी II/94-95
372	बीकेबी/एआरबी/इजैड/20 सीइएफजीकेएनएस 5.2.99	82-इइ/सीसीडी V/91-92
373	बीकेबी/एआरबी/इजैड/152 सीएनएस 6.10.98	20-इइ/सीसीडी V/90-91
374	बीकेबी/एआरबी/सीएएल/इजैड/43 सीजेएनएस 22.7.98	19-इइ/सीसीडीVI/89-90
375	बीकेबी/एआरबी/इजैड/7 सीइएफकेएनएस 4.8.98	48-इइ/सीसीडी III/91-92
376	बीकेबी/एआरबी/इजैड/97 एफएचकेएस 26.5.98	13-इइ/सीडीVI/82-83
377	बीकेबी/एआरबी/इजैड/174 एफएचकेएन 30.12.98	25-इइ/सीसीडीVI/80-81
378	बीकेबी/एआरबी/इजैड/9 इएफएनएस 13.11.98	11-सीसी/इइ/सीसीडीV/92-93
379	बीकेबी/एआरबी/इजैड/96 एफकेएनएस 15.1.99	55-इइ/सीसीडीV/95-96
380	बीकेबी/एआरबी/इजैड/138 इकेएनएस 8.6.98	20-इइ/सीसीडी III/95-96
381	बीकेबी/एआरबी/इजैड/182 एफकेएनएस 3.3.99	7-इइ/सीसीडी V/83-84
382	बीकेबी/एआरबी/इजैड/185 इकेएनएस 5.2.99	6-इइ/सीसीडी VII/94-95
383	बीकेबी/एआरबी/इजैड/इएल/57 एन 5.5.98	37-एसइ/इइ/सीडी-II/94-95
384	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/45 एइजीएन 29.5.98	28-इइ/बीसीडी I/93-94
385	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/90 सीएनएस 26.4.99	15-इइ/बीसीडी/89-90
386	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/94 एलसीएनएस 12.4.99	1-ईई/बीसीडी/90-91
387	बीकेबी/एआरबी/आईबीजैड/164 सीएनएस 17.5.99	9 केसीडी I/88-89

388	बीकेबी/एआरबी/आईबीजेड/166 सीएफक्यूएनएस 3.5.99	13-ईई-बीसीडी/90-91
389	बीकेबी/एआरबी/आईबीजेड/122 इएफएनएस 21.5.99	9-ईई-केसीडी I/94-95
390	बीकेबी/एआरबी/आईबीजेड/146 इएफएनएस 24.5.99	33-एसई/ईई-केसीडी I/93-94
391	बीकेबी/एआरबी/ईजेड/39 सीकेएनएस 22.6.99	12-ईई/सीसीडी II/93-94
392	एकेबी/एआरबी/आईबीजेड/54 सीकेएलएनएस 18.2.2000	5-ईई-बीसीडी I/94-95
393	एकेबी/एआरबी/आईबीजेड/53 केएनएस 31.1.2000	10-ईई/बीसीडी/89-90
394	एकेबी/एआरबी/आईबीजेड/68 सीएफजीएनएस 31.1.2000	5-इइ/बीसीडी/92-93
395	बीकेबी/एआरबी/आईबीजेड/149 एनएस 21.7.99	3-केसीडी II/94-95

396	बीकेबी/एआरबी/इजेड/116 एफकेएनएस 5.5.99	10-इइ/सीसीडी III/92-93
397	बीकेबी/एआरबी/इजेड/251 एन 29.6.99	7-इइ/सीसीडी I/94-95
398	बीकेबी/एआरबी/इजेड/184 एफकेएनएस 21.4.99	8-सीसीडी V/83-84
399	बीकेबी/एआरबी/आईबीजेड/59 इएफजीएनएस 4.5.99	19-इइ-बीसीडी I/94-95
400	बीकेबी/एआरबी/इजेड(इ)/230 एनएस 16.6.99	3-इइ(इ)-सीईसीडी-II/93-94
401	एकेबी/एआरबी/आईबीजेड/60 एन 27.3.2000	14-इइ-बीसीडी/89-90
402	बीकेबी/एआरबी/एबीजेड/177 इएफजीएनएस 20.4.99	18-इइ-बीसीडी I/94-95

भाग ख - लेन-देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

अध्याय-IV : कृषि मंत्रालय

पशुपालन एवं डेरी उद्योग विभाग

4.1 उन्नयन सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय

निर्माण-कार्यों के दोषपूर्ण निष्पादन के फलस्वरूप उन्नयन सिंचाई परियोजना पर 58.69 लाख रुपये व्यय करने के चार वर्ष पश्चात भी अभीष्ट लाभों की प्राप्ति न होना

विशेषज्ञ समिति की अगस्त 1988 की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोड (जिला सुरत में) सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करके चारे और चारे के बीजों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने उन्नयन सिंचाई परियोजना (उ.सि.प.) के लिए 1992-93 से 1995-96 की अवधि में 58.69 लाख रु. स्वीकृत किए। परियोजना का निर्माण-कार्य गुजरात जल संसाधन विकास निगम (गु. ज. सं. वि. नि.) गान्धी नगर को जमा कार्य के रूप में सौंपा गया और मार्च 1993 तथा अगस्त 1993 के दौरान विभाग द्वारा गु.ज.सं.वि.नि. के पास 51.32 लाख रु. जमा किए गए। गु.ज.सं.वि.नि. द्वारा कार्य मई 1994 में आरम्भ किया गया और अगस्त 1995 में पूरा किया गया। सिविल कार्य पूरा होने पर अन्य दो वर्षों के दौरान पम्प मोटर विद्युतीकरण और अन्य वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने का कार्य गु.ज.सं.वि.नि. बडोदरा द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा अक्टूबर 1997 में सम्पन्न हुआ। परियोजना का परीक्षण अक्टूबर 1997 में सम्पूर्ण परियोजना के सम्पन्न होने पर ही किया गया। अक्टूबर 1997 में प्रथम चरण के परीक्षण के दौरान तकनीकी दोषों तथा निम्न शिल्पशैली के कारण नलतंत्र के फटने से रिसाव जानकारी में आया। यद्यपि एजेन्सी द्वारा टूटे हुए नल कई बार बदले गए परन्तु नलतंत्र से पानी के रिसाव की समस्या नलतंत्र के बार-बार फटने के कारण बनी रही। नलतंत्र को बदलकर रिसाव को ठीक करने का कार्य दिसम्बर 1999 में प्रगति पर बताया गया था। अतः जैसा कि निदेशक, पशु प्रजनन फार्म, धमरोड ने दिसम्बर 1999 में बताया, निष्पादन एजेन्सी गु.ज.सं.वि.नि. द्वारा परियोजना का स्वामित्व सौंपा नहीं जा सका।

इस प्रकार, चार वर्ष व्यतीत हो जाने और 58.69 लाख रु. का व्यय करने के पश्चात भी परियोजना प्रारंभ नहीं की जा सकी और 200 हैक्टेयर भूमि में स्थित चारे और चारे

के बीज के फार्म को सिंचित करने के लिए उ.सिं.प. का अभीष्ट लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को मई 2000 में भेजा था जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

4.2 व्यर्थ निवेश

पशु संगरोधक व प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई के कार्यालय के लिए संस्वीकृत पदों की तुलना में कर्मचारी आवासों की असमानुपाती संख्या में निर्माण की संस्वीकृति के फलस्वरूप 53.53 लाख रू. का व्यर्थ निवेश हुआ।

कृषि मंत्रालय के पशुपालन एवं डेरी विभाग ने मुम्बई में अक्टूबर 1981 में पशु संगरोधक व प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र (प.सं.प्र.से.के.) का कार्यालय मुम्बई में खोला और सितम्बर 2000 तक केवल छः पद संस्वीकृत किए। इन छः पदों में से 5 पद सहायक कर्मचारियों के थे जैसे कि अवर श्रेणी लिपिक, जीप चालक, चपरासी, चौकीदार, ट्रक चालक और केवल एक पद तकनीकी व्यक्ति (पद) जैसे संगरोध अधिकारी का है।

फिर भी छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में प्रक्षपित प.स.प्र.से.के. की कर्मचारी संख्या के आधार पर, संगरोध अधिकारी ने (जुलाई 1985) प्रस्ताव किया तथा मंत्रालय ने 44.76 लाख रू की अनुमानित लागत पर 14 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु (जून 1986) संस्वीकृति दी। अप्रैल 1988 से जनवरी 1995 के मध्य, प.स.प्र.से.के. ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कुल 58.41 लाख रू. दिए। जनवरी 1995 में के.लो.नि.वि. ने मकान प.स.प्र.से.के. को हस्तांतरित कर दिए। सितम्बर 2000 को प.सं.प्र.से.के. के केवल छः कर्मचारियों ने आवासीय मकानों का कब्जा लिया। शेष 8 मकान हमेशा खाली रहे। संगरोध अधिकारी ने खाली क्वार्टरों के उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए दिसम्बर 1996 में विभाग को लिखा। सरकारी सम्पत्ति को लगातार बेकार होने से रोकने के लिए विभाग ने अतिरिक्त धारिता को सम्पदा अधिकारी शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय कर्मचारी आवास के सामान्य पूल में सौंपने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जिसकी यथानुपात लागत ब्याज सहित 53.53 लाख रू. बनती है।

मामला लेखापरीक्षा द्वारा सम्पदा निदेशालय को भी जनवरी 2001 में भेजा गया था। सम्पदा निदेशालय ने मार्च 2001 में बताया कि क्यों कि उनका सम्बन्ध मुम्बई में सरकारी सम्पदा के संचालन से ही नहीं है वरन् पूरे देश में सरकारी सम्पदाओं के संचालन तथा अनुरक्षण से है, प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी विभाग से यह जानने के लिए कि क्या उनके नियमित नियंत्रण में कोई फालतू आवास है, लिखना उनके लिए सम्भव नहीं

है। तथापि उन्होंने बताया कि फालतू क्वार्टरों के स्थानान्तरण के लिए सम्बन्धित विभाग के साथ मामला उठाने के लिए सहायक सम्पदा प्रबन्धक, मुम्बई से अनुरोध कर दिया गया है। सम्पदा निदेशालय का उत्तर परस्पर विरोधी है। जहां तक कि सरकारी सम्पदा के संचालन और अनुरक्षण की पूरे देश में उनकी अखिल भारतीय जिम्मेदारी है, विभिन्न सरकारी विभागों में इस परिक्षेपन पर विचार किए बिना यह सुनिश्चित करना उनकी प्रलक्षित जिम्मेदारी है कि सरकारी सम्पदाओं में जन सम्पत्तियों का अधिक से अधिक उपयोग है।

इस प्रकार कृषि मंत्रालय तथा सम्पदा निदेशालय में उपयुक्त क्रियाविधि तथा समन्वय की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप केवल सरकारी सम्पत्ति बेकार तथा लाइसेन्स शुल्क के रूप में राजस्व की हानि ही नहीं हुई बल्कि मुम्बई में जहां आवास बहुत महंगा है, बहुत पात्र सरकारी कर्मचारी भी सरकारी आवास लेने से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा था, जिन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया था।

4.3 निष्फल व्यय

भोजन में सन्दूषण के निर्धारण के लिए क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कानपुर द्वारा जनवरी 1993 से जून 1994 के दौरान 14.55 लाख रु. के खरीदे गए उपकरण तथा उपसाधन उनके अर्जन से ही व्यर्थ पड़े थे।

क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (क्षे.ए.प्र.) कानपुर ने, भोजन में धात्विक तथा अन्य सन्दूषण निर्धारित करने के लिए मै. तोशनीवाल इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा.लि. से जनवरी 1993 में अन्य उपसाधनों सहित 6.40 लाख रु. मूल्य के माइक्रोप्रोग्रामर कंट्रोल गैस क्रामैटोग्राफ कम्पनी (मा.क्र.गै.का.क) गैस लिक्विड क्रामैटोग्राफ (गै.लि.क्रा.) खरीदे। क्षे.ए.प्र. ने जून 1994 में अन्य उपसाधनों सहित 8.15 लाख मूल्य के आटोमिक्स अबजोरशन स्पैक्टोफोटोमीटर (आ.अ.स्पै.) भी खरीदे। उपकरणों को धूल रोधक वातानुकूलित कमरे में स्थापित करना अपेक्षित था। उपकरण की वारन्टी अवधि इसकी स्थापना की तिथि से एक वर्ष अर्थात् 26.05.1994 तक थी। क्षे.ए.प्र. ने प्रारंभ में मा.क.गै.क्रा.क. तथा आ.अ.स्पै. को क्रमशः मई 1993 तथा नवम्बर 1995 में गैर धूल रोधक एक बड़े कक्ष में स्थापित किया। इसने धूल रोधक कमरे के निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को मार्च 1998 में अर्थात् उपकरण की प्राप्ति के पांच से चार वर्षों के बाद सौंपा। के.लो.नि.वि. ने निर्माण अगस्त 1999 में पूरा किया। मा.क.गै.क्रा.क. सितम्बर 1999 में धूल रोधक कमरे में अन्तर्गत किया गया था। आ.अ.स्पै. अक्टूबर 1999 तक गैर धूल रोधक कमरे में पड़ा रहा। क्षे.ए.प्र. ने धूल रोधक कमरे के विद्युतीकरण का कार्य के.लो.नि.वि. को फरवरी 2000 में सौंपा। के.लो.नि.वि.

ने विद्युतीकरण कार्य मई 2000 में पूरा किया । स्थापना तथा विद्युतीकरण की कुल लागत 0.30 लाख रू थी ।

उपकरण की स्थापना के लिए पहले तैयारी न करने की लापरवाही के कारण छः से सात वर्ष तक व्यर्थ व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त भोजन के संदूषण निर्धारित करने का वैज्ञानिक उद्देश्य जिसके लिए क्षे.ए.प्र. को इन उपकरणों की आवश्यकता थी, प्राप्त नहीं हुआ । प्रयोगशाला ने उपकरण के न चलाए जाने के सम्बन्ध में अवसर लागत की हानि का अनुमान नहीं लगाया है । मंत्रालय को इस प्रबन्धकीय शिथिलता तथा उपेक्षा के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को नवम्बर 2000 में भेजा, फरवरी 2001 तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अध्याय V : नागर विमानन मंत्रालय

5. वित्तीय अनियमितताएँ

अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन मॉड्रियल में तत्कालीन भारत के प्रतिनिधि द्वारा बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया के साथ किराये खरीद के वास्तविक स्वरूप को गलत ढंग से प्रस्तुत करके समझौता किया गया तथा 9.39 लाख रु. की चल सम्पत्ति को सरकारी खर्च पर अधिप्राप्त करके अपने पास रखा गया।

नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.म.) ने अगस्त 1996 से अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन विकास संगठन, मॉड्रियल में अपने प्रतिनिधि को, अक्टूबर 1996 से सितम्बर 1999 के लिए क.डा.1000 प्रतिमाह की दर तक अर्थात् अमेरिकन डालर 710.32 औसत मुद्रा विनिमय की दर से रूपये की तुलना में परिगणित करके फर्नीचर किराये पर लेने के लिए प्राधिकृत किया था।

नियमित फर्नीचर व्यापारी से फर्नीचर किराये पर लेने के स्थान पर प्रतिनिधि ने नवम्बर 1996 में बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया (बैंक) के साथ एक परिवर्तनशील अनुबन्ध किया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक उसे कनाडियन डालर 32,037.13 के कुल योग की लागत (क.डा. 3293.29 के कर्जों को मिलाकर) की व्यक्तिगत चल सम्पत्ति जिसमें फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुएं जैसे कि रंगीन टेलिविजन, म्यूजिक सिस्टम, विडियो रिकार्डर, रेफ्रीजरेटर इत्यादि शामिल होंगे, पट्टे पर देगा। मासिक पट्टे का भुगतान 928.63 कनाडियन डालर था जो कि फरवरी 1998 में प्रांतीय बिक्रीकर के संशोधन के कारण बढ़कर 937.35 कनाडियन डालर हो गया था, का भुगतान भारत सरकार ने किया था। 15 अक्टूबर 1996 से लागू 40 महीने की अवधि के लिए किये गये मूल पट्टे अनुबन्ध के 4 महीने पहले सितम्बर 1999 में ही करार रद्द दिये जाने पर प्रतिनिधि ने फर्नीचर की वस्तुओं को निजी सम्पत्ति के रूप में अपने पास रख लिया। बैंक ने अक्टूबर 2000 में स्पष्टीकरण दिया कि इन वस्तुओं को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कर्ज की पूरी रकम का वापस भुगतान हो चुका था। इससे यह ज्ञात होता है कि बैंक तथा प्रतिनिधि के बीच जो किराया खरीद अनुबन्ध हुआ था जिसे सरकार के सामने किराया/पट्टा अनुबन्ध के रूप में गलत प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी ने भारत सरकार की लागत पर 9.39 लाख रु. की

चल परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति का लाभ उठाया। यह कार्यवाही अधिकारी की ओर से भारी अपराध को सिद्ध करती है।

ना.वि.मं. ने 27 दिसम्बर 2000 को अपने उत्तर में बताया कि प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के साथ किया गया ठेका एक पट्टा-अनुबन्ध के रूप में था जिसकी शर्तों में खरीद का विकल्प शामिल था जिसका प्रयोग प्रतिनिधि ने किराया अवधि के बाद, अवशिष्ट लागत का भुगतान करने के उपरान्त किया था। मंत्रालय ने भी कहा कि इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं बनती है क्योंकि अधिकारी ने पट्टा अनुबन्ध निविदायें प्राप्ती एवं प्रस्तावों का उचित मूल्यांकन करने के बाद ही किया था तथा अनुबन्ध उस कम्पनी के साथ हस्ताक्षरित था जिसने न्यूनतम दर का उल्लेख किया था। मंत्रालय का दावा इस तथ्य के अनुसार युक्तियुक्त नहीं है कि बैंक एक वित्तीय संस्थान है ना की फर्नीचर किराये पर देने वाला। लेन देन जो हुआ वह था फर्नीचर की खरीददारी का पट्टे पर वित्त पोषण। प्रतिनिधि ने इस मामले को एक फर्नीचर को किराये पर लेने के पट्टे के रूप में प्रस्तुत किया तथा सरकार से पट्टे के किराये का भुगतान कर्जे की पुनः अदायगी के रूप में करवाया।

अध्याय VI : कोयला मंत्रालय

6. निधियों का अनुचित प्रतिधारण

कोयला विभाग में कमजोर वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप अकेले अवरूद्ध निधियों पर ही 3.50 करोड़ रुपये के व्याज का नुकसान तथा कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारतीय स्टेट बैंक को अनुचित लाभ हुआ।

रेल मंत्रालय तथा कोयला विभाग ने जून 1996 में, कोयला रिक्तीकरण के लिए पर्याप्त अवसंरचना के सर्जन हेतु, को.इ.लि¹ के तोरीशिवपुर-प्रथम चरण उत्तरी करणपुरा के लिये एक रेलवे लाईन का निर्माण करने का फैसला किया। रेल मंत्रालय को अपने खर्च से स्वयं की रेलवे लाईन का निर्माण एवं उसका रख रखाव करना था। पूंजी का वित्त पोषण, कोयला विभाग द्वारा को.खा.सं.वि.अ.² के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के माध्यम से एकत्रित की गई निधियों से होना था। कोयला विभाग ने परियोजना की कुल लागत 268.42 करोड़ रु. (प्रथम चरण) प्रथम किस्त के रूप में 26 मार्च 1998 को कोल इंडिया लि. को 25 करोड़ रु. पूर्वी रेलवे कलकत्ता को आगे भुगतान हेतु निर्माचित किये। यह भुगतान रेलवे को आकस्मिक था जिसका समस्त परियोजन के अनुमानित लागत के लिए समर्थ अनुमोदन प्राप्त करना था। मंजूरी के अनुसार को.इ.लि. को जारी की गई निधियों को एक पृथक बैंक खाते में रखना था तथा यदि रेलवे 30 सितम्बर 1998 तक भुगतान की शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है तो इन्हें सरकारी खाते में वापस जमा करना था।

कोयला विभाग ने, स्पष्ट रूपसे, बजट निर्धारण के व्यपगमन से बचने के लिए, रेलवे से बिना किसी मांग के तथा उनके द्वारा आवश्यक कार्यरूप की पूर्ति को सुनिश्चित किये बिना, वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों का निर्माचन किया था। को.इ.लि. ने भी निधियों को जैसा अनुबन्धित था पृथक खातों के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक में सामान्य नकद क्रेडिट खाते में रखकर संस्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया था तथा उन निधियों का प्रयोग नकद क्रेडिट खाते की स्थिति को सम्योपयोगी साधनों के लिए किया था।

¹ कोल इंडिया लिमिटेड

² कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

यद्यपि रेलवे ने 30 सितम्बर 1998 तक वांछित अनुमोदन प्राप्त नहीं किये थे, को.इ.लि. ने जैसा कि अनुबन्धित था, राशि सरकार को नहीं लौटाई थी। 6 अप्रैल, 1999 तक कोयला विभाग ने भी को.इ.लि. को राशि वापस करने को नहीं कहा था। को.इ.लि.ने केवल 27 मई 1999 को ही राशि वापस की थी।

यह उदाहरण, विभाग द्वारा कमजोर वित्तीय प्रबंधन का सूचक है, जिसके परिणाम स्वरूप 26 मार्च 1998 से 27 मई 1999 तक अवरूद्ध वित्तीय संसाधनों पर 12 प्रतिशत की दर से 3.50 करोड़ रुपये के अभिप्रायात्मक ब्याज का नुकसान हुआ। इससे को.इ.लि. तथा उनके बैंकर अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक को भी सार्वजनिक व्यय पर अनुचित लाभ हुआ। विभाग को को.इ.लि. से ब्याज की वसूली तथा चूक के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने अगस्त 2000 के तथ्यात्मक विवरण के उत्तर में कहा था कि जिन शर्तों पर निधियों का निर्मोचन हुआ था, उन्हें पूरा करने के बारे में पूर्वी रेलवे से चर्चा चल रही थी। चूंकि पूर्वी रेलवे ने किसी भी प्रकट शर्तों की पूर्ति के लिए अपनी असमर्थता नहीं दर्शाई, को.इ.लि. ने राशि के प्रतिधारण को चालू रखा। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि को.इ.लि. को संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार राशि को सरकार को वापस लौटाना चाहिये था।

अध्याय - VIII : वाणिज्य मंत्रालय

7.1 किराए पर व्यर्थ व्यय

भारतीय दूतावास ब्रुसेल्ज और वाणिज्य मंत्रालय, पूर्व भारतीय व्यापार केन्द्र के भवन, जिसकी आवश्यकता नहीं थी के पट्टे को समाप्त न करने में असावधान रहे और जिसके फलस्वरूप 88.22 लाख रु. किराए पर व्यर्थ खर्च किये ।

वाणिज्य मंत्रालय ने अक्टूबर 1995 में ब्रुसेल्ज में पूर्व भारतीय व्यापार केन्द्र (भा.व्या.के.) के कर्मचारियों की संख्या कम करने और कम की गई संख्या को भारतीय दूतावास, ब्रुसेल्ज के व्यापार खण्ड में मिला देने का निर्णय लिया ।

पूर्व भा.व्या.के. को 410 वर्गमीटर वाले पट्टे पर लिए गए भवन में स्थान दिया गया जिसका वार्षिक किराया 2.3 मिलियन बी एफ था । पट्टा 15 जून 1991 से नौ वर्ष के लिए था । दोनो पक्षों को तीसरे और छठे वर्ष के अन्त में अर्थात् जून 1994 और जून 1997 में छः महीने की सूचना के पश्चात् पट्टा समाप्त करने का विकल्प प्राप्त था ।

अक्टूबर 1995 में भा.व्या.के. की संख्या में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप मिशन के पास छः महीने की सूचना देने के पश्चात् पट्टे को जून 1997 में समाप्त करने का स्पष्ट विकल्प था । तथापि, इसने पट्टा जारी रखा और जून 1997 से दिसम्बर 2000 के दौरान 8.24 मिलियन बी.एफ. किराये का भुगतान किया । इसके अतिरिक्त, 6.9 मिलियन बी.एफ. समतुल्य 74 लाख रु.¹ बराबर के अनुमानित व्यय पर 130 वर्ग मीटर वाले गैराज के नवीकरण के पश्चात् पूर्व भा.व्या.के. खण्ड को ब्रुसेल्ज में मिशन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रालय ने स्वयं अप्रैल 1997 में अनुमोदित किया ।

जून 1997 से दिसम्बर 2000 के दौरान पट्टे पर लिए गए भवन के लिए परिकल्पित 8.24 मिलियन बी.एफ. के समतुल्य 88.22 लाख रु.¹ के किराए पर कुल व्यय पूर्णतया परिहार्य था । मिशन और मंत्रालय भा.व्या.के. खण्ड के पुनर्स्थापन की कुशलतापूर्वक योजना बनाने में असफल रहे, और अक्टूबर 1995 में कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के तुरन्त पश्चात् अपव्यय का परिहार करने में सतर्क नहीं रहे । इससे भी अधिक हानिकारक बात यह है कि शेष बचे भा.व्या.के. द्वारा स्थान की कम आवश्यकता के

¹ विदेश मंत्रालय द्वारा मार्च 2000 के लिए अधिसूचित 1 रु.= 0.934 बी.एफ. की सरकारी विनिमय दर पर

कारण मिशन ने उस भवन का, जिसका अधिकांश भाग किसी भी प्रकार उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सका, के किराए का भुगतान तीन वर्ष तक किया ।

किराए पर 88.22 लाख रु. के अपव्यय के मिशन और मंत्रालय के उपेक्षापूर्ण रवैये के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

मामला मंत्रालय को मई 2000 में भेजा गया था जिन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया ।

7.2 स्टाफ लागत पर अप्राधिकृत व्यय

वाणिज्यिक खण्डों वाले विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में स्टाफ की संस्वीकृति से संबंधित मंत्रालय के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं है । लेखापरीक्षा द्वारा आवृत्त की गई अवधि में बर्न और बॉन के भारतीय दूतावासों की नमूना जांच से स्टाफ लागत पर 48 लाख रु. से अधिक अप्राधिकृत व्यय होने का पता चला जो लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले में टीका टिप्पणी करने के बावजूद भी निरन्तर जारी रहा ।

भारतीय दूतावासों (भा.दू.) बर्न और बॉन ने वाणिज्य मंत्रालय (वा.मं.) के पदों के संचालन को अन्यत्र हस्तांतरित करने/समाप्त करने की संस्वीकृति के बावजूद भी वाणिज्यिक खण्डों के लिए कार्यालय स्टाफ की अप्राधिकृत रूप से नियुक्ति जारी रखी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

भा.दू.	पद	संस्वीकृति के बिना संचालन की अवधि	विवरण	किया गया व्यय (लाख रु. में)
बर्न	क. विपणन अधिकारी	1 मार्च 1999 से 30 अप्रैल 2000 तक *	भा.दू. बर्न ने वा.मं. के पदों को बुडापेस्ट, मैडरिड तथा अंकारा स्थित मिशनों में, क्योंकि बर्न में कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं थी, हस्तांतरित करने के अनुदेशों की अवहेलना करके स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारियों द्वारा संचालित करना जारी रखा।	** 27.05

	ख. लिपिक टाईपिस्ट	1 मार्च 1999 से 29 दिसम्बर 1999 तक		
	ग. आफिस अटेंडेंट	1 मार्च 1999 से 27 नवम्बर 1999 तक		
बॉन	क. विपणन अनुसंधान अधिकारी	1 दिसम्बर 1999 से 31 दिसम्बर 2000 तक (अभी भी जारी)	भा.दू. ने इन स्थानीय पदों को वा.मं. द्वारा समाप्त करने के बावजूद संचालित रखना जारी रखा।	** 21.71
	ख. सांख्यिकीय सहायक			
जोड़				*** 48.76

* मई 2000 से इस पद को विदेश मंत्रालय के बजट के अन्तर्गत ले लिया गया।

** इस अवधि के दौरान अधिसूचित विनियम दर पर किए गए व्यय के बराबर।

*** जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा तत्काल जांच से सत्यापित किया गया, कि क्योंकि अप्राधिकृत व्यय जारी रहा यह व्यय केवल संकेत मात्र है तथा विभिन्न समयवधि से सम्बंधित है।

भा.दू. बर्न तथा बॉन ने बताया कि वे वा.मं. से पत्राचार कर रहे थे क्योंकि दूतावासों को उस स्टाफ की आवश्यकता थी। अलग से पूछताछ करने पर वा.मं. ने अगस्त 2000 में यह स्वीकार किया कि विदेशों में भारतीय मिशनों में इस प्रकार के मामले थे जहाँ वाणिज्यिक खण्डों में, वा.मं. के अनुदेशों की अनदेखी कर पदों को जारी रखा गया तथा बाद में उनसे परामर्श के बाद मंत्रालय ने व्यय की कार्योत्तर आधार पर मंजूरी दे दी। वा.मं. ने कहा कि सम्बंधित मिशनों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों का यह उत्तरदायित्व था कि वे केवल संस्वीकृत स्टाफ के वेतन के आहरण को ही सुनिश्चित करते तथा मंत्रालय में जहाँ वह 65 से अधिक वाणिज्यिक मिशनों को निधियाँ प्रदान करता था, संबद्ध छानबीन करना सम्भव नहीं था।

भा.दू. तथा वा.मं. के उत्तर से यह पता चला कि दोनों ही स्थानों में अर्थात् दूतावासों में तथा वा.मं. में आन्तरिक जांच और नियन्त्रण की प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गई थी। राजदूतावासों में स्थित आहरण और वितरण अधिकारियों (आ.वि.अ.) द्वारा वास्तव में भुगतान के लिए वेतन बिलों को पास करने से पहले कोई जांच नहीं की गई। सक्षम प्राधिकारी अर्थात् वा.मं. में वाणिज्यिक खण्डों के लिए पदों की मंजूरी के लिए ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिशनों ने मंत्रालय की संस्वीकृतियों का अनुपालन किया। दिए गए तथ्यों के अनुसार मिशनों के अध्यक्ष, एक अन्य मंत्रालय अर्थात् विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के प्रशासनिक नियन्त्रण में होते हैं, वा.मं.

के लिए नियमित जांचसुनिश्चित करना तथा इसकी संस्वीकृतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना और भी अधिक आवश्यक था तथा विदेशी मुद्रा में आवर्ती स्वभाव के अप्राधिकृत व्यय से बचना था।

वा.मं. को ड्राफ्ट पैराग्राफ भेजने के पश्चात, लेखापरीक्षा को वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए पैरिस, रोम, मास्को स्टॉकहोम में स्थित भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक खण्डों के लिए अस्थायी पदों को निरन्तर जारी रखने की वा.मं. की 22 दिसम्बर 2000 की कार्योत्तर मंजूरी की प्रतिलिपियों का पता चला जिनको क्रमशः 28 दिसम्बर 1999 तथा 29 फरवरी 2000 तक जारी हो जाना चाहिए था। इससे यह इंगित होता था कि वा.मं. ने पदों को निरन्तर जारी रखने का मामला साधारण रूप से लिया। इससे मिशनों को मंत्रालय से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में बिना संस्वीकृति के पदों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन भी मिला।

वा.मं. द्वारा निधिबद्ध सभी 65 वाणिज्य मिशनों के लिए यह आवश्यक है कि: (क) संस्वीकृत स्टाफ के तुलना में तैनात किए गए स्टाफ की स्थिति की तुरन्त समीक्षा की जाए, (ख) विदेश सचिव को प्रतिलिपि देते हुए मिशनों को वा.मं. की संस्वीकृतियों से रहित समस्त स्टाफ को समाप्त करने के स्पष्ट अनुदेश जारी करें, (ग) कार्योत्तर आधार पर अप्राधिकृत स्टाफ लागत को अनुमोदन करने की प्रथा को अविलम्ब समाप्त करें, (घ) नियमित जांच पड़ताल स्थापित की जाय जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी संस्वीकृतियों संचालन स्तर पर, विशेषतः आवर्ती आधार पर विदेशी मुद्रा के प्रभाव सहित संदूषित न हों और (ङ) वि.मं. के साथ समन्वय कर, स्टाफ लागत पर निरन्तर अप्राधिकृत व्यय के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करें।

मामला वा.मं. को मई 2000 में भेजा गया था, उन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया था।

7.3 अधिक भुगतान वसूल करने में असफलता

संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार चेन्नेई, निर्यातकों से 26.81 लाख रुपये (ब्याज सहित) वसूल करने में विफल रहा।

संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (सं.म.नि.वि.व्या.) चेन्नेई के कार्यालय के लेखाओं की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि महानिदेशक विदेश व्यापार (म.नि.वि.व्या.) के निदेशों की अवहेलना करके और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (के.उ.शु.) की गलत रूप से प्रतिपूर्ति करके दो मामलों में निर्यातकों को 40.60 लाख रु. के अधिक भुगतान किये गये थे।

(i) सं.म.नि.वि.व्या., चेन्नई ने 6 महीने के पश्चात परन्तु आपूर्ति की अन्तिम तिथि से 12 महीने पूर्व वापसी शुल्क की दर निश्चित करने, आवेदन प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत कटौती लगाने की म.नि.वि.व्या. के निदेशों की अवहेलना की। सं.म.नि.वि.व्या. ने विलम्ब से दावा प्रस्तुत करने के कारण कटौती लगाए बिना 171.36 लाख रु. की समस्त राशि का नवम्बर 1999 में भुगतान कर दिया जिस कारण मैसर्स एल्सटम लिमिटेड, चेन्नई को 17.14 लाख रु. का अधिक भुगतान हो गया।

फरवरी 2000 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, सं.म.नि.वि.व्या. ने फरवरी 2001 में राशि के समायोजन के लिए इसे लिख लिया। लेखापरीक्षा में 17.14 लाख रु. की समस्त राशि अन्तिम वसूली के लिए प्रतीक्षित थी।

(ii) दूसरे मामले में, संयुक्त म.नि.वि.व्या., चेन्नई ने मैसर्स अशोक लीलैन्ड लिमिटेड चेन्नई से 26.09 लाख रु., (23.46 लाख रु., सितम्बर 1993 में के.उ.शु. के रूप में प्रदत्त और उस पर 2.63 लाख रु. ब्याज) की वसूली नहीं की। वृहत्तर बम्बई नगर निगम, जो कि परियोजना प्राधिकरण थी, ने भी उतनी ही राशि का भुगतान अलग से फर्म को कर दिया। फर्म के भविष्य के दावों से वसूल करने के मार्च 1994 के आदेशों के बावजूद सं.म.नि.वि.व्या. ने केवल मई 1996 से अधिक भुगतान का समायोजन करना आरम्भ किया। सं.म.नि.वि.व्या. ने 9.67 लाख रु. के शेष छोड़ते हुए दिसम्बर 2000 तक 16.42 लाख रु. की वसूली का समायोजन कर लिया था।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 1997, 1998, 1999 और 2000 में प्रकट किए गए अधिक भुगतान के ऐसे मामलों में उपचारी/शोधक उपाय सुझाने के बावजूद, ऐसे अधिक भुगतान की पुनरावृत्ति होती रही। इसकी जांच करने और आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय VIII : विदेश मंत्रालय

8.1 निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

चार मिशनों में चांसरी एवं दूतावास आवासों तथा अन्य भवनों के निर्माण प्रस्तावों के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप भवनों के किराये पर 26.27 करोड़ रु का परिहार्य व्यय हुआ ।

बिजिंग, दोहा, मस्कट तथा गावरोने में मिशनों द्वारा प्रस्तुत निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप देने में विदेश मंत्रालय (वि.मं.) की विफलता के परिणामस्वरूप भवनों के किराये पर 26.27 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ ।

लोक लेखा समिति ने उनके 108 वें प्रतिवेदन (1987-88) आठवीं लोक सभा, में सिफारिश की थी कि निर्मित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा भवनों के निर्माण की दोनों प्रकार की योजनाओं के लम्बे सापेक्ष महत्व बहुत अनिवार्य है । लम्बी अवधि योजना स्पष्ट पैरामीटर प्रदान कर सकती है जिसके बीच लघु अवधि योजना भरी जानी चाहिए । इसलिए सरकार को लम्बी अवधि योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिसे प्लानों तथा अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा व्यावहारिक योजना पर आधारित पहले ही अधिग्रहण किये गये प्लानों पर भवनों के निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किराये का बहिर्गमन जो कि वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है, मात्र न्यूनतम तक आ जाए ।

बिजिंग, दोहा, मस्कट के भारतीय दूतावासों (भा.दू.) तथा भारतीय उच्च आयोग (भा.उ.आ.) गावरोने के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सरकार द्वारा अधिग्रहण किये गये प्लानों पर निर्माण प्रस्तावों पर वि.मं. द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के परिणाम स्वरूप किराये पर परिहार्य व्यय हुआ जिससे मिशनों ने आवासों को किराये पर लेने पर किया जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:-

भा.दू., बिजिंग

भारत सरकार द्वारा बिजिंग में पिपल रिपब्लिक आफ चाइना से 21,504 वर्ग मीटर (प्लान क) तथा 13,500 वर्ग मीटर (प्लान ख) माप के दो प्लान मार्च 1986 में खरीदे गये थे । प्लान क में ढांचा विद्यमान था जिसमें चांसरी तथा दूतावास आवास स्थित था । विद्यमान ढांचे तथा खाली प्लान ख सहित इन प्लानों के परिसम्पत्ति अधिकार भारत तथा चीन के बीच 28 दिसम्बर, 1989 को हुये समझौते द्वारा हस्तांतरित किये गये । प्लान ख पर कब्जा दूतावास द्वारा 1991 में लिया गया था। भूमि परिदाय समझौते के अनुसार

प्लाट ख पर निर्माण कार्य कब्जा लेने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर आरम्भ किया जाना था ।

यद्यपि सितम्बर 1994 में मै. राज रेवल एशोसियेट, वास्तुकार को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था तथा परियोजना के लिए प्रत्यायात्मक डिजाइन उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था फिर भी समझौते पर अन्ततः हस्ताक्षर दिसम्बर 1999 में ही किये गये थे ।

तथापि मार्च 2000 तक सलाहकार ने योजना प्रस्तुत नहीं की थी । मिशन द्वारा बहुत से प्रस्ताव किये जाने के बावजूद, पिछले दस वर्षों के दौरान मंत्रालय इन प्लॉटों के उपयोग का निर्णय नहीं ले सकी । केवल अप्रैल 1999 में ही परिसम्पत्ति टीम ने बिजिंग का दौरा किया तथा इन प्लॉटों के उपयोग के लिए मानदण्ड निर्धारित किये । परिसम्पत्ति टीम ने सिफारिश की कि भूमि के इन दो प्लॉटों का उपयोग निम्नलिखित विधि से किया जाए:

(क) प्लाट क पर दूतावास आवास का व्यापक रूप से नवीकरण किया जाए तथा मरम्मत की जाए तथा उस पर अनिवार्य स्टाफ के लिए रिहायशी आवास सहित नई चान्सरी का निर्माण किया जाए ।

(ख) प्लाट ख का उपयोग मिशन के डिप्टी चीफ, सादृश्यमूलक अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी सदस्यों के लिए आवास के निर्माण के लिए किया जाए। अतिरिक्त सुविधायें जैसे मनोरंजन सुविधायें, बहुउद्देशीय सभागार तथा भारतीय विद्यालय भवन आदि भी इस प्लाट पर निर्मित किये जाएं।

मंत्रालय के अनिर्णय के कारण मिशन को इसके स्टाफ के आवास के लिए 43 आवास पट्टे पर लेने पड़े । यह मानते हुये कि बिजिंग में किराये वार्षिक रूप से 10 से 15 प्रतिशत बढ़ रहे हैं, किराये का दायित्व और अधिक बढ़ जायेगा ।

दस वर्ष पहले अधिग्रहण किये गए प्लॉटों की भूमि के उपयोग को अंतिम रूप देने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप न केवल 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के लिए 20.80 करोड़ रु. के किराये का भुगतान हुआ बल्कि निर्माण में भी विलम्ब हुआ जो कि परियोजना की लागत को बढ़ा देगा ।

भा.दू., दोहा

पारस्परिक आधार पर चान्सरी एवं दूतावास आवास तथा कुछ अनिवार्य स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए कतर राज्य की सरकार ने 1979 में दोहा में राजनयिक क्षेत्र में 5005 वर्ग मीटर के माप में एक प्लाट आबंटित किया । मै. राजेन्द्र कुमार एंड एशोसियेट को अक्टूबर 1984 में सलाहकार नियुक्ति किया गया था । परियोजना की अनुमानित लागत 1990-91 में 4.33 करोड़ रु. आंकी गई थी । सलाहकार का शुल्क अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत था जो 21.67 लाख रु. परिकलित किया गया था । इसमें से 7.58

लाख रू. का भुगतान अगस्त 1990 तक किया जा चुका था । 1990 तक परियोजना निर्माण के लिए तैयार थी परन्तु गल्फ युद्ध के कारण बाधा पड़ गई । परन्तु बाद में कत्तर प्राधिकारियों ने पारस्परिक आधार पर दिल्ली में उनके दूतावास के लिए प्लॉट के अधिग्रहण के लिए जोर दिया । यह मामला सितम्बर 1994 में संशोधित पट्टा समझौता हस्ताक्षर करने पर सुलझ गया था तथा परियोजना 1995 में फिर लागू हो गई ।

समझौते के अनुसार भवनों का निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था परन्तु निविदा के पूर्व अर्हता ठेकेदारों की शार्टलिस्टिंग के सिवाय निर्माण कार्य अवार्ड करने के लिए कुछ नहीं किया गया था । यहां तक कि जुलाई 1999 तक परियोजना की रूपरेखा भी अनुमोदन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को नहीं भेजी गई । तथापि सितम्बर 1998 में तीन सदस्यी परिसम्पत्ति टीम ने ठेके के अंतिम रूप देने के लिए दोहा का दौरा किया परन्तु इसकी उपलब्धियां न तो उपलब्ध थी और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी ।

एक ओर निर्माण परियोजना आरंभ नहीं की गई , दूसरी ओर अक्टूबर 1996 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान चान्सरी तथा दूतावास आवास के किराये पर 1.55 करोड़ रू. का व्यय किया गया जबकि मूल परियोजना लागत 4.33 करोड़ रू. थी ।

भा.दू., मस्कट

पारस्परिक आधार पर मस्कट में भारतीय चांसरी एवं दूतावास आवास के निर्माण के लिए ओमान सल्तनत सरकार ने अगस्त 1974 में 12,557 वर्ग मीटर का प्लॉट अलग से चिन्हित किया परन्तु ओमान सरकार तथा भारत सरकार के बीच समझौता दिसम्बर 1991 अर्थात् 17 वर्ष के पश्चात् हस्ताक्षरित हुआ । समझौते के अनुसार भवनों का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था । तीन वास्तुकारों की टीम मंत्रालय द्वारा जुलाई 1993 में भेजी गई जिसने भारत में वापस आने पर प्रत्ययात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की ।

मै बॉस बर्दर्स वास्तुकार को चांसरी एवं दूतावास आवास के निर्माण के लिए अक्टूबर 1994 में सलाहकार के रूप में चुना गया था । तथापि, उनके साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये । सिवाय पत्राचार विनिमय के अलावा पश्चात् ठेकेदार की नियुक्ति तथा कार्य आरम्भ करने, पर मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । तत्पश्चात् अगस्त 1999 में मंत्रालय ने दूसरे वास्तुकार मै. बबर एवं बबर को सलाहकार के रूप में चुना तथा जून 2000 में उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये । सलाहकार को वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर नई रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये गये । तदनुसार अक्टूबर 2000 तक ओमान प्राधिकारियों को डिजाइन भी प्रस्तुत नहीं किये गये ।

चूँकि सौलह वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी आंबटित प्लाट पर वि.मं. विकासात्मक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं कर सका, मई 1998 में ओमान सल्तनत सरकार ने इसे दूसरे प्लाट, जो कि बढ़िया स्थान पर नहीं था, के बदले में वापस करने का प्रस्ताव किया।

परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब के कारण जनवरी 1995 से मार्च 2000 के दौरान चांसरी एवं दूतावास आवास को किराये पर लेने से किराये पर 3.26 करोड़ रु. के परिहार्य व्यय के साथ बढ़िया स्थान के प्लाट के खो जाने का जोखिम हुआ।

भा.दू., गावरोने

उच्च आयुक्त आवास के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 1990 में गावरोने (बोत्सवाना) में 33.33 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 3,691 वर्ग मीटर माप भूमि का प्लाट खरीदा गया।

दूतावास ने सितम्बर 1995 में मै. के.पी. नरोला, वास्तुकार को 10.76 लाख रु. के एकमुश्त शुल्क पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जिसमें से शुल्क के 40 प्रतिशत के रूप में 4.31 लाख रु. का उसे अगस्त 1996 में भुगतान कर दिया गया। दूतावास ने फरवरी 1996 में ड्राफ्ट निविदा प्रलेखों का सैट तथा सलाहकार द्वारा तैयार की गई रूपरेखा तथा वोस्तवान में माने हुये ठेकेदारों की सूची मंत्रालय को भेजी जिसे उनके अनुमोदन के लिए अक्टूबर 1996 में शार्ट लिस्ट किया गया था। परन्तु ठेकेदारों के चयन के लिए मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका इसलिए मार्च 2000 तक कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। परियोजना की अनुमानित लागत जो कि फरवरी 1995 में 1.59 करोड़ रु. थी वह अनुमानित लागत में 81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये नवम्बर 1998 में 2.88 करोड़ रु. हो गई।

इस प्रकार सलाहकार की नियुक्ति तथा ठेकेदार के चयन में मंत्रालय द्वारा विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल दस वर्षों की समाप्ति के बाद भी उच्च आयुक्त के आवास के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता हुई बल्कि लागत में भी वृद्धि हुई। उच्च आयुक्त को निरन्तर पट्टे पर लिये गए आवास में रहना पड़ा जिसके कारण सरकार ने अप्रैल 1992 से मार्च 2000 तक 65.99 लाख रु. का परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने फरवरी 2001 में बताया कि चार परियोजनाओं की कुल लागत 93 करोड़ रु. होगी जिसके लिए वार्षिक निवेश प्रतिफल लगभग 9 करोड़ रु. होगा तथा इसलिए सुनिश्चित तौर पर वित्तीय अर्थों में सरकार को कोई हानि नहीं थी तथा वास्तव में किराये के परिसर में लगातार रहने से बचत हुई है। उत्तर न केवल अतर्कसंगत है, यह सरकार के निर्णय की बुद्धिमता पर प्रश्न उठाता है। इसने इसे आसानी से अनदेखा कर दिया कि सरकार ने प्लॉट का अधिग्रहण केवल भवन के निर्माण के लिए किया

इसलिए यह सफाई सोचने के पश्चात् ही दी गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण के लिए संसाधनों को सामग्री के रूप में इकट्ठा नहीं करना चाहिए अपितु निर्माण में प्रगामी रूप से उपयोग करना चाहिए।

8.2 खाली पड़ी बढ़िया भूमि

विदेश मंत्रालय ने, 1965 में ब्राजील सरकार द्वारा उपहार में दिये गये भू-खण्ड पर दूतावास परिसर का निर्माण करने के लिए तीन दशक से अधिक समय तक कोई निर्णय नहीं लिया तथा 1983-84 एवं नवम्बर 1999 के बीच भवनों के पट्टा किराया, स्थानीय एवं सम्पत्ति कर, सम्पत्ति टीमों के दौरो के व्यय आदि के लिए 11.23 करोड़ रु. का भुगतान किया।

1965 में ब्राजील सरकार ने एक 25,000 वर्ग मीटर का भू-खंड ब्राजील में भारतीय दूतावास को दूतावास परिसर निर्माण हेतु उपहार में दिया था। ब्राजील के विदेश कार्यालय ने यह स्पष्ट किया था कि वे, उपहार में दी गई भूमि पर वह देश ब्राजील के साथ सम्बन्धों को किस रूप से देखता है की वास्तविकता एवं गम्भीरता के प्रतीक स्वरूप दूतावास परिसर के निर्माण को राजनीतिक महत्व से जोड़ते हैं। भारत कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने उपहार में दी गई भूमि पर निर्माण नहीं किया है। आगे, भू-खंडों की बहुत अधिक मांग है। इस बात की भी पूरी सम्भावना है कि ब्राजीलियन सरकार किसी भी समय खाली भू-खंड का किसी दूसरे देशों जो इन्तजार में हैं को आबंटन हेतु वापस ले कर सकती है। 1995 में इस भू-खंड का बाजारी-मूल्य लगभग 8.00 मिलियन अमेरिकी डालर था जो अक्टूबर 2000 में विनिमय दर पर 36.73 करोड़ रु. बनता था। मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) (1990 के प्रतिवेदन सं. 13) के पैराग्राफ 26.8.6 में ब्राजील सरकार द्वारा उपहारित भू-खंड पर दूतावास परिसर के निर्माण में असाधारण विलम्ब के बारे में उल्लेख किया गया था।

उपहारित भू-खंड आज की तारीख तक खाली पड़ा है। दूतावास द्वारा कार्यालय आवास, दूतावास निवास तथा इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवासों के लिए आवासीय स्थल किराये पर लेना जारी है, जिसके ऊपर 1983-84 से नवम्बर 1999 तक किराये, दूतावास के परिसर के आवर्तक परिवर्तन, सम्पत्ति टीम के ब्राजील के दौरे, भू-खंड की बाड़ लगाना तथा दूतावास द्वारा पट्टे पर ली गई सम्पत्ति व भू-खण्ड के स्थानीय करों के भुगतान के रूप में लगभग 11.23 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

इस प्रकार वि.मं. के निर्णय में विलम्ब के फलस्वरूप राजनयिक उलझनों के अलावा मेजबान देश द्वारा दूतावास निर्माण हेतु उपहारित सम्पत्ति बेकार पड़ी रही।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए वि.मं. ने अगस्त 2000 में बताया कि यह मामला अभी विचाराधीन है कि क्या वर्तमान दूतावास द्वारा पट्टे पर लिये हुए आवास एवं कार्यालय को खरीदना, मेजबान देश द्वारा उपहारित भू-खंड पर निर्माण से सस्ता रहेगा ।

8.3 अनावश्यक प्रणाली का अविवेकपूर्ण अवधारण

टोक्यो तथा बहरीन में अनावश्यक क्षेत्रीय टेलेक्स प्रणाली बन्द करने के विलम्बित निर्णय के परिणामस्वरूप 10.83 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय हुआ ।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने टोक्यो तथा बहरीन के भारतीय मिशनों में क्रमशः अगस्त 1984 तथा जुलाई 1988 में क्षेत्रीय टेलेक्स केन्द्रों की स्थापना की ।

विदेश सेवा निरीक्षक (वि.से.नि.) की टीम ने उनके पुनरीक्षण के दौरान 1989 में सुझाव दिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों की उपयोगिता तथा संगठन पर अधिकतर मिशनों में उपलब्ध विश्वसनीय तथा सस्ते फ़ैक्स के विकल्प को ध्यान में रखते हुये पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथापि बहरीन में क्षेत्रीय केन्द्र ने अक्टूबर 1999 तक, जब मिशन ने अनुभव किया कि विदेश प्रचार ट्रांसमिशन (वि.प्र.ट्रा.) का ट्रांसमिशन केवल भारतीय प्रैस ट्रस्ट (भा.प्रै.ट्र.) की मात्र द्विगति है, कार्य करना जारी रखा तथा तब इसे बन्द करने का निर्णय लिया । फ़ैक्स मशीनों का उपयोग करके मिशन लेखन सामग्री, केवल प्रभारों तथा जनशक्ति पर प्रति वर्ष 2 लाख रु. बचा सकता था । तथापि जैसा कि वि.से.नि. द्वारा सुझाव दिया गया था, केन्द्रों का पुनरीक्षण नहीं किया गया । परिणामस्वरूप प्रत्येक मिशन में नवीनतम संचार प्रणाली अर्थात् फ़ैक्स, ई.मेल इत्यादि की उपलब्धता के बावजूद अब तक पुरानी टेलेक्स प्रणाली कार्य कर रही है । इस प्रकार मिशन ने टोक्यो में जुलाई 1994 से जून 2000 तक 8.04 करोड़ रु. का तथा बहरीन में 1996-97 से 1999-2000 के दौरान अनावश्यक प्रणाली पर 2.79 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय किया ।

मन्त्रालय ने अगस्त 2000 में बताया कि उनके पास कोडिंग तथा डिकोडिंग सिफर सन्देश प्रणाली थी जिसे कि पंचड टेप के माध्यम से भेजने की आवश्यकता थी । इस “पंचड टेप प्रणाली” का कोई विकल्प मिल पाने तक तार अनुभाग के आधुनिकीकरण को कार्यान्वित नहीं किया जा सका तथा विदेश में टेलेक्स प्रणाली को बन्द नहीं किया जा सका ।

इस तथ्य के आधार पर कि मिशन पहले से ही उन्नत प्रणालियों का उपयोग कर रहे थे तथा सिफर सन्देश के ट्रांसमिशन के लिए क्षेत्रीय टेलेक्स केन्द्रों पर निर्भर नहीं थे, मन्त्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है । अनावश्यक प्रणाली के जारी रखने के कारण

क्षेत्रीय टेलेक्स केन्द्रों के अवसंरचना अनुसंधान तथा स्थापना पर 10.83 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय हुआ ।

8.4 त्रुटिपूर्ण नकद प्रबन्धन के कारण स्थानीय मुद्रा निधि का संचय

त्रुटिपूर्ण नकद प्रबन्ध तथा ठोस अनुप्रयोग योजना के अभाव में ईरान में मिशन/केन्द्रों ने स्थानीय मुद्रा के बराबर 3.28 करोड़ रु. का संचय किया जिसका मूल्य धीरे-धीरे कम हो रहा है ।

मार्च 2000 तक ईरान में भारतीय मिशन/केन्द्र ने 3.28 करोड़ रु. के अपरिवर्तनीय तथा गैर-देशप्रत्यावर्तनीय ईरानी मुद्रा का एकत्रण किया । मिशन/केन्द्र कांसुल सम्बन्धी प्राप्तियों, सावधि जमा पर ब्याज आदि के रूप में स्थानीय मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं । समय के साथ-साथ 31 मार्च 2000 तक निधि में 3.28 करोड़ रु. के बराबर 6101.70 मिलियन ईरानी रियाल (ई.रि.) एकत्रित हो चुके हैं । मिशन/केन्द्र वार विवरण निम्न प्रकार हैं :

करोड़ रु. में

मिशन/केन्द्र	ई.रि. में संचय	ई.रि.के बराबर (1 रुपया = 185.927)
भारतीय दूतावास तेहरान	5,349,666,011	2.87
भारत का महाकांसुल शिराज	535,359,258	0.29
भारत का महाकांसुल, जहीदा	216,679,860	0.12
जोड़	6,101,705,129	3.28

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मिशन/केन्द्रों ने भारत से प्राप्त दुर्लभ मुद्रा का उपयोग, भारत आधारित अधिकारियों व स्टाफ के वेतन के भुगतान, स्थानीय स्टाफ से वेतन, पट्टे पर लिए गए आवास के किराये के भुगतान पर करना जारी रखा । तेहरान में मिशन स्थानीय मुद्रा की प्राप्ति के 15.1 प्रतिशत का उपयोग अपने दिन प्रतिदिन के खर्च के लिए कर रहा है । स्थानीय मुद्रा के कम उपयोग के बावजूद स्थानीय स्टाफ को फरवरी 1994 से पूरा वेतन दुर्लभ मुद्रा में दिया जा रहा है यद्यपि अक्टूबर 1993 से जनवरी 1994 के दौरान इन भुगतानों का 50 प्रतिशत स्थानीय मुद्रा में किया गया था । इसके अतिरिक्त यद्यपि, मिशन के पास स्थानीय निधियां 76.25 लाख रु. की छः सप्ताह की आवश्यकता से बहुत अधिक थी, मिशन की आवश्यकता के लिए भारत की दुर्लभ मुद्रा निकालना जारी रखी । इसके परिणामस्वरूप स्थानीय मुद्रा के प्रयोग हेतु उपाय करने के अभाव में इसकी निधि लगातार प्रतिमाह ई.रि. 87.36 मिलियन औसत की दर से बढ़ रही थी ।

फरवरी 1997 में मन्त्रालय ने सुझाव दिया कि दीर्घावधि उपाय के अन्तर्गत स्थानीय स्टाफ तथा पट्टे पर लिये गए आवासों के लिए किराये का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया जाना चाहिए। मन्त्रालय ने मिशन को सम्पत्ति खरीद सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रालय के ध्यान आकर्षण हेतु भेजने के लिए कहा ताकि संचित स्थानीय मुद्रा निधि का उपयोग परिसम्पत्ति प्राप्त करने में किया जा सके। प्रत्युत्तर में मिशन ने मन्त्रालय के ध्यान आकर्षण हेतु कुछ सम्पत्ति प्रस्ताव भेजे परन्तु अभी मन्त्रालय ने निर्णय लेना है। जहां तक स्थानीय स्टाफ को स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने का सम्बन्ध है मिशन का मत था कि अधिकतर स्थानीय स्टाफ अपने कार्य छोड़ रहे थे तथा उनका उपयुक्त एवं अनुभवी विकल्प तलाशना कठिन था। तेहरान में मिशन प्रतिवर्ष स्थानीय स्टाफ को वेतन के भुगतान पर 60 लाख रु. की दुर्लभ मुद्रा का उपयोग कर रहा है। स्थानीय मुद्रा में किराये के भुगतान के सम्बन्ध में मिशन ने अप्रैल 1998 में बताया कि पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां अधिकतर अनिवासी ईरानियों की थी जो भुगतान दुर्लभ मुद्रा में लेने के इच्छुक थे। मिशन ने आगे बताया कि यद्यपि रियाल के भुगतान पर आवास किराये पर लिये जा सकते थे परन्तु उस मामले में किराया वर्तमान स्तर से दुगुने से ज्यादा हो सकता था। परन्तु स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने पर वास्तविक वित्तीय उलझाव का मिशन द्वारा निर्धारण नहीं किया गया था। इसके बावजूद मन्त्रालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया, अभी तक मन्त्रालय ने इसके आदेशों के मिशन द्वारा पालन न करने के दिये गए कारणों की जांच नहीं की है और न ही इसने कोई वैकल्पिक सुझाव दिया है।

यह भी देखा गया है कि ईरानी मुद्रा के अवमूल्यांकन के कारण भारतीय मिशन का संचित शेष भी अवमूल्यांकित हो रहा है। जबकि अगस्त 1998 में संचित निधि का मूल्य 5.05 करोड़ रु. था, मार्च 2000 में यह 3.28 करोड़ रु. तक नीचे आ गया।

लेखापरीक्षा ने मन्त्रालय को मामला नवम्बर 2000 में सूचित किया, जिसने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

8.5 आकस्मिकताओं से प्रदत्त स्टाफ पर अप्राधिकृत व्यय

सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिकताओं से प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति के परिणामस्वरूप 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान 2.88 करोड़ रु. के समतुल्य का अप्राधिकृत व्यय हुआ।

भारत सरकार के विदेशों में प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों को विनियमित करने वाले कानून मिशन के प्रधान को नियमित प्रकार के कार्य के लिए या नियमित स्थापना के रिक्त पदों के विरुद्ध आकस्मिकताओं से प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति को मना करते हैं। विदेश मन्त्रालय (वि.मं.) ने समस्त मिशनों/केन्द्रों को मन्त्रालय की संस्वीकृति के बिना

किसी के भी नियुक्त न करने और उनके अनुमोदन के बिना अत्यन्त महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक परिस्थितियों में की गई नियुक्ति के छः महीने से अधिक जारी न रखने का अक्टूबर 1991 में परामर्श दिया ।

1997-98 से 1999-2000 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने लिपिक विषयक कार्यों में सहायता और संदेशवाहक जैसे नियमित प्रकार के कार्य के लिए 18 और 25 के बीच आकस्मिकता से प्रदत्त स्टाफ, जिनमें से अधिकतर छः महीने से अधिक तक लगातार नौकरी में थे, की नियुक्ति की । मिशन ने उन पर उस अवधि के दौरान 704,616.81 अमरीकी डालर समतुल्य 2.88 करोड़ रु. का कुल व्यय किया ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) 1999 की संख्या 2 में भी यूरोप में 15 मिशनों में इसी प्रकार के 2.60 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय का उल्लेख किया था । यद्यपि उपयुक्त संस्वीकृति के बिना 6 महीने से अधिक अवधि के लिए आकस्मिक स्टाफ की नियुक्ति करके वाशिंगटन में मिशन उपरोक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित यूरोप के 15 मिशनों की तरह अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों से बाहर कार्य करता रहा था, मंत्रालय ने न तो मिशन की जनशक्ति आवश्यकताओं का पुर्ननिर्धारण करने के लिए कोई कार्यवाही की और न ही मिशन द्वारा स्टाफ की अप्राधिकृत नियुक्ति की समाप्ति को सुनिश्चित किया ।

कार्य करने और अपने आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मंत्रालय की विफलता अपनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ समझौता था ।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय को मामला नवम्बर 2000 में भेजा था । फरवरी 2001 तक मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

8.6 अपव्यय

भारत के महाकांसुलावास हस्टन ने विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थान मानकों से अधिक जगह चान्सरी परिसर के लिए दिसम्बर 1995 में पट्टे पर ली और नवम्बर 2005 तक 1.76 करोड़ रु. के दायित्व के अतिरिक्त अक्टूबर 2000 तक किराए के रूप में 1.24 करोड़ रु. का परिहार्य अधिक व्यय किया ।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने मई 1995 में भारत के महाकांसुलावास (भा.म.कां.), हस्टन की चान्सरी के परिसर के लिए 12000 अमरीकी डालर मासिक किराए की सीमा का इन प्रावधानों के अधीन कि पट्टे पर ली जाने वाली जगह स्थान मानकों के अन्दर थी अनुमोदन किया । आरंभ में केन्द्र ने श्री पोस्ट*ओक सेन्टर पर 11,353 वर्गफुट कार्यालय स्थान 1 दिसम्बर 1995 से 10वर्ष के लिए 13,245.17 अमरीकी डॉलर प्रतिमास 14

अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष प्रति वर्गफुट की दर से पट्टे पर लिया। पट्टा करार में प्रत्येक दो वर्ष पश्चात 1 डॉलर प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष किराया वृद्धि की व्यवस्था थी।

पट्टा किराए में आधार किराया, सफाई, मरम्मत और रख-रखाव, उपयोगी वस्तुओं, सुरक्षा, प्रशासनिक व्यय, प्रबन्धन शुल्क, बीमा और स्थावर सम्पदा शुल्क की लागत का किराएदार का आनुपातिक हिस्सा शामिल था।

भा.म.कां. की स्वीकृत स्टाफ संख्या केवल नौ भारतीय मूल के अधिकारी और आठ स्थानीय कर्मचारी थी। विदेश मंत्रालय के स्थान मानकों के अनुसार भारत के महाकांसुलावास के चान्सरी परिसर के लिए स्थान की आवश्यकता केवल 7301 वर्ग फुट बनती है। अतः चान्सरी ने अनुबद्ध मानकों से अधिक 4,052 वर्ग फुट क्षेत्र पट्टे पर लिया। इसके परिणामस्वरूप अधिक स्थान के प्रति किराए के रूप में दिसम्बर 1995 से अक्टूबर 2000 तक 309,046.04 अमरीकी डॉलर 1.24 करोड़ रु. के समतुल्य, और आगे की वचनबद्धता के साथ नवम्बर 2005 की अवधि तक 369,731.49 डॉलर 1.76 करोड़ रु. के समतुल्य राशि का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 1999 की प्रतिवेदन संख्या 2 संघ सरकार (सिविल) में वि.मं. द्वारा निर्धारित स्थान की अधिकतम आवश्यकता के विरुद्ध भारत के महाकांसुलावास बर्मिंघम द्वारा कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया जाने पर अत्यधिक व्यय के विषय में उल्लेख किया गया है। इतने अधिक व्यय से बचने के लिए अपने अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को अपनी नियन्त्रण प्रणाली की पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को नवम्बर 2000 में सूचित किया था, जिसने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

8.7 अपूर्ण रोकड़ प्रबंध तथा ब्याज की हानि

भारत के महाकांसुलावास, दुबई तथा भारत के स्थाई दूतावास, न्यूयार्क में अपूर्ण रोकड़ नियंत्रण के कारण अधिक रोकड़ रखने से 69.70 लाख रु. के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के स्थाई निदेशों में अपेक्षित है कि किसी भी माह के दौरान किसी भी दूतावास अथवा पद के रोकड़ का अन्त शेष छः माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्राधिकृत व्यय प्रत्याशित है तो विदेश, दूतावास तथा केन्द्रों से उन निर्देशों के खर्च में निवेश प्रेषण के लिए प्रार्थना भेज सकता है।

लेखापरीक्षा ने भारत के महाकांसुलावास (भा.म.कां.) दुबई, तथा भारत का स्थायी दूतावास (भा.स्था.दू.) न्यूयार्क की नमूना जांच में पाया कि वि.मं. के निदेशों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने परिणामी ब्याज की हानि करते हुए छः सप्ताह की आवश्यकता से अधिक रोकड़ रखा, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

	अवधि	ब्याज की हानि * (लाख रु. में)	
भा.म.क., दुबई	1996 से 1998	19.49	(ब्याज के परिकलन की अवधि मई 1996 से फरवरी 1999 है)
भा.स.दू., न्यूयार्क	1998 से 2000	50.21	
कुल		69.70	

* छः सप्ताह की आवश्यकता से अधिक जमा पर भारत सरकार की अधिकतम 14 प्रतिशत उधारी दर पर परिकलन किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1997, 1998 तथा 2000 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सं.2) संघ सरकार (सिविल) में इस प्रकार के मामलों का निरंतर वर्णन किया गया है, फिर भी रोकड़ का कुप्रबंधन जारी रहा। वि.मं. को अपने योजनाबद्ध नियंत्रणों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दूतावास तथा केन्द्र इसके स्थाई नियंत्रणों का कठोरता से पालन करते हैं तथा जो उपेक्षा करता है उसके विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाई की जाये।

लेखापरीक्षा ने मामला नवम्बर 2000 में मंत्रालय को भेजा, जिसने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया।

8.8 50वीं वर्षगांठ समारोह निधियों का लेखांकन न करना

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संस्वीकृत 58.46 लाख रु. में से विदेश में भारतीय मिशनों ने 48.31 लाख रु. व्यय के स्वीकार्य प्रमाण पत्र के बिना खर्च किये।

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने जून 1997 में विदेश में सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों को अलग से निधियाँ आबंटित की। मिशनों/केन्द्रों की निधियाँ आबंटित करने वाले आदेशों के अनुसार, व्यय इस उद्देश्य के लिए अलग से खोले गये लेखा शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जाना था तथा व्यय उचित रसीदों/उप वाउचरों द्वारा समर्थित होना था जो कि संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित थे। मिशनों/केन्द्रों को इस उद्देश्य के लिए पृथक व्यय रजिस्टर का अनुक्षण भी करना अपेक्षित था।

विदेश में विभिन्न मिशनों/केन्द्रों द्वारा इन अनुदेशों का उल्लंघन करने तथा विस्तृत लेखाओं के प्रस्तुत न करने के मामले जिनके कारण 16.26 लाख रु. का आपत्तिजनक व्यय हुआ, संघ सरकार (सिविल) के 2000 के प्रतिवेदन संख्या 2 में शामिल किये गये थे।

आठ मिशनों/केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उन्हें 58.46 लाख रु. प्रदान किये गये थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मिशन/केन्द्र का नाम	(आकड़े लाख में)			
	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	अभ्यर्पित की गई राशि	अव्ययित शेष
भा.दू.* अबुधावी	7.00	1.52	2.43	3.05
भा.म.कां.अ डरबन	4.80	5.42	---	---
भा.म.कां. हांगकांग	3.50	3.50	---	---
भा.दू. काठमांडू	20.00	19.21	---	0.79
भा.दू. मस्कट	5.71	4.61	---	1.10
भा.उ.आ. Y पोर्ट लुईस	2.50	2.50	---	---
भा.म.कां. संघाई	4.95	4.95	---	---
भा.दू. यांगोन	10.00	6.60	---	3.40
जोड़	58.46	48.31	2.43	8.34

* भारतीय दूतावास

a भारत का महाकांसुलावास

Y भारत का उच्च आयोग

नमूना जांच से पता चला कि आठ मिशनों/केन्द्रों में 58.46 लाख रु. के कुल अनुदान या तो मिशन प्रमुख (मि.प्र.)/केन्द्र प्रमुख (के.प्र.) द्वारा अग्रिमों के रूप में आहरित किये गये जो कि बिना समायोजन के रह गये थे अथवा व्यय के स्वीकार्य प्रमाण जैसे रसीदों अथवा उप वाउचरों के बिना उन्हें वापसी के रूप में भुगतान किया गया था। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के सम्बन्ध में 48.31 लाख रु. का व्यय किया। भारतीय दूतावास अबुधावी ने 2.43 लाख रु. का अंश अग्रिम अभ्यर्पित किया। चार मिशनों/केन्द्रों (अबुधावी सहित) ने 15 अगस्त 1998 को समारोह के समापन के पश्चात् भी 8.34 लाख रु. की शेष राशि अभ्यर्पित नहीं की। अनुदानों से व्यय के लिए प्रणाली निर्धारित होने तथा व्यय का लेखांकन होने पर भी मन्त्रालय ने यह

सुनिश्चित नहीं किया कि प्रणाली विद्यमान थी तथा इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों का मिशनों/केन्द्रों द्वारा पालन किया जा रहा था ।

व्यय के स्वीकार्य प्रमाण के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति अधीन रखे गये 48.31 लाख रु. के व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:

- (क) **भा.दू. अबुधाबी** को सात लाख रु. का अग्रिम दिया गया था जिसमें से राजदूत द्वारा अगस्त 1997 में विशेष स्वतन्त्रता दिवस के स्वागत के लिए व्यय के प्रमाण के बिना एक लाख रु. आहरित तथा व्यय किये गये । 52,207 रु. फोटो-प्रदर्शनी पर खर्च किये गये थे तथा 2.43 लाख रु. मई 1998 में वि.मं. को अभ्यर्पित किये गये थे । 3.05 लाख रु. की शेष राशि भविष्य में व्यय के लिए रख दी गई थी तथा अभ्यर्पित नहीं की गई थी ।
- (ख) **भा.म.का. डरबन**, ने 4.80 लाख रु. की आबंटित निधियों में से 4.06 लाख रु. व्यय किये । रसीदें अथवा उप-वाउचर उपलब्ध नहीं थे । इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा स्वतन्त्रता समारोह पर 1.36 लाख रु. का व्यय भी किया गया था जिसे संस्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किये गए शीर्ष के अन्तर्गत बुक करने की बजाए 'प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया गया था ।
- (ग) **भा.म.कां हॉग कॉंग** ने भारत की स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन के लिए 3.50 लाख रु. का व्यय किया जिसके लिए मिशन ने रसीदें अथवा उप-वाउचर अनुरक्षित नहीं किये थे ।
- (घ) **भा.दू. काठमांडू** को 20 लाख रु. प्रदान किये गये थे । मिशन ने न तो 19.21 लाख रु. के विस्तृत लेखे प्रस्तुत किये और न ही वि.मं. को 0.79 लाख रु. के अव्ययित शेष अभ्यर्पित किये । इसके अतिरिक्त समारोह के आयोजन के लिए विभिन्न कर्मचारियों को 2.35 लाख रु. के दिये गए अग्रिम भी किये गये व्यय की विवरणी के अन्तर्गत बुक किये गये थे, जिनका विवरण भी उपलब्ध नहीं था ।
- (ङ) **भा.दू., मस्कट** को उद्देश्य के लिए 5 लाख रु. दिये गये थे । मिशन ने सांस्कृतिक समारोहों के सम्बन्ध में 4.61 लाख रु. का व्यय किया । 0.39 लाख रु. के अव्ययित शेष को वि.मं. को अभ्यर्पित नहीं किया । इसके अतिरिक्त वि.मं. द्वारा संस्वीकृत 0.71 लाख रु. भी भोजन एवं पेय प्रभारों के भुगतान पर खर्च किये गये थे । तथापि, व्यय के विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे ।
- (च) **भा.उ.आ., पोर्ट लुइस** को 2.50 लाख रु. आबंटित किये गये थे जिसमें से 69,883.00 रु. उच्चायुक्त को उसके द्वारा 15 अगस्त 1998 को उसके द्वारा मेजबानी कये गये उपहार कक्ष रात्री भोजन की लागत के लिए 1643.53

अमरीकी डालर में दिये गये थे । तथापि जिसका विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था । जैसा कि अपेक्षित था, उच्चायोग ने कोई विस्तृत लेखा प्रस्तुत नहीं किया परन्तु इसे वि.मं. को इस व्यय के लिए इन गतिविधियों पर 2.50 लाख रु. का व्यय दर्शाते हुये केवल विवरण प्रस्तुत किया ।

(छ) भा.म.कां., संचाई को 4.95 लाख रु. प्रदान किये गये थे । महाकांसुल ने कोई विस्तृत लेखा प्रस्तुत नहीं किया परन्तु जैसा अपेक्षित था इस व्यय के लिए गतिविधियों पर खर्च किये गए 4.95 लाख रु. दर्शाते हुये केवल विवरणी प्रस्तुत की ।

(ज) भा.दू., थानगॉन को 10 लाख रु. प्रदान किये गये थे । मिशन ने जैसा कि अपेक्षित था, न तो खर्च कये गये 6.60 लाख रु. का लेखा मंत्रालय को प्रस्तुत किया और न ही 3.40 लाख रु. की अव्ययित राशि अभ्यर्पित की ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बद्ध मिशन/केन्द्र कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे । भा.म.कां. हॉग कॉग ने बताया कि 50वीं वर्षगांठ हांग कांग के लोगों को भारत की समृद्ध परम्परा की झलक दिखाते हुये उसी प्रकार पद्धति पर मनाई गई थी ।

चूंकि भारत की स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह का व्यय, सादृश्यमूलक अनुदानों के मामले की तरह प्रमाणपत्र के आधार पर नहीं बल्कि स्वीकार्य प्रमाण के आधार पर स्वीकार किया जाना था, 48.31 लाख रु. का व्यय आपत्तिजनक के रूप में रखा गया था ।

लेखापरीक्षा ने मन्त्रालय को मामला नवम्बर 2000 में सूचित किया; जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है ।

8.9 वेतन एवं भत्तों पर अप्राधिकृत व्यय

भारतीय दूतावास एथेन्स ने एक स्थानीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से सात वर्ष अधिक तक अनियमित सेवा जारी रख कर वेतन एवं भत्तों पर 20.35 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय किया ।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने मार्च 1988 में स्पष्ट अनुदेश दिये थे कि मिशनो के सभी स्थानीय कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मिशन के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु के अनुसार नियत तिथि पर सेवानिवृत्त किया जाए तथा सेवा की वृद्धि के मामलों में मंत्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा । वि.मं. ने भी अपने 13 जून 1990 के पत्र द्वारा भारतीय दूतावास (भा.दू.) एथेन्स के स्थानीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पुरुषों के लिए 65 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 60 वर्ष निर्धारित की थी ।

वि.मं. के स्पष्ट अनुदेशों का उल्लंघन करके भा.दू. एथेन्स ने एक स्थानीय महिला कर्मचारी को 1989 में एक लिपिक/टर्कक के रूप में भर्ती करके 28 फरवरी 1993 को उसकी सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि 29 फरवरी 2000 तक सात वर्ष अधिक जारी रखी। भा.दू. ने वि.मं. के अनुदेशों के उल्लंघन में कर्मचारी को संशोधित वेतनमानों तथा सेवानिवृत्ति की नियत तिथि के पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया था।

मिशन ने मार्च 1993 से फरवरी 2000 तक की अवधि में कर्मचारी की अनियमित जारी सेवा के लिए वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर 20.35 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय किया। मंत्रालय ने न तो सेवा की अवधि का विस्तार अनुमोदित किया और न ही कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने में मिशन की विफलता, विशेषतया जबकि कर्मचारी की नियुक्ति 56 वर्ष की आयु में हुई थी, के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय को अपनी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने मन्त्रालय को मामला जुलाई 2000 में सूचित किया; जिसने फरवरी 2001 तक इसका उत्तर नहीं दिया है।

8.10 वि.मं. के आदेशों के विपरीत कार रोके रखने के कारण अप्राधिकृत व्यय

विदेश मंत्रालय के विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करके भारतीय दूतावास बेलग्रेड ने अप्राधिकृत रूप से कार पर 12.29 लाख रु. व्यय किये।

ओसलो में भारतीय दूतावास द्वारा विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के विशिष्ट आदेशों के उल्लंघन में 12 वर्ष तक अप्राधिकृत रूप से कार रोके रखने का मामला भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिए 2000 के प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल) में लाया गया था। वि.मं. के अनुदेशों के उल्लंघन करने वाले मिशनों के उदाहरण भी भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सूचित किये गए हैं। एक अन्य मामले में बेलग्रेड में मिशन ने वि.मं. के आदेशों का पालन नहीं किया।

दिसम्बर 1994 तक बेलग्रेड में मिशन के पास एक पताका युक्त कार तथा एक स्टाफ कार थी। वि.मं. ने जनवरी 1995 में मिशन में कारों की संख्या को कम करके दो से एक करने का निर्णय लिया तथा मिशन को स्टाफ कार का निपटान करने के निर्देश दिये। अप्रैल 1995 में वि.मं. ने मिशन को स्थानीय चालक का पद समाप्त करने के निर्देश दिये।

फिर भी, मिशन ने स्टाफ कार तथा स्थानीय चालक का अवधारण जारी रखा। अक्टूबर 1995 में मिशन की पताकायुक्त कार चोरी हो गई। स्टाफ कार को नई कार में बदलने के अनुरोध के प्रत्युत्तर में वि.मं. ने जनवरी 1997 में दोहराया कि मिशन के लिए केवल एक पताका सहित स्टाफ कार संस्वीकृत थी तथा चोरी गई कार के बदले अन्य कार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया इसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से निरस्त किये जाने के बावजूद मिशन ने बदले में स्टाफ कार ले ली। नई कार खरीदने की संस्वीकृति के लिए मिशन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार अक्टूबर 1995 से मार्च 1997 की 18 माह की अवधि को छोड़ कर मिशन ने अपने अधिकार में दो कारें रोके रखी। अप्रैल 1995 तथा मई 2000 की अवधि के बीच जब स्थानीय रूप से भर्ती किये चालक का पद समाप्त किया गया था, मिशन ने स्थानीय चालक को वेतन तथा स्टाफ कार के अनुरक्षण पर 12.29 लाख रु. का व्यय किया। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मिशन प्रमुख की कार्यवाही ने वि.मं. के प्राधिकार को दुर्बल बना दिया, जिसके आदेशों की मिशन द्वारा अवज्ञा की गई थी। इसकी मंत्रालय द्वारा मिशन प्रमुख के प्रति उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने पूर्व यूगोस्लाविया गणतन्त्र में कानून व व्यवस्था के खराब होने के आधार पर स्टाफ कार को रोके रखने के मिशन प्रमुख (मि.प्र.) की अप्राधिकृत कार्यवाही को अगस्त 2000 में न्यायोचित ठहराना चाहा। तथापि इसने आगे कहा कि मिशन ने लेखापरीक्षा के कहने से पहले ही अगस्त 2000 में अतिरिक्त कार का निपटान कर दिया था तथा मिशन में भारतीय चालक की नियुक्ति के पश्चात स्थानीय चालक की सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।

मिशन द्वारा अप्राधिकृत कार्यवाही को माफ करने के लिए मंत्रालय का मिशन द्वारा इसके आदेशों के उल्लंघन को न्यायोचित ठहराने का प्रयास पश्च लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर है। जब कि इससे वाहनो की संख्या को कम करने तथा स्थानीय चालक का पद समाप्त करने का निर्णय ले लिया था मंत्रालय को अब लेखापरीक्षा पैराग्राफ के प्रारूप के प्रत्युत्तर में भेजे गए घटक के बारे में सावधान रहना चाहिए था। यहां तक कि जनवरी 1997 में ही मंत्रालय ने अतिरिक्त कार की खरीद के अनुरोध को स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया था जिसे मिशन ने अनदेखा कर दिया था।

8.11 मकान किराए पर अपव्यय

भारतीय कांसुलावास ने हाऊसटन में उस मकान के किराए, अनुरक्षण तथा मरम्मत पर 10.40 लाख रुपये का अपव्यय किया जो कि छः महीनों से ज्यादा समय से खाली था तथा जिसे मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना करके किराए पर लिया गया था ।

मई 1998 में विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने हाऊसटन स्थित भारतीय कांसुलावास (हा.भा.मां.) के उपमहाकांसुल (उ.म.कां.) को स्थानान्तरित किया था । यह स्थानान्तरण समयबद्ध सीमा के अंतर्गत नहीं था बल्कि सामान्य स्थानान्तरण की श्रृंखला की एक कड़ी थी । इसी बीच हा.भा.का. द्वारा उनके उ.म.का. के लिए किराए पर लिये गये मकान का पट्टा 5 सितम्बर 1998 को समाप्त होना था । जुलाई 1998 में स्थानान्तरित उ.म.का. ने हाऊसटन में अपने रहने की अवधि बढ़ने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा यह तर्क देते हुए कि मकान मालकिन पट्टा बढ़ाने को तैयार नहीं है, वि.मं. को सितम्बर 1998 के बाद अन्य मकान किराया पर देने की मंजूरी का अनुरोध किया । 28 अगस्त 1998 को वि.मं. ने भा.कां.हा. को इस निर्णय से अवगत करवाया कि स्थानान्तरित उ.म.का. 1 अक्टूबर, 1998 को भारत में वापिस आ जायेंगे । तथापि भा.कां.हा. ने अधिकारी को 8 दिसम्बर 1998 को भारमुक्त किया, तथा उनके द्वारा अन्ततः 20 दिसम्बर 1998 को हाऊसटन छोड़ा गया । इसके अतिरिक्त वि.मं. के निर्विवाद आदेशों का उल्लंघन करते हुए भा.कां.हा. ने 2500 डालर प्रतिमाह पर पट्टा करार द्वारा एक वर्ष के लिये अन्य मकान, माह 4 सितम्बर 1998 से किराए पर लिया । नये उ.म.कां. ने भा.कां.हा. में छह महीनों बाद 21 जून 1999 को कार्यभार ग्रहण किया । उ.भा.कां. के लिए किराए पर लिया गया मकान खाली पड़ा रहा तथा भा.कां.हा. ने इस अवधि में मरम्मत तथा अनुरक्षण पर 7558.46 अमरीकी डालर खर्च किया । नये उ.म.कां. ने 21 जून 1999 को थोड़े समय के लिये मकान का कब्जा लिया । उनके द्वारा 15 अगस्त 1999 को, वार्षिक पट्टा समाप्त होने के 20 दिन पूर्व मकान खाली किया गया ।

भा.कां.हा. ने, 21 दिसम्बर 1998 से 20 जून 1999 की अवधि के लिए (1डॉलर = 42.75 रु. की औसत दर पर 15,054 डॉलर = 6.44 लाख रु.) तथा 16 अगस्त 1999 से 4 सितम्बर 1999 की अवधि के (1डॉलर = 43.54 रु. की औसत दर पर 1,623 डालर = 0.71 लाख रु.) किराए पर तथा खाली पड़े मकानों की मरम्मत तथा अनुरक्षण (1डॉलर = 42.97 रु. की औसत दर पर 7,558 डॉलर = 3.25 लाख रु.) पर कुल 24,235 डॉलर (1 डॉलर = 42.97 रु. की औसत दर पर 10.40 लाख रु.) व्यय किए।

भा.का.हा. की ओर से नये उ.म.कां. ने उत्तर देते हुए कहा कि यह व्यय अपरिहार्य तथा अप्रत्याशित था। उनका उत्तर लेखापरीक्षा की टिप्पणी "वि.मं." के निर्देशों की अवहेलना करते हुए भा.का.हा. द्वारा वार्षिक पट्टे पर मकान क्यों किराए पर लिया गया" के प्रत्युत्तर में नहीं था।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2000 में मामला मंत्रालय को भेजा; जिसने फरवरी 2001 तक इसका उत्तर नहीं दिया था।

8.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति के बारम्बार अनुदेशों/अनुशंसा के बावजूद मंत्रालय ने चार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां नहीं भेजी।

अक्टूबर 2000 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया कार्यवाही टिप्पणियां (का.टि.) के पुनरीक्षण से पता चला कि मंत्रालय मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल चार पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिये हैं:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या तथा वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1999 की 2	4.2.2	सम्पत्ति की खरीद पर पात्रता से परे अतिरिक्त व्यय।
2000 की 2	8.6	कर्मचारियों की नियुक्ति/रोके रखना तथा अग्राह्य भुगतान।
2000 की 2	8.9	स्थानीय मुद्रा की बजाए यू.एस. डालरों में अनियमित अदायगियां।
2000 की 2	8.12	उच्च हवाई किराये के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2000 में भेजा गया था; जिसने फरवरी 2001 तक इसका उत्तर नहीं दिया था।

अध्याय IX : वित्त मंत्रालय

भारत सरकार टकसाल, नोएडा

9.1 टकसाल की क्षमता का कम उपयोग

भारत सरकार टकसाल जो कि 1988 में संचालित हुई अभी तक ब्लैकिंग लाइन स्थापित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप यह निरन्तर आयात आश्रित रही है। टकसाल की क्षमता काफी मात्रा में कम उपयोग की गई है तथा टकसाल बिना ढले हुए सिक्कों को आयात करने में परिसमाप्त क्षति को लागू करने हेतु विलम्ब तथा गलत परिकलन के कारण विफल रही है।

भारत सरकार ने एक नई टकसाल, भारत सरकार टकसाल, नोएडा, स्थापित करने का निर्णय लिया जो कि 1988 में क्रियाशील हुई। टकसाल जुलाई 1988 से बने बनाए बिना ढले हुए सिक्कों का या तो स्वदेशीय खरीद करके या प्रत्यक्ष आयात द्वारा प्राप्त करके उत्पादन करने में लगी हुई है। अन्य सरकारी टकसालों मुम्बई, कोलकाता तथा हैदराबाद के भांति, टकसाल अपनी ब्लैकिंग लाईन के साथ परिचालित करने के लिए, बनाई गई थी ताकि बिना ढले हुए सिक्कों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता को टाला जा सके। टकसाल की स्थापना के साथ मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न की गई थीं तथा दो-पारी संचालन हेतु कर्मचारियों के पूरे टकसाल को भी स्वीकृति दी गई थी। टकसाल ने अपनी ब्लैकिंग लाईन की स्थापना के प्रस्ताव को केवल दिसम्बर 1996 में ही आरंभ किया तथा प्रस्ताव अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है। ब्लैकिंग लाईन की अस्थापन के फलस्वरूप बने बनाए बिना ढाले सिक्कों का आयात हुआ है, परिणामतः 1994-2000 के दौरान 2 रु. तथा 5 रु. मूल्य के कूपरों-निकेल्ल से बिना ढाले सिक्कों की परिवर्तन लागत के कारण 38.39 करोड़ रु. के बराबर विदेशी मुद्रा की हानि हुई। मन्त्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि टकसाल में ब्लैकिंग लाईन पर विचार कोलकाता, मुम्बई तथा हैदराबाद स्थित अन्य तीन टकसालों पर प्रारम्भ की गई आधुनिकीकरण परियोजना सम्पूर्ण होने पर किया जाएगा। स्पष्टतया टकसाल बिना कार्यात्मक सहक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई थी। विदेशी मुद्रा की हानि के अतिरिक्त ब्लैकिंग लाईन की अस्थापन के परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते थे, यदि बेकार परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा रखा जाता है तो जनशक्ति के मामले में ही एकमात्र यह पाया गया कि टकसाल एक पारी पर संचालित थी जबकि स्टाफ दो पारी के लिए स्वीकृत किया गया था।

तैनात करने की पद्धति तथा उत्पादन के जमाव की जांच-पड़ताल से यह सामने आया कि टकसाल की उत्पादन क्षमता जोकि 2000 मिलियन सिक्कों के टुकड़े प्रतिवर्ष है, कम उपयोग किये गये हैं। उत्पादन क्षमता का उपयोग 16.79 प्रतिशत तथा 45.06 प्रतिशत की दूरी के बीच है। उत्पादन क्षमता का कम-उपयोग बदले में मंत्रालय द्वारा निम्न-लक्ष्य-निर्धारण का एक सीधा परिणाम है। मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य टकसाल की क्षमता के 20 तथा 45 प्रतिशत के बीच स्थित थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य स्वयं ही भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा टकसाल पर रखी गई मांगों के संदर्भ में कम थे। नीचे दी गई तालिका तुलनात्मक विश्लेषिक स्थिति प्रस्तुत करती है:

सिक्के मिलियन टुकड़ों में

वर्ष	भा.रि.बैं. की मांग (समेकित मांग सभी चार टकसालों के लिए)	मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य	क्षमता के संदर्भ में लक्ष्य की प्रतिशतता	टकसाल द्वारा सिक्कों का वास्तविक उत्पादन	उत्पादन क्षमता की वास्तविक प्रतिशतता
1991-92	2075	500	25.0	488.330	24.42
1992-93	3050	500	25.0	458.960	22.95
1993-94	3200	500	25.0	335.895	16.79
1994-95	4100	410	20.5	555.031	27.75
1995-96	4950	480	24.0	402.482	20.12
1996-97	6295	500	25.0	382.474	19.12
1997-98	6939	500	25.0	556.457	27.82
1998-99	9050	850	42.5	810.421	40.52
1999-2000	8710	900	45.0	901.256	45.06

मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य 1997-98 तक 400-500 मिलियन टुकड़ों की सीमा तक जारी रहा जबकि भा.रि.बैं. की मांग 2075 मिलियन टुकड़ों से बढ़ कर 6939 मिलियन टुकड़े हो गई। 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान लक्ष्य 850-900 मिलियन टुकड़ों तक बढ़ाये गये थे जबकि भा.रि.बैं. की मांग 9000 मिलियन टुकड़ों की सीमा तक थी। टकसाल मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए उच्चतम लक्ष्यों को पूरा कर सकती थी परन्तु वो भा.रि.बैं. द्वारा रखी गई मांगों का केवल 10 प्रतिशत तक ही हुआ। जांच करते हुए यह रुचिकर लगता है कि 1998-99 के दौरान टकसाल ने 20.94 लाख रु. समयोपरि भत्ते पर तथा 25.36 लाख रु. औद्योगिक स्टाफ को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में खर्च किये जो कि अपनी निर्माण क्षमता से कम था तथा भा.रि.बैं. द्वारा रखी गई मांगों से और भी कम था। मंत्रालय ने फरवरी 2001 में बताया कि भा.रि.बैं. की मांग सामान्य रूप से अधिक थी और वास्तव में बने हुये सिक्कों का उठाव

कम था । मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भा.रि.बैं.ने समय-समय पर उत्पादन किये हुये सारे सिक्के उठा लिये ।

ढले हुए खाली सिक्कों की खरीद

जहां तक कि सिक्कों के वास्तविक उत्पादन में, ढले हुए खाली सिक्कों की खरीद में भी अनियमितताएं पाई गई थी । टकसाल ने 1988-89 से 1999-2000 के दौरान 25446.16 लाख रु. के मूल्य के ढले हुए खाली सिक्के आयात किये तथा स्वयं ही 14011 लाख रु. मूल्य के ढले हुए खाली सिक्के बनाए (अनुबंध-क) ढले हुए खाली सिक्कों के आयात की प्रतिशतता खरीदे गये कुल ढले हुए खाली सिक्कों के साथ 64 प्रतिशत तक स्थिर रही । टकसाल द्वारा अपनाई गई आयात पद्धति की जांच पड़ताल ने निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब रखी । देर से परिसमाप्त क्षति की वसूली इत्यादि कई उदाहरण सामने आए ।

निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 5रु., 2रु., 1रु., 50पै., 25पै. तथा 10पै. (अनुबंध-ख) के मूल्य के ढले हुए खाली सिक्कों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में टकसाल ने सात महिनों से 2 वर्ष लिए। इसके परिणामस्वरूप 1996-97 तथा 1998-99 के दौरान 5 रु. तथा 2 रु. के सिक्कों के उत्पादन में गिरावट आई जैसा कि अनुबंध-ग में विस्तृत है । 1996-97 के दौरान 5 रु. के सिक्कों के उत्पादन की गिरावट उत्पादन लक्ष्य के 60 प्रतिशत तक पहुंच गई । मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि जब इन मूल्यों के ढले हुए खाली सिक्के उपलब्ध नहीं थे, टकसाल दूसरे सिक्कों के उत्पादन में व्यस्त था इसलिए वहां कोई क्षमता की हानि नहीं थी । तर्क टालने वाला है चूंकि एक मूल्य के सिक्कों की कमियों को अन्य सिक्कों के उत्पादन द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता । व्यापारी बाजार पर, इन मूल्यों के सिक्कों के अनुत्पादन के प्रभाव को आंकने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही परन्तु यह विचार करने में सक्षम रही है कि विभिन्न मूल्यों के सिक्कों की अनुपलब्धता की आवर्ती उदाहरण ही ढले हुए खाली सिक्कों की मांग प्रस्तुत करने के विलम्ब का कारण हो सकते हैं ।

परिसमाप्त क्षतियों की गैर-वसूली

यह भी देखा गया था कि चार मामलों में यद्यपि देय होने पर 12.37 करोड़ रु. के मूल्य की परिसमाप्त क्षतियों के दावे पेश नहीं किये गए थे (अनुबंध-घ)। इनमें से तीन मामलों में जहां आयात ब्रिटिश तथा कोरिया फर्मा से किये गये थे मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आंकड़ों को बिना कोई विकल्प परिकलन उपबंध कराये गलत बताया । लेखापरीक्षा आंकड़े प्रत्येक मामले में हर एक भेजे गये माल के लिए अलग तैयार किये जाते हैं ।

चौथी फर्म के बारे में जो कि एक मैकसीकन फर्म है, मंत्रालय ने गलत विचार रखा कि परिसमाप्त क्षतियां वसूली योग्य नहीं थीं। जैसाकि संविदा परिसमाप्त क्षतियों के मुताबिक 0.31 करोड़ रु. की मांगें वसूली योग्य थीं चूंकि फर्म संविदा की शर्तों को निभाने में विफल रही थी।

तीन मामलों में जबकि आयात कनाडियन इटैलियन तथा ब्रिटिश फर्मों से किये गये थे, टकसाल द्वारा परिसमाप्त क्षतियों के पेश किये गये दावे या तो वसूल नहीं किये गये (10.41 करोड़ रु.) या केवल आंशिक रूप से वसूल किये गये (1.42 करोड़ रु. के प्रति 1.35 करोड़ रु.) 10.30 करोड़ रु. के परिसमाप्त क्षतिओं के दावे केनाडियन फर्म पर नहीं ठोके जा सके थे क्योंकि मंत्रालय ने टकसाल को कार्यवाई रोकने का परामर्श इस आधार पर किया कि नमूनों को स्वीकार करने में बिलंब अनुबंध के अन्तर्गत नहीं आता था तथा कोई भी सूचना इस सम्बन्ध में केनाडियन फर्म को कभी भी जारी नहीं की गई थी। यह आश्चर्यजनक है कि एक गंभीर प्रशासनिक विफलता के कारण हुई भारी हानि को लापरवाही के लिए उत्तरदाई ठहराये। वैधता के आधार पर हाथ लिया जाना चाहिए। एक इटैलियन फर्म के विषय में परिसमाप्त क्षतियों की गलत परिकलन के फलस्वरूप टकसाल में 7 लाख रु. की धोखा धड़ी हुई जो कि इसके वसूली योग्य थी।

अव्यवस्थित अति महत्वपूर्ण एक मामले में दावों के या देखा गया कि एक ब्रिटिश फर्म से क्षतियों के लिए 1.6 करोड़ रु. इस तथ्य के बावजूद वसूल नहीं किये जा सके जबकि ढले हुए खाली सिक्कों की आपूर्ति में दो वर्षों से अधिक का विलम्ब था। ब्रिटिश फर्म को जुलाई 1998 तक 1200 मीट्रिक टन ढले हुए खाली सिक्कों की आपूर्ति करनी थी तथापि, आपूर्ति जनवरी 1999 तक सम्पूर्ण हुई तथा परिसमाप्त क्षतियां के दावे केवल जनवरी 2001 में 1.6 करोड़ रु. के विपरीत केवल 11.47 लाख रु. ही किये गये थे जो कि वसूली योग्य था। इसी बीच जून 1999 में फर्म की बैंक गारंटी की अवधि भी समाप्त हो गई जिससे टकसाल तथा सरकार के पास न्याय युक्त दावे के केवल एक अंश के निपटान हेतु और कोई विकल्प नहीं रह गया।

निरीक्षण प्रभारों का भुगतान न करना

संविदा की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता संविदा के अन्तर्गत अपने निर्माण कार्यों पर बनाये गये ढले हुए खाली सिक्कों के निरीक्षण हेतु खरीदार के लिए सुविधा उपलब्ध करायेगा। टकसाल के निरीक्षण के प्रभारों का दावा न करने के उदाहरण देखे गये थे। टकसाल दो मामलों में 3.32 लाख रु. वसूल करने में विफल रही जबकि छः अन्य मामलों में 6.95 लाख रु. के दावों के भुगतान को निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात नौ से 37 माह तक दबाया गया था।

अनुबन्ध-क

वर्ष	आयात किये गये खाली ढले हुए सिक्कों का मूल्य	खरीदे गये स्वदेशीय खाली ढले सिक्कों का मूल्य	खरीदे गये कुल खाली ढले सिक्कों का मूल्य	कुल खरीद से आयात की प्रतिशतता
1988-89 से 1992-93	8963.16	-	8963.16	100.00
1993-94	-	2383.00	2383.00	-
1994-95	2829.00	1226.00	4055.00	69.77
1995-96	2173.00	405.00	2578.00	84.29
1996-97	1719.00	4523.00	6242.00	27.54
1997-98	634.00	1168.00	1802.00	35.18
1998-99	4572.00	2116.00	6688.00	68.36
1999- 2000	4556.00	2190.00	6746.00	67.54
जोड़	25446.16	14011.00	39457.16	64.48

अनुबन्ध-ख

क्र. सं.	फर्म का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले खाली ढले हुए सिक्कों का विवरण	विश्वव्यापी निविद के विज्ञापन क तिथि	संविदा प्रदान करने की तिथि	संविदा को सम्पूर्णरूप देने में लिया गया समय
1	मै. रायल सिंह यू.के.	5 रु. मूल्य के 206.66 मिलियन टुकड़े	23.9.93	22.7.94	10 माह
2	मै. आई.एम.आई. बिरमिंगम मिन्ट लि.यू.के.	5 रु. मूल्य के 133.33 मिलियन टुकड़े	23.9.93	22.7.94	10 माह
3	मै. हैडू आई कार्पोरेशन द.कोरिया	2 रु. मूल्य के 360 मिलियन टुकड़े	23.9.93	22.7.94	10 माह
4	मै. ईस्टीटूट्टो पोलग्राफिको जेका देलो स्टेटो ईटली	1 रु., 50 पै., 25 पै. तथा 10 पै. मूल्य के 86 मिलियन टुकड़े	23.6.94	11.1.95	6 ½ माह
5	मै. सलेम स्टील प्लांट सलेक	1 रु. 50 पै. तथा 25 पै. मूल्य के 235 मिलियन टुकड़े	23.6.94	23.6.95	12 माह
6	मै. रायल केनेडियन मिन्ट कैनाडा	5 रु. मूल्य के 200 मिलियन टुकड़े	10.6.96	1.9.97	14 ½ माह
7	मै. रायल मिन्ट यू.के.	2 रु. मूल्य के 200 मिलियन टुकड़े	10.6.96	1.9.97	14 ½ माह
8	मै. पी.डी.सी. मैक्सिको	1 रु. मूल्य के 206 मिलियन टुकड़े	10.6.96	14.5.98	23 माह
9	मै. सेलम स्टील प्लांट सेलम	1 रु., 50 पै0 तथा 25 पै. मूल्य के 749 मिलियन टुकड़े	10.6.96	26.5.98	23 ½ माह

अनुबन्ध-ग

वर्ष	मूल्य वर्ग के विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य के उत्पादन में गिरावट की प्रतिशतता
		(मिलियन टुकड़ों में)		
1996-97	2 रु.	50	40.2870	19.43
	5 रु.	50	19.8700	60.26
1998-99	2 रु.	160	155.1275	03.05
	5 रु.	120	71.0220	40.82

अनुबन्ध-घ

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	संविदा के विवरण	उत्पादन-पूर्व नमूनों की आपूर्ति में विलम्ब			अंतिम नौभार में विलम्ब			विलम्ब की कुल अवधि जिसके लिए परिसमाप्त क्षतियां देय हुईं			परिसमाप्त क्षतियों की राशि	परिसमाप्त क्षतियों के दावों की राशि	वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों की राशि	बाकी बचे दावों/वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों की राशि
			व	मा	दि	व	मा	दि	व	मा	दि				
1	मै. रायल मिन्ट, यू.के. (1994-95) 27.6.96 को रखे गये 930 एम.टी. का वैकल्पिक आदेश	नं. आइ.जी.एम. /जीपीटी/सीएन/5रु. (आरएमएल)/1994 दिनांक 12.12.94 5रु. के खाली ढले हुए सिक्कों की (206.66 एम.पी.सी.एस.) 1860 एमटी की आपूर्ति	00	07	09	-	07	29	05	03	13	1096300.59 (पौं.स.) 7.62 करोड़ रु. के बराबर	-	-	1096300.59 (पौं.स.) 7.62 करोड़ रु. के बराबर
2	मै. आई.एम.आइ बिरकिंगडम मिन्ट यू.के. ((1994-95) 27.6.96 के दिये गये 600 एम टी को वैकल्पिक आदेश	नं. आईजीएम /जीपीटी/सीएन/5रु. (आईएमआई) 1994 दिनांक 24.1.94 5 रु. के 1200 एम.टी (133.33 एम.पी.सी.एस.) बिना ढले सिक्कों की आपूर्ति	00	08	22	-	04	23	03	06	10	406253.76 (पौं.स.) 2.82 करोड़ रु. के बराबर	-	-	406253.76 (पौं.स.) 2.82 करोड़ रु. के बराबर
3	मै. हुडाई कारपोरेशन द.कोरिया (1994-95) 31.10.95 को दिया गया 540 एमटी का वैकल्पिक आदेश	नं. आईजीएम /जीपीटी/सीएन/2रु. (हुडाई) 1994 दिनांक 21.11.94 2160 एम टी के (360 एम.पी.सी.एस.) 2रु. के सिक्कों की आपूर्ति	00	02	15	00	01	00	01	02	04	371397.41 यू.एस.डा. 1.62 करोड़ रु. के बराबर	-	-	371397.41 यू.एस.डा. 1.62 करोड़ रु. के बराबर

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	संविदा के विवरण	उत्पादन-पूर्व नमूनों की आपूर्ति में विलम्ब			अंतिम नोभार में विलम्ब			विलम्ब की कुल अवधि जिसके लिए परिसमाप्त क्षतियां देय हुईं			परिसमाप्त क्षतियों की राशि	परिसमाप्त क्षतियों के दावों की राशि	वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों की राशि	बाकी बचे दावों/वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों की राशि
4	मै. इस्टीटपोटो लीग्राफिको ईजे का डीलो स्टेटो (रोम मिन्ट) इटली (1994-95) 27.6.96 को 1639 मि.ट. के वैकल्पिक आदेश	नं. आईजीएम/जीपीटा /एसएस11994-95 दिनांक 17.2.95 3277.5 मि.ट. (816 एमपीसीएस) के 1रु./50पै/25पै/10पै एसएस बिना दले सिक्कों की आपूर्ति	00	04	00	00	01	13	01	08	08	604472414.33 (लीरा) 1.42 करोड़ रु. के बराबर	582280922 (लीरा) 1.35 करोड़ रु. के बराबर	582280922 (लीरा) 1.35 करोड़ रु. के बराबर	22191492.33 (लीरा) 0.07 करोड़ रु. के बराबर
5	मै. रायल कैनेडिन मिन्ट, कैनाडा (1997-98)	नं. आईजीएम /सीएन/आरसीएम/97 दिनांक 9.12.97 5रु. के खाली दले हुए सिक्कों के 1800 मि.ट. (200एमपीसीएस) की आपूर्ति	00	08	18	01	02	06	06	02	09	2363262 (यूएसडा.) 10.30 करोड़ रु. के बराबर	2363262 (यूएसडा.) 10.30 करोड़ रु. के बराबर	शून्य	2363262 (यूएसडा.) 10.30 करोड़ रु. के बराबर
6	मै. रायल मिन्ट यू.के. (1997-98)	नं.आईजीएम/जीटी/सीएन /रु.2 (आरएम) 1997 दिनांक 30.12.97 2रु. के खाली सिक्कों को 1200 (200 एमटी एमपीसीएस) की आपूर्ति	00	06	17	00	05	09	02	02	00	230357.30 (पौं. स) 1.60 करोड़ रु. के बराबर	16505.15 (पौं.स) 0.11 करोड़ रु. के बराबर	शून्य	230357.30 (पौं. स) 1.60 करोड़ रु. के बराबर

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	संविदा के विवरण	उत्पादन-पूर्व नमूनों की आपूर्ति में विलम्ब			अंतिम नौभार में विलम्ब			विलम्ब की कुल अवधि जिसके लिए परिसमाप्त क्षतियां देय हुईं			परिसमाप्त क्षतियों की राशि	परिसमाप्त क्षतियों के दावों की राशि	वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों की राशि	बाकी बचे दावों/वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों की राशि
			00	01	03	00	01	20	00	04	09				
7	मै.पीडीसी मैक्सीको (1997-98)	नं. आईजीएम /जीटी/एसएस/2 रु. पीडीसी 1998 दिनांक 15.7.98 1000 मि.ट. (206 एम.पी.सी.एस.) के 1 रु. के बिना ढले सिक्कों की आपूर्ति	00	01	03	00	01	20	00	04	09	71168.21 (यूएसडा) 0.31 करोड़ रु. के बराबर	-	-	71168.21 (यूएसडा) 0.31 करोड़ रु. के बराबर

9.2 अनुमत मानदण्डों से अधिक समयोपरि भत्ते का भुगतान

महा प्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने 1995.00 के दौरान सभी स्टाफ सदस्यों को प्रति तिमाही की 50 घण्टे की अनुमत सीमा के प्रति 160 घण्टे प्रति माह के समयोपरि भत्ते का भुगतान किया। उपर्युक्त अवधि के लिए अधिक समयोपरि भत्ता कुल 99.43 करोड़ रु था।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, (भा.प्र.मु.) नासिक के 1995-2000 के समयोपरि व्यय की संवीक्षा से पता चला कि महा प्रबन्धक (म.प्र.) ने अपने 5695 पर्यवेक्षण तथा गैर पर्यवेक्षीय स्टाफ एवं कर्मचारियों को प्रति माह 160 घण्टे के समयोपरि भत्ते का भुगतान किया। वार्षिक समयोपरि भुगतान जो 1996-2000 के दौरान कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा मजदूरी का 40.32 प्रतिशत थे निम्न प्रकार थे:

वर्ष	समयोपरि भुगतान पर व्यय (करोड़ रु में)
1995-96	14.64
1996-97	16.61
1997-98	23.57
1998-99	28.62
1999-00	28.27
जोड़	111.72

प्रत्येक तिमाही में अधिक से अधिक 480 घण्टों का समयोपरि भत्ता प्रदान करने में म.प्र. ने फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 64 का निरन्तर उल्लंघन किया जो कि एक तिमाही में 50 घण्टों तक का समयोपरि भत्ता देने की व्यवस्था करता है।

111.72 करोड़ रु के कुल समयोपरि भत्ते के भुगतान में फैक्टरी अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधिक समयोपरि भत्ता भुगतान का मूल्य 99.43 करोड़ रु था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया तथा माना कि इस संवृत्ति को सुधारने की आवश्यकता है।

9.3 अनुबन्ध में ब्याज की धारा न जोड़ने के कारण हानि

वित्त मंत्रालय (वि.मं.) ने चलार्थ पत्र मुद्रणालय (च.प.मु.) के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में सिविल कार्यों पर व्यय करने के लिये 9 मई 1996 की 30.99 करोड़ रु. की प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति को संशोधित करके 16 जून 1999 को

37.19 करोड़ रु. कर दिया। परियोजना को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के माध्यम से संचालन के लिए तैयार स्थिति में उपस्कर आपूर्ति के आधार पर निष्पादित किया जाना था। संस्वीकृति के अनुसार च.प.मु. द्वारा को अग्रिम देने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के नियमों का अनुपालन अपेक्षित था जिसमें लंबित बकाया अग्रिम राशि पर प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत ब्याज वसूल करने की व्यवस्था थी।

22 नवम्बर 1996 को कार्यों के निष्पादन के लिये वि.मं. तथा रा.भ.नि.नि.लि. के बीच एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। च.प.मु. ने 31 मार्च 1997 को रा.भ.नि.नि.लि. को 3.54 करोड़ रु. का संग्रहण अग्रिम भुगतान किया। तथापि च.प.मु. ने अनुबन्ध में “संग्रहण अग्रिम” पर यह “ब्याज शर्त” शामिल नहीं की थी। अनुबन्ध में ब्याज शर्त के प्रावधान की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 86 लाख रु. की हानि हुई।

च.प.मु. ने जुलाई 2000 में बताया कि यद्यपि समस्त संग्रहण अग्रिम चालू बिलों के माध्यम से समायोजित किया जा चुका था, अनुबंध में उक्त धारा समाविष्ट करने में उनके विफल रहने के कारण ब्याज वसूल नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2000 में भेजा था, जिन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

9.4 कोरे पारपत्रों को तैयार करने में भारी छीजन

1997-99 के दौरान भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक ने कोरे पारपत्रों को तैयार करने में असामान्य रूप से 15.80 करोड़ रु. का भारी छीजन किया और भार जनता पर डाल दिया।

भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय (भा.प्र.मु.) ने 1997-99 के दौरान 63.90 लाख पारपत्र पुस्तिकाएं तैयार की। भा.प्र.मु. ने इन पारपत्रों में से 55.95 करोड़ रु. मूल्य के 45.86 लाख कोरे पारपत्र विदेश मंत्रालय को प्रेषित कर दिए, और 15.80 करोड़ रु. की लागत के शेष 18.04 लाख पारपत्रों को दोषपूर्ण घोषित कर दिया। छीजन की लागत अन्ततः जनता पर डाल दी गई। भा.प्र.मु. द्वारा तैयार किए गए दोषपूर्ण पारपत्रों की संख्या 28.23 प्रतिशत बनती थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 1999) मंत्रालय ने छीजन के मुख्य कारण (i) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मशीनों तथा जनशक्ति क्षमता का अधिक उपयोग (ii) रात की पालियों में परिचालन तथा (iii) अकुशल कारीगरों को इस काम पर लगाना, बताए हैं।

लगभग 30 से 35 लाख बढ़ी हुई पारपत्रों की मांग को पूरा करने के लिए, छीजन को कम करने तथा शारीरिक पद्धति को समाप्त करने के लिए भा.प्र.मु. ने अप्रैल 1999 में एक नई “स्वचालिक पारपत्र विनिर्माण प्रणाली (स्व.पा.वि.प्र.)” प्रतिस्थापित की। भा.प्र.मु. नासिक ने जनवरी 1990 में एक पूर्ण स्व.पा.वि.प्र. को प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा जून 1990 और पुनः सितम्बर 1993 में विश्व व्यापी निविदाएं आमन्त्रित की। इन निविदाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया क्योंकि ये विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः भा.प्र.मु. ने मई 1995 में हैदराबाद के माध्यम से पुनः निविदाएं आमन्त्रित की। दो फर्में सक्षम निविदाकार थीं। (i) मै. ऊनो शेकाकुशु लि. ने छीजन दर के 2 प्रतिशत पर 9.22 करोड़ रु. की दर उद्धृत की। तथा (ii) मै. कुलगर आटोमेशन ने छीजन दर के 0.8 प्रतिशत पर 8.39 करोड़ रु. की दर उद्धृत की। भा.प्र.मु. ने सितम्बर 1997 में मै. कुलगर आटोमेशन को आदेश दिया। आदेश के निबन्धन और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल था (i) जर्मनी में फैक्टरी में भा.प्र.मु. द्वारा आपूर्त कच्ची सामग्री का प्रयोग करके 20,000 पुस्तिकाओं पर मशीन का निरीक्षण किया जाएगा तथा (ii) समग्र छीजन प्रतिशतता 0.8 से अधिक नहीं होगी। छीजन प्रतिशतता सीमा से अधिक होने, या पारपत्र पुस्तिकाओं के विशिष्टियों के अनुसार न होने पर मशीन को अस्वीकृत किए जाने की सम्भावना थी। मशीन को भा.प्र.मु. में लाया गया तथा अप्रैल 1999 में प्रतिस्थापित की गई तथा उसके 20,000 पारपत्र पुस्तिकाओं के लिए परीक्षण किया गया और तब छीजन प्रतिशतता 5.10 निकली। फिर भी मशीन को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि जून 1999 से अप्रैल 2000 की अवधि के दौरान मशीन ने 12.42 और 6.68 के बीच 9.5 औसत छीजन प्रतिशतता की दर से 1.89 लाख पुस्तिकाएं प्रति मास की औसत से तैयार की। यह 30 से 35 लाख की मांग के प्रति 20.53 लाख पुस्तिकाएं प्रति वर्ष बनती हैं।

मन्त्रालय ने जुलाई 2000 में बताया कि लेखापरीक्षा ने समग्र छीजन को ध्यान में रखा है न कि प्रत्येक अवस्था में वास्तविक छीजन को। मन्त्रालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि तथ्य यह है कि समग्र छीजन विनिर्दिष्ट 0.8 प्रतिशत की तुलना में 9.5 तक अधिक रही। इसके अतिरिक्त स्व.पा.वि.प्र. को प्राप्त करने की प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब, उत्पादन में वृद्धि तथा छीजन में कमी से सम्बन्धित वांछित परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए।

आर्थिक मामलों का विभाग

9.5 पेंशन का अनियमित भुगतान

सार्वजनिक क्षेत्र बैंको द्वारा पेंशन भुगतान के नियमों और आदेशों की गलत प्रयुक्ति एवं व्याख्या के परिणामस्वरूप 27.65 लाख ₹ की पेंशन का अनियमित भुगतान हुआ ।

पेंशन भुगतान योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (सा.क्षे.बैं.) के माध्यम से जुलाई 1976 में केन्द्रीय सिविल पेंशन भोगियों के लिए प्रारंभ की गई तथा बाद में इसका विस्तार चरणबद्ध ढंग से रेलवे पेंशन भोगियों रक्षा पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पेंशन भोगियों के लिए किया गया ।

1996 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा 7.9 में उल्लेख किया गया था कि सा.क्षे.बैं. ने 401 मामलों में 27.61 लाख रु तथा 11.80 लाख रु की पेंशन का क्रमशः अधिक भुगतान और कम भुगतान किया । कार्यवाही टिप्पणी (का.टि.) में मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण सा.क्षे.बैं. द्वारा पेंशन के वितरण की विस्तृत जांच नहीं की जा सकी ।

पश्चिम बंगाल में सा.क्षे.बैं. की 69 पेंशन वितरक शाखाओं के जुलाई 1999 से मार्च 2000 तक के अभिलेखों की छानबीन से जनवरी 1986 से फरवरी 2000 के दौरान निम्नलिखित कारणों से 16.70 लाख रु के अधिक भुगतान का पता चला:

तालिका I

क्र.सं.	अधिक भुगतान के कारण	उन मामलों की संख्या जिनमें अधिक भुगतान किया गया	राशि (लाख रु में)
1.	ग्राह्य अवधि के बाद उच्चतर पर परिवार पेंशन का अपात्र सदस्यों को भुगतान	103	13.28
2.	वेतन आयोग नियमों का गलत प्रयोग	17	2.47
3.	अन्य कारण	7	0.95
	जोड़	127	16.70

आगे यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में जनवरी 1986 से फरवरी 2000 के बीच पेंशन वितरक सा.क्षे.बै. द्वारा पेंशन भोगियों को 10.95 लाख रु का कम भुगतान किया गया।

तालिका II

क्र.सं.	कम भुगतान के कारण	उन मामलों की संख्या जिनमें कम भुगतान किया गया	राशि (लाख रु में)
1.	वेतन आयोग नियमों के अनुसार पेंशन का गलत समेकन	42	2.14
2.	परिवार पेंशन का घटी दरों पर भुगतान	73	8.81
	जोड़	115	10.95

अतः पेंशन वितरक सा.क्षे.बै. द्वारा पेंशन भुगतान के नियमों व आदेशों का प्रयोग एवं व्याख्या करने में विफलता के साथ अपर्याप्त जांच के परिणामस्वरूप 27.65 लाख रु के पेंशन की अनियमितता पायी गई।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा था, उन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

9.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति के बारम्बार अनुदेशों/ सिफारिशों के बावजूद, मंत्रालय ने आठ लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/ शोधक कार्यवाही टिप्पणियां नहीं भेजी।

अक्टूबर 2000 तक भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया कार्यवाही टिप्पणियों के पुनरीक्षण से पता चला कि मंत्रालय मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल आठ पैराग्राफों के सम्बन्ध में कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिये हैं -

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष एवं संख्या	पैराग्राफ संख्या	विभाग	विषय
1995 की 1	8.8	राजस्व	प्रोटोटाइप पेट्रोल बोट के लिए खरीदे गये निष्क्रिय इंजन व्यर्थ
1995 की 1	8.9	राजस्व	असंचालनात्मक जलयान के कारण निष्फल व्यय
1996 की 1	7.7	राजस्व	किराये की कम वसूली के कारण हानि ।
1998 की 2	5.7	राजस्व	अर्थदण्डों की वसूली न होना ।
1999 की 2	5.4	राजस्व	स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का गलत भुगतान
2000 की 2	9.5	आर्थिक कार्य	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली ।
2000 की 2	9.6	राजस्व	रात्री ड्यूटी भत्ता का अधिक भुगतान
2000 की 2	9.7	राजस्व	लाइसेंस फीस की दरों के संशोधन करने में विफलता के कारण हानि ।

लेखापरीक्षा के मामले दिसम्बर 2000 में मंत्रालय को भेजा था, जिन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अध्याय- X : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

10.1 अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती न होना

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं नई दिल्ली द्वारा दोषपूर्ण अनुमान तथा वास्तविक मांग के बिना पदों की संस्वीकृति एवं अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के साथ मामला उठाने में निदेशक प्रयोगशाला की विफलता के परिणामस्वरूप 38.97 लाख रु का निष्फल व्यय हुआ ।

भारत सरकार ने बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चेन्नई की अनुसन्धान एवं विकास इकाई के लिए अक्टूबर 1986 में एक तकनीकी पर्यवेक्षक के पद तथा एक प्रयोगशाला सहायक के पद की संस्वीकृति प्रदान की । तकनीकी पर्यवेक्षक का पद 23 अक्टूबर 1987 से 4 नवम्बर 1996 तथा प्रयोगशाला सहायक का पद 3 नवम्बर 1988 से 26 अप्रैल 2000 तक परिचालित किया गया । तथापि, प्रयोगशाला में रखे गए अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि प्रयोगशाला में अनुसंधान एवं विकास इकाई की बिल्कुल स्थापना ही नहीं की गई थी । निदेशक ने भी जनवरी 1999 में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं नई दिल्ली को सूचित किया कि एक विनिर्माणी संस्थान जो विशेषकर जीवित अवयवों से संबंधित हो, के लिए निर्माण परिसर के भीतर अ.वि. इकाई रखना अनुचित होगा । फिर भी म.नि.स्वा.से. ने पदों को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । इस प्रकार इन दो पदों पर 7.97 लाख रु का व्यय निष्फल रहा ।

प्रयोगशाला निदेशक ने जुलाई 1998 में नौ पदों के सृजन का प्रस्ताव किया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है ताकि के.लो.नि.वि. से केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र का अनुसंधान कार्य लिया जा सके । प्रस्ताव, छनी हुई हवा की आपूर्ति तथा आर्द्रता नियंत्रण पर उचित दृष्टि रखने के उद्देश्य से, जो उत्पादन में हानि को कम करने में बहुत सहायक होगा, यूनिसेफ के विशेषज्ञ की राय पर आधारित था । मंत्रालय ने नौ पदों के सृजन की संस्वीकृति सितम्बर 1989 में प्रदान की । ये पद भरे गये तथा लगातार संचालित रहे जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

क्र. सं.	पद का नाम	संख्या	पद भरने की तिथि	तिथि जिस तक चालू रहा
1.	विद्युत एवं यान्त्रिक पर्यवेक्षक	1	25.02.1989	अब तक
2.	तकनीशियन	2	18.01.1992 तथा 12.02.1993	एक पद अब तक चालू । एक पद 08.03.1999 से रिक्त हो गया ।
3.	मैकेनिक	2	26.10.1989 तथा 15.11.1989	अब तक
4.	सहायक मैकेनिक	2	18.11.1989 तथा 15.11.1989	एक पद अब तक चालू है । एक पद 01.03.1999 से रिक्त हो गया ।
5.	खलासी (कार्यशाला)	2	20.11.1989 तथा 02.07.1990	अब तक

तथापि, केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र का अनुरक्षण कार्य अभी तक के.लो.नि.वि. द्वारा किया जाना जारी है । जबकि विद्युत एवं यान्त्रिक पर्यवेक्षक का उपयोग टीका उत्पादन कार्य में सीलबन्दी तथा हिम शुष्कन में किया गया था, शेष आठ पदधारियों के पदों को उसी प्रकार के अन्य पदों के कार्य में सहभागिता के लिए परिनियोजित किया गया था । इसके विपरीत मंत्रालय ने जुलाई 1998 में नौ में से सात को स्थाई पदों में बदल दिया ।

प्रयोगशाला निदेशक ने जनवरी 1999 में म.नि.स्वा.से. को सूचित किया कि केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र के अनुरक्षण के लिए सृजित सभी पद, विद्युत तथा अभियांत्रिक पर्यवेक्षक को छोड़ कर, अनावश्यक थे तथा सुझाव दिया कि उन्हें पुनः परिनियोजित किया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी बताया कि प्रयोगशाला के प्रशीतन अभियन्ता ने यह पुष्टि की थी कि के.लो.नि.वि. द्वारा वातानुकूलन संयंत्र का अनुरक्षण सन्तोषजनक था । अनावश्यक पदों को समाप्त करने अथवा पदधारी स्टाफ को पुनः परिनियोजित करने के लिए म.नि.स्वा.से. ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । सितम्बर 2000 तक इन पदों पर नियोजित कर्मचारियों के वेतन पर 31 लाख रु का निष्फल व्यय हुआ ।

इस प्रकार अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती न करने के कारण, वेतन पर 38.97 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को मई 2000 में भेजा था, फरवरी 2001 तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

10.2 प्रदूषण रोधी निर्दाहक सुविधा का अस्वीकरण

राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने अगस्त 1985 में अस्पताल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए प्रदूषण रोधी निर्दाहक की अधिप्राप्ति की योजना बनाई। मंत्रालय ने इसके अधिप्रापण के लिए रा.सं.रो.सं को जनवरी 1987 में 4.5 लाख रु. संस्वीकृत किये, परन्तु यह केवल मार्च 1996 में अधिप्राप्त किया जा सका और इसे अभी चालू किया जाना है।

राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (रा.सं.रो.सं.) संक्रामक रोगों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने तथा अनुसन्धान करवाने के अतिरिक्त रोगों के नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय अग्रगण्य केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

अपशिष्ट संक्रामक सामग्री के सुरक्षात्मक निपटान तथा पर्यावरण की क्षति को कम करने के उद्देश्य से निदेशक रा.सं.रो.सं. ने अगस्त 1985 में पुराने निर्दाहक के बदले में नया निर्दाहक लगाने का निर्णय लिया तथा 4.5 लाख रु. की लागत के एक प्रदूषण रोधी निर्दाहक की खरीद के लिए फरवरी 1986 में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (म.नि.स्वा.से.) को प्रस्ताव भेजा। मंत्रालय ने जनवरी 1987 में इसकी व्यय संस्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया। रा.सं.रो.सं. ने व्यय संस्वीकृति के 44 माह के पश्चात अक्टूबर 1990 में महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के माध्यम से थरमैक्स लि. को आपूर्ति आदेश भेजा। परन्तु जब सितम्बर 1991 में म.नि.आ.नि. ने मांगकर्ता की उपयुक्त मांग की सामान्य विशिष्टताओं के लिए पूछा तो रा.सं.रो.सं. इन्हें भेजने में विफल रहा जिसके कारण अन्ततः जून 1992 में आदेश रद्द हो गया।

विशिष्टताएं प्रस्तुत करने अथवा म.नि.आ.नि. को नई मांग भेजने की बजाए रा.सं.रो.सं. ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियन्ता (वि.) केन्द्रीय विद्युत मण्डल सं. IV के साथ मामला उठाया तथा अपनी विशिष्टताएं प्रस्तुत करते हुए प्रदूषण रोधी निर्दाहक के अधिप्रापण तथा इसकी स्थापना के लिए उससे दिसम्बर 1993 में अनुरोध किया। अधीक्षण अभियन्ता (वि.), दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल-IV, के.लो.नि.वि., ने दिसम्बर 1994 में निर्दाहक की लागत: 19.75 लाख रु विद्युत कार्य 1.30 लाख रु सिविल कार्य: 6.50 लाख रु. नींव तथा उपसाधनों की लागत 2.25 लाख रु तथा आकस्मिक एवं विभागीय प्रभार: 4.58 लाख रु. शामिल करके 34.38 लाख रु का प्रारम्भिक अनुमान भेजा। 34.38 लाख रु. की सम्पूर्ण राशि का कार्यकारी अभियन्ता, विद्युत मण्डल सं IV, के.लो.नि.वि., को मार्च 1995 में अग्रिम में भुगतान कर दिया

गया। इससे सम्बन्धित सिविल तथा विद्युत कार्यों सहित निर्दाहक की स्थापना तथा इसके चालू करने का कार्य जून 1995 के अन्त से पहले पूरा किया जाना था।

कार्यकारी अभियन्ता, विद्युत मण्डल IV, के.लो.नि.वि., ने मार्च 1996 में निर्दाहक खरीदा तथा रा.सं.रो.सं. के परिसर में रख दिया। निर्दाहक की प्राप्ति के पश्चात् म.नि.स्वा.से. के वरिष्ठ वास्तुकार ने अगस्त 1996 में इसकी स्थापना के लिए नए स्थल का प्रस्ताव किया जिसे रा.सं.रो.सं. द्वारा सितम्बर 1996 में स्वीकार कर लिया गया। भवन योजना अक्टूबर 1996 में निर्वाधन के लिए दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) को भेजी गई। चूंकि निर्दाहक की चिमनी 30 मीटर ऊंची थी इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महानिदेशक भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ भी मामला उठाया गया। विभिन्न विभागों/एजेन्सियों जैसे दि.न.नि., दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली नगर कला आयोग, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, दिल्ली भूमिगत रेल निगम आदि से अगस्त 1998 में ही निर्वाधन प्राप्त कर लिए गये थे। मई 2000 तक स्थापना के लिए सिविल तथा विद्युत कार्यों पर 14.63 लाख रू का व्यय किया गया परन्तु दिल्ली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन/निर्वाधन के अभाव में निर्दाहक को अभी तक चालू नहीं किया गया है।

इस प्रकार निदेशक रा.सं.रो.सं. की अनुप्रयुक्त योजना, जैसे स्थल को अंतिम रूप देने तथा इसकी स्थापना के लिए स्थल तैयार करने से पूर्व निर्दाहक की खरीद, के कारण उपकरण निष्क्रिय रहा। इसके अतिरिक्त रा.सं.रो.सं. ने प्रयोग/अनुसंधान में उपयोग की गई अपशिष्ट संक्रामक सामग्री/पशुओं के मृत शरीर दि.न.नि. के कूड़ेदानों में डालने जारी रखे, जिससे जनता को पर्यावरण को गम्भीर आशंका तथा गणनातीत स्वास्थ्य संकट का सामना करना पडा।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को अगस्त 1999 में सूचित किया, जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

10.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति के बारम्बार अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद मंत्रालय ने चार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां नहीं भेजी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया कार्यवाही टिप्पणियां (का.टि.) के पुनरीक्षण से निम्नलिखित का पता चला:

मंत्रालय मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल चार पैराग्राफों के सम्बन्ध में कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या तथा वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1998 की 2	7.2	समय समाप्त दवाइयों के कारण हानि
1999 की 2	6.4	31.75 लाख रू. की अवसूली
1999 की 2	6.5	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली
2000 की 2	11.2	समय समाप्त दवाइयों के सम्बन्ध में हानि

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2000 में भेजा था; जिन्होंने फरवरी 2001 में स्थिति की पुष्टि की है ।

अध्याय XI : गृह मंत्रालय

11.1 प्रशिक्षण युद्धसामग्री की अधिप्राप्ति: आपूर्ति की प्राप्ति के बिना भुगतान

केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर को सितम्बर 1993 में अग्रिम भुगतान किए जाने के बावजूद उसने सीमा सुरक्षा बल को 12.71 करोड़ रु. मूल्य की स्वचालित राइफलों की आपूर्ति नहीं की थी ।

व्यवस्थापन निदेशालय, महा निदेशालय, सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) ने, केन्द्रीय आयुध डिपो (के.आ.डि) जबलपुर से 12.71 करोड़ रु. की लागत की 8000 स्वचालित राइफलस (स्व.चा.रा.)की तथा 1.61 करोड़ रु. की लागत वाले अन्य हथियारों की खरीद हेतु 14.32 करोड़ रु. का व्यय करने की मई 1993 में संस्वीकृति जारी की ।

महा निदेशालय सी.सु.ब. ने मई 1993 में के.आ.डि. जबलपुर में, सी.सु.ब. को दिए गए हथियारों का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल भेजा । निरीक्षण दल ने सूचित किया कि दी गई स्व.चा.रा. में से 60 प्रतिशत राइफलें पुराने ब्रांड की थी तथा मरम्मत करने योग्य थी तथा इस प्रकार स्वीकार्य नहीं थी । निरीक्षण दल की सूचना के बावजूद संस्वीकृत राशि पूर्ण रूप से आहरित करके सितम्बर 1993 में के.आ.डि. जबलपुर को अग्रिम के रूप में दी गई थी । सी.सु.ब. ने स्व.चा.रा. तथा मैगज़ीनों को अलग रखते हुए 1.61 करोड़ रु. की लागत के अन्य हथियार संगृहीत किए तथा 12.71 करोड़ रु. की वापसी का दावा किया । जनवरी 1996 में गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय (र.मं.) ने पुरानी दरों के अग्रिम भुगतान के प्रति 8000 नई ब्रांड की स्व.चा.रा. की पुनः पेशकश की तथा सी.सु.ब. निदेशालय को, उनको प्रस्तावित किए हथियारों का निरीक्षण करने के लिए एक तकनीकी दल तैनात करने के लिए कहा । निरीक्षण हेतु तैनात तकनीकी दल ने पुनः पाया कि हथियार नवीनतम नहीं थे लेकिन उनका निर्माण 1977-79 में हुआ था तथा उन पर प्रमाण चिन्ह नहीं लगाए थे । तदनुसार सी.सु.ब. ने फरवरी 1996 में प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया तथा के.आ.डि. जबलपुर के पास सितम्बर 1993 से पड़े 12.71 करोड़ रु. राशि के शेष दावे की वापसी का आग्रह किया । क्योंकि के.आ.डि. से कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, महा निदेशालय सी.सु.ब. ने के.आ.डि. जबलपुर से स्व.चा.रा. के स्थान पर 12.71 करोड़ रु. की लागत के 7.62 एम.एम. बी.डी.आर./सी.टी.एन. गोला-बारूद की खरीद हेतु ग.मं. (व्यव-II) को नया प्रस्ताव दिसम्बर 1998 में भेजा क्योंकि सी.सु.ब. सैन्य दलों के प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित इस गोला-बारूद की भारी कमी का सामना कर रहा था । हथियारों तथा गोला-बारूदों की कमी के कारण सी.सु.ब. ने प्रचालनात्मक विवक्षा पर

एक विश्लेषण किया तथा प्रशिक्षण हेतु गोलाबारूद को 50 प्रतिशत तक घटा दिया। सी.सु.ब. ने न तो 12.71 करोड़ रु. की अग्रिम राशि के बराबर मूल्य की 7.62 एम.एम. बी.डी.आर./सी.टी.एन. गोला-बारूद की वैकल्पिक आपूर्ति प्राप्त की और न ही के.आ.डि. ने नवम्बर 2000 तक राशि वापिस की।

क्योंकि सी.सु.ब. के निरीक्षण दल ने मई 1993 में पहले ही सूचित किया था कि के.आ.डि. के पास उपलब्ध स्व.चा.रा. मरम्मत की हुई थीं, सितम्बर 1993 में 14.32 करोड़ रु. की समस्त राशि के लिए अग्रिम का आहरण तथा प्रेषण अविवेकी था।

मंत्रालय ने नवम्बर 2000 में अपने उत्तर में बताया कि सी.सु.ब. ने, सेना मुख्यालय द्वारा के.आ.डि. जबलपुर को उपलब्धता की सीमा तक नवीनतम हथियार आबंटित करने के अनुदेश जारी करने के बाद ही के.आ.डि. जबलपुर को 12.71 करोड़ रु. के अग्रिम भुगतान किए। मंत्रालय का उत्तर टाल-मटोल करने वाले विषय तक अविश्वसनीय है। यह कम करने के प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता है और न ही वह यह स्पष्ट करता है कि कैसे के.आ.डि. ने सुरक्षा के साथ मरम्मत की हुई तथा अचिन्हित हथियारों तथा गोला-बारूदों के लिए पेशकश की। विशेष रूप से पुराने, घटिया मरम्मत की हुई अचिन्हित हथियारों तथा गोला बारूदों का संचयन तथा निपटान की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल की आवश्यकता है।

11.2 कल्याण निधियों का दुर्निवेश

महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 1.62 करोड़ रु. की कल्याण निधियों का दुर्निवेश किया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.) कल्याण निधि नियम यह व्यवस्था करते हैं कि केवल ऐसी राशि जो चालू वर्ष के लिये आवश्यक हो, को भारतीय स्टेट बैंक के खाते में रखी जाय, को छोड़ कर शेष राशि सरकारी सार्वजनिक उपक्रम, डाक नकद प्रमाण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा स्टेट बैंक सावधि जमा में निवेश की जाये।

के.रि.पु.ब. ने मई 1997 तथा उसके बाद कल्याण निधियों को भारतीय सीमेंट निगम (भा.सी.नि.) में निवेश/पुर्निवेश करना आरम्भ किया। अन्तिम समय पर के.रि.पु.ब. ने 1.05 करोड़ रु. तक का पुर्निवेश तीन सावधि जमा प्राप्तियां (स.ज.प्रा.) में 9 जुलाई 1993, 27 जुलाई 1993 और 31 मई 1994 में तीन वर्ष के लिये किया। भा.सी.नि. की वित्तीय स्थिति 1993-94 के दौरान सुदृढ़ नहीं थी क्योंकि 1991-92 के अन्त तक हानि 178 करोड़ रु. तक संचित हो चुकी थी जो कि 1993-94 के अन्त तक 377 करोड़ रु. बन चुकी थी। यद्यपि इन (स.ज.प्रा.) की परिपक्वता की तिथियां क्रमशः 9 जुलाई 1996, 27 जुलाई 1996 तथा 31 मई 1997 को पूरी हो गई थी, अक्टूबर

2000 तक भा.सी.नि. 1.62 करोड़ रु. के परिपक्व मूल्य (मूलधन: 1.05 करोड़ रु., ब्याज, 56.82 लाख रु.) का भुगतान नहीं कर सका। .सी.नि. की रूग्णता तथा इसे 25 अप्रैल 1996, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (औ.वि.प्रा.बो) के पास विचारार्थ भेजने की दृष्टि से निकट भविष्य में जमा की गई राशि की वसूली सन्देहास्पद है।

निधियों की प्राप्तियों को भा.सी.नि. के साथ निवेश का महानिदेशक के.रि.पु.ब.का निर्णय समय पूर्व उन्मोचन/वर्तमान संचित जमा राशियों के लिए समिति की सिफारिशों पर आधारित था जिसमें वित्तीय सलाहकार प्रवहणी के रूप में शामिल था। किसी भी समय समिति ने जिसमें वित्तीय सलाहकार शामिल था भा.सी.नि. की स्थिति पर विचार नहीं किया जो कि निवेश निर्णय के लिए एक पूर्व शर्त है। अतः त्रुटिपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप कल्याण निधियों की भारी राशि की वसूली की क्षीण सम्भावना के साथ 6 वर्ष से अधिक तक बंचित रही है। मामले की जाँच पड़ताल की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने नवम्बर 2000 में तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया कि उन्होंने सभी ईकाइयों को इनमें निधियों को निवेश करने से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) की वित्तीय स्थिति को आंकने के निदेश दे दिये हैं तथा उद्योग मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर भा.सी.नि. से अवरूद्ध निधियों को जारी करने की एक विशेष मामले के तौर पर, व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

11.3 अदेय वित्तीय लाभ तथा असम राइफल के लिए घटिया कपड़े की स्वीकृति

अनुमोदित नमूने से विषम कपड़े की स्वीकृति के कारण आपूर्तिकर्ता को 50.55 लाख रु का वित्तीय लाभ हुआ।

गृह मंत्रालय (अधिप्रापण खण्ड) (गृ.मं.अ.ख.) तथा महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के माध्यम से असम राइफल को कपड़े की अधिप्राप्ति की प्रथा के अनुसरण में महानिदेशक असम राइफल्स (म.नि.अ.रा.) शिलांग ने आई एस 1771989 (किस्म सं. 3) के अनुसार 71 से मी चौड़े असमान बनावट (सामान्य खाकी आधार पर छपे वैट) के 5,47,704 मीटर कपड़े के लिए गृ.मं अ ख को मांग पत्र भेजा (जनवरी 1997)। विशिष्टताओं के अनुसार अधिकांश आपूर्ति की तुलना करने के लिए, ठेकेदार को भारी आपूर्ति आरम्भ करने से पूर्व (नि.मु.आ.) से पूरी तरह जाँच करवा कर 3 अग्रिम नमूने (1.5 मीटर) भेजने थे जिनमें से एक नमूना मांगकर्ता द्वारा अनुमोदित करके नि गु आ को दूसरा परेषिती को वापस किया जाना था तथा तीसरा मांग कर्ता द्वारा अपने पास रखा जाना था। गृ म अ ख ने 49 रु प्रति मीटर की दर पर उपयुक्त विशिष्टता के आसपास बनावट के 1,08,6000 मीटर कपड़े की कमान अधिकारी, 3 अनुरक्षण वर्ग,

असम राइफल को आपूर्ति करने के लिए कलकत्ता आधारित एक फर्म को आदेश दिये (अगस्त 1997)।

म.नि.अ.रा. के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई-अगस्त 1999) से पता चला कि अग्रिम नमूनों के तीन सैट जो फर्म द्वारा नि गु आ के माध्यम से आपूर्त किये गये थे (सितम्बर 1997) म नि अ रा द्वारा अनुमोदित किये गये थे (सितम्बर 1997) तथा नि गु आ तथा परेषिती प्रत्येक को एक एक भेजा गया था। फर्म ने 50.55 लाख रू की दो किश्तों (नवम्बर 1997 25.83 लाख रू तथा फरवरी 1998 24.72 लाख रू) के अग्रिम भुगतान (95 प्रतिशत)के प्रति 1,08,600 मीटर कपडा दो परेषणों (नवम्बर 1997 55,500 मीटर तथा फरवरी 1998: 53,100 मीटर) में आपूर्त किया। असम राइफल (अ रा) के बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण (नवम्बर 1997: 55,500 मीटर, फरवरी 1998 53,100 मीटर) के पश्चात दोनों परेषण इस आधार पर निरस्त कर दिये गये थे कि भारी आपूर्ति अग्रिम नमूनों से मेल नहीं खाती थी क्योंकि कपडा पृष्ठभाग में स्पष्ट छपाई के साथ अपरिष्कृत तथा झीना था। कपडे के पहले परेषण की असम राइफल के बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए गए निरसन को नि गु आ के प्रतिनिधि द्वारा भी परिपुष्ट किया गया जब जनवरी 1998 में जिसमें यह प्रतिनिधि एवं फर्म तथा म नि अ रा के प्रतिनिधि शामिल थे, निरस्त कपडे का पुन निरीक्षण किया गया। अनुमोदित विनिर्देशन के अनुरूप उन परेषणों को बदलने हेतु सूचित करने पर (दिसम्बर 1997 तथा फरवरी 1998) फर्म ने कहा (फरवरी 1998) कि खाकी कपडे का कोई वाणिज्यिक बाजार नहीं था, निरसन करने का अर्थ उनकी सम्पूर्ण वित्तीय हानि होगी। फर्म ने गृ म अ ख को यह सुझाव दिया (फरवरी 1998) कि या तो स्वीकार न की जाने वाली मात्रा, जिसे कि वे अपनी लागत पर विनिर्देशन के अनुसार स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ बदलने पर सहमत थे, निरस्त कर दें अथवा आपूर्त मात्रा जो कि संक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कम मूल्य पर निर्धारित तथा अनुशंसित की जाय, स्वीकार कर लें।

कपडे के निरसन के अनुसरण में नि गु आ तथा गृ म अ ख के कहने पर अप्रैल 1999 में सौदे में शामिल पक्षों अर्थात् म नि अ रा, गृ म अ ख तथा नि गु आ के बीच संयुक्त बैठक हुई। नि गु आ ने यह सफाई दी कि जांच किये गए भारी आपूर्त नमूने (इसके बाद सन्दर्भ नमूने माने गए) नियंत्रित विनिर्देशनों के अनुरूप थे, जबकि गृ म अ ख ने कहा कि निरसन कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संविदा के अनुसार सारी सन्दर्भ नमूने से जांच की जानी थी

असम राइफल का निदेशालय सदा निरसन के पक्ष में रहा। यहां तक कि निदेशालय ने जनवरी 1999 में यह तर्क देते हुये कि यदि कपडे के परेषण की भारी आपूर्ति स्वीकार की गई तो कपडे की किस्म में भिन्नता के कारण असम राइफल की वर्दी में विशेष त्रुटि

आ जाएगी। जो कि गृ म अ ख द्वारा बताई गई कानूनी अडचनों के बारे में म नि अ रा ने दावा किया (जनवरी 1998) कि संविदा की आपूर्ति प्रति में सन्दर्भ नमूने के साथ जांच की धारा जोड़ना आपूर्ति कर्ता की सहायता का अनुबोध था क्योंकि ऐसी धारा मांगकर्ता की प्रति में नहीं थी। परन्तु आयोजित बैठक में, म नि अ रा, मि गु आ का अनुसरण करते हुये सन्दर्भ नमूने के प्रति निरस्त परेषण के संयुक्त निरीक्षण के निर्णय पर सहमत होते हुये अपने पिछले निश्चय से हट गया। तदनुसार, म नि अ रा, नि गु आ तथा फर्म के प्रतिनिधियों के समूह द्वारा निरस्त कपडे का पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया (मई 1999) तथा सन्दर्भ नमूने के प्रति जांच के पश्चात 1,06,159 मीटर कपडा (2441 मीटर कपडा निरस्त किया) स्वीकार किया गया।

यद्यपि बैठक में कपडे के लम्बी अवधि के भण्डारण पर चिन्ता व्यक्त की गई थी, क्योंकि असमान कपडे की ताकपट्टी पर रखने की अवधि छः माह ही थी, बल की वर्दी के रूप में कपडे के उपयोग तथा वर्दी के टिकाउपन के बारे में लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं थी। परन्तु वास्तविकता यह है कि म नि अ रा का लचीली मान्यता के कारण कपडे को उसकी ताकपट्टी पर रखने की अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वीकार करना पडा और वह भी संविदात्मक प्रावधान के विपरीत कि आपूर्त कपडा अग्रिम नमूने के प्रति स्वीकार किया जाना था जो कि यह सन्देह व्यक्त करता है कि बलों की वर्दी की किस्म को प्रभावित करने वाला घटिया कपडा आपूर्तिकर्ता को वित्तीय हानि से बचाने के लिए स्वीकार किया गया था तथा इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को 50.55 लाख रु का वित्तीय लाभ पहुंचाया गया था।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को नवम्बर 1999 तथा जुलाई एवं सितम्बर 2000 में सूचित किया फरवरी 2001 तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया ।

11.4 जुराबों के अधिप्रापण पर परिहार्य व्यय

महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से दर संविदा के बजाए जुराबों के स्थानीय अधिप्रापण के कारण 15.36 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

महानिदेशक असम राइफल्स (म.नि.अ.रा.) ने दोहरे पंजे एड़ी, की लचीली नायलोन जुराबों के 0.91 लाख जोड़ों (अप्रैल 1997 में 0.72 लाख तथा मार्च 1998 में 0.19 लाख) की आपूर्ति के लिए दो अवसरों (अप्रैल-मई 1997 तथा मार्च 1998) पर निविदायें आमंत्रित की। प्रत्युत्तर में उसे 14 तथा 13 निविदाये प्राप्त हुई जिनमें से क्रमशः नई दिल्ली आधारित फर्म राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा.ल.उ.नि.लि.) तथा गुवाहटी आधारित फर्म की पहले अवसर की 14 रु. प्रति जोड़ी तथा दूसरे अवसर की 14.70 रु. प्रति जोड़ी दरें सबसे कम थी। परन्तु म.नि.अ.रा. ने प्रत्येक अवसर पर न्यूनतम दरों के स्वीकार न करने के कोई कारण अभिलिखित किये बिना शिलांग आधारित स्थानीय फर्म

द्वारा 27.76 रु. तथा 26.31 रु. की 9वीं न्यूनतम उद्दृत दर को स्वीकार किया। फर्म ने क्रमशः अगस्त 1997 से अक्टूबर 1997 तथा सितम्बर 1998 से मार्च 1999 के दौरान क्रमशः 0.72 लाख तथा 0.47 लाख जोड़ी जुराबों की आपूर्ति की जिसके लिए म.नि.अ.रा. ने नवम्बर 1997 तथा अगस्त 1999 के बीच क्रमशः 32.48 लाख रु. (0.72 लाख जोड़ों के लिए 20 लाख रु. तथा 0.47 लाख जोड़ों के लिए 12.48 लाख रु.) का भुगतान किया। इस प्रकार उच्च दरों पर स्थानीय खरीद का सहारा लेकर म.नि.अ.रा. ने 15.36 लाख रु.* का अतिरिक्त व्यय किया।

म.नि.अ.रा. ने फरवरी 2000 में बताया कि (क) गृह मंत्रालय, अधिप्रापण खण्ड (गृ.म.अ.खं.) भण्डारो से आपूर्ति न होने तथा (ख) न्यूनतम निविदादाता अर्थात् रा.ल.उ.नि.लि. द्वारा प्रस्तुत किये गए नमूनों की घटिया किस्म के कारण उच्च दरों पर स्थानीय खरीद की आवश्यकता हुई। न्यूनतम निविदा को स्वीकार न करने के कारणों को अभिलिखित न करने की कमी को म.नि.अ.रा. ने स्वीकार किया म.नि.अ.रा. के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है कि रा.ल.उ.नि.लि. ने म.नि.अ.रा. द्वारा दिसम्बर 1996 में एक लाख जोड़ों जुराबों के लिए मांग के आधार पर, गृ.म.अ.खं. के आदेशों पर महानिदेशक आपूर्ति निपटान (म.नि.आ.नि.) के 10.99 रु. प्रति जोड़े की दर संविदा पर म.नि.अ.रा. को वांछित विशिष्टता के 0.47 लाख जोड़ों की आपूर्ति की थी। उत्तर मौन है कि म.नि.अ.रा. ने उच्च दरों पर स्थानीय खरीद करने की बजाए गृ.मं.अ.ख. के साथ अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरी मांग की गई मात्रा का मामला क्यों नहीं उठाया।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को नवम्बर 1999 जुलाई तथा सितम्बर 2000 में भेजा फरवरी 2001 तक उन्होंने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। अक्टूबर 2000 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

11.5 चौकसी उपस्कर के अधिप्रापण का दुरुपयोग

मंत्रालय का अधिप्रापण खण्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा वांछित सामरिक महत्व के चौकसी उपस्कर के संचालन में विफल रहा। सुरक्षा उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव के अतिरिक्त, विफल हुए सौदे के परिणामस्वरूप विरुद्ध भुगतान पर 11 लाख रु. के अधिक के ब्याज की हानि हुई।

गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने जून 1995 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (रा.सु.गा.) के लिए ताप प्रतिबिम्बीय चौकसी उपस्कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की। रा.सु.गा. द्वारा

* $27.76\text{रु.} - 14.00\text{रु.} = 13.76\text{रु.} \times 0.72 \text{ लाख जोड़े} = 9,90720\text{रु.}$
 $26.31 - 14.70\text{रु.} = 11.61\text{रु.} \times 0.47 \text{ लाख जोड़े} = 5,45,670 \text{ रु.}$
 15,36,390रु.

अगस्त 1995 में गृह मंत्रालय-अधिप्रापण खण्ड (गृ.मं.-अ.ख.) को मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। गृ.मं.-अधि.खण्ड ने नवम्बर 1996 में एक फ्रांसीसी फर्म मै. मौ.एस.एफ. ऑप्ट्रोनिक्, जिसके स्थानीय अभिकर्ता दिल्ली फार्मिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. थे, की निविदा 38.33 लाख रु. (एफ.आर.एफ. 581140 के बराबर) में स्वीकार कर ली। भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी मुद्रा प्रभाग, नई दिल्ली के साख पत्र खोलने से 6 माह के भीतर उपस्कर की आपूर्ति करना अपेक्षित था जो रा.सु.गा. ने दिसम्बर 1996 में किया। तथापि रा.सु.गा. ने दिसम्बर 1997 में 6 माह देर से उपस्कर प्राप्त किया तथा बैंक ने आपूर्तिकर्ता फर्म को जनवरी 1998 में 38.33 लाख रु. का भुगतान किया। निर्धारित गुणवत्ता के अभाव में फरवरी 1998 में रा.सु.गा. ने उपस्कर को लेना अस्वीकार कर दिया तथा मई 1998 में पुनर्निर्यात हेतु स्थानीय अभिकर्ता को लौटा दिया। आपूर्तिकर्ता ने पुनः उपस्कर फरवरी 1999 में विदेशी फर्म के प्रतिनिधि तथा उनके स्थानीय अभिकर्ता की उपस्थिति में लौटाया। जांच से पता चला कि उपस्कर का प्रदर्शन अपेक्षित मानक के अनुसार नहीं था तथा तकनीकी बोली में प्रस्तुत किए गए स्तर से भिन्न था।

रा.सु.गा. ने लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाए जाने के बाद ही जून 1999 में गृ.मं. को आपूर्तिकर्ता को ब्याज सहित राशि लौटाने के निदेश देने हेतु लिखा। केवल जून 2000 में रा.सु.गा. को वर्तमान विनिमय दर यूरो 88594.22 (एफ.आर.एफ. 581140) के बराबर 37.75 लाख रु. का प्रत्यर्पण प्राप्त हुआ। अनुबंध में ब्याज वसूली का कोई प्रावधान नहीं था, यहां तक कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन में विलम्ब के लिए भी कोई दण्ड व्यवस्था नहीं थी। अनुबंध की दुर्बलता ने सुरक्षा कार्यों, जिनके लिए प्रारंभ में रा.सु.गा. ने उपस्कर की मांग प्रस्तुत की थी, पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अतिरिक्त रा.सु.गा. को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित जनवरी 1998 से जून 2000 की अवधि के लिए 11.12 लाख रु. के ब्याज से वंचित रखा।

रा.सु.गा. ने तथ्य जनवरी 2000 में स्वीकार किए तथा बताया कि आपूर्तिकर्ता तथा भारतीय अभिकर्ता के अपराधिक दायित्व की जांच होनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा को अपेक्षित चौकसी उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण रा.सु.गा. के सुरक्षा उपायों पर पड़े प्रभाव के विषय में रा.सु.गा. द्वारा किया गया कोई आन्तरिक मूल्यांकन नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने मामला सितम्बर 2000 में मंत्रालय को सूचित किया। जिसने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

11.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति के बारम्बार अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद, मंत्रालय ने तीन लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां नहीं भेजी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों पर बकाया कार्यवाही टिप्पणी (का.टि.) की पुनरीक्षण से यह पता चला कि मंत्रालय ने मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तथा तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल तीन पैराग्राफों के संबंध में का.टि. प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिनके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष तथा संख्या	पैराग्राफ संख्या	कार्यात्मक/मंत्रालय/विभाग	विषय
1997 की सं. 3	1	गृह मंत्रालय	जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण
1999 की सं. 2	1810*	शहरी मामले एवं रोजगार	ब्याज का अतिरिक्त भुगतान
2000 की सं. 2	12.2*	गृह मं.	विद्युत भारतोल की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ निवेश

* संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है जिनके लिए कार्यवाही टिप्पणी गृह मंत्रालय के अलावा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जानी होती है लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है, इसलिए का.टि. के प्रस्तुतिकरण की प्रगति भी इस मंत्रालय द्वारा परीक्षा की जानी होती है।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2001 में भेजा गया था जिसने 17.1.2001 को 'जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण' तथा 'विद्युत भारतोल की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ निवेश' से संबंधित स्थिति की अभिपुष्टि की तथा बताया कि 'ब्याज के अतिरिक्त भुगतान' पर ड्राफ्ट का.टि. 13.दिसम्बर 2000 को भेज दी गई है जबकि जनवरी 2001 तक ऐसी कोई ड्राफ्ट का.टि. प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय XII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

12.1 निष्फल व्यय

दूरदर्शन द्वारा फर्म को मार्च 1995 में 90 प्रतिशत के रूप में 3.07 करोड़ रु. का भुगतान किये जाने के बावजूद, दूरदर्शन द्वारा 5 चैनल विडियो सादृश्य प्रणाली अप्रैल 2000 में उन्नत की गई, यद्यपि यह फर्म द्वारा जून 1995 तक की जानी थी, प्रणाली उन्नत करने में विफलता के लिए परिसमापन क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड 16.52 लाख रु. परिकलित किया गया था।

मुख्य अभियन्ता (अ.एवं वि.), आ.वा. तथा दू.द. द्वारा प्रायोगिक आधार पर आरम्भ करने के लिए 5 चैनल विडियो सादृश्य प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना तथा उसे प्रारंभ करने के लिए महानिदेशक दूरदर्शन ने जनवरी 1995 में मै. गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंडोदरा को 3.30 करोड़ रु. की लागत पर आदेश दिया। लागत में मुख्य केन्द्र तथा 5 केन्द्रों पर स्थापना कार्य तथा चालू करने का कार्य शामिल था। इसमें 5 अभियन्ताओं को भारत में 10 दिन तक तथा दो अभियन्ताओं को आने जाने तथा ठहरने के प्रभारों सहित सी.एल.आई., सेन जोश (यू.एस.ए.) में 10 दिन के प्रशिक्षण की लागत भी शामिल थी। यद्यपि विदेश में प्रशिक्षण पूरा हो गया था, भारत में प्रशिक्षण दूरदर्शन (दू.द.के.) में दस दिनों के बजाए 8 तथा 9 अप्रैल 2000 को केवल दो दिन के लिये दिया गया था। चलचित्र विशेषज्ञ वर्ग-I उपकरण की आपूर्ति की अंतिम तिथि 15 जनवरी 1995 थी तथा इसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के छः माह के भीतर उन्नत किया जाना था। बिना उन्नत की गई प्रणाली, च.चि.वि.व-II विसंकेतक, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मानकीकृत है, की वर्तमान पीढी में साथ सुसंगत नहीं होगी। जून 1995 के पश्चात् परिसमापन क्षतिपूर्ति धारा लागू थी। दू.दू. ने च.चि.वि.व. के लिए उपकरण मार्च 1995 में प्राप्त किया। इसके प्रति मु.अ. (उ.क्षे.) ने अप्रैल 1995 में 90 प्रतिशत के रूप में 3.07 करोड़ रु. की राशि का भुगतान कर दिया तथा 32.63 लाख रु. की शेष राशि को उचन्त खाते में रख दिया।

विभाग ने जुलाई 2000 में बताया कि प्रणाली अप्रैल 2000 में उन्नत की गई थी तथा इसे विभिन्न स्थानों की बजाए एक स्थान पर स्थापित किया जाना था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रणाली, विडियो सम्पीडन तकनीकों का उपयोग करते हुये एकल उपग्रह प्रेषानुकर के माध्यम से बहुविध दू.द. कार्यक्रम के प्रसारण पर प्रयोग के लिए खरीदी गई थी। उन्होंने दिसम्बर 2000 में आगे बताया कि प्रणाली 9 अप्रैल 2000 को चालू की गई

थी तथा दू.द.के. में सन्तोजनक रूप से कार्य कर रही थी। तथापि 5 वर्षों का विलम्ब इस तथ्य के कारण था कि प्रणाली के आपूर्तिकर्ता मै. जी.सी.ई.एल. यू.एस.ए. में विनिर्माता से वांछित उन्नत प्रणाली प्राप्त नहीं कर सके ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेशों के अनुसार प्रणाली मुख्य केन्द्र तथा पांच अन्य केन्द्रों पर स्थापित तथा चालू की जानी थी। यह विभाग के उत्तर से और स्पष्ट होता है कि पांच विसंकेतक एक मुख्य केन्द्र के साथ पांच अलग-अलग केन्द्रों पर स्थापित किये जाने थे क्योंकि प्रणाली का उद्देश्य एकल प्रेषानुकर के माध्यम से बहुविध दू.द. मार्ग अर्थात् पांच मार्गों का संकेत प्रसारित करना था। परन्तु इसे केवल दू.द.के. में स्थापित करना यह दर्शाता है कि दू.द. इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं कर रहा था जिसके लिये यह खरीदा गया, क्योंकि दू.द.के. प्रसारण केन्द्र नहीं है ।

आगे यह भी देखा जा सकता है कि प्रणाली को दू.द. की अनुसंधान एवं विकास शाखा द्वारा उन्नत किया गया था, क्योंकि फर्म ने इसे पांच वर्ष के पश्चात् भी नहीं किया था। इसने पांच अभियन्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं करवाई जिसकी उन्नत प्रणाली पर व्यवस्था की जानी थी। दू.द. के. द्वारा इसको उन्नत करने के दौरान केवल दो दिनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि फर्म, प्रणाली उन्नत करने में विफल रही परिसमापन क्षतिपूर्ति की धारा आकर्षित होती थी तथा मंगाए गए उपकरण की कुल लागत का 5 प्रतिशत के रूप में 16.52 लाख रु. का अर्थदण्ड उगाही योग्य था। इसके अतिरिक्त वसूली हेतु मौद्रिक शर्तों के अनुसार उन्नत तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित संविदात्मक उल्लंघन के मूल्यांकन की आवश्यकता है। विभाग ने अप्रैल 2001 में पुष्टि की कि शेष 10 प्रतिशत भुगतान फर्म को जारी नहीं किया गया, बल्कि दू.द.के. दण्डनीय प्रावधानों को लागू करने की विफलता के संदर्भ में यह संदेहपूर्ण है कि क्या वसूली हो सकती है ।

दू.द. द्वारा उल्लेख किये बिना प्रणाली को उन्नत करने के संदर्भ में यह पाया गया था कि उन्नत करने के बावजूद उन्नत प्रणाली के लाभ अभी तक वर्तमान पीढ़ी विसंकेतक के स्तर तक अनुपलब्ध हैं ।

लेखापरीक्षा ने मामला अक्टूबर 2000 में मंत्रालय को सूचित किया, उन्होंने फरवरी तक कोई उत्तर नहीं दिया ।

12.2 विज्ञापन प्रभारों की वसूली न होना

आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों की ढिलाई के कारण विज्ञापन एजेन्सियों से 1.07 करोड़ रु. के प्रभारों की वसूली न होना ।

आकाशवाणी, वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के केन्द्र-निदेशकों ने विज्ञापनों के प्रसारण के लिए विज्ञापन एजेन्सियों के साथ एक करार किया । समझौते में एजेन्सियों से यह अपेक्षा की गई थी कि अधिकृत एजेंसी के मामले में आकाशवाणी को प्रसारण तिथि के महीने के प्रथम दिन से 45 दिन के अन्दर प्रति मास विज्ञापन प्रभार का भुगतान करेंगी । अनाधिकृत एजेन्सियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे बिल प्राप्त होने पर और किसी भी अवस्था में प्रसारण आरम्भ नियत होने से पहले 15 दिनों के भीतर भुगतान करेंगी । करार में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति ब्याज की वसूली की और एक वर्ष में तीन अवसरों से अधिक पर नियत तिथि पर प्रभार का भुगतान न करने या प्रसारण के महीने के अगले महीने की पहली तिथि से 45 दिनों के अन्दर भुगतान न करने पर एजेन्सी के प्रत्यायन की अपने आप की रद्द होने की व्यवस्था थी ।

नीचे लिखे ब्यौरों के अनुसार कानपुर, चैन्नई और कोलकाता के आकाशवाणी केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जांच करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि एजेन्सियों के पास शास्ति ब्याज के रूप में 40.51 लाख रु. सम्मिलित करते हुए विज्ञापन प्रभार के 1.07 करोड़ रु. इकट्ठा हो गए थे:

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	अवधि	विज्ञापन प्रभार का बकाया (लाख रु. में)	शास्ति ब्याज (लाख रु. में)	शुल्क का भुगतान करने में चूक करने वाली विज्ञापन एजेन्सियों की संख्या
1.	कानपुर	जुलाई 1991 मार्च 2000	16.85	4.19	35
2.	चैन्नई	1985-2000	43.22	33.11	33
3.	कोलकाता	1986-2000	6.03	3.21	12

चूक करने वाली मुख्य विज्ञापन एजेन्सियां हैं-आकाशवाणी केन्द्र कानपुर की आई कमर्शियल, मुम्बई (2.35 लाख रु.), एच.टी.ए. मुम्बई (4.38 लाख रु.), ईन्टर पब्लिकेशन प्राईवेट लि. मुम्बई (2.08 लाख रु.), चैन्नई की राचै कम्प्यूनिकेशन्स (11.14 लाख रु.) श्री एडवर्टाइजिंग (8.19 लाख रु.), श्री राघवेन्द्र एडवर्टाइजिंग (16.56 लाख रु.), कोलकाता की एच.टी.ए. (2.66 लाख रु.) और मैडीसन (1.28 लाख रु.)।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के 1996 और 1999 की पूर्व प्रतिवेदन संख्या 2 में भी आकाशवाणी केन्द्रों की विज्ञापन एजेन्सियों से प्रभार की वसूली न होने का उल्लेख है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद आकाशवाणी केन्द्रों पर शुल्क का सतत संचयन समुचित नियंत्रण में ढिलाई को दर्शाता है। केन्द्र निदेशकों द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने और बकाया राशि के भारी संचयन को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला मंत्रालय को अक्टूबर, अप्रैल और सितम्बर 2000 में भेजा गया था जिसने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

12.3 घोर उपेक्षा के कारण हानि

बहुमूल्य रिकार्डिंग उपस्कर को प्रेषित करने में घोर प्रशासनिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप हानि एवं विमान पर माल लादने वालों से 24.90 लाख रु. मूल्य की गैर-वसूली।

मुख्य अभियन्ता (मु.अं.), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन ने अधीक्षक अभियन्ता, (अ.अ.) दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू को 24.90 लाख रु. के दो सोनी बीटाकॉम एस.पी. रिकार्डस भारतीय विमान सेवा के माध्यम से अगस्त, 1996 में प्रेषित किए और परेषण की लागत केवल 50,000/-रु. ही दर्शायी गई। उसने मार्गस्त जोखिम को पूरा करने के लिए परेषण का बीमा नहीं करवाया था।

जब माल परेषिती तक नहीं पहुंचा, मु.अ. (उ.अं.), के भारतीय विमान सेवा में खोये हुए माल को ढूँढने के प्रयास विफल रहे, तो उसने 18 अक्टूबर 1996 को पालम हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी। उसने भारतीय विमान सेवा में, खोये हुए उपस्कर का 24.90 लाख रु. का दावा प्रस्तुत किया। भारतीय विमान सेवा ने केवल 50,000/-रु. तक की देयता को स्वीकृत किया जो परेषण-पत्र में उपस्कर की लागत बतायी गई थी और जिसका माल भाड़ा प्रभार उद्ग्रहण के साथ पत्र-व्यवहार किया गया।

मुख्य अभियन्ता (उ.अं.) ने उस राशि की वापसी का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह भारतीय विमान सेवा से खोये हुए परेषण का दावा पूरा मूल्य का ही लेगा।

मुख्य अभियन्ता (उ.अं.) के कार्यालय अभिलेखों से पता चलता है कि खलासी बहुमूल्य परेषण को बुक करने के लिए भारतीय विमान सेवा में ले गया था। उसने 'देय' बीजक के अर्न्तगत मालभाड़ा इसलिए किया क्योंकि उसके पास उस समय पूरा मालभाड़ा देने के लिए नगद राशि नहीं थी और परेषण को जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने के कारण उसी दिन बुक करवाना था। यद्यपि, स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में उसे कोई विशेष

अनुदेश नहीं दिए गए थे । महानिदेशक,(म.नि.) दूरदर्शन (सितम्बर 1997) ने मु.अ. (उ.मं.) के खोये हुए उपस्कर को बट्टे खाते में डालने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उपेक्षा के उत्तरदायित्व निर्धारित करने को कहा । मु.अ. (उ.अं.) ने अब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं (जनवरी, 2001), यह आश्चर्यजनक है कि यह मामला उत्तरदायित्व निर्धारित करने जैसा संवेदनशील मामला अब तक अनिर्णीत रहा ।

लेखापरीक्षा ने यह मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में प्रस्तुत किया, जिसने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया ।

अध्याय XIII : भूतल परिवहन मंत्रालय

13.1 अग्राह्य ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का भुगतान

मंत्रालय ने भारतीय नौपरिवहन निगम को विभेदक आर्थिक सहायता के प्रति 6.18 करोड़ रु. का अग्राह्य भुगतान किया।

भूतल परिवहन मंत्रालय (भू.प.मं.) ने सितम्बर 1993 में, सार्वजनिक क्षेत्र पोत कारखानों के पुनरुद्धार हेतु आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डलीय समिति (आं.मा.मं.स.) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित आर्थिक सहायता योजनाएं आरंभ की। यदि सार्वजनिक क्षेत्र पोत कारखानों को मांगें भेजी गईं तो इनमें से एक योजना नौपरिवहन कम्पनियों को ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान करने की थी। इस योजना में, पोत की लागत के 80 प्रतिशत की सीमा तक 9 प्रतिशत की रियायती दर पर कर्ज देने की परिकल्पना की गई थी। योजना का संचालन भू.प.मं. द्वारा किया जाना था तथा निधियां पोत कारखानों के माध्यम से दी जानी थी। यह योजना 7 सितम्बर 1995 तक वैध थी।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (हि.शि.लि.), विशाखापत्तनम् ने 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर एक जलयान (हल सं. 1135) के निर्माण हेतु एक निजी क्षेत्र की कम्पनी मै. मिडइस्ट इंडिया लि. (मि.इ.लि.), मुम्बई के साथ मई 1994 में एक अनुबंध किया। मै. मि.इ.लि. ने दिसम्बर 1994 तथा अप्रैल 1995 के बीच पहले तथा दूसरे चरण के भुगतानों के प्रति 13.85 करोड़ रु. राशि का दो किश्तों का भुगतान किया। हि.शि.लि. द्वारा किए गए अनुबंध की प्रभावी तिथि पर एक दोषपूर्ण प्रावधान ने मि.इ.लि. को, दूसरे चरण का भुगतान करने के बाद देय राशि का भुगतान करने में चूक करके उनके संविदात्मक दायित्वों को, इस तर्क पर कि वे जलयान के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थानों से वित्त की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं थे, नकारने की अनुमति दी।

मंत्रालय, भी अनुबंध में इस त्रुटि का, या तो हि.शि.लि. द्वारा मंत्रालय को अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराते समय या उसका हि.शि.लि. को समय-समय पर विभिन्न मामलों पर परामर्श देते समय, ध्यान रखने में विफल रहा। उसने ऐसी कोई प्रणाली भी तैयार नहीं की जिससे यह सुनिश्चित किया जाता कि उसके द्वारा तैयार किए गए आदर्श अनुबंध का पोत कारखानों द्वारा दृढ़ता से पालन किया जा रहा था। शर्त में इन कमियों के परिणामस्वरूप हि.शि.लि. द्वारा मि.इ.लि. को 13.85 करोड़ रु. की राशि वापस करनी पड़ी।

मंत्रालय ने अगस्त 2000 में बताया कि अनुबंध की प्रभावी तिथि के पहलू पर विचार करने वाली शर्त को आदर्श अनुबंध के अनुसरण में मि.इं.लि. के अनुबंध में समाविष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि स्वामी सदैव यह आग्रह करते हैं कि उनके द्वारा जलयान के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था करने के बाद ही अनुबंध प्रभावी होना चाहिए। मंत्रालय ने यह और बताया कि पोत निर्माण क्रियाकलापों में मन्दी तथा कुछ देशों द्वारा मूल्य में कमी को ध्यान में रखते हुए, जिनके कारण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र पोत कारखाने विश्व बाजार में प्रायः अप्रतियोगी हो गए थे, हि.शि.लि. तथा मि.इं.लि. के बीच किए गए आदर्श पोत निर्माण अनुबंध के प्रावधानों को किंचित रूप से समायोजित किया गया। ये तर्क युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि मंत्रालय ने सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के पोत कारखानों के हित सुरक्षित रखने के लिए आदर्श अनुबंध तैयार किए थे।

तत्पश्चात मै.हि.शि.लि. ने, जुलाई 1997 में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 22.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संविदा मूल्य में कुछ परिवर्तनों सहित ऊपर बताए गए पोत के नये क्रेता भारतीय नौपरिवहन निगम लिमि. (भा.नौ.नि.) के साथ अक्टूबर 1997 में अनुबंध किया। मंत्रालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सितम्बर 1993 में आरंभ की गई ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया, यद्यपि योजना केवल 7 सितम्बर 1995 तक ही वैध थी। मंत्रालय ने, योजना से ऐसे विचलन के लिए आ.भा.के.स. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।

इस प्रकार, सितम्बर 1995 में योजना की अवधि समाप्त होने के बाद अक्टूबर 1997 में मै.हि.शि.लि. को भेजी गई मांग पर भा.नौ.नि. को ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का लाभ पहुंचाने में मंत्रालय की कार्यवाही के कारण भा.नौ.नि. को अनुचित लाभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप भा.नौ.नि. को, मंत्रालय द्वारा मार्च 2000 तक प्रदत्त ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता की राशि के प्रति 6.18 करोड़ रु. का अदेय लाभ भी हुआ था।

मंत्रालय का यह तर्क, कि दिसम्बर 1997 में भा.नौ.नि. के साथ समाप्त हुआ अनुबंध ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता योजना, जिसकी वैधता सितम्बर 1995 में समाप्त हो चुकी थी, का लाभ प्रदान करने के लिए एक नया अनुबंध नहीं था, युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि स्वामित्व तथा जलयान के मूल्य में भी परिवर्तन हुआ था तथा इस प्रकार यह एक नया अनुबंध था।

13.2 राजस्व की परिहार्य हानि

सभी स्तरों पर मार्गकर संग्रहण हेतु उचित व्यवस्था करने के परिहार्य प्रशासनिक विलम्ब के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग विशाखापत्तनम को 4.49 करोड़ रु. से अधिक का संभावित राजस्व छोड़ना पड़ा था ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 27 अगस्त 1997 को अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग तथा स्थायी पुल के उपयोग हेतु शुल्क - सार्वजनिक निधिबद्ध परियोजना) नियमावली, 1997 के अनुसार अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग के उपयोग हेतु सभी यांत्रिक वाहनों पर विभागीय रूप से या निजी ठेकेदारों के माध्यम से निरन्तर शुल्क उद्ग्रहण तथा संग्रहण करना अपेक्षित है ।

तदनुसार, मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग (मु.अ.रा.रा.) आन्ध्र प्रदेश ने विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम के बीच रा.रा. 5 के एक प्रभाग, जिसको क्षमतावान बनाने तथा उन्नयन का कार्य जुलाई 1997 में पूरा किया गया था, पर मार्गकर की नीलामी तथा संग्रहण करने के लिए 4 सितम्बर 1997 को भूतल परिवहन मंत्रालय (भू.प.मं.) की अनुमति प्राप्त की, भू.प.मं. ने तीन महीने के बाद 30 दिसम्बर 1997 को अनुमति प्रदान की । मु.अ. ने 1998-99 के मार्गकर संग्रहण हेतु अधिकारों की नीलामी के लिए एक महीने से अधिक समय के पश्चात् 7 फरवरी 1998 को अधिसूचना जारी की । कार्यकारी अभियन्ता (का.अ.) रा.रा. प्रभाग, विशाखापत्तनम ने 19 मार्च 1998 को नीलामी की जिसे अप्रैल 1998 में निरस्त करना पड़ा क्योंकि उच्चतम बोलीदाता तथा अगले दोनों उच्चतम बोलीदाताओं ने अपेक्षित बयाना राशि जमा नहीं की । का.अ. ने 30 मई 1998 को नई नीलामी की तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई 1998 को बोली की पुष्टि करने के बाद 21 जुलाई 1998 से 7.62 करोड़ रु. प्रतिवर्ष पर उच्चतम बोलीदाता को मार्गकरों का संग्रहण कार्य सौंप दिया । इस प्रकार उस सड़क पर जिसमें प्रतिदिन 2 लाख रु. से अधिक मार्गकर उत्पन्न करने की समर्थता थी, सुसंगत नियमों के लागू होने के पश्चात् मुख्यतः मार्ग कर संग्रहण के अनुबंध को आरंभ करने तथा अंतिम रूप दिए जाने में विभिन्न स्तरों पर हुए परिहार्य प्रशासनिक विलम्बों के कारण 215 दिनों (नीलामी प्रक्रिया में व्यतीत किए गए 113 दिनों को छोड़ कर) का संग्रहण छोड़ा गया था । इसके अतिरिक्त, मु.अ. ने राजस्व की हानि को रोकने के लिए विभागीय संग्रहण के किसी अन्य विकल्प पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जबकि बोली तथा अनुबंध को अंतिम रूप देने का मामला विचार हेतु प्रतीक्षित था । मु.अ., रा.रा., आ.प्र., का.अ., रा.रा. प्रभाग, विशाखापत्तनम तथा भू.प.मं. द्वारा मार्गकर संग्रहण हेतु व्यवस्था करने में परिहार्य प्रशासनिक विलम्ब के परिणामस्वरूप 4.49 करोड़ रु. के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

तथ्यों को स्वीकार करते समय भू.प.मं. ने सितम्बर 2000 में बताया कि यह राज्य सरकार का काम था कि वह मार्गकर संग्रहण हेतु अस्थायी रूप से (विभागीय) व्यवस्था तो करती। उसने आगे बताया कि नीलामी करने में किसी प्रकार के विलम्ब की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में मार्गकर संग्रहण के मामलों में पहले से कार्यवाही करने तथा विभागीय संग्रहण हेतु तत्काल व्यवस्था करने के लिए सभी संबंधितों को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

13.3 निविदा की स्वीकृति में विलम्ब के कारण अतिरिक्त लागत

मुख्य अभियन्ता, सर्वोच्च अभियन्ता तथा मध्य प्रदेश सरकार के आगरा मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिग्री नाला पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण में उसकी वैधता अवधि के भीतर निविदा को अन्तिम रूप देने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 44.38 लाख रु की अतिरिक्त लागत आई।

अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) राष्ट्रीय राजमार्ग उप-मंडल, ग्वालियर ने मार्च 1997 में आगरा मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर डिग्री नाला पर उच्च स्तरीय सेतु (177/2 कि मी) के निर्माण कार्य के लिये मद दर निविदायें आमंत्रित की, निविदाएं 26 अप्रैल 1997 को खोली गईं। अधीक्षक अभियन्ता, लो.नि.वि., ग्वालियर ने मै. चम्बल डैवलपर्स ग्वालियर के निम्नतम प्रस्ताव (2.62 करोड रु), जो कि 23 अगस्त 1997 तक वैध था, की सिफारिश की (14 मई 1997)। मुख्य अभियन्ता, लो. नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग, भोपाल ने उसे 7 जुलाई 1997 को सर्वोच्च अभियन्ता को भेजा जिसने इसे 12 अगस्त 1997 को मध्य प्रदेश सरकार को भेजा। मध्य प्रदेश सरकार ने निविदा 27 अगस्त 1997 को स्वीकार की। उस समय तक प्रस्ताव की वैधता समाप्त हो चुकी थी। ठेकेदार वैधता अवधि को बढ़ाने के विभाग के अनुरोध से सहमत नहीं हुआ तथा उसने बयाने की वापसी के लिये कहा। अधीक्षक अभियन्ता लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग उप-मंडल ने अक्टूबर 1997 में पुनः कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 1998 को स्वीकार किया गया मै. रवि कन्सट्रक्शन कं. का निम्नतम प्रस्ताव (3.06 करोड रु) पूर्व प्रस्ताव से 44.38 लाख रु. अधिक था। निर्माण कार्य अक्टूबर 2000 तक प्रगति पर था। इस प्रकार मुख्य अभियन्ता, सर्वोच्च अभियन्ता तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुज्ञेय 120 दिनों के प्रति 124 दिनों तक निविदा प्रकिया में विलम्ब होने से प्रस्ताव की वैधता-अवधि समाप्त होने के कारण ठेकेदार द्वारा निविदागत दरों पर कार्य निष्पादन करने के लिये मना किया गया। इसके परिणामस्वरूप 44.38 लाख रु. की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को मई 2000 में भेजा; जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

13.4 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

अप्रयुक्त विशिष्टताओं के आधार पर तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुमानों के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा गलत अनुमोदन के परिणामस्वरूप डामर का अधिक उपयोग हुआ और परिणामतः 29.55 लाख रु का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

भूतल परिवहन मंत्रालय (भू.प.मं.) ने नवम्बर 1994 में तीसरी बार सड़कों तथा पुलों के लिए विशिष्टताएं संशोधित की तथा सभी राज्य सरकारों के राष्ट्रीय राजमार्ग विभागों को सलाह दी कि भविष्य में सभी परियोजनाएं तथा अनुमान तदनुसार तैयार किये जाएं। भू.प.मं. ने विशिष्टताओं को उपकरण आधारित निर्माण तकनीकों तथा नवीनतम निर्माण पद्धति के संगत बनाने हेतु संशोधन किये थे ।

फिर भी भू.प.मं. ने अप्रयुक्त दूसरे संशोधन के आधार पर, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, धर्मपुरी के बंगलौर-सेलम-मंदुराई भाग के कि.मी.94/0 से 130/0 तक के दो पथ की कमजोर पटरी के सुदृढीकरण के कार्य को 8.23 करोड़ रु. पर करने के लिए तमिलनाडु राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के मुख्य अभियन्ता के जुलाई 1995 के प्रस्ताव को अक्टूबर 1995 में अनुमोदित किया ।

राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जनवरी 1996 तथा जून 1996 में दो बार निविदाएं आमंत्रित की । कार्य 26 नवम्बर 1997 को आरम्भ हुआ तथा 7.55 करोड़ रु. की कुल लागत पर 10 जुलाई 1999 को पूरा हुआ । अप्रयुक्त विशिष्टताओं के आधार पर अनुमानों के भू.प.मं. द्वारा गलत अनुमोदन किये जाने के कारण डामर का अधिक उपयोग तथा 29.55 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ ।

राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग ने पुरानी विशिष्टताओं के आधार पर निर्माण आरम्भ करने का इस आधार पर समर्थन किया कि तीसरे संशोधन के आधार पर अनुमानों के संशोधन में बहुत समय लगेगा तथा उससे लागत में भारी वृद्धि होगी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तीसरे संशोधन को अपनाने के लिए पर्याप्त समय था जिसमें निविदा आमंत्रित करने तथा कार्य वास्तव में आरम्भ करने से पूर्व केवल डामर की मात्रा में परिवर्तन करना शामिल था ।

लेखा परीक्षा ने जून 1999 में मामला मंत्रालय को भेजा; जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है ।

13.5 अधिक व्यय तथा परिहार्य अतिरिक्त लागत

कार्यकारी अभियंता ने मात्राओं में विभिन्नताओं के लिए ठेके में निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए उच्च दरों का भुगतान प्राधिकृत किया जिससे 2 कि.मी. दूर की उधार न ली गई मिट्टी पर 16.93 लाख रु. की अतिरिक्त लागत के अलावा 8.36 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

जुलाई 1997 में 1.15 करोड़ रु. के आ.मु. मार्ग (रा.रा.- 3) के कि.मी. 174/ 8 से 177/ 8 में डिग्री नाला पुल तक गमन मार्ग के निर्माण कार्य में कार्यमद की स्वीकार्य मात्राओं के 30 प्रतिशत से अधिक कार्य होने पर अतिरिक्त मात्राओं के लिए मूल्यों के संशोधन का प्रावधान था।

अनुबंध के साथ संलग्न मदों की अनुसूची में ठेकेदार द्वारा उद्धृत मिट्टी के कार्य की निम्नलिखित दरों का प्रावधान था:-

मद सं.	मात्रा (क्यू.मी. में)	दर (प्रति क्यू.मी. रु.)	राशि रूप्यों में (निविदा के लिए विचारित)	
4	मिट्टी का कार्य	91,701.12	29	26,59,332
5	लीड (दूरी तक)			
(i)	1. कि.मी.	1,507.00	50	75,350
(ii)	2 कि.मी.	65,750.00	7	4,60,250
(iii)	0.5 कि.मी.	2,191.00	40	87,640
(iv)	300 मी.	3,614.00	30	1,08,420
(v)	250 मी.	717.60	25	17,940
(vi)	200 मी.	18,923.00	10	1,89,230

मद-4 तटबंध का निर्माण (ख) कठोर मिट्टी के लिए वास्तव में निष्पादित की गई मात्रा 79880.84 क्यू. मी. थी। तथापि मंडलीय अधिकारी ने मद सं.4 से कार्य वापस लेकर मद सं.5 अर्थात् “मिट्टी कार्य के लिए लीड” में जोड़ दिया तथा मिट्टी कार्य की 67975.66 क्यू. मी. मात्रा के लिए नई दर (एस.ओ.आर. घटा समग्र निविदा प्रतिशतता) पर भुगतान किया, यद्यपि निष्पादित मात्रा अर्थात् 79880.84 क्यू.मी. निविदागत मात्रा के भीतर थी। इसके परिणामस्वरूप 8.36 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

आगे यह देखा गया कि कार्य का निष्पादन करते समय मिट्टी को उधार क्षेत्र से, जिसकी ठेकेदार ने उच्च दर उद्धृत की थी, लाया गया दर्शाया गया था। यह देखा गया कि एक क्यूबिक मीटर मिट्टी की मात्रा भी 2 कि.मी. की दूरी से नहीं ली गई थी तथा मिट्टी की समस्त मात्रा कम दूरी युक्त लीड से तथा उच्च दरों पर ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप 16.93 लाख रु. की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर कार्यकारी अभियंता ने बताया कि मामला निर्णय हेतु निविदा संस्वीकृति दाता प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने मामला अप्रैल 2000 में मंत्रालय को भेजा; जिसने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्याय XIV : शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय

14.1 कार्य पूरा करने में विलम्ब

कार्य पूरा करने में असाधारण विलम्ब तथा ठेकेदार के जोखिम एवं लागत की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 78.35 लाख रू. की हानि हुई ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के निर्माण सर्वेक्षक ने पूर्व-क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (पू.क्षे.वि.बो.) के लिए 66 कर्मचारी आवासों, जिनका निर्माण कार्य अक्टूबर 1986 तक पूरा किया जाना था, के निर्माण के लिए 1.74 करोड़ रू. का अनुमान तैयार किया । वह कार्य आरम्भ नहीं कर सका क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों से फरवरी 1987 में ही निर्बाधन प्राप्त हुआ था। के.लो.नि.वि. ने 66 आवासों के निर्माण के लिए अप्रैल 1987 में 2.42 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान तैयार किये । तथापि के.लो.नि.वि. ने 58 आवासों के भूस्तम्भ आधार का निर्माण कार्य जैसा कि कोलकाता नगर निगम द्वारा अनुमोदित किया गया था, मार्च 1988 में दिया ।

अधिशाली अभियन्ता ने मिट्टी जांच रिपोर्ट की अनदेखी की, जिसने आधार के लिए अन्तर्नोद तथा बेधक भूस्तम्भों के संयोजन की अनुशंसा की थी तथा अन्तर्नोद भू-स्तम्भों का चयन किया था । भूस्तम्भ अन्तर्नोद द्वारा कम्पन तथा ध्वनि के कारण स्थानीय निवासियों ने जुलाई 1988 में के.लो.नि.वि. के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया । उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए के.लो.नि.वि. ने निर्माण कार्य निरस्त कर दिया तथा अक्टूबर 1989 में 19.24 लाख रू. की लागत पर बेधक भूस्तम्भ आधार का निर्माण कार्य उसी ठेकेदार को दिया गया । तथापि ठेकेदार अन्तर्नोद भूस्तम्भ-आधार निर्माण कार्य के पिछले अनुबन्ध के निरसन के विरुद्ध पंचाट में चला गया ।

विवाचक ने सितम्बर 1993 में ठेकेदार के पक्ष में 4.07 लाख रू. का अधिनिर्णय किया क्योंकि अधिशाली अभियन्ता, कोलकाता केन्द्रीय मण्डल-II, के.लो.नि.वि. निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व मिट्टी जांच रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर अपनाए जाने वाले आधार की प्रकृति के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लेने में विफल रहा था तथा निविदा दस्तावेज के साथ मिट्टी जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं की थी । के.लो.नि.वि. ने ठेकेदार को अप्रैल 1996 में 4.07 लाख रू. का भुगतान कर दिया ।

अधिकांश अभियन्ता, कोलकाता केन्द्रीय मण्डल-II ने 58 आवासों का अधिरचनात्मक कार्य दूसरे ठेकेदार को 1.25 करोड़ रु. की निविदागत लागत पर दिसम्बर 1991 तक पूरा करने की अनुसूचित तिथि के साथ मार्च 1990 में सौंपा। कार्य की धीमी प्रगति के कारण उसने चूककर्ता ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर जुलाई 1991 में ठेका निरस्त कर दिया। तथापि नवम्बर 2000 तक 36.83 लाख रु. की जोखिम एवं लागत राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी। वसूली की बहुत कम आशा है क्योंकि ठेकेदार द्वारा किये गए निर्माण कार्य का मूल्य 12.39 लाख रु. था जिसमें से के.लो.नि.वि. ने उसे 7.04 लाख रु. का भुगतान पहले ही कर दिया था।

के.लो.नि.वि. ने जनवरी 1992 में लागत अनुमान को 3.42 करोड़ रु. तक पुनः संशोधित कर दिया। अगस्त 1993 में पूरा होना नियत हुआ भवन का निर्माण कार्य फरवरी 1996 में पूरा हुआ था। दिसम्बर 1994 तक पूरा होना नियत हुआ विद्युत कार्य तथा उत्थापन कार्य वास्तव में मई 1999 में पूरा हुआ। के.लो.नि.वि. ने निर्माण कार्य पर 4.30 करोड़ रु. का व्यय किया। पू.क्षे.वि.बो. ने अप्रैल 2000 में बताया कि यद्यपि के.लो.नि.वि. ने मई 1999 में आवास सौंप दिये थे, कुछ महत्वपूर्ण सहायक सेवार्थें अधूरी रह गई थी। तथापि अक्टूबर 2000 तक पू.क्षे.वि.बो. के अधिकारियों ने आवास की कमी के कारण 36 कर्मचारी गृहों पर अधिकार कर लिया था।

इस प्रकार परियोजना के निष्पादन के विभिन्न चरणों में तकनीकी तथा प्रशासनिक नियंत्रण में के.लो.नि.वि. की विफलता तथा अप्रभावी समन्वयन के कारण कार्य पूरा होने में असाधारण विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना लागत में 1.69 करोड़ रु. से 4.30 करोड़ रु. की वृद्धि के अतिरिक्त विवाचक अधिनिर्णय पर 4.07 लाख रु. के परिहार्य व्यय, 36.83 लाख रु. के जोखिम एवं लागत की अवसूली तथा जनवरी 1994 से अक्टूबर 2000 तक पू.क्षे.वि.बो. के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भुगतान तथा 37.45 लाख रु. के लाइसेन्स शुल्क की अप्राप्ति के कारण 78.35 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को जून 1999 में भेजा; जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

14.2 राजस्व की हानि

भारत सरकार मुद्रणालय, प्रकाशन इकाई तथा टेम्पल स्ट्रीट इकाई के प्रबन्धकों की व्यर्थ कागज की बिक्री करने में उचित कार्यवाही करने में विफलता के कारण 31.90 लाख रु. की हानि हुई।

भारत सरकार मुद्रणालय (भा.स.मु.), टेम्पल स्ट्रीट, फार्म इकाई तथा प्रकाशन इकाई ने 1997 तथा 2000 के बीच 32.17 लाख रु. के मूल्य का 2451.30 क्विंटल व्यर्थ कागज एकत्र किया परन्तु 0.27 लाख रु. मूल्य का केवल 21.70 क्विंटल ही बेचा।

खराब होने तथा अनुवर्ती मूल्य हास से बचने के लिए तीन इकाइयों में एकत्रित व्यर्थ कागज के शीघ्र निपटान के लिए 1998-99 तक प्रबन्धक, प्रकाशन इकाई उत्तरदायी था। व्यर्थ कागज को नियमित रूप से उठाये जाने तथा उसके एकत्रण से बचने के लिए प्रत्येक वर्ष के आरम्भ होने के पूर्व मुद्रण निदेशालय (मु.नि.) के पूर्व अनुमोदन से व्यर्थ कागज की बिक्री के लिए वार्षिक अनुबन्ध को अंतिम रूप देना था। मु.नि. द्वारा अप्रैल 1997 में जारी आदेशों के अनुसार 1998-99 के लिए व्यर्थ कागज की बिक्री का अनुमोदन प्राप्त करने वाले प्रस्ताव मुद्रणालयों के प्रबन्धकों द्वारा 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाने चाहिए, ऐसा न होने पर इसे गम्भीरता से लिया जाएगा तथा खराबी के कारण किसी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

फिर भी, मुद्रणालय प्रबन्धकों ने मु.नि. को प्रस्ताव भेजने में असाधारण विलम्ब किया तथा परवर्ती द्वारा अनुमोदन करने में इसके अतिरिक्त निम्नानुसार और विलम्ब था:-

वर्ष	मुद्रणालय का नाम	मु.नि. को भेजे गए प्रस्ताव	को अनुमोदित किये गए	अनुबन्ध का विवरण
1997-98	प्रकाशन इकाई	फरवरी 1997	जून 1997	कोई अनुबन्ध नहीं किया गया
1998-99	प्रकाशन इकाई	जनवरी 1998	फरवरी 1998	मई 1998 में अनुबन्ध किया गया
1999-2000	1. प्रकाशन इकाई	मार्च 1999	मई 1999	कोई अनुबन्ध नहीं किया गया
	2. टेम्पल स्ट्रीट इकाई	जून 1999	नवम्बर 1999	-वही-

1997-98 के लिए निविदा औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में प्रत्येक स्तर पर विलम्ब था। निविदा इसके खोले जाने से 150 दिनों तक वैध थी। यह मु.नि. को 49

दिनों के पश्चात् भेजी गई थी तथा 116 दिनों अर्थात् निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् अनुमोदित की गई थी। परिणामतः ठेकेदार ने अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया।

1998-99 में उस वर्ष के व्यर्थ कागज को उठाने के लिए फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया। 21.70 क्विंटल व्यर्थ कागज उठाने के पश्चात् फर्म ने इस आधार पर काम बन्द कर दिया कि अनुबन्ध केवल 1998-99 के व्यर्थ कागज उठाने के लिए था तथा पिछले वर्ष के खराब कागज को अलग किया जाना चाहिए। क्योंकि यह प्रबन्धक, प्रकाशन इकाई द्वारा नहीं किया गया, फर्म के निष्पादन न करने के लिए समझौते के अनुसार परिसमापन क्षतियां नहीं लगाई जा सकी।

1999-2000 में प्रबन्धक, टेम्पल स्ट्रीट इकाई ने मु.नि. को प्रस्ताव छः माह के विलम्ब के बाद जून 1999 में भेजा तथा सशर्त अनुमोदन नवम्बर 1999 में प्राप्त हुआ। व्यर्थ कागज के बाजार भाव में कमी के कारण ठेकेदार ने अनुबन्ध का निष्पादन करने से इन्कार कर दिया। इसी प्रकार प्रकाशन इकाई में भी मु.नि. से मई 1999 में अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ठेकेदार ने अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं किये।

इस प्रकार भा.स. मुद्रणालय के प्रबन्धक 1997 तथा 2000 के बीच व्यर्थ कागज की बिक्री के लिए अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में विफल रहे।

व्यर्थ कागज की बिक्री के लिए प्रबन्धकों तथा मु.नि. की निस्तेज कार्यवाही के परिणामस्वरूप 2429.60 क्विंटल व्यर्थ कागज का निपटान न होने से 31.90 लाख रु. की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, इतनी लम्बी अवधि के लिए कागज के एकत्रण से तीनों मुद्रणालयों में गुणवत्ता में ह्रास तथा स्वास्थ्य एवं आग का संकट उत्पन्न हुआ। यह अनुशंसा की जाती है कि मु.नि. के अनुदेशों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को जून 2000 में सूचित किया; जिन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

14.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति के बारम्बार अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद मन्त्रालय ने चार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की।

अक्टूबर 2000 तक भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर बकाया कार्यवाही टिप्पणी (का.टि.) के पुनरीक्षण से निम्नलिखित पता चला:

(क) मन्त्रालय, मार्च 1998 को समाप्त हुये वर्ष के लिए तथा तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल एक पैराग्राफ के सम्बन्ध में का.टि. प्रस्तुत करने में विफल रहा ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या तथा वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1999 की 2	18.10	ब्याज का अतिरिक्त भुगतान

(ख) यद्यपि 31 मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर 17 मई 2000 को प्रस्तुत किया गया था तथा का.टि. प्रस्तुत करने के लिए चार माह की समय सीमा सितम्बर 2000 में समाप्त हो गई, मन्त्रालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों पर का.टि. प्रस्तुत नहीं की:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या तथा वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
2000 की 2	5.1	भूमि एवं विकास कार्यालय की कार्य प्रणाली
2000 की 2	19.1	जनपथ भवन के लाइसेंस धारियों से 4.05 करोड़ रु. का बकाया लाइसेंस शुल्क
2000 की 2	19.2	किराये के परिसर का आवश्यकता से अधिक अवधारण

लेखापरीक्षा ने मामला मन्त्रालय को नवम्बर 2000 में सूचित किया, जिसने फरवरी 2001 तक इसका उत्तर नहीं दिया ।

अध्याय XV : संघ राज्य क्षेत्र

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

15.1 आवश्यकता से अधिक भण्डार उपाजित करना

अंडमान लोक निर्माण विभाग के भण्डार मंडल (केन्द्रीय) ने उपभोक्ता इकाईयों की उपभोज्य आवश्यकता के आंकलन हेतु कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए। लेखापरीक्षा को मार्च 2000 तक 2.23 करोड़ रु. से कुछ कम लागत के डामर और बुलडोजर के अतिरिक्त पुर्जों का बहुत बड़ा अप्रयोज्य भण्डार मिला।

अंडमान लोक निर्माण विभाग (अं.लो.नि.वि.) का भण्डार मंडल प्रति वर्ष उपभोक्ता इकाईयों की सूचीगत आवश्यकताओं के अनुसार उपभोज्य भण्डार प्राप्त करता है। मंडल, लेखा परीक्षा को वार्षिक मांग की मूल्यांकन विधि दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं दिखा सका। लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच के दौरान मार्च 2000 तक डामर और बुलडोजर के अतिरिक्त पुर्जों का बहुत बड़ा अप्रयोज्य भण्डार पाया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. डामर	क्रय			शेष भण्डार		उपयोग की प्रतिशतता
	अवधि	मात्रा (मी.ट.)	मूल्य (लाख रु)	मात्रा (मी.ट.)	मूल्य (लाख रु)	
	1994-97	618.08	53.15	240.37	20.67	61
2. बुलडोजर के अतिरिक्त पुर्जें	अवधि	मात्रा (संख्या)	मूल्य (लाख रु)	मात्रा (संख्या)	मूल्य (लाख रु)	उपयोग की प्रतिशतता
	1995-2000	154	205	154	202	1.5

* यह आंकड़े केवल यह बताते हैं कि भण्डार मंडल द्वारा उपभोक्ता इकाईयों को क्या जारी किया गया, मंडल के पास डामर के वास्तविक उपयोग का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

भारतीय मानक विशिष्टता के अनुसार डामर का आत्मजीवन केवल एक वर्ष है। अतः डामर का सारा अप्रयोज्य भण्डार व्यर्थ हो चुका है। उनके बहुत ही कम उपयोग को देखते हुए बुलडोजर के भारी मात्रा में अप्रयोज्य अतिरिक्त पुर्जों के विषय में मंडल द्वारा दी गई द्वीप समूह की सुदूरता की दलील उनके बहुत कम प्रयोग की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है।

लेखापरीक्षा ने मामला मंत्रालय को जून 2000 में भेजा; उन्होंने फरवरी 2001 तक उत्तर नहीं दिया है।

15.2 कार्यसाधक पूंजीगत कर्जों का अविवेकपूर्ण भुगतान

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने पोत परिवहन मण्डल की स्थापना के लिए आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु एक संघ राज्य क्षेत्र उपक्रम को अप्राधिकृत रूप से कार्यसाधक पूंजीगत कर्जा संस्वीकृत किया जिसका बाद में योजना आयोग तथा भूतल परिवहन मंत्रालय ने निराकरण कर दिया। परिणामतः उपक्रम के पास 6 करोड़ रु. से अधिक के वित्तीय संसाधन अवरूद्ध रह गये।

भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय (भू.प.मं.) ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (अं.नि.द्वी.ए.वि.नि.) में पोत परिवहन मण्डल की स्थापना के लिए अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (अं.नि.प्र.) के प्रस्ताव को मार्च 1994 में सहमति प्रदान की। सहमति में यह अनुबंधित था कि अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. की तकनीकी क्षमता के लिए अं.नि.प्र. स्वयं को सन्तुष्ट करेगा तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

अं.नि.प्र. ने अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. की तकनीकी क्षमता की जांच नहीं की तथा स्पष्ट रूप से बजट प्रावधानों के व्यपगत होने से बचने के लिए योजना आयोग के अनुमोदन के बिना अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. को मार्च 1995 में तीन करोड़ रु. का कार्यसाधक पूंजीगत कर्जा संस्वीकृत कर दिया।

योजना आयोग अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. को फरवरी 1996 में कार्यसाधक पूंजीगत कर्जों के लिए सहमत नहीं हुआ। भू.प.मं. ने भी पोत परिवहन मण्डल की स्थापना के प्रस्ताव को अप्रैल 1999 में अस्वीकार कर दिया क्योंकि, अं.नि.प्र. के प्रस्ताव को इसके द्वारा दी गई पूर्व सहमति के विपरीत सहायता के प्रचलित स्तर पर पोतपरिवहन गतिविधियों का निगमीकरण सम्भव नहीं था।

अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. से ब्याज सहित कार्यसाधक पूंजीगत ऋण वापस लेने के सुझाव पर अं.नि.प्र. ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि इसने अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. को निधियों का उपयोग अन्तर्द्वितीय वायु सेवा के लिए दो वायुयानों की अधिप्राप्ति करने के लिए योजना आयोग से अक्टूबर 1999 में अनुरोध किया। नवम्बर 2000 तक यह अनुरोध योजना आयोग के पास लम्बित था। इस दौरान अं.नि.द्वी.ए.वि.नि. के पास 3.06 करोड़ रु. के

ब्याज सहित 6.06 करोड़ रु. के वित्तीय संसाधन पांच वर्षों से अधिक तक अप्राधिकृत रूप से पड़े रहे ।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय को जून 2000 को मामला सूचित किया जिन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है ।

15.3 अस्वीकार्य भुगतान

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करने में असफलता के कारण 6 वर्ष से अधिक तक अयोग्य अधिकारियों को 31.31 लाख रु. का गलत भुगतान ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 सितम्बर 1994 के निर्णय के परिपेक्ष में, वित्त मंत्रालय ने जनवरी 1996 में, 20 सितम्बर 1994 के बाद दिये गये द्वीप विशेष भत्ता (द्वी.वि.भ.) की राशि की सभी अयोग्य अधिकारियों से वसूल करने का निर्णय लिया । अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने अप्रैल 1996 में भारत सरकार के द्वी.वि.भ. की अमान्यता संबन्धी अनुदेशों का अपने सभी विभाग अध्यक्षों को पृष्ठांकन किया । आगे सरकार के अनुदेशों की अनुपालना में संघ क्षेत्र प्रशासन के लेखा एवं बजट निदेशक ने अक्टूबर 1996 में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) को द्वी.वि.भ. की पात्रता से संबंधित प्रमाणपत्र वेतन बिलों पर अंकित करने एवं अयोग्य अधिकारियों से वसूल होने वाली द्वी.वि.भ. राशि का विस्तृत हवाला देने का अनुरोध किया ।

इन अनुदेशों के बावजूद, निदेशक स्वास्थ्य सेवा (नि.स्वा.से.) ने अखिल भारतीय स्थानान्तरण उत्तरदायित्व तथा द्वी.वि.भ. की स्वीकार्यता का प्रमाण-पत्र अंकित करके अयोग्य चिकित्सा अधिकारियों को फरवरी 2000 तक द्वी.वि.भ. का भुगतान जारी रखा। नि.स्वा.से. ने 21 सितम्बर 1994 और 24 फरवरी 2000 के मध्य अयोग्य चिकित्सा अधिकारियों को 14.47 लाख रु. का भुगतान किया। लेखापरीक्षा के कहने पर नि.स्वा.से. ने मार्च, 2000 से अयोग्य अधिकारियों को द्वी.वि.भ. का भुगतान बन्द किया ।

संघ क्षेत्र प्रशासन के लेखा एवं बजट निदेशक ने द्वी.वि.भ. का अयोग्य अधिकारियों को भुगतान रोकने एवं 20 सितम्बर 1994 के बाद भुगतान किए गए द्वी.वि.भ. की वसूली आरम्भ करने सम्बन्धी अनुदेशों की अनुपालना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की थी ।

लेखापरीक्षा में आगे यह देखने में आया कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित दो केन्द्रीय सरकारी विभागों ने भी सितम्बर 1994 से मार्च 2001 की अवधि में अयोग्य

अधिकारियों को द्वी.वि.भ. के रूप में 16.84 लाख रू. की राशि का भुगतान किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

मंत्रालय का नाम	विभाग का नाम	अयोग्य अधिकारियों को द्वी.वि.भ. की राशि का किया गया भुगतान (लाख रू. में)
भूतल परिवहन मंत्रालय	दीपस्तंभ एवं दीपपोत का विभाग	16.58
कपड़ा मंत्रालय	विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र	0.26
जोड़		16.84

इस प्रकार, सरकारी अनुदेशों का पालन करने में असफलता के कारण अयोग्य अधिकारियों को 31.31 लाख रू. के द्वी.वि.भ. का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने मामला गृह मंत्रालय को जून 2000 तथा अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों को मार्च 2001 में भेजा था, जिन्होंने अप्रैल 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

15.4 सरकारी भण्डार की हानि

सार्वजनिक निर्माण मण्डल में वार्षिक भण्डार सत्यापन के अभाव के कारण 13.12 लाख रू. के सरकारी भण्डार की अप्राप्य हानि ।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा (के.लो.नि.ले.) संहिता के पैरा 7.2.37 तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) संहिता के पैरा 154 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मण्डलीय अधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार तथा स्टॉक का वास्तविक सत्यापन करना चाहिए। कमियों तथा क्षतियों एवं अप्रयोज्य भण्डारों की हानि को बट्टेखाते डालने हेतु सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

केन्द्रीय निर्माण मण्डल संख्या-1 (के.नि.मं.) अण्डमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.) के अन्तर्गत बहुशिल्प विद्यालय अनुभाग के प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता ने 1990 से 1993 के दौरान स्थल पर अपनी अभिरक्षा में रखी सामग्री के लेखे अनुरक्षित नहीं किये। उसने 13 अगस्त 1993 को अपना प्रभार सौंपते समय न तो उपमण्डल अधिकारी को लेखे प्रस्तुत किए और न ही सामग्री सौंपी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने 1990-99 के बीच कभी भी वार्षिक भण्डार सत्यापन नहीं किया था। केवल अगस्त 1999 में मण्डल ने तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा न दी गई स्थल पर विद्यमान सामग्री की सूची तैयार की। इस विलम्बित अभ्यास ने भण्डारों में 13.12 लाख रू. मूल्य की सामग्री की कमी दर्शाई। इस बीच सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता की नवम्बर 1997 में मृत्यु हो गई। अं.लो.नि.वि. सरकारी भण्डार की हानि के

बारे में अत्यधिक व्याकुल प्रतीत नहीं होता। क्योंकि मुख्य अभियन्ता, अं.लो.नि.वि. ने नवम्बर 2000 में बताया कि भण्डारों के वास्तविक सत्यापन न करने का कोई विशेष कारण नहीं था। विभाग हानि को बट्टेखाते डालने के लिए भी प्रयत्नशील है।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया था; उन्होंने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

चण्डीगढ़ प्रशासन

15.5 वैयक्तिक खाता लेखा का अनुचित नियमन

उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग चण्डीगढ़ ने 8.11 करोड़ रु. वसूल किए तथा वैयक्तिक खाता लेखा में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्राप्ति को सीधे क्रेडिट करके उन्हें खर्च किया और विधानमंडल के अनुमोदन के बिना उन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जिनका वै.खा.ले. में प्रावधान नहीं था।

संसद के अनुमोदन के बिना चण्डीगढ़ प्रशासन ने मनीमाजरा के अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित ग्रामीण क्षेत्र में देशी शराब बिक्री पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (अ.उ.शु.) 1 रु. प्रति प्रूफ लिटर दर (1998-99 से 2 रु. प्रति प्रूफ लिटर संशोधित दर) से उदगृहीत किया। इस प्रकार एकत्रित की गई अ.उ.शु. की आय का ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति, जहां बिक्री का स्थान हो, को विपथन किया जाना था। अ.उ.शु. के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में कोई शीर्ष स्पष्ट नहीं किए गये थे। उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त ने वित्त सचिव के अनुमोदन से अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित ग्रामीण क्षेत्र में अ.उ.शु. का उद्ग्रहण तथा ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को प्रोत्साहन के रूप में भुगतान के लिए वैयक्तिक खाता लेखा (वै.खा.ले.) खोलने का निर्णय लिया। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब ने यह प्रस्ताव जून 1990 में इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि वै.खा.ले. विभाग के राजस्व शीर्ष को डेबिट करके बनाया जाना चाहिए और वै.खा.ले. को अन्तरण की गई राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व से सीमित की जानी चाहिए। यह भी शर्त थी कि वित्त वर्ष के अंत में वै.खा.ले. में शेष यदि कोई हो, को विभाग के संबंधित सेवा शीर्ष में अन्तरण करके शून्य दिखाकर बन्द करना चाहिए।

1990-2000 के दौरान प्राप्त 8.11 करोड़ रु. में से, केवल 0.47 करोड़ रु. (6 प्रतिशत) ग्राम पंचायत को दिए गए और 0.27 करोड़ रु. (3 प्रतिशत) सरकारी लेखा को व्यपगत किए गए। शेष राशि 7.37 करोड़ रु. (91 प्रतिशत) अन्य उद्देश्यों जैसे कि निजी संस्थानों को अनुदान 1.34 करोड़ रु. (16 प्रतिशत), सरकारी/निजी संस्थानों को कर्ज 0.63 करोड़ रु. (8 प्रतिशत), वाहन की खरीद 0.14 करोड़ रु. (2 प्रतिशत), अन्य

विभागीय व्यय 1.54 करोड़ रु. (19 प्रतिशत), कर्मचारियों के कल्याण के लिए 0.09 करोड़ रु. (1 प्रतिशत), अनुसंधान एवं विश्लेषण 0.24 करोड़ रु. (3 प्रतिशत) खर्च किए गए। वर्ष के अन्त में 3.39 करोड़ रु. (42 प्रतिशत) की राशि जिला राहत कोष को स्थानांतरित की गई थी।

वै.खा.ले. के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी मद जो राजस्व प्राप्ति के रूप में क्रेडिट की जा सके सरकार के लेखाओं में निक्षेप के रूप में क्रेडिट नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बजटीय प्रणाली में अपेक्षित था कि ग्राम पंचायतों को अनुदान, जिसके लिये प्रश्नाधीन कर लगाया गया, का भुगतान राजस्व व्यय शीर्ष से होना था। इसलिए इन लेन-देनों के लिए वै.खा.ले. खोलना अनुचित था।

संयुक्त सचिव (वित्त) चण्डीगढ़ प्रशासन ने मार्च 2001 में बताया कि वै.खा.ले. की आय (मदिरा निधि) अब केवल ग्राम पंचायत तथा नगर निगम एवं अन्य विभागों जिनके मामले में प्रशासन की राजस्व में साझेदारी है, के लिए उपयोग की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि निधियां भारत की समेकित निधि में जमा की जाती हैं तो राजस्व को बांटना संभव नहीं है अतः वै.खा.ले. चालू रहेगा।

तथापि, ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं था जो यह दर्शाता हो कि नया उद्ग्रहीत (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) को संसद/राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 283 में उल्लेख किया गया है। ऊपर बताए गये प्राधिकरणों की संस्वीकृति/अनुमोदन की अनुपस्थिति में उद्ग्रहण न्याय संगत नहीं था क्योंकि अधिनियम में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अधिरोपण का कोई प्रावधान नहीं है।

वै.खा.ले. में प्राप्तियों को सीधे क्रेडिट करने तथा उसमें से व्यय करने की अनुचित कार्यविधि अपनाने के कारण सरकारी लेखे प्राप्ति एवं व्यय की सही एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते थे। इसके अतिरिक्त व्यय उचित प्राधिकार तथा निधियों के बजटीय अनुदानों के माध्यम से आवंटन के बिना किया गया जो वैधानिक वित्तीय प्रणाली की पूर्णतः उपेक्षा थी तथा 7.37 करोड़ रु. वै.खा.ले. से संघ क्षेत्र प्रशासन की सूझबूझ से उन प्रयोजनों के लिए खर्च किया गया जिनके लिए वै.खा.ले. में संस्वीकृति नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने मामला अक्टूबर 2000 में मंत्रालय को प्रस्तुत किया; जिसने फरवरी 2001 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

दमन तथा दीव प्रशासन**15.6 जल प्रभारों का कम उद्ग्रहण**

लोक निर्माण विभाग, दीव द्वारा जल प्रभारों का संशोधन न करने के कारण 72.04 लाख रु. के जल प्रभारों का कम उद्ग्रहण तथा कम वसूली ।

दीव के संघ राज्य क्षेत्र (सं.रा.क्षे.) में प्रतिदिन 4.5 मिलियन लीटर पेय जल की आपूर्ति के लिए दमन एवं दीव सरकार ने गुजरात जलापूर्ति एवं मलजल बोर्ड (बोर्ड) के साथ जून 1985 में एक समझौता किया । दीव को फरवरी 1992 से 1.09 रु. प्रति 1000 लीटर तथा अप्रैल 1997 से 2.15 रु. प्रति 1000 लीटर के संशोधित जल प्रभारों का भुगतान करना था । अधिशासी अभियन्ता (अ.अ.) लो.नि.वि. दीव ने दीव के उपभोक्ताओं से बोर्ड द्वारा प्रभारित दर पर जल प्रभारों का उद्ग्रहण तथा एकत्रण करना था तथा इसे उसको भुगतान करना था ।

का.अ., लोक निर्माण विभाग, दीव के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 1992-93 से 1999-2000 (फरवरी 2000) की अवधि में बोर्ड ने का.अ., लो.नि.वि. दीव को 1.11 करोड़ रु. की कुल लागत पर 75.04 लाख हजार लीटर जल की आपूर्ति की परन्तु का.अ., लो.नि.वि. ने 1992-93 से कोई संशोधन किये बिना अपने उपभोक्ताओं के 0.06 रु. प्रति 1000 लीटर की दर पर प्रभारित करना जारी रखा तथा केवल 40.60 लाख रु. का उद्ग्रहण किया जिसमें से 38.64 लाख रु. उपभोक्ताओं से वसूल किये गये थे । इस प्रकार 1992-93 से 1999-2000 (फरवरी 2000) वर्ष के लिए 72.04 लाख रु. के जल प्रभारों का कम उद्ग्रहण तथा कम वसूली हुई ।


तथ्यों को स्वीकार करते हुये मंत्रालय ने दिसम्बर 2000 में बताया कि दीव द्वीप समूह क्षेत्र जल अभाव तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा यथार्थ कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये प्रशासन ने जल के मूल्य में किसी वृद्धि का सहारा नहीं लिया । तथापि मंत्रालय ने आगे बताया कि जल के मूल्यों के संशोधन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका था परन्तु दिसम्बर 2000 तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

अध्याय XVI : सामान्य

16.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही: संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के बार-बार निर्देशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने 145 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणी नहीं भेजी।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालयों/विभागों को इसमें अन्तर्विष्ट सभी पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणी (का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए।



लो.ले.स. ने निर्धारित समय सीमा के भीतर का.टि. प्रस्तुत करने में अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की ओर से अत्यधिक विलम्ब तथा निरन्तर विफलता को गम्भीरता से लिया। संसद में 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किये गए अपने नवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने यह इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 तक समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. को तीन माह के भीतर पूरा करके प्रस्तुत किया जाए तथा सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त

हुए वर्ष से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

दिसम्बर 2000 तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल, अन्य स्वायत्त निकाय तथा वैज्ञानिक विभाग) के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया का.टि. की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने 145 पैराग्राफों पर उपचारात्मक का.टि. प्रस्तुत नहीं की।

मंत्रालय/विभाग, मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष तक तथा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 42 पैराग्राफों के सम्बन्ध में का.टि. तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने में विफल रहे जैसा कि परिशिष्ट-I में दिखाया गया है। बकाया का.टि. 1988-89 के काल से सम्बन्धित हैं।

यद्यपि मार्च 1996, मार्च 1997, मार्च 1998 तथा मार्च 1999 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर मई 1997, जून 1998, अक्टूबर 1999, दिसम्बर 1999 तथा मई 2000 में प्रस्तुत किये गये थे तथा संबद्ध वर्षों के लिए का.टि. प्रस्तुत करने की चार माह की समय सीमा सितम्बर 1997, अक्टूबर 1998, फरवरी 2000, अप्रैल 2000 तथा सितम्बर 2000 में समाप्त हो चुकी थी, मंत्रालयों/विभागों ने 135 पैराग्राफों पर का.टि. प्रस्तुत नहीं की, जैसा कि परिशिष्ट-II में दिखाया गया है। इनमें से जब कि 32 पैराग्राफों के मामले में का.टि. प्रतीक्षित थी, 103 मामलों में उपचारात्मक का.टि. पूर्णतया प्रस्तुत ही नहीं की गई थी।

16.2 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियामवली के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक अथवा अर्धवाणिज्यिक स्वरूप के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों से ऐसे सहायक लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे बनाने की अपेक्षा की जाती है जो कि सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श से निर्धारित किये जाये।

मार्च 2000 को वाणिज्यिक और अर्धवाणिज्यिक स्वरूप के विभागीय रूप से प्रबंधित 35 सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम, प्रतिवर्ष सामान्यतः व्यापार, लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र के समाविष्ट प्रोफार्मा लेखे तैयार करके सुनिश्चित किये जाते हैं। प्रकाशन विभाग, दिल्ली तथा भारत सरकार के मुद्रणालय केवल भण्डार लेखे तैयार करते हैं।

प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके नियंत्रण के अधीन उपक्रम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर लेखापरीक्षित लेखे तैयार करें। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के उनके नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-III में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि प्रोफार्मा लेखे एक से 26 वर्षों की अवधि से तैयार नहीं किये गये थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

अवधि जिससे बकाया पड़े हैं		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-5	1994-95 से 1998-99	14
6-10	1989-90 से 1993-94	7
11-15	1984-85 से 1988-89	7
16-20	1979-80 से 1983-84	3
21-26	1973-74 से 1978-79	3
जोड़		34

उन उपक्रमों में जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया थे आकाशवाणी (16 वर्ष) दूरदर्शन (16 वर्ष) चिकित्सा भण्डार डिपो (14 वर्ष) दिल्ली दुग्ध योजना (5 वर्ष) शामिल थे।

लोक लेखा समिति ने अपने 57वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में इस तथ्य को गम्भीरता से लिया था कि दूरदर्शन के प्रोफार्मा लेखाओं को 1977-78 से अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेखाओं को अन्तिम रूप देने में 15 वर्षों से अधिक की देरी की आलोचना करते हुये समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श करके प्रोफार्मा लेखाओं के अद्यतन अनुरक्षण के लिए उपाय ढूँढ़ें। इस विषय पर की गई कार्यवाही की अपनी 106वीं रिपोर्ट (दसवीं लोक सभा) में समिति ने यह देखा था कि अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई थी और इस स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। समिति ने बकाया प्रोफार्मा लेखाओं को दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करने की सिफारिश की थी। परन्तु दूरदर्शन के प्रोफार्मा लेखे 1983-84 से अभी भी बकाया पड़े हुये हैं।

प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में इन संगठनों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं की लागत जो कि वाणिज्यिक आधार पर प्रबन्धन के लिए अभिप्रेत होती हैं को सुनिश्चित नहीं

किया जा सका था। उनकी गतिविधियों हेतु किसी सामान्य निष्पादन सूचक, जैसे निवेश पर प्रतिफल, लाभप्रदता इत्यादि को सुनिश्चित करना भी सम्भव नहीं था।

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के लेखाओं के संकलन में हुई देरी को वित्त सचिव तथा (1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (2) भूतल परिवहन (iii) रक्षा (iv) कृषि (v) सूचना एवं प्रसारण (vi) शहरी मामले तथा रोजगार (vii) पर्यावरण तथा वन (viii) विद्युत मंत्रालयों के सचिवों के ध्यान में भी उनकी टिप्पणी एवं उत्तर के लिए जनवरी 2001 में लाया गया था। कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त किसी भी अन्य मंत्रालय ने 15 मार्च 2001 तक कोई जवाब/ टिप्पणी नहीं भेजी।

कृषि मंत्रालय ने केवल बर्फ तथा प्रशीतन संयंत्र की वर्ष 1996-97 की स्थिति सूचित की किन्तु दिल्ली दुग्ध योजना तथा बर्फ तथा प्रशीतन संयंत्र, कोचीन के अद्यतन वित्तीय परिणाम सूचित नहीं किये। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फरवरी 2001 में बताया कि केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के वनस्पति उद्यान, कांके, रांची, की सूचना 1998-99 तक सम्बद्ध महालेखाकार को भेजी जा चुकी है परन्तु इसके वित्तीय परिणामों को सूचित नहीं किया। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी 2001 में केवल दो विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों की स्थिति सूचित की तथा यह भी बताया कि वह सम्बद्ध प्रशासनों को प्रोफार्मा लेखाओं को शीघ्रता से तैयार करने की सलाह दे रहा था।

16.3 बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां और अवसूली योग्य राशियां

1999-2000 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों, शुल्कों, पेशगियों का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

परिशिष्ट-IV से यह देखा जा सकता है कि 1999-2000 के दौरान 250 मामलों में व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों के कारण मुख्यतः प्रणाली की विफलता उपेक्षा, धोखाधड़ी आदि (4.23 लाख रु.) तथा अन्य कारणों (130.46 लाख रु.) के कारण हानियों को निरूपित करते हुए 5.31 लाख रु. बट्टे खाते डाले गए थे। चार मामलों में 0.87 लाख रु. राशि की वसूली वर्ष के दौरान छोड़ी गई थी।

16.4 मंत्रालयों/विभागों का ड्राफ्ट पुनरीक्षणों/पैराग्राफों के विषय में उत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 52 में से 36 ड्राफ्ट पुनरीक्षणों/पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे।

लो.ले.स. की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पुनरीक्षण/पैराग्राफों के विषय में छः सप्ताह के अन्दर अपना उत्तर भेजने के लिए जून 1960* में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किये। ड्राफ्ट पुनरीक्षण/पैराग्राफ सदैव संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुये तथा छः सप्ताह के अन्दर उनका उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं। मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल प्रत्येक पुनरीक्षण/पैराग्राफ के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाए जाते हैं।

मार्च 2000 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शामिल 52 ड्राफ्ट पुनरीक्षण/पैराग्राफ अप्रैल 2000-जनवरी 2001 के दौरान अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों का भेजे गए थे।



* सं.एफ.32(9) ई.जी.आई./60 दिनांक 3 जून 1960

मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने, लो.ले.स. के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में 36 ड्राफ्ट पुनरीक्षणों/पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है। परिणामतः ये 36 पुनरीक्षण/पैराग्राफ, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के उत्तर के बिना ही प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।



(हरप्रसाद दास)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक: 17 जुलाई 2001


प्रतिहस्ताक्षरित



(विजय कृष्ण शुंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2001



परिशिष्ट-I
(पैराग्राफ संख्या 16.1 देखें)

मार्च 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिए दिसम्बर 2000 को विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित शोधक कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र. सं.	मन्त्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	वित्त (राजस्व विभाग)	1995	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2.	शहरी मामले तथा रोजगार	1989	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		1990	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-
		1991	-	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8	-
		1992	-	-	-	9	9	-	-	-	-	9	9	-
		1993	-	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-
		1994	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	-
		1995	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-
	जोड़		1	1		41	41	-				42	42	-

परिशिष्ट-II
(पैराग्राफ 16.1 देखें)

मार्च 1996 से मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्षों के लिए दिसम्बर 2000 को विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित शोधक कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1	कृषि	1998	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद	1997	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		1999	-	-	-	-	-	-	6	2	4	6	2	4
3	विदेश	1998	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		1999	7	3	4	-	-	-	-	-	-	7	3	4
4	वित्त (राजस्व विभाग)	1997	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1998	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1999	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	(आर्थिक मामलों का विभाग)	1999	3	1	2	1	1	-	-	-	-	4	2	2
5	भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	1998	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		1999	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1997	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1998	4	4	-	1	-	1	-	-	-	5	4	1

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
		1999	2	2	-	2	2	-	-	-	-	4	4	-
7	गृह	1996	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1997	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1998	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		1999	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
8	मानव संसाधन विकास (संस्कृति विभाग)	1997	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1
		1998	2	2	-	2	2	-	-	-	-	4	4	-
		1999	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	(शिक्षा विभाग)	1996	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		1997	1	-	1	3	1	2	-	-	-	4	1	3
		1998	-	-	-	3	2	1	-	-	-	3	2	1
		1999	1	1	-	3	3	-	-	-	-	4	4	-
9	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	1999	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-
10	भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्	1998	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		1999	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
11	उद्योग	1999	1	1	-	4	4	-	-	-	-	5	5	-

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
12	सूचना एवं प्रसारण	1997	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1998	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1999	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
13	विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले	1997	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		1998	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
14	श्रम	1997	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		1998	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15	अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत	1999	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
16	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	1999	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
17	योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1997	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1
18	ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार	1998	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-
		1999	1	1	-	4	4	-	-	-	-	5	5	-

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
19	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	1998	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
20	भूतल परिवहन	1998	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	-
		1999	1	1	-	20	17	3	-	-	-	21	18	3
21	दूर संचार (सी.डॉट)	1999	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
22	कपड़ा	1999	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
23	पर्यटन	1998	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
24	शहरी मामले तथा रोजगार	1998	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1999	2	2	-	8	8	-	-	-	-	10	10	-
25	जल संसाधन	1999	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
जोड़			52	37	15	68	56	12	15	10	5	135	103	32

परिशिष्ट-III
(पैराग्राफ 16.2 देखें)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

लाख रु. में

क्र. सं	मंत्रालय/उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्यमान पूंजी के कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
कृषि										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	1993-94	2289.56	824.69	1220.44	(-)1601.58	357.86	(-) 1243.72		
2.	बर्फ और प्रशीतन संयंत्र, कोचीन	1996-97	76.71	61.63	45.19	(-)71.69	-	(-) 71.69		
रक्षा										
3.	कैन्टीन भण्डार विभाग	1998-99	48.00	2126.32	1264.67	6951.46	4574.98	11526.44	35.10	
विद्युत										
4.	विद्युत विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1997-98	11378.00	10207.07	1186.00	(-)4593.00	1126.00	(-)3467.00	-	
5.	विद्युत विभाग लक्षद्वीप	1990-91	827.51	597.00	230.52	(-) 483.79	शून्य	52.95	6.01	
पर्यावरण तथा वन										
6.	पर्यावरण तथा वन विभाग अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1993-94	585.10	585.10	714.39	(+)1291.69	525.66	7921-43	123.19	
वित्त										
7.	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक रोड़	1996-97	20083.85	3621.71	2072.05	(-)5608.70	2575.66	(-)3033.04	(-)14.13	
8.	सुरक्षा मुद्रणालय, हैदराबाद	1993-94	1348.00	980.00	369.00	(+) 302.00	214.00	516.00	26	अलेखापरीक्षित अनंतिम आंकड़े

क्र. सं	मंत्रालय/उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्यमान पूंजी के कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड़	1997-98	12290.35	6310.76	5612.62	1572.57	3525.62	5098.18	17.50	
10.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	1992-93	172.01	90.48	40.39	1562.51	201.16	1763.67	92.06	
11.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	1992-93	219.93	191.27	27.16	(+) 2044.82	187.87	2232.69	124.78	
12.	सरकारी क्षारोघ कार्यशाला, नीमच	1996-97	437.28	545.36	216.31	(+)428.34	52.47	480.82	109.95	
13.	सरकारी क्षारोघ कार्यशाला, गाजीपुर	1992-93	123.18	23.63	27.87	(-) 58.44	20.68	(-) 37.76	-	
14.	भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	1995-96	27017.53	2699.75	788.12	20972.74	2811.40	23784.15		
15.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	1995-96	479.46	235.82	359.67	(+)857.64	1659.50	(+)2517.14	-	
16.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	1991-92	4453.70	583.67	337.63	(-)854.88	516.69	338.19	7.59	
17..	बैंक नोट प्रैस, देवास	1997-98	7477.57	2976.59	4567.17	3321.15	2778.96	6100.11	82.00	
18.	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	1981-82	3171.16	2318.31	852.85	(-)152.39	198.89	46.50	1.47	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण										
19.	केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कासेली	1998-99	478.08	57.41	43.96	(-) 135.18	123.86	313.00	30.58	
20.	चिकित्सा भण्डार डिपो	1984-85	(+)978.92	44.61	35.19	(+)38.14	(+)79.98	1306.13	-	आंकड़ों में जी.एम.एस.डी मुम्बई दिल्ली तथा जी.एम.एस.डी. के परिणाम शामिल नहीं हैं।
21.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, रांची	1994-95	0.31	0.24	0.002	(-)0.49	0.02	1.34	442.93	
सूचना एवं प्रसारण										
22.	आकाशवाणी	1982-83	8325.15	5227.06	3098.09	(-)3121.89	409.64	(-)2712.25	-	

क्र. सं	मंत्रालय/उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्यमान पूंजी के कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	रेडियो प्रकाशन, आकाशवाणी	1985-86	639.64	0.45	0.11	(-) 48.58	0.90	(-) 48.49	-	
24.	महानिदेशक दूरदर्शन, नई दिल्ली	1976-77	2545.61	2026.43	519.18	(-) 575.45	117.88	(-) 457.57	-	वर्ष 1982-83 तक के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त कर लिए गये हैं परन्तु वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
25.	वाणिज्यिक बिक्री सेवा दूरदर्शन, नई दिल्ली	1976-77	-	0.14	-	(+) 57.62	-	(+) 57.62	-	
26.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	1986-87	642.75	240.20	285.81	(-) 697.81	49.71	(-) 648.10	-	(i) पूंजी पर ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के लिए नियोजित पूंजी के साधनों पर की गई है। (ii) वर्ष 1987-88 तथा आगे के लिए प्रोफार्मा लेखाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
27.	वाणिज्यिक प्रसारण सेवायें, आकाशवाणी	1983-84	251.28	178.71	72.57	(+) 1071.47	-	(+) 1071.47	-	
भूतल परिवहन										
28.	प्रकाशस्तम्भ तथा दीपपोत विभाग	1995-96	11142.27	11813.25	2901.77	3662.03	800.00	4462.03	119.62	
29.	जहाजरानी विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1972-73	43.50	56.80	7.89	(-) 80.15	4.47	(-) 75.68	-	
30.	नौका सेवा, अण्डमान	1984-85	195.85	86.93	108.92	(-) 95.45	18.49	(-) 76.96	-	

क्र. सं	मंत्रालय/उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्यमान पूंजी के कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
31.	समुद्री विभाग (गोदी) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1985-86	7.19	7.19	0.32	(-) 59.67	24.79	(-) 34.88	-	
32.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम, चण्डीगढ़	1991-92	2277.33	1128.79	48.32	(-) 361.41	145.87	(-) 215.54	-	
33.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1980-81	45.22	87.40	9.44	(-) 28.33	2.23	(-) 26.10	-	
शहरी मामले तथा रोजगार										
34.	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	1992-93								वर्ष 1992-93 तक के प्रोफॉर्मा लेखे प्राप्त हो गये हैं किन्तु वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
35.	भारत सरकार के मुद्रणालय	1987-88								वर्ष 1987-88 तक के प्रोफॉर्मा लेखे प्राप्त हो चुके हैं किन्तु वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

अनुबन्ध IV
(पैराग्राफ 16.3 देखें)

1999-2000 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण

लाख रु. में

मंत्रालय/विभाग का नाम	के कारण बट्टे खाते डाली गई हानियां तथा अवसूली योग्य राशियां							
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली छोड़ना	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
कृषि	-	-	-	-	7	0.55	-	-
परमाणु ऊर्जा	-	-	-	-	10	1.47	-	-
रसायन एवं उर्वरक	-	-	-	-	3	0.35	-	-
वित्त	-	-	-	-	4	0.67	-	-
गृह	1	0.65	-	-	-	-	-	-
श्रम	-	-	-	-	1	0.11	-	-
डाक एवं दूरसंचार	-	-	3	0.16	14	0.54	-	-
विद्युत	11	2.82	-	-	4	1.08	2	0.06
अंतरिक्ष	2	0.07	-	-	7	0.93	2	0.81
भूतल परिवहन	8	1.77	24	2.46	145	124.64	-	-
जल संसाधन	-	-	3	1.61	3	0.12	-	-
जोड़	22	5.31	30	4.23	198	130.46	4	0.87

परिशिष्ट-V
(पैराग्राफ 16.4 देखें)

ड्राफ्ट पुनरीक्षणों/पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के उत्तर

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	पुनरीक्षणों/पैराग्राफों की कुल संख्या	पुनरीक्षणों/पैराग्राफों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पुनरीक्षणों/पैराग्राफों का सन्दर्भ
1	2	3	4	5
1.	वाणिज्य तथा उद्योग	5	3	6,1,6.2,6,3
2.	शहरी मामले तथा रोजगार	4	4	2.1, 2.2, 13.1, 13.2
3.	कृषि	3	3	3.1, 3.2, 3.3
4.	नागर विमानन	1	-	-
5.	कोयला	1	-	-
6.	विदेश	11	7	7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11
7.	वित्त	5	2	8.3, 8.5
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	2	9.1, 9.2
9.	गृह	11	8	10.3, 10.4, 10.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5
10.	सूचना एवं प्रसारण	4	4	2, 12.1, 12.2, 12.3
11.	भूतल परिवहन	5	3	12.3, 12.4, 12.5
	जोड़	52	36	

